बहारे शरीअ़त

अ़क़ाइद
त़हारत
नमाज़
रोज़ा
ज़कात
ह़ज
निकाह़
तलाक़
खुला
वक़्फ़

1 ता 10

मुसन्निफ़
स़दरूश्शरीअ़ा मौलाना
अमजद अ़ली आ़ज़मी
अ़लैहिर्रह़मा

अनुवादक
मौलाना मुहम्मद अमीनुल क़ादरी
बरेलवी

क़ादरी दारूल इशाअत

तमाम भाईयो को सलाम किताबे

स्केन करके पीडिएफ में आप

तक पहुँचाने के लिए इस

फक़ीर को अपनी दुआओ में

खास तौर पर याद रखे।

दुआओ का तालीब

सग ए रज़ा लाला ख़ान

बहारे शरीअ़त

चौथा हिस्सा

मुसन्निफ़
सदरूश्शरीआ़ मौलाना अमजद अ़ली आ़ज़मी रज़वी अ़लैहिर्रहमा

हिन्दी तर्जमा
मौलाना मुहम्मद अमीनुल क़ादरी बरेलवी

नाशिर
क़ादरी दारूल इशाअ़त
मुस्तफ़ा मस्जिद, वैलकम, दिल्ली–53
Mob:–9312106346

नाम किताब — बहारे शरीअ़त (चौथा हिस्सा)

मुसन्निफ़ — सदरुश्शरीअ मौलाना अमजद अली आज़मी रज़वी अलैहिर्रहमह

हिन्दी तर्जमा — मौलाना मुहम्मद अमीनुल क़ादरी बरेलवी

कम्प्यूटर कम्पोज़िंग — मौलाना मुहम्मद शफ़ीक़ुल हक़ रज़वी

क़ीमत जिल्द अव्वल — 500/

तादाद — 1000

इशाअ़त — 2010 ई.

मिलने के पते

1. मकतबा नईमिया ,मटिया महल, दिल्ली।
2. फ़ारुक़िया बुक डिपो ,मटिया महल ,दिल्ली।
3. नाज़ बुक डिपो ,मोहम्मद अली रोड़ मुम्बई
4. अलक़ुरआन कम्पनी ,कमानी गेट,अजमेर।
5. चिश्तिया बुक डिपो दरगाह शरीफ़ अजमेर।
6. क़ादरी दारुल इशाअत,मुस्तफ़ा मस्जिद वैलकम दिल्ली–53 मो0:–09312106346
7. मकतबा रहमानिया रज़विया दरगाह आला हज़रत बरेली शरीफ़

फ़ेहरिस्त

بسم الله الرحمٰن الرحيم

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ وَنُسَلِّمُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

वित्र का बयान

हदीस न.1 :– सही मुस्लिम शरीफ में है अ़ब्दुल्लाह इब्ने अ़ब्बास रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम के यहाँ मैं सोया था। हुजूर बेदार हुए मिस्वाक की और वुजू किया और इसी हालत में आयत اِنَّ فِیْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ख़त्म सूरत तक पढ़ी फिर खड़े होकर दो रकअ़तें पढ़ी जिनमें क़ियाम, रूकू व सुजूद को तवील (लम्बा) किया। फिर पढ़कर आराम फ़रमाया यहाँ तक कि साँस की आवाज़ आई, यूँही तीन बार में छः रकअ़तें पढ़ीं हर बार मिस्वाक व वुजू करते और उन आयतों की तिलावत फ़रमाते फिर वित्र की तीन रकअ़तें पढ़ीं।

हदीस न.2 :– नीज़ उसी में अ़ब्दुल्लाह इब्ने उ़मर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से मरवी है कि फ़रमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम रात की नमाज़ों के आख़िर में वित्र पढ़ो और फ़रमाते हैं सुबह से पेश्तर (पहले)वित्र पढ़ो।

हदीस न.3 :– मुस्लिम व तिर्मिज़ी व इब्ने माजा वग़ैरहुम जाबिर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि फ़रमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम जिसे अन्देशा हो कि पिछली रात में न उठेगा वह अव्वल वक़्त में पढ़ ले और जिसे उम्मीद है कि पिछले को उठेगा वह पिछली रात में पढ़े कि आख़िर शब की नमाज़ मशहूद है (यानी उसमें मलाइकए रहमत हाज़िर होते हैं) और यह अफ़ज़ल है।

हदीस न.4,6 :– अबू दाऊद व तिर्मिज़ी व निसाई व इब्ने माजा मौला अ़ली रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया अल्लाह वित्र (बेजोड़) है वित्र को महबूब रखता है। लिहाज़ा ऐ क़ुर्आन वालो! वित्र पढ़ो और उसी के मिस्ल जाबिर व अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से मरवी।

हदीस न.11 :– अबू दाऊद व तिर्मिज़ी व इब्ने माजा ख़ारिज इब्ने हुज़ाफ़ा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि फ़रमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम अल्लाह तआ़ला ने एक नमाज़ से तुम्हारी मदद फ़रमाई कि वह सुर्ख़ ऊँटों से बेहतर है। अल्लाह तआ़ला ने उसे इशा व तुलूए फ़ज्र के दरमियान में रखा है। यह हदीस दीगर सहाबा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुम से भी मरवी है मसलन मआज़ इब्ने जबल व अ़ब्दुल्लाह इब्ने उ़मर व इब्ने अ़ब्बास व उक़बा इब्ने आमिर जुहनी रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुम।

हदीस न.12 :– तिर्मिज़ी ज़ैद इब्ने असलम से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया जो वित्र से सो जाये वह सुबह को पढ़ ले।

हदीस न.13,16 :– इमाम अहमद उबई इब्ने कअ़ब से और दारमी इब्ने अ़ब्बास से और अबू दाऊद व तिर्मिज़ी उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा से और नसई अ़ब्दुर्रहमान इब्ने अबज़े रदियल्लाहु अ़न्हुम से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम वित्र कि पहली रकअ़त में سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى और दूसरी में قُلْ يٰٓاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ और तीसरी में قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ पढ़ते।

हदीस न.17 :– अहमद व अबू दाऊद व हाकिम बुरीदा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया वित्र हक़ है जो वित्र न पढ़े वह हम में से नहीं"।

हदीस न.18 :– अबू दाऊद व तिर्मिज़ी व इब्ने माजा अबू सईद ख़ुदरी रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि हुज़ूर ने फरमाया जो वित्र से सो जाये या भूल जाये तो जब बेदार हो या याद आये पढ़ ले

हदीस न.19, 20 :– अहमद व नसई व दारे कुतनी बरिवायते अब्दुर्रहमान इब्ने अबज़े अन अबीहि और अबू दाऊद व नसई उबई इब्ने कअ़ब रदियल्लाहु तआला अन्हुम से "रावी कि हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम जब वित्र में सलाम फेरते तीन बार "सुब्हानल मलिकिल कुद्दूस" कहते और तीसरी बार बलन्द आवाज़ से कहते।

मसाइले फ़िक़्हिय्या

वित्र वाजिब है अगर सहवन (भूलकर) या क़स्दन (जानबूझ कर) न पढ़ा तो क़ज़ा वाजिब है और साहिबे तरतीब (जिस के ज़िम्मे क़ज़ा नहीं अगर हों तो छः से कम हों)के लिए अगर यह याद है कि नमाज़े वित्र न पढ़ी है और वक़्त में गुन्जाइश भी है तो फ़र्ज़ की नमाज़ फ़ासिद है ख़्वाह शुरू से पहले याद हो या दरमियान में याद आ जाये। (दुर्रेमुख़्तार व रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला :– वित्र की नमाज़ बैठ कर या सवारी पर बग़ैर उज़्र नहीं हो सकती। (दुर्रेमुख़्तार वग़ैरा)

मसअ्ला :– नमाज़े वित्र तीन रकअ़त हैं और इसमें क़ादए ऊला वाजिब है और क़अ़्दए ऊला में सिर्फ़ अत्तहीय्यात पढ़कर खड़ा हो जाये न दुरूद पढ़े न सलाम फेरे जैसे मग़रिब में करते हैं उसी तरह करे और अगर क़अ़्दए ऊला में भूलकर खड़ा हो गया तो लौटने की इजाज़त नहीं बल्कि सजदए सहव करे (दुर्रेमुख़्तार व रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– वित्र की तीन रकअ़तों में मुतलक़न किरात फ़र्ज़ है और हर एक में बादे फ़ातिहा सूरत वाजिब और बेहतर यह है कि पहली में سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰی या اِنَّا اَنْزَلْنٰهُ दूसरी में قُلْ يٰۤاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ तीसरी में قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ पढ़े और कभी–कभी और सूरतें भी पढ़ ले। तीसरी रकअ़त में किरात से फ़ारिग़ होकर रुकू से पहले कानों तक हाथ उठा कर अल्लाहु अकबर कहे जैसे तकबीरे तहरीमा में कहते हैं फिर हाथ बाँध ले और दुआए कुनूत पढ़े। दुआए कुनूत का पढ़ना वाजिब है और उसमें किसी ख़ास दुआ का पढ़ना ज़रूरी नहीं बेहतर वह दुआयें हैं जो नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से साबित हैं और उनके अलावा कोई और दुआ पढ़े जब भी हरज नहीं। सब में ज़्यादा मशहूर दुआ यह है।

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَ نَسْتَغْفِرُكَ وَ نُؤْمِنُ بِكَ وَ نَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَ نُثْنِيْ عَلَيْكَ الْخَيْرَ كُلَّهٗ وَ نَشْكُرُكَ وَ لَا نَكْفُرُكَ وَ نَخْلَعُ وَ نَتْرُكُ مَنْ يَّفْجُرُكَ اَللّٰهُمَّ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّيْ وَ نَسْجُدُ وَ اِلَيْكَ نَسْعٰى وَ نَحْفِدُ وَ نَرْجُوْ رَحْمَتَكَ وَ نَخْشٰى عَذَابَكَ اِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ.

अल्लाहुम्म इन्ना नस्तईनुक व नस्तग़ फ़िरू क ननुअमिनु बिका व नतनक्कलु अ़लै–क–व नुस्नी अ़लैकल ख़ैरा कुल्लुहू व नश्कुरुक वला नकफ़रू–क– व नख़लउ व नतरूकु मंय्यफ़जुरु–क अल्लाहुम्म इय्याका नअ़बुदु व लका नुसल्ली व नस्जुदु व इलै–क नसआ व नहफ़िदु व नरजू रहमत–क व नख़्शा अ़ज़ा ब– क इन्ना अज़ा बक बिल कुफ़्फ़ारि मुलहिक़"

तर्जमा :– " इलाही हम तुझसे मदद तलब करते हैं और मग़फ़िरत चाहते हैं और तुझ पर ईमानलाते हैं और तुझ पर तवक्कुल करते हैं और हर भलाई के साथ तेरी सना करते हैं और हम तेरा शुक्र करते हैं नाशुक्री नहीं करते और हम

जुदा होते हैं और उस शख़्स को छोड़ते हैं जो तेरा गुनाह करे ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तेरे ही लिए नमाज़ पढ़ते हैं और सजदा करते है और तेरी ही तरफ़ दौड़ते और सई (चलने की कोशिश) करते हैं और तेरी रहमत का उम्मीदवार हैं और तेरेअ़ज़ाब से डरतेहैं बेशक तेरा अज़ाब काफ़िरों को पहुँचनेवाला है"।

और बेहतर यह है कि इस दुआ के साथ वह दुआ भी पढ़े जो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने इमामे हसन रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु को तअ़लीम फ़रमाई वह यह है :–

اَللّٰهُمَّ اهْدِنِيْ فِيْ مَنْ هَدَيْتَ وَ عَافِنِيْ فِيْ مَنْ عَافَيْتَ وَ تَوَلَّنِيْ فِيْ مَنْ تَوَلَّيْتَ وَ بَارِكْ لِيْ فِيْمَا اَعْطَيْتَ وَ قِنِيْ شَرَّ مَا قَضَيْتَ فَاِنَّكَ تَقْضِيْ وَ لَا يُقْضٰى عَلَيْكَ اِنَّهٗ لَا يَذِلُّ مَنْ وَّ الَيْتَ وَ لَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ تَبَارَكْتَ وَ تَعَالَيْتَ سُبْحٰنَكَ رَبَّ الْبَيْتِ وَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ وَ اٰلِهٖ.

तर्जमा :– " इलाही तू मुझे हिदायत दे उन लोगों में जिनको तूने हिदयात दी और आफ़ियत दे उनके जुमरे में जिनमें तूने आफ़ियत दी और मेरा वली हो उन लोगों में जिनका तू वली हुआ और जो कुछ तूने दिया उसमें बरकत दे और जो कुछ तूने फ़ैसला कर दिया उसके शर से बचा। बेशक तू हुक्म करता है और तुझ पर हुक्म नहीं किया जाता। बेशक तेरा दोस्त ज़लील नहीं होता और तेरा दुश्मन इज़्ज़त नहीं पाता तू बरकत वाला है और तु बलन्द है तू पाक है ऐ बैत (कअ़बा शरीफ़) के मालिक और अल्लाह दुरूद भेजे नबी पर और उनकी आल पर"।

और एक दुआ वह है जो मौला अ़ली रदियल्लाहु तआला अ़न्हु से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम आख़िर वित्र में पढ़ते :–

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ وَ اَعُوْذُ بِكَ مِنْكَ لَا اُحْصِيْ ثَنَاءً عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَا اَثْنَيْتَ عَلٰى نَفْسِكَ.

तर्जमा :–"ऐ अल्लाह मैं तेरी ख़ुशनूदी की पनाह माँगता हूँ तेरी नाख़ुशी से और तेरी आफ़ियत की तेरे अ़ज़ाब सेऔर तेरी ही पनाह माँगता हूँ तुझ से (तेरे अज़ाब से) मैं तेरी पूरी सना नहीं कर सकता हूँ जैसी तूने अपनी की"।

और हज़रते उमर रदियल्लाहु तआला अ़न्हु اِنَّ عَذَابَكَ الْجِدَّ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ के बाद यह पढ़ते थे

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ وَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَ اَلِّفْ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ وَ اَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِهِمْ وَ انْصُرْهُمْ عَلٰى عَدُوِّكَ وَ عَدُوِّهِمْ اَللّٰهُمَّ الْعَنْ كَفَرَةَ اَهْلِ الْكِتٰبِ الَّذِيْنَ يُكَذِّبُوْنَ رُسُلَكَ وَ يُقَاتِلُوْنَ اَوْلِيَاءَكَ اَللّٰهُمَّ خَالِفْ بَيْنَ كَلِمَتِهِمْ وَ زَلْزِلْ اَقْدَامَهُمْ وَ اَنْزِلْ عَلَيْهِمْ بَاْسَكَ الَّذِيْ لَمْ يُرَدَّ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِيْنَ.

तर्जमा :– अहले किताब पर लअ़नत कर जो तेरे रसूलों की तकज़ीब करते हैं और तेरे दोस्तों से लड़ते हैं इलाही तू उनऐ अल्लाह! तू मुझे बख़्श दे और मोमिनीन व मोमिनात व मुस्लिनीन मुस्लिमात कोऔर उनके दिलों में उल्फ़त पैदा कर दे और उनके आपस की हालत दुरूस्त कर दे और उनको तू अपने दुश्मन और ख़ुद उनके दुश्मन पर मदद कर दे ऐ अल्लाह ! तू कुफ़्फ़ारकी बात में मुख़ालफ़त डाल दे और उनके क़दमों को हटा दे और उन पर अपना वह अ़ज़ाब नाज़िल कर जो क़ौमे मुजरिमीन से वापस नहीं होता।

दुआए कुनूत के बाद दुरूद शरीफ़ पढ़ना बेहतर है। (ग़ुनिया व दुर्रेमुख़्तार वग़ैराहुमा)

मसअला :– दुआए कुनूत आहिस्ता पढ़े इमाम हो या मुनफरिद या मुकतदी,अदा हो या क़ज़ा रमज़ान में हो या और दिनों में। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअला :– जो दुआए कुनूत न पढ़ सके यह पढ़े :–

رَبَّنَا اٰتِنَا فِی الدُّنْیَا حَسَنَةً وَّ فِی الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّ قِنَا عَذَابَ النَّارِ ۔

तर्जमा :– "ऐ हमारे परवरदिगार तू हमको दुनिया में भलाई दे और आख़िरत में भलाई दे और हम को जहन्नम के अज़ाब से बचा "। या तीन बार اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَنَا (अल्लाहुम्मग़फ़िर लना)कहे।(आलमगीरी)

मसअला :– अगर दुआए कुनूत पढ़ना भूल गया और रुकू में चला गया तो न क़ियाम की तरफ लौटे न रुकू में पढ़े और अगर क़ियाम की तरफ लौट आया और कुनूत पढ़ा और रुकू न किया तो नमाज़ फ़ासिद न होगी मगर गुनाहगार होगा और अगर सिर्फ़ अलहम्दु पढ़कर रुकूअ़ में चला गया था तो लौटे और सूरत व कुनूत पढ़े फिर रुकू करे और आख़िर में सजदए सहव करे। यूहीं अगर अलहम्द भूल गया और सूरत पढ़ ली थी तो लौटे और फ़ातिहा व सूरत व कुनूत पढ़कर फिर रुकू करे।(आलमगीरी)

मसअला :– इमाम को रुकू में याद आया कि दुआए कुनूत नहीं पढ़ी तो क़ियाम की तरफ न लौटे फिर भी अगर खड़ा हो गया और दुआ पढ़ी तो रुकूअ़ का इआदा न चाहिए यानी रुकू लौटाना नहीं चाहिए और अगर इआदा कर लिया और मुक़तदियों ने पहले रुकूअ़ में इमाम का साथ न दिया और दूसरा इमाम के साथ किया या पहला रुकूअ़ इमाम के साथ किया दूसरा न किया तो दोनों हाल में नमाज़ फ़ासिद न होगी। (आलमगीरी)

मसअला :– कुनूत व वित्र में मुक़तदी इमाम की मुताबअ़त(पैरवी) करे अगर मुक़तदी कुनूत से फ़ारिग़ न हुआ था कि इमाम रुकूअ़ में चला गया तो मुक़तदी इमाम का साथ दे और अगर इमाम ने बे–कुनूत पढ़े रुकूअ़ कर दिया और मुक़तदी ने अभी कुछ न पढ़ा था तो मुक़तदी को अगर रुकूअ़ फ़ौत होने का अन्देशा हो जब तो रुकूअ़ कर दे वर्ना कुनूत पढ़ कर रुकू में जाये और उस ख़ास दुआ की हाजत नहीं जो दुआए कुनूत के नाम से मशहूर है बल्कि मुतलकन कोई दुआ जिसे कुनूत कह सकें पढ़ ले। (आलमगीरी व रदुल मुहतार)

मसअला :– अगर शक हो कि यह रकअ़त पहली है या दूसरी या तीसरी तो उसमें भी कुनूत पढ़े और क़ादा करे फिर और दो रकअ़तें पढ़े और हर रकअ़त में कुनूत भी पढ़े क़अ़्दा करे यूहीं दूसरी और तीसरी होने में शक हो,तो दोनों में कुनूत भी पढ़े। (दुर्रेमुख़्तार,आलमगीरी)

मसअला :– मसबूक़ (जिसकी कुछ रकअ़तें छूट गई हों) इमाम के साथ कुनूत पढ़े बाद को न पढ़े और अगर इमाम के साथ तीसरी रकअ़त के रूकू में मिला है तो बाद को जो पढ़ेगा उसमें कुनूत न पढ़े। (आलमगीरी)

मसअला :– वित्र की नमाज़ शाफ़िई मज़हब के इमाम के पीछे पढ़ सकता है बशर्ते कि दूसरी रकअ़त के बाद सलाम न फेरे वर्ना सही नहीं और इस सूरत में कुनूत इमाम के साथ पढ़े यानी तीसरी रकअ़त के रुकू से खड़े होने के बाद जब वह शाफ़िई इमाम पढ़े। (आम्मए कुतुब)

मसअला :– फज्र में अगर शफ़िई मज़हब वाले की इक्तिदा की और उसने अपने मज़हब के मुताबिक कुनूत पढ़ा तो यह न पढ़े, बल्कि हाथ लटकाये हुए उतनी देर चुप खड़ा रहे (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– वित्र के सिवा और किसी नमाज़ में कुनुत न पढ़े हाँ अगर कोई बड़ा हादसा वाकेअ़ हो

तो फ़ज्र में भी पढ़ सकता है और ज़ाहिर यह है कि रुकू से पहले कुनूत पढ़े।(दुर्रेमुख़्तार व शुरम्बुलाली)

मसअला :– वित्र के सिवा और किसी नमाज़ में कुनूत न पढ़े।

मसअला :– वित्र की नमाज़ क़ज़ा हो गई तो क़ज़ा पढ़ना वाजिब है अगर्चे कितना ही ज़माना हो गया हो क़स्दन (जानबूझ कर)क़ज़ा की हो या भूले से क़ज़ा हो गई हो और जब क़ज़ा पढ़े तो उसमें कुनूत भी पढ़े। अलबत्ता क़ज़ा में तकबीरे कुनूत के लिए हाथ न उठाये जबकि लोगों के सामने पढ़ता हो क्यूँकि लोगों को वित्र का छूटना मालूम होगा।(दुर्रेमुख़्तार,आलमगीरी)रमज़ान शरीफ के अलावा और दिनों में वित्र जमाअ़त से न पढ़े और तदाई के तौर पर हो तो मकरूह है(दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– जिसे आख़िरी शब में जागने पर एअ़्तिमाद हो तो बेहतर यह है कि पिछली रात में वित्र पढ़े वर्ना बादे इशा पढ़ ले। (हदीस)

मसअला :– अव्वल शब में वित्र पढ़कर सो रहा फिर पिछले को जागा तो दोबारा वित्र पढ़ना जाइज़ नहीं और नवाफ़िल जितने चाहे पढ़े। (गुनिया)

मसअला :– वित्र के बाद दो रकअ़त नफ़्ल पढ़ना बेहतर है उसकी पहली रकअ़त में اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ दूसरी में قُلْ یٰۤاَیُّهَا الْكٰفِرُوْنَ पढ़ना बेहतर है। हदीस में है कि अगर रात में न उठा तो यह तहज्जुद के क़ाइम मक़ाम हो जायेगी। (यह सब मज़ामीन अहादीस से साबित है)

सुनन व नवाफ़िल का बयान

वली से अदावत अल्लाह तआ़ला से लड़ाई लेना है

हदीस न.1 :– सही बुख़ारी शरीफ़ में अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु से मरवी हुज़ूरे अकदस सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं कि अल्लाह तआ़ला ने फ़रमाया जो मेरे किसी वली से दुश्मनी करे उसे मैंने लड़ाई का ऐअ़्लान दे दिया और मेरा बन्दा किसी शय से उस क़द्र तक़र्रुब(नज़दीकी) हासिल नहीं करता जितना फ़राइज़ से होता है और नवाफ़िल के ज़रिए से हमेशा कुर्ब (नज़दीकी)हासिल करता रहता है यहाँ तक कि उसे मैं महबूब बना लेता हूँ और अगर वह मुझ से सवाल करे तो उसे दूँगा और पनाह माँगे तो पनाह दूँगा। (आलमगीरी)

मुअक्कदा सुन्नतों का ज़िक्र

हदीस न.2 व 3 :– मुस्लिम व अबू दाऊद व तिर्मिज़ी व नसई उम्मुल मोमिनीन उम्मे हबीबा रदियल्लाहु तआ़ला अन्हा से रावी हुज़ूरे अकदस सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं जो मुसलमान बन्दा अल्लाह के लिए हर रोज़ फ़र्ज़ के अलावा ततव्वुअ़ यानी नफ़्ल की बारह रकअ़तें पढ़े अल्लाह तआ़ला उसके लिए जन्नत में एक मकान बनायेगा, चार ज़ोहर से पहले और दो ज़ोहर के बाद और दो मग़रिब और दो बादे इशा और दो क़ब्ल नमाज़े फ़ज्र और रकआ़त की तफ़सील सिर्फ़ तिर्मिज़ी में है। तिर्मिज़ी व नसई व इब्ने माजा की रिवायत उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा रदियल्लाहु तआ़ला अन्हा से यह है कि जो इन पर मुहाफ़ज़त करेगा यानी हमेशा पढेगा ,जन्नत में दाख़िल होगा।

हदीस न.5 :– मुस्लिम व तिर्मिज़ी उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा रदियल्लाहु तआ़ला अन्हा से रावी फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़ज्र की दो रकअ़तें दुनिया व माफ़ीहा यानी जो कुछ दुनिया में है उस से बेहतर है।

हदीस न.6 :– बुख़ारी व मुस्लिम व अबू दाऊद व नसई उन्हीं से रावी कहती हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम इनकी जितनी मुहाफ़ज़त फ़रमाते किसी और नफ़्ल नमाज़ की नहीं करते।

हदीस न. 7 :– तबरानी अ़ब्दुल्लाह इब्ने उमर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रावी कि एक साहब ने अ़र्ज़ किया या रसूलल्लाह ! कोई ऐसा अ़मल इरशाद फ़रमाईए कि अल्लाह तआ़ला मुझे उससे नफ़ा दे। फ़रमाया फ़ज्र की दोनों रकअ़तों को लाज़िम कर लो कि उन में बड़ी फ़ज़ीलत है।

हदीस न.8 :– अबू यअ़ला इन्हीं से रावी कि फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ तिहाई कुर्आन के बराबर है قُلْ يٰاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ सुन्नतों में पढ़ते और यह फ़रमाते कि इनमें ज़माने की रग़बतें हैं।

हदीस न.9 :– अबू दाऊद अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की सुन्नतें न छोड़ो अगर्चे तुम पर दुश्मनों के घोड़े आ पड़ें।

ज़ुहर की सुन्नत के फ़ज़ाइल

हदीस न.10 :– अहमद व अबू दाऊद व तिर्मिज़ी व नसई व इब्ने माजा उम्मुल मोमिनीन उम्मे हबीबा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हा से रावी कि फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम जो शख़्स ज़ोहर से पहले चार और बाद में चार रकअ़तों पर मुहाफ़ज़त करे अल्लाह तआ़ला उस को आग पर हराम फ़रमा देगा। (तिर्मिज़ी ने इस हदीस को हसन सहीह ग़रीब कहा)

हदीस न.11 :– अबू दाऊद व इब्ने माजा अबू अय्यूब अंसारी रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ज़ोहर से पहले चार रकअ़तें जिनके दरमियान में सलाम न फेरा जाये उनके लिए आसमान के दरवाज़े खोले जाते हैं।

हदीस न.12 :– अहमद व तिर्मिज़ी अ़ब्दुल्लाह इब्ने साइब रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी "हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम आफ़ताब ढलने के बाद नमाज़े ज़ोहर से पहले चार रकअ़तें पढ़ते और फ़रमाते यह ऐसी साअ़त है कि इसमें आसमान के दरवाज़े खोले जाते हैं। लिहाज़ा मैं महबूब रखता हूँ कि इसमें मेरा कोई अच्छा अ़मल बलन्द किया जाये"।

हदीस न.13 :– बज़्ज़ाज़ ने सौबान रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि दोपहर के बाद चार रकअ़त पढ़ने को हुज़ूर सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम महबूब रखते। उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा ने अ़र्ज़ की या रसूलल्लाह! मैं देखती हूँ कि इस वक़्त में हुज़ूर सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम नमाज़ महबूब रखते हैं। फ़रमाया इस वक़्त आसमान के दरवाज़े खोले जाते हैं और अल्लाह तआ़ला मख़लूक़ की तरफ़ नज़रे रहमत फ़रमाता है और इस नमाज़ पर आदम व नूह इब्राहीम व मूसा व ईसा अ़लैहिमुस्सलातु वस्सलाम मुहाफ़ज़त करते यानी हमेशा पढ़ते थे।

हदीस न.14 व15 :– तबरानी बर्रा इब्ने आ़ज़िब रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम जिसने ज़ोहर की नमाज़ के पहले चार रकअ़तें पढ़ीं गोया उसने तहज्जुद की चार रकअ़तें पढ़ीं और जिसने इशा के बाद चार पढ़ीं तो यह शबे क़द्र में चार के मिस्ल हैं"। हज़रते उमर फ़ारूक़े आज़म व बाज़ दीगर सहाबए किराम रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुम से भी इसी के मिस्ल मरवी है।

अ़स्र की सुन्नत के फ़ज़ाइल

हदीस न.16 :– अहमद व अबू दाऊद व तिर्मिज़ी अ़ब्दुल्लाह इब्ने उमर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रावी फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम "उस शख़्स पर रहम करे जिसने अ़स्र से पहले चार रकअ़तें पढ़ीं"।

हदीस न.17 :– तिर्मिज़ी मौला अ़ली रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम अ़स्र से पहले चार रकअ़तें पढ़ा करते और अबू दाऊद की रिवायत में है कि दो पढ़ते थे।

हदीस न.18 व 19 :– तबरानी कबीर में उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हा से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं जो अ़स्र से पहले चार रकअ़तें पढ़े अल्लाह तआ़ला उसके बदन को आग पर हराम फ़रमा देगा। दूसरी रिवायत तबरानी की अ़म्र इब्ने आस रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने सहाबा के मजमे में जिस में अमीरुल मोमिनीन उमर इब्ने ख़त्ताब रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु भी थे फ़रमाया जो अ़स्र से पहले चार रकअ़तें पढ़ेगा उसे आग न छुएगी।

मग़रिब की सुन्नत के फ़ज़ाइल

हदीस न.20 व 21 :– रज़ीन ने मकहूल से रिवायत कि फ़रमाते हैं जो शख़्स बादे मग़रिब कलाम करने से पहले दो रकअ़तें पढ़े उसकी नमाज़ इल्लीय्यीन में उठाई जाती है और एक रिवायत में चार रकअ़त हैं। नीज़ उन्हीं की रिवायत हुज़ैफ़ा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से है कि इसमें इतनी बात ज़्यादा है कि फ़रामते हैं मग़रिब के बाद की दो रकअ़तें जल्द पढ़ो कि वह फ़र्ज़ के साथ पेश होती हैं।

हदीस न.22 :– तिर्मिज़ी व इब्ने माजा अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि फ़रमाते हैं कि जो शख़्स मग़रिब के बाद छः रकअ़तें पढ़े और उनके दरमियान में कोई बुरी बात न कहे तो बारह बरस की इबादत के बराबर की जायेंगी।

हदीस न.23 :– तबरानी की रिवायत अम्मार इब्ने यासिर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से है कि फ़रमाते हैं जो मग़रिब के बाद छः रकअ़तें पढ़े उसके गुनाह बख़्श दिये जायेंगे अगर्चे समुन्दर के झाग के बराबर हों।

हदीस न.24 :– तिर्मिज़ी की रिवायत उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हा से है जो मग़रिब के बाद बीस रकअ़तें पढ़े अल्लाह तआ़ला उसके लिए जन्नत में एक मकान बनायेगा।

इशा की सुन्नत व नफ़्ल के मसाइल

हदीस न. 25 :– अबू दाऊद की रिवायत उन्हीं से है फ़रमाती हैं इशा की नमाज़ पढ़ कर नबी सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम मेरे मकान में तशरीफ़ लाते तो चार या छः रकअ़तें पढ़ते।

मसाइले फ़िक़्हिय्या

सुन्नतें बाज़ मुअक्कद हैं कि शरीअ़त में उस पर ताकीद आई बिला उ़ज़्र एक बार भी तर्क करे तो मुस्तहक़्क़े मलामत है और तर्क की आदत करे तो फ़ासिक़, मरदूदुश्शहादत(जिसकी गवाही कबूल न हो),मुस्तहक़्क़े नार (दोज़ख़ में जाने का हक़दार)है और बाज़ अइम्मा ने फ़रमाया कि वह गुमराह

ठहराया जायेगा। और वह गुनहागार है अगर्चे उसका गुनाह वाजिब के तर्क से कम है। तलवीह में
है कि उसका तर्क क़रीब हराम के है उसका तारिक (छोड़ने वाला) मुस्तहक़ (हक़दार)है कि मआज़ल्लाह
शफ़ाअत से महरूम हो जाये कि हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जो
मेरी सुन्नत को तर्क करेगा उसे मेरी शफ़ाअत न मिलेगी। सुन्नते मुअक्कदा को सुनने हुदा भी कहते हैं।
दूसरी क़िस्म ग़ैरे मुअक्कदा है जिसको सुनने ज़वाइद भी कहते हैं। इस पर शरीअत में
ताकीद नहीं आई कभी इसको मुस्तहब और मन्दूब (बेहतर) भी कहते हैं।
नफ़्ल आम है कि सुन्नत पर भी इसका इतलाक़ आया है यानी सुन्नतों को भी नफ़्ल बोला
जाता है और इसके ग़ैर को भी नफ़्ल कहते हैं। यही वजह है कि फ़ुक़हाए किराम बाबे नवाफ़िल में
सुनन का भी ज़िक्र करते हैं कि नफ़्ल इसको भी शामिल है। (रद्दुल मुहतार)लिहाज़ा नफ़्ल के जितने
अहकाम हैं बयान होंगे वह सुन्नतों को भी शामिल होंगे। अबलत्ता अगर सुन्नतों के लिए
कोई ख़ास बात होगी तो उस मुतलक़ हुक्म से इसको अलग किया जायेगा जहाँ इस्तिसना न हो
यानी अलग न किया हो उसी मुतलक़ हुक्मे नफ़्ल में शामिल समझें।

मसअला :– सुन्नते मुअक्कदा यह है :– 1 दो रकअ़त नमाज़े फ़ज्र से पहले। 2.चार ज़ोहर से पहले 3. दो ज़ोहर के बाद 4. दो मग़रिब के बाद 5. दो इशा के बाद 6. और चार जुमे से पहले 7. चार जुमे के बाद यानी जुमे के दिन जुमा पढ़ने वाले पर चौदह रकअ़तें हैं और अलावा जुमे के बाक़ी दिनों में हर रोज़ बारह रकअ़तें। (आम्मए कुतुब)

मसअला :– अफ़ज़ल यह है कि जुमे के बाद चार पढ़े फिर दो कि दोनों हदीसों पर अमल हो जाये। (ग़ुनिया)

मसअला :– जो सुन्नतें चार रकअ़ती हैं मसलन जुमे व ज़ोहर की तो चारों एक सलाम से पढ़ी जायेंगी यानी चारों पढ़कर चौथी के बाद सलाम फेरे यह नहीं कि दो–दो रकअ़त पर सलाम फेरे और अगर किसी ने ऐसा किया तो सुन्नतें अदा न हुईं अगर चार रकअ़त की मन्नत मानी और दो–दो रकअ़त करके चार पढ़ीं तो मन्नत पूरी न हुई बल्कि ज़रूर है कि एक सलाम के साथ चारों पढ़े। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअला – सब सुन्नतो मे कवी तर (तमाम सुन्नतों में सब से बढ़कर)सुन्नते फ़ज्र है यहाँ तक कि बाज़ इसको वाजिब कहते हैं और इसके जाइज़ होने का इन्कार करे तो अगर शुबह के तौर पर या जिहालत के तौर पर हो तो ख़ौफ़े कुफ़्र है और अगर दानिश्ता (जानते हुए)बिला शुबह हो तो उसकी तकफ़ीर की जायेगी। लिहाज़ा यह सुन्नतें बिला उज़्र न बैठ कर हो सकती हैं, न सवारी पर न चलती गाड़ी पर इनका हुक्म इन बातों में मिस्ले वित्र है। इनके बाद फिर मग़रिब की सुन्नतें, फिर ज़ोहर से पहले की चार सुन्नतें,और असह (ज़्यादा सही)यह है कि सुन्नते फ़ज्र के बाद ज़ोहर की पहली सुन्नतों का मर्तबा है कि हदीस में ख़ास इनके बारे में फ़रमाया कि जो इन्हें तर्क करेगा उसे मेरी शफ़ाअत न पहुँचेगी। (रद्दुलमुहतार वग़ैरा)

मसअला :– अगर कोई आलिम मरजए फ़तावा हो कि फ़तवा देने में उसे सुन्नत पढ़ने का मौक़ा नहीं मिलता (यानी फ़तवे के काम में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहता है) तो फ़ज्र के अलावा बाक़ी सुन्नतें तर्क कर सकता है कि उस वक़्त अगर मौक़ा नहीं है तो मौक़ूफ़ रखे अगर वक़्त के अन्दर मौक़ा

मिले पढ़ ले वर्ना माफ़ हैं और फ़ज्र की सुन्नतें इस हालत में भी तर्क नहीं कर सकता।(दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– फ़ज्र की नमाज़ क़ज़ा हो गई और ज़वाल से पहले पढ़ ली तो सुन्नतें भी पढ़े वर्ना नहीं अलावा फ़ज्र के और सुन्नतें क़ज़ा हो गईं तो उनकी क़ज़ा नहीं। (रद्दुलमुहतार)

मसअला :– दो रकअ़त नफ़्ल पढ़े और यह गुमान था कि फ़ज्र तुलू न हुई बाद को मालूम हुआ वि. तुलू हो चुकी थी तो यह रकअ़तें फ़ज्र की सुन्नतों के क़ाइम मक़ाम हो जायेंगी और चार रकअ़त की नियत बाँधी और इनमें दो पिछली तुलूए फ़ज्र के बाद वाक़ेअ़ हुई तो यह सब सुन्नतें फ़ज्र के क़ाइम मक़ाम न होंगी। (रद्दुलमुहतार)

मसअला :– तुलूए फ़ज्र से पहले फ़ज्र की सुन्नतें जाइज़ नहीं और तुलू में शक हो जब भी नाजाइज़ और तुलू के साथ शुरू की तो जाइज़ है। (आलमगीरी)

मसअला :– ज़ोहर या जुमे के पहले सुन्नत फ़ौत हो गई और फ़र्ज़ पढ़ लिए तो अगर वक़्त बाक़ी है फ़र्ज़ के बाद पढ़े और अफ़ज़ल यह कि पिछली सुन्नतें पढ़कर इनको पढ़े। (फ़तहुल क़दीर)

मसअला :– फ़ज्र की सुन्नत क़ज़ा हो गईं और फ़र्ज़ पढ़ लिए तो अब सुन्नतों की क़ज़ा नहीं अलबत्ता इमाम मुहम्मद रहमतुल्लाहि तआला अलैहि फ़रमाते हैं कि तुलूए आफ़ताब के बाद पढ़ ले तो बेहतर है। (ग़ुनिया)और तुलू से पेश्तर बिल इत्तिफ़ाक़ ममनूअ़ है। (रद्दुलमुहतार)आजकल अक्सर अवाम फ़र्ज़ के फ़ौरन बाद पढ़ लिया करते हैं यह नाजाइज़ है,पढ़ना हो तो आफ़ताब बलन्द होने के बाद और ज़वाल से पहले पढ़ें।

मसअला :– तुलूए आफ़ताब से पहले सुन्नते फ़ज्र क़ज़ा पढ़ने के लिए यह हीला करना कि शुरू कर के तोड़ दे फिर इआदा करे यह नाजाइज़ है। सुन्नते फ़ज्र पढ़ ली और फ़र्ज़ क़ज़ा हो गये तो क़ज़ा पढ़ने में सुन्नत को न लौटाये। (ग़ुनिया)

मसअला :– फ़र्ज़ तन्हा पढ़े जब भी सुन्नतों का तर्क जाइज़ नहीं है। (आलमगीरी)सुन्नते फ़ज्र की पहली रकअ़त में सूरह फ़ातिहा के बाद सुरए काफ़िरून और दूसरी में قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ पढ़ना सुन्नत है। (ग़ुनिया वग़ैरा)

मसअला :– जमाअ़त क़ाइम होने के बाद किसी नफ़्ल का शुरूअ़ करना जाइज़ नहीं सिवा सुन्नते फ़ज्र के कि अगर यह जाने कि सुन्नत पढ़ने के बाद जमाअ़त मिल जायेगी अगर्चे क़अ़दा ही में शामिल होगा तो सुन्नत पढ़ ले मगर सफ़ के बराबर पढ़ना जाइज़ नहीं बल्कि अपने घर पढ़े या बेरूने मस्जिद (यानी मस्जिद के बाहर)कोई जगह नमाज़ के क़ाबिल हो तो वहाँ पढ़े और यह मुमकिन न हो तो अगर अन्दर के हिस्से में जमाअ़त होती हो तो बाहर के हिस्से में पढ़े, बाहर के हिस्से में हो तो अन्दर और अगर उस मस्जिद में अन्दर बाहर दो दर्जे न हों तो सुतून या पेड़ की आड़ में पढ़े कि इसमें और सफ़ में हाइल हो जाये यानी आड़ हो जाये और सफ़ के पीछे पढ़ना भी मना है अगर्चे सफ़ में पढ़ना ज़्यादा बुरा है। आजकल अक्सर अवाम इसका बिल्कुल ख़्याल नहीं करते और उसी सफ़ में घुस कर शुरूअ़ कर देते हैं यह नाजाइज़ है और अभी जमाअ़त न हुई तो जहाँ चाहे सुन्नतें शुरूअ़ करे ख़्वाह कोई सुन्नत हो । (ग़ुनिया) मगर जानता हो कि जमाअ़त जल्द क़ाइम होने वाली है और यह उस वक़्त तक सुन्नतों से फ़ारिग़ न होगा तो ऐसी जगह न पढ़े कि उसके संबब सफ़ कता (टूटती) हो।

मसअला :– इमाम को रुकू में पाया और यह नहीं मालूम कि पहली रकअत है का रुकूअ है या दूसरी का तो सुन्नतें तर्क करे और मिल जाये। (आलमगीरी)

मसअला :– अगर वक़्त में गुंजाइश हो और उस वक़्त नवाफ़िल मकरूह न हों तो जितने नवाफ़िल चाहे पढ़े और अगर नमाज़े फ़र्ज़ या जमाअत जाती रहेगी तो नवाफ़िल में मशग़ूल होना नाजाइज़ है

मसअला :– सुन्नत व फ़र्ज़ के दरमियान में कलाम करने से असह (ज़्यादा सही) यह है कि सुन्नत बातिल नहीं होती अलबत्ता सवाब कम हो जाता है यही हुक्म हर उस काम का है जो मनाफ़ीए तहरीमा यानी तकबीरे तहरीमा के ख़िलाफ़ है। (तनवीर) अगर ख़रीद व फ़रोख़्त या खाने में मशग़ूल हुआ तो इआदा करे हाँ बाद वाली सुन्नत में अगर खाना लाया गया और बदमज़ा हो जाने का अंदेशा हो तो खाना खा ले फिर सुन्नत पढ़े मगर वक़्त जाने का अंदेशा हो तो पढ़ने के बाद खाये और बिला उज़्र बाद वाली सुन्नतों में भी देर करना मकरूह है। अगर्चे अदा हो जाएगी। (रद्दुलमुहतार)

मसअला :– इशा व अस्र के पहले और इशा के बाद चार–चार रकअतें एक सलाम से पढ़ना मुस्तहब है और यह भी इख़्तियार है कि इशा के बाद दो ही पढ़े मुस्तहब अदा हो जायेगा। यूँही ज़ोहर के बाद चार रकअत सुन्नत पढ़ना मुस्तहब है कि हदीस में फ़रमाया कि जिसने ज़ोहर से पहले चार और बाद में चार पर मुहाफ़ज़त की अल्लाह तआला उस पर आग हराम फ़रमा देगा। अल्लामा सय्यद तहतावी फ़रमातें हैं कि सिरे से आग मे दाख़िल ही न होगा और उसके गुनाह मिटा दिए जायेंगे और जो इस पर मुतालबात हैं अल्लाह तआला उसके फ़रीक़ को राज़ी कर देगा या यह मतलब है कि उसे ऐसे कामों की तौफ़ीक़ देगा जिन पर सज़ा न हो और अल्लामा शामी फ़रमाते हैं कि उसके लिए बशारत है कि सआदत पर उसका ख़ातमा होगा और दोज़ख़ में न जायेगा।

मसअला :– सुन्नत की मन्नत मानी और पढ़ी अदा हो गई तो यूँही अगर शुरूअ कर के तोड़ दी फिर पढ़ी जब भी सुन्नत अदा हो गई। (दुर्रेमुख़्तार,रद्दुलमुहतार)

मसअला :– नफ़्ल नमाज़ मन्नत मान कर पढ़ना बग़ैर मन्नत के पढ़ने से बेहतर है जबकि मन्नत किसी शर्त के साथ न हो मसलन फ़लाँ बीमार सही हो जायेगा तो इतनी नमाज़ पढ़ूँगा और सुन्नतों में मन्नत न मानना अफ़ज़ल है। (रद्दुलमुहतार)

मसअला :– बादे मग़रिब छः रकअतें मुस्तहब हैं उनको सलातुल अव्वाबीन कहते हैं ख़्वाह एक सलाम से सब पढ़े या दो से या तीन से और तीन सलाम से यानी हर दो रकअत पर सलाम फेरना अफ़ज़ल है। (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुलमुहतार)

मसअला :– ज़ोहर व मग़रिब व इशा के बाद जो मुस्तहब है उसमें सुन्नते मुअक्कदा दाख़िल है मसलन ज़ोहर के बाद चार पढ़ीं तो मुअक्कदा व मुस्तहब दोनों अदा हो गये और यूँ भी हो सकता है कि मुअक्कदा व मुस्तहब दोनों को एक सलाम के साथ अदा करे यानी चार रकअत पर सलाम फेरे। (फ़तहुल क़दीर)

मसअला :– इशा के क़ब्ल (पहले)की सुन्नतें जाती रहें तो उनकी क़ज़ा नहीं फिर भी अगर बाद में पढ़ेगा तो नफ़्ले मुस्तहब है वह सुन्नते मुस्तहब जो फ़ौत हुई अदा न हुई। (दुर्रेमुख़्तार,रद्दुलमुहतार)

मसअला :– दिन के नफ़्ल में एक सलाम के साथ चार रकअत से ज़्यादा और रात में आठ रकअत से ज़्यादा पढ़ना मकरूह है और अफ़ज़ल यह है कि दिन हो या रात हो चार–चार रकअत पर सलाम फेरे। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअला :– जो सुन्नते मुअक्कदा चार रकअती हैं उसके क़अदए ऊला में सिर्फ़ 'अत्तहीय्यात' पढ़े अगर भूल कर दुरूद शरीफ़ पढ़ लिया तो सजदए सहव करे और इन सुन्नतों में जब तीसरी रकअत के लिए खड़ा हो तो 'सुब्हाना'और 'अऊज़ु'भी न पढ़े और इनके अलावा और चार रकअत वाले नवाफ़िल के क़अदए ऊला में भी दुरूद शरीफ़ पढ़े और तीसरी रकअत में 'सुब्हाना' और अऊज़ु'भी पढ़े बशर्ते कि दो रकअत के बाद क़अदा किया हो वर्ना पहला 'सुब्हाना' और अऊज़ु काफ़ी है। मन्नत की नमाज़ के भी क़अदए ऊला में दुरूद पढ़े और तीसरी में सना (सुब्हाना) व तअव्वुज़(अऊज़ु)। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– चार रकअत नफ़्ल पढ़े और क़ादए ऊला फ़ौत हो गया बल्कि क़स्दन(जानबूझ कर) भी तर्क कर दिया तो नमाज़ बातिल न हुई और भूल कर तीसरी रकअत के लिए खड़ा हो गया तो न लौटे और सजदए सहव करले नमाज़ पूरी हो जायेगी। अगर तीन रकअतें पढ़ीं और दूसरी पर न बैठा तो नमाज़ फ़ासिद हो गई। और अगर दो रकअत की नियत बाँधी थी और बग़ैर क़अदा किये तीसरी के लिए खड़ा हो गया तो लौटे वर्ना फ़ासिद हो जायेगी। (आलमगीरी)

मसअला :– नमाज़ मे क़ियाम को लम्बा करना ज़्यादा रकअत पढ़ने से अफ़ज़ल है यानी जबकि किसी वक़्ते मुअय्यन तक नमाज़ पढ़ना चाहे मसलन दो रकअत में उतना वक़्त सर्फ़ कर देना चार रकअत पढ़ने से अफ़ज़ल है। (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुलमुहतार)

मसअला :– नफ़्ल नमाज़ घर में पढ़ना अफ़ज़ल है मगर 1.तरावीह, 2.तहिय्यतुल मस्जिद और 3–सफ़र से वापसी के बाद दो नफ़्ल कि इनको मस्जिद में पढ़ना बेहतर है। और 4. एहराम की दो रकअतें कि मीक़ात के नज़्दीक कोई मस्जिद हो तो उसमें पढ़ना बेहतर है,और 5. तवाफ़ की दो रकअतें कि मक़ामे इब्राहीम के पास पढ़ें और 6. मोअ्तकिफ़ के नवाफ़िल 7. और सूरज गहन की नमाज़ कि मस्जिद में पढ़े 8. और अगर यह ख़याल हो कि घर जाकर कामों के मशग़ूली के सबब नवाफ़िल फ़ौत हो जायेंगे या घर में जी न लगेगा और ख़ुशूअ कम हो जायेगा तो मस्जिद ही में पढ़े।(रद्दुलमुहतार)

मसअला :– नफ़्ल की हर रकअत में इमाम व मुनफ़रिद पर क़िरात फ़र्ज़ है और अगर मुक़तदी हो अगर्चे फ़र्ज़ पढ़ने वाले के पीछे इक़्तिदा की हो तो इमाम की क़िरात उसके लिए भी काफ़ी है उस पर ख़ुद पढ़ना नहीं। (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुलमुहतार)

मसअला :– नफ़्ल नमाज़ क़स्दन शुरूअ करने से वाजिब हो जाती है कि अगर तोड़ देगा तो क़ज़ा पढ़ना होगी और अगर क़स्दन शुरूअ न की थी मसलन गुमान था कि फ़र्ज़ पढ़ना है और फ़र्ज़ की नियत से शुरूअ की फ़िर याद आया कि फ़र्ज़ पढ़ चुका है तो अब यह नफ़्ल है और तोड़ देने से क़ज़ा वाजिब नहीं बशर्ते कि याद आते ही तोड़ दे और याद आने पर इस नमाज़ को पढ़ना इख़्तियार किया तो तोड़ देने से क़ज़ा वाजिब होगी। (दुर्रेमुख़्तार,रद्दुलमुहतार)

मसअला :– अगर बिला क़स्द नमाज़ फ़ासिद हो गई जब भी क़ज़ा वाजिब है मसलन तयम्मुम से पढ़ रहा था और नमाज़ के दरमियान में पानी पर क़ादिर हुआ,यूँही नफ़्ल पढ़ते में औरत को हैज़ आ गया तो क़ज़ा वाजिब हो गई तहारत के बाद क़ज़ा पढ़े। (दुर्रेमुख़्तार,रद्दुलमुहतार)

मसअला :– शुरूअ करने की दो सूरतें हैं एक यह कि तहरीमा बाँधे दूसरी यह कि तीसरी रकअत के लिए खड़ा हो गया बशर्ते कि शुरूअ सही हो और अगर शुरूअ सही न हो मसलन उम्मी या औरत के पीछे इक़्तिदा की या बे–वुज़ू या नापाक कपड़ों में शुरू कर दी तो क़ज़ा वाजिब न होगी।(रद्दुलमुहतार)

मसअला :– फ़र्ज़ पढ़ने वाले के पीछे नफ़्ल की नियत से शुरूअ़ की फिर याद आया कि यह फ़र्ज़ मुझे पढ़ना है और तोड़ कर उसी फ़र्ज़ की नियत से इक़्तिदा की जो वह पढ़ रहा था या तोड़ कर दूसरे नफ़्ल की नियत करके शामिल हुआ तो इस नफ़्ल की क़ज़ा वाजिब नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअला :– तुलू व गुरूब व निस्फ़ुन्नहार के वक़्त नमाज़े नफ़्ल शुरूअ़ की तो वाजिब है कि तोड़ दे और मकरूह वक़्त के अलावा में क़ज़ा पढ़े और दूसरे वक़्ते मकरूह में क़ज़ा पढ़ी जब भी हो गई मगर गुनाह हुआ और पूरी कर ली तो हो गई मगर वक़्ते मकरूह में पढ़ने का गुनाह हुआ बिला वजहे शरई नफ़्ल शुरूअ़ कर के तोड़ देना हराम है। (रद्दुलमुहतार वग़ैरा)

मसअला :– नफ़्ल नमाज़ शुरूअ़ की अगर्चे चार की नियत बाँधी जब भी दो ही रकअ़त शुरूअ़ करने वाला क़रार दिया जायेगा कि नफ़्ल का हर शुफ़आ(यानी हर दो रकअ़त) अलग–अलग नमाज़ है (आलमगीरी)

मसअला :– चार रकअ़त नफ़्ल की नियत बाँधी और शुफ़्आए अव्वल(पहली दो रकअ़तों)या सानी (बाद की दो रकअ़तों)में तोड़ दी तो दो रकअ़त क़ज़ा वाजिब होगी मगर शुफ़्आए सानी तोड़ने से दो रकअ़त क़ज़ा वाजिब होने की यह शर्त है कि दूसरी रकअ़त पर क़अ्दा कर चुका हो वर्ना चार क़ज़ा करनी होंगी। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअला :– सुन्नते मुअक्कदा और मन्नत की नमाज़ अगर चार रकअ़ती हो तो तोड़ने से चार की क़ज़ा करे यूँही अगर चार रकअ़ती फ़र्ज़ पढ़ने वाले के पीछे नफ़्ल की नियत बाँधी और तोड दी तो चार की क़ज़ा वाजिब है पहले शुफ़अ़ में तोड़ी या दूसरे में। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअला :– चार रकअ़त की नियत बाँधी और 1.चारों में क़िरात न की या 2.पहली दो में या 3.पिछली दो में न की या 4. पहली दो में से एक रकअ़त में न की या 5.पिछली दो में से एक रकअ़त में न की या 6. पहली दोनों और पिछली में से एक में क़िरात छोड़ दी तो इन छः सूरतों में दो रकअ़त क़ज़ा वाजिब है। और अगर 1. पहली दो में से एक या पिछली दो में से एक 2.या पहली दो में से एक में और पिछली की दोनों में क़िरात छोड़ दी तो इन सूरतों में चार रकअ़त क़ज़ा वाजिब है। (आम्मए कुतुब)

मसअला :– अगर दो रकअ़त पर बक़द्रे तशह्हुद बैठा फिर तोड़ दी तो इस सूरत में बिल्कुल क़ज़ा नहीं बशर्ते कि तीसरी के लिए खड़ा न हुआ हो और पहली दोनों में क़िरात कर चुका हो। (दुर्रेमुख़्तार)मगर बवजहे तर्के वाजिब उसके लौटाने का हुक्म दिया जायेगा।

मसअला :– नफ़्ल पढ़ने वाले ने नफ़्ल पढ़ने वाले की इक़्तिदा की अगर्चे तशह्हुद (अत्तहीय्यात)में तो जो हाल इमाम का है वही मुक़तदी का है यानी जितनी की क़ज़ा इमाम पर वाजिब होगी मुक़तदी पर भी वाजिब (दुर्रेमुख़्तार)

खड़े हो कर बैठकर लेटकर नफ़्ल पढ़ने के मसाइल

मसअला :– खड़े होकर पढ़ने की क़ुदरत हो जब भी बैठ कर नफ़्ल पढ़ सकते हैं मगर खड़े हो कर पढ़ना अफ़ज़ल है कि हदीस में फ़रमाया बैठ कर पढ़ने वाले की नमाज़ खड़े होकर पढ़ने वाले की निस्फ़ है और उज़्र की वजह से बैठ कर पढ़े तो सवाब में कमी न होगी। यह जो आजकल आम रिवाज पड़ गया है कि नफ़्ल बैठ कर पढ़ा करते हैं बज़ाहिर यह मालूम होता है कि शायद बैठ कर पढ़ने को अफ़ज़ल समझते हैं ऐसा है तो उनका ख़्याल ग़लत है। वित्र के बाद जो दो रकअ़त नफ़्ल

पढ़ते हैं उनका भी यही हुक्म है कि खड़े हो कर पढ़ना अफ़ज़ल है और उस में इस हदीस से दलील लाना कि हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने वित्र के बाद बैठ कर नफ़्ल पढ़े,सही नहीं कि यह हुज़ूर के मख़सूसात में से है। चुनाँचे सही मुस्लिम शरीफ़ की हदीस अ़ब्दुल्लाह इब्ने उमर रदियल्लाहु तआ़ला अन्हुमा से है फ़रमाते हैं मुझे ख़बर पहुँची कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि बैठ कर पढ़ने वाले की नमाज़ खड़े हो कर पढ़ने वाले की नमाज़ से आधी है। उसके बाद मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुआ तो हुज़ूर सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम को बैठकर नमाज़ पढ़ते हुए पाया। सरे अक़दस पर मैंने हाथ रखा (कि बीमार तो नहीं) इरशाद फ़रमाया क्या है ऐ अ़ब्दुल्लाह! अ़र्ज़ की या रसूलल्लाह ! हुज़ूर ने तो ऐसा फ़रमाया है और हुज़ूर बैठ कर नमाज़ पढ़ते है। हाँ लेकिन मैं तुम जैसा नहीं। इमाम इब्राहीम हलबी व साहिबे दुर्रे मुख़्तार व साहिबे रद्दुलमुहतार (रहमतुल्लाहि तआ़ला अ़लैहिम)ने फ़रमाया कि यह हुक्म हुज़ूर सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम के ख़साइस से है और इसी हदीस से इस्तिनाद किया यानी इसी हदीस से सनद लाये।

मसअला :– अगर रुकू की हद तक झुक कर नफ़्ल का तहरीमा यानी नमाज़ शुरू कर के हाथ बांधा तो नमाज़ न होगी। (रद्दुलमुहतार) लेट कर नफ़्ल नमाज़ जाइज़ नहीं जबकि उज़्र न हो और उज़्र की वजह से हो तो जाइज़ है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअला :– नफ़्ल नमाज़ खड़े होकर शुरूअ़ की थी फिर बैठ गया या बैठ कर शुरूअ़ की थी फिर खड़ा हो गया दोनों सूरतें जाइज़ हैं ख़्वाह एक रकअ़त खड़े होकर पढ़ी एक बैठ कर या एक ही रकअ़त के एक हिस्से को खड़े होकर पढ़ा और कुछ हिस्सा बैठकर। (दुर्रेमुख़्तार ,रद्दुलमुहतार)मगर दूसरी सूरत यानी खड़े होकर शुरू की फिर बैठ गया इसमें इख़्तिलाफ़ है लिहाज़ा बचना बेहतर।

मसअला :– खड़े होकर नफ़्ल पढ़ता था और थक गया तो असा (लाठी)या दीवार पर टेक लगा कर पढ़ने में कोई हरज नहीं (आलमगीरी)और बग़ैर थके भी ऐसा करे तो कराहत है नमाज़ हो जायेगी।

मसअला :– नफ़्ल बैठ कर पढ़े तो इस तरह बैठे जैसे तशह्हुद (अत्तहीय्यात)में बैठा करते हैं मगर क़िरात की हालत में कि नाफ़ के नीचे हाथ बाँधे रहे जैसे क़ियाम में बाँधते हैं। (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुलमुहतार)

मसअला :– बेरूने शहर यानी शहर के बाहर सवारी पर भी नफ़्ल पढ़ सकता है और इस सूरत में इस्तिक़बाले क़िब्ला शर्त नहीं बल्कि सवारी जिस रुख़ को जा रही हो उधर ही मुँह हो और अगर उधर मुँह न हो तो नमाज़ जाइज़ नहीं और शुरूअ़ करते वक़्त भी क़िब्ले की तरफ़ मुँह होना शर्त नहीं बल्कि सवारी जिधर जा रही है उस तरफ़ हो और रुकूअ़ व सुजूद इशारे से करे और सजदे के इशारे में रुकूअ़ से ज़्यादा झुके। (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार)

मसअला :– सवारी पर नफ़्ल पढ़ने में अगर हाँकने की ज़रूरत हो और अमले क़लील(यानी बहुत थोड़ा सा अमल ऐसा कि जिससे करने पर नमाज़ ही में मालूम हो) से हाँका मसलन एक पाँव से एड़ लगाई या हाथ में चाबुक है उससे डराया तो हरज नहीं और बिला ज़रूरत जाइज़ नही (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– सवारी पर नमाज़ शुरूअ़ की फिर अमले क़लील के साथ उतर आया तो उसी पर बिना कर सकता है ख़्वाह खड़े होकर पढ़े या बैठ कर मगर अब क़िब्ले को मुँह करना ज़रूरी है और ज़मीन पर शुरूअ़ की थी फिर सवार हुआ तो बिना नहीं कर सकता नमाज़ जाती रही। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– गाँव या ख़ेमे का रहने वाला जब गाँव या ख़ेमे से बाहर हुआ तो सवारी पर नफ़्ल पढ़ सकता है (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– बैरूने शहर सवारी पर शुरूअ़ की थी पढ़ते–पढ़ते शहर में दाख़िल हो गया तो जब तक घर न पहुँचा सवारी पर पूरी कर सकता है। (दुर्रे मुख़्तार)

नोट :– यहाँ बैरूने शहर से मुराद वह जगह है जहाँ से मुसाफ़िर पर क़स्र वाजिब होती है।

मसअला :– महमिल यानी कजावा जो ऊँट वग़ैरा की सवारी करते वक़्त उसकी पीठ पर रखते हैं और गाड़ी पर नफ़्ल नमाज़ मुतलक़न जाइज़ है जबकि तन्हा पढ़े और नफ़्ल नमाज़ जमाअत से पढ़ना चाहे तो उसके लिए शर्त यह है कि इमाम व मुक़्तदी अलग–अलग सवारियों पर न हों। (दुर्रे मुख़्तार)

गाड़ी व सवारी पर फ़र्ज़ व वाजिब नमाज़ पढ़ने के मसाइल

मसअला :– महमिल पर फ़र्ज़ नमाज़ उस वक़्त जाइज़ है कि उतरने पर क़ादिर न हो,अगर ठहरा हुआ हो और उसके नीचे लकड़ियाँ लगा दी कि ज़मीन पर काइम हो गया तो जाइज़ है।(दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– गाड़ी का जुवा (बैल वग़ैरा की गर्दन पर जो लकड़ी रखते हैं उसे जुवा कहते हैं) जानवर पर रखा हो गाड़ी खड़ी हो या चलती उसका हुक्म वही है जो जानवर पर नमाज़ पढ़ने का है यानी फ़र्ज़ व वाजिब व सुन्नते फ़ज्र बिला उज़्र जाइज़ नहीं और अगर जुवा जानवर पर न हो और रुकी हुई हो तो नमाज़ जाइज़ है। (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार)यह हुक्म उस गाड़ी का है जिसमें दो पहिये हों चार पहिये वाली जब रुकी हो तो सिर्फ़ जुवा जानवर पर होगा और गाड़ी ज़मीन पर ठहरी और खड़ी होगी।

फ़र्ज़ व वाजिब सवारी या गाड़ी पर पड़ने के उज़्र

मसअला :– गाड़ी और सवारी पर नमाज़ पढ़ने के लिए यह उज़्र है 1.मेंह बरस रहा है इस 2.क़दर कीचड़ कि उतर कर पढ़ेगा तो मुँह धँस जायेगा या कीचड़ में सन जायेगा या जो कपड़ा बिछायेगा वह बिल्कुल लिथड़ जायेगा और इस सूरत में सवारी न हो तो खड़े–खड़े इशारे से पढ़े। 3.साथी चले जायेंगे या 4. सवारी का जानवर शरीर है कि सवार होने मे दुश्वारी होगी मददगार की ज़रूरत होगी और मददगार मौजूद नहीं या 5. वह बूढ़ा है कि बग़ैर मददगार के उतर चढ़ नहीं सकेगा और मददगार मौजूद नहीं और यही हुक्म औरत का है या 6. मरज़ मे ज़्यादती होगी 7. जान या 8. माल या औरत को आबरू का अँदेशा हो। (दुर्रेमुख़्तार,रद्दुल मुहतार) चलती रेलगाड़ी पर भी फ़र्ज़ व वाजिब और सुन्नते फ़ज्र नहीं हो सकती और उस को जहाज़ या कश्ती के हुक्म में तसव्वुर करना ग़ल्ती है कि कश्ती अगर ठहराई भी जाये जब भी ज़मीन पर न ठहरेगी और रेलगाड़ी ऐसी नहीं और कश्ती पर भी उसी वक़्त नमाज़ जाइज़ है जब वह बीच दरिया मे हो, किनारे पर हो और ख़ुश्की पर आ सकता हो तो कश्ती पर भी जाइज़ नहीं है। लिहाज़ा जब भी स्टेशन पर गाड़ी ठहरे उस वक़्त यह नमाज़े पढ़े और अगर देखे कि वक़्त जाता है तो जिस तरह भी मुमकिन हो पढ़ ले फिर जब मौक़ा मिले उन्हे लौटाये कि जहाँ मिन जेहतिल इबाद कोई शर्त या रुक्न मफ़क़ूद हो यानी बन्दों की जानिब से कोई शर्त या रुक्न न जाये तो उसका यही हुक्म है।

मसअला :– महमिल (यानी कजावा जो ऊँट वग़ैरा की सवारी के वक़्त उसकी पीठ पर रखते हैं)की

एक तरफ़ ख़ुद सवार है दूसरी तरफ़ उसकी माँ या ज़ौजा या और कोई महारिम में से है जो ख़ुद सवार नहीं हो सकती और यह ख़ुद उतर चढ़ सकता है मगर इसके उतरने में महमिल गिर जाने का अन्देशा है तो इसे भी उसी पर पढ़ने का हुक्म है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअला :– जानवर और चलती गाड़ी पर और उस गाड़ी पर जिसका जुवा जानवर पर हो बिला उज़्रे शरई फ़र्ज़ व सुन्नते फ़ज्र व तमाम वाजिबात जैसे वित्र व नज़र और नफ़्ल जिसको तोड़ दिया हो और सजदए तिलावत जबकि आयते सजदा ज़मीन पर तिलावत की हो अदा नहीं कर सकता और अगर उज़्र की वजह से हो तो इन सब में शर्त यह है कि अगर मुमकिन हो तो क़िब्ला–रू खड़ा करके अदा करे वर्ना जैसे भी मुमकिन हो। (दुर्रे मुख़्तार)

मन्नत मानकर नमाज़ पढ़ने के मसाइल

मसअला :– किसी ने मन्नत मानी कि दो रक्अ़ते बग़ैर तहारत पढ़ेगा या उनमें क़िरात न करेगा या नंगा पढ़ेगा या एक या आधी रक्अ़त की मन्नत मानी तो इन सब सूरतों में उस पर दो रक्अ़त तहारत व सत्र व क़िरात के साथ वाजिब हो गई और तीन की मानी तो चार वाजिब हो गयीं।(दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार)

मसअला :– मन्नत मानी कि फ़लाँ मक़ाम पर नमाज़ पढ़ेगा और उससे कम दर्जे के मक़ाम पर अदा की हो गई मसलन मस्जिदे हराम में पढ़ने की मन्नत मानी और मस्जिदे क़ुदुस या घर की मस्जिद में अदा की। औरत ने मन्नत मानी कि कल नमाज़ पढ़ेगी या रोज़ा रखेगी दूसरे दिन उसे हैज़ आ गया तो क़ज़ा करे और अगर यह मन्नत मानी कि हालते हैज़ में दो रक्अ़त पढ़ेगी तो कुछ नहीं। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– मन्नत मानी कि आज दो रक्अ़त पढ़ेगा और आज न पढ़ी तो इसकी क़ज़ा नहीं बल्कि कफ़्फ़ारा देना होगा। (आलमगीरी)

नोट :– इसका कफ़्फ़ारा वही है जो क़सम तोड़ने का है यानी एक ग़ुलाम आज़ाद करना या दस मिस्कीनों को दोनों वक़्त पेट भर कर खाना खिलाना या कपड़ा देना या तीन रोज़े रखना।

मसअला :– महीने भर की नमाज़ की मन्नत मानी तो एक महीने के फ़र्ज़ व वित्र की मिस्ल उस पर वाजिब है सुन्नत की मिस्ल नहीं मगर वित्र व मग़रिब की जगह चार रक्अ़त पढ़े यानी हर रोज़ बाईस रक्अ़तें। (आलमगीरी)

मसअला :– अगर खड़े होकर पढ़ने की मन्नत मानी तो खड़े होकर पढ़ना वाजिब है और मुतलक़ नमाज़ की मन्नत है तो इख़्तियार है। (आलमगीरी,दुर्रे मुख़्तार)

तम्बीह :– नवाफ़िल तो बहुत कसीर हैं। औक़ाते ममनूआ (जिन वक़्तों में नमाज़ मना है) के सिवा आदमी जितने चाहे पढ़े मगर इनमें से बाज़ जो हुज़ूर सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व अइम्माए दीन रदियल्लाहु तआला अन्हुम से मरवी हैं बयान किये जाते हैं।

तहिय्यतुल मस्जिद :– जो शख़्स मस्जिद में आये उसे दो रक्अ़त नमाज़ पढ़ना सुन्नत है बल्कि बेहतर यह है कि चार पढ़े बुख़ारी व मुस्लिम, सरवरे आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं जो शख़्स मस्जिद में दाख़िल हो बैठने से पहले दो रक्अ़त पढ़ ले।

मसअला :– ऐसे वक़्त मस्जिद में आया जिसमें नफ़्ल नमाज़ मकरूह है मसलन बाद तुलूए फ़ज्र या बाद नमाज़े अस्र वह तहिय्यतुल मस्जिद न पढ़े बल्कि तस्बीह व दुरूद शरीफ़ में मशग़ूल हो मस्जिद का हक़ अदा हो जायेगा।

मसअला :– फ़र्ज़ या सुन्नत या कोई नमाज़ मस्जिद में पढ़ ली तहिय्यतुल मस्जिद अदा हो गई

अगर्चे तहिय्यतुल मस्जिद की नियत न की हो। इस नमाज़ का हुक्म उस के लिए है जो नमाज़ की नियत से न गया हो बल्कि दर्स व ज़िक्र वग़ैरा के लिए गया हो अगर फ़र्ज़ या इक्तिदा की नियत से मस्जिद में गया तो यही तहिय्यतुल मस्जिद के क़ाइम मक़ाम है बशर्ते कि दाख़िल होने के बाद ही पढ़े और अगर अर्से के बाद पढ़ेगा तो तहिय्यतुल मस्जिद पढ़े। (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– बेहतर यह है कि बैठने से पहले तहिय्यतुल मस्जिद पढ़ ले और बग़ैर पढ़े बैठ गया तो साक़ित न हुई अब पढ़े। (दुर्रेमुख़्तार वग़ैरा)

मसअला :– हर रोज़ एक बार तहिय्यतुल मस्जिद काफ़ी है हर बार ज़रूरत नहीं और अगर कोई शख़्स बे–वुज़ू मस्जिद में गया और कोई वजह है कि तहिय्यतुल मस्जिद नहीं पढ़ सकता। तो चार बार यह पढ़ ले। :– سُبْحٰنَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ (दुर्रे मुख़्तार)

तहिय्यतुल वुज़ू :– वुज़ू के बाद अअ्ज़ा ख़ुश्क होने से पहले दो रकअ़त नमाज़ पढ़ना मुस्तहब है। सही मुस्लिम में है नबी सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया जो शख़्स वुज़ू करे और अच्छा वुज़ू करे और ज़ाहिर व बातिन के साथ मुतवज्जेह होकर दो रकअ़त पढ़े उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है।

मसअला :– गुस्ल के बाद भी दो रकअ़त नमाज़ मुस्तहब है वुज़ू के बाद फ़र्ज़ वग़ैरा पढ़े तो तहिय्यतुल वुज़ू की जगह हो जायेंगी। (रद्दुल मुहतार)

नमाज़े इशराक़ :– तिर्मिज़ी अनस रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु
तआ़ला अ़लैहि वसल्लम जो फ़ज्र की नमाज़ जमाअ़त से पढ़कर ज़िक्रे खुदा करता रहा यहाँ
तक कि आफ़ताब बलन्द हो गया फिर दो रकअ़तें पढ़े तो उसे पूरे हज व उमरा का सवाब मिलेगा।
नमाज़े चाश्त :– नमाज़े चाश्त मुस्तहब है कम अज़ कम दो और ज़्यादा से ज़्यादा चाश्त की बारह
रकअ़तें हैं और अफ़ज़ल बारह है कि हदीस में है जिसने चाश्त की बारह रकअ़तें पढ़ीं अल्लाह
तआ़ला उसके लिए जन्नत में सोने का महल बनायेगा। इस हदीस को तिर्मिज़ी व इब्ने माजा ने
अनस रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत किया सही मुस्लिम शरीफ़ में अबू ज़र रदियल्लाहु
तआ़ला अ़न्हु से मरवी कि फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम आदमी पर उसके हर
जोड़ के बदले सदक़ा है (और कुल तीन सौ साठ जोड़ हैं)हर तस्बीह सदक़ा है और हर हम्द
सदक़ा है और 'लाइलाहा इल्लल्लाह' कहना सदक़ा है और 'अल्लाहु अकबर' कहना सदक़ा है और
अच्छी बात का हुक्म करना सदक़ा है और बुरी बात से मना करना सदक़ा है और इन सब की तरफ़
से दो रकअ़तें चाश्त की किफ़ायत करती हैं। तिर्मिज़ी अबू दरदा व अबू ज़र से और अबू दाऊद व
दारमी नईम इब्ने हुमार से और अहमद इन सब से रावी रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुम कि फ़रमाते हैं
सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम अल्लाह तआ़ला फ़रमाता है ऐ इब्ने आदम शुरूअ़ दिन में मेरे
लिए चार रकअ़तें पढ़ ले आख़िर दिन तक मैं तेरी किफ़ायत फ़रमाऊँगा। तबरानी अबू दरदा
रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम जिसने दो
रकअ़तें चाश्त की पढ़ीं ग़ाफ़िलीन यानी नेक काम से ग़ाफ़िल रहने वालों में नहीं लिखा जायेगा और
जो छ: पढ़े उस दिन उसकी किफ़ायत की गई और जो आठ पढ़े अल्लाह तआ़ला उसे क़ानितीन
(फ़रमाँबरदार) में लिखेगा और जो बारह पढ़े अल्लाह तआ़ला उसके लिए जन्नत में एक महल

बनाएगा और कोई दिन या रात नहीं जिसमें अल्लाह तआ़ला बन्दों पर एहसान व सदक़ा न करे और उस बन्दे से बढ़कर किसी पर एहसान न किया जिसे अपना ज़िक्र इल्हाम किया। अहमद व तिर्मिज़ी व इब्ने माजा अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम जो चाश्त की दो रकअ़तों पर मुहाफ़िज़त करे यानी हमेशा पढ़ता रहे तो उसके गुनाह बख़्श दिये जायेंगे अगर्चे समुन्दर के झाग बराबर हों।

मसअला :– इसका वक़्त आफ़ताब बलन्द होने से ज़वाल यानी निस्फ़ुन्नहारे शरई तक है और बेहतर यह है कि चौथाई दिन चढ़े पढ़े। (आलमगीरी,रद्दुल मुहतार)

नमाज़े सफ़र :– सफ़र में जाते वक़्त दो रकअ़त अपने घर पर पढ़कर जाये। तबरानी की हदीस में है कि किसी ने अपने अहल (घर वालों) के पास उन दो रकअ़तों से बेहतर न छोड़ा जो सफ़र के इरादे के वक़्त उन के पास पढ़ीं।

नमाज़े वापसीए सफ़र :– सफ़र से वापस होकर दो रकअ़तें मस्जिद में अदा करे। सही मुस्लिम में कअ़ब इब्ने मालिक रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम सफ़र से दिन में चाश्त के वक़्त तशरीफ़ लाते और पहले मस्जिद में जाते और दो रकअ़तें उसमें नमाज़ पढ़ते फिर वहीं मस्जिद में तशरीफ़ रखते।

मसअला :– मुसाफ़िर को चाहिए कि हर मन्ज़िल में बैठने से पहले दो रकअ़त नफ़्ल पढ़े जैसे हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम किया करते थे।(रद्दुलमुहतार)

सलातुल लैल :– रात में बाद नमाज़े इशा जो नवाफ़िल पढ़े जायें उनको सलातुल लैल कहते हैं और रात के नवाफ़िल दिन के नवाफ़िल से अफ़ज़ल हैं कि सहीह मुस्लिम शरीफ़ में है फ़र्ज़ के बाद अफ़ज़ल नमाज़ रात की नमाज़ है और तबरानी ने रिवायत की है कि रात में कुछ नमाज़ ज़रूरी है अगर्चे इतनी ही देर जितनी देर में बकरी दुह लेते हैं और इशा के फ़र्ज़ के बाद जो नमाज़ पढ़ी वह सलातुल लैल है।

मसअला :– इसी सलातुल लैल की एक क़िस्म तहज्जुद है कि इशा के बाद रात में सो कर उठें और नवाफ़िल पढ़ें सोने से पहले जो कुछ पढ़ीं वह तहज्जुद नहीं। (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– कम से कम तहज्जुद की दो रकअ़तें हैं और हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम से आठ तक साबित हैं। नबी सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया जो शख़्स रात में बेदार हो और अपने अहल को जगाये फिर दोनों दो दो रकअ़त पढ़ें तो कसरत से यादे खुदा करने वालों में लिखे जायेंगे इस हदीस को नसई व इब्ने माजा अपनी सुनन में और इब्ने हब्बान अपनी सही में और हाकिम ने मुस्तदरक में रिवायत किया है और मुनज़िरी ने कहा कि यह हदीस शैख़ैन की शर्त पर सही है। (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– जो शख़्स दो तिहाई रात सोना चाहे और एक तिहाई इबादत करना चाहे उसे अफ़ज़ल यह है कि पहली और पिछली तिहाई में सोयें और बीच की तिहाई में इबादत करे और अगर निस्फ़ (आधी)शब में सोना चाहता है और निस्फ़ में जागना तो पिछली निस्फ़ में इबादत अफ़ज़ल है कि सही बुख़ारी व मुस्लिम में अबू हुरैरह रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी हुज़ूर सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया कि रब तआ़ला हर रात में जब पिछली तिहाई बाक़ी रहती है

आसमाने दुनिया पर तजल्लीए ख़ास फ़रमाता है और फ़रमाता है,है कोई दुआ करने वाला कि उसकी दुआ क़बूल करूँ है कोई माँगने वाला कि उसको दूँ,है कोई मग़फ़िरत चाहने वाला कि उसकी बख़्शिश करूँ और सब से बढ़ कर तो यह है कि यह नमाज़ नमाज़े दाऊद है कि बुख़ारी व मुस्लिम अ़ब्दुल्लाह इब्ने उ़मर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रावी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया सब नमाज़ों में अल्लाह तआ़ला को ज़्यादा महबूब नमाज़े दाऊद है कि आधी रात सोते और तिहाई रात इबादत करते फिर छठे हिस्से में सोते।

मसअ्ला :– जो शख़्स तहज्जुद का आदी हो बिला उ़ज़्र उसे छोड़ना मकरूह है कि सही बुख़ारी व मुस्लिम की हदीस में है हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने अ़ब्दुल्ला इब्ने उ़मर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से इरशाद फ़रमाया ऐ अ़ब्दुल्ला तू फ़ुलाँ की तरह न होना कि रात में उठा करता था फिर छोड़ दिया। नीज़ बुख़ारी व मुस्लिम वग़ैरहुमा में है फ़रमाया कि आमाल में ज़्यादा पसन्द अल्लाह तआ़ला को वह है जो हमेशा हो अगर्चे थोड़ा हो।

मसअ्ला :– ईदैन और पन्द्रहवीं शाबान की रातों और रमज़ान की आख़िरी दस रातों और ज़िलहिज्जा की पहली दस रातों में शब बेदारी मुस्तहब है अकसर हिस्से में जागना भी शब बेदारी है (दुर्रे मुख़्तार) ईदैन की रातों में शब बेदारी यह है कि इशा व सुबह दोनों जमाअ़ते ऊला से हों कि सही हदीस में फ़रमाया जिसने इशा की नमाज़ जमाअ़त से पढ़ी उसने आधी रात इबादत की और जिसने नमाज़े फ़ज्र जमाअ़त से पढ़ी उसने सारी रात इबादत की और इन रातों में अगर जागेगा तो नमाज़े ईदैन व क़ुर्बानी वग़ैरा में दिक़्क़त होगी। लिहाज़ा इसी पर इक्तिफ़ा करे और अगर इन कामों में फ़र्क़ न आये तो जागना बहुत बेहतर है;

मसअ्ला :– इन रातों में तन्हा नफ़्ल नमाज़ पढ़ना और तिलावते क़ुर्आन मजीद और हदीस पढ़ना और सना और दुरूद शरीफ़ पढ़ना शब बेदारी है न कि ख़ाली जागना। (रद्दुलमुहतार)

सलातुल लैल के मुतअ़ल्लिक़ आठ हदीसें बीच–बीच में अभी ज़िक्र हुईं उसके फ़ज़ाइल की बाज़ हदीसें और सुनें।

हदीस :– तिर्मिज़ी व इब्ने माजा व हाकिम अ़ब्दुल्लाह इब्ने सलाम रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम जब मदीने में तशरीफ़ लाये तो कसरत से लोग हाज़िरे ख़िदमत हुए मैं भी हाज़िर हुआ। जब मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम के चेहरे को ग़ौर से देखा पहचान लिया कि यह मुँह झूटों का मुँह नहीं। कहते हैं पहली बात जो मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम से सुनी यह है फ़रमाया ऐ लोगो। सलाम शाए करो यानी ख़ूब सलाम किया करो, और खाना खिलाओ, और रिश्तेदारों से नेक सुलूक करो, और रात में नमाज़ पढ़ो, जब लोग सोते हों,सलामती के साथ जन्नत में दाख़िल होगे।

हदीस :– हाकिम ने रिवायत की कि अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु ने सवाल किया था कि कोई ऐसी चीज़ इरशाद हो कि उस पर अ़मल करूँ तो जन्नत में दाख़िल होऊँ। इस पर भी वही जवाब इरशाद हुआ।

हदीस :– तबरानी कबीर में और हाकिम अ़ब्दुल्लाह इब्ने उ़मर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रावी हुज़ूर सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं जन्नत में एक बालाख़ाना है कि बाहर का अन्दर से दिखाई

देता है और अन्दर का बाहर से। अबू मालिक अशअ़री ने अ़र्ज़ की या रसूलल्लाह! वह किस के लिए है? फ़रमाया उसके लिए कि अच्छी बात करे और खाना खिलाये और रात में क़ियाम करे जब लोग सोते हों और इसी के मिस्ल अबू मालिक अशअ़री रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से भी मरवी है।

हदीस :– बैहक़ी की एक रिवायत असमा बिन्ते यज़ीद रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हा से है कि फ़रमाते हैं क़ियामत के दिन लोग एक मैदान में जमा किए जायेंगे उस वक़्त मुनादी पुकारेगा कहाँ हैं वह जिनकी करवटें ख़्वाब गाहों से जुदा होती थीं। वह लोग खड़े होंगे और थोड़े होंगे यह जन्नत में बग़ैर हिसाब दाख़िल होंगे फिर और लोगों के लिए हिसाब का हुक्म होगा।

हदीस :– सही मुस्लिम में जाबिर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम इरशाद फ़रमाते हैं रात में एक ऐसी साअ़त है कि मर्द मुसलमान उस साअ़त में अल्लाह तआ़ला से दुनिया व आख़िरत की जो भलाई माँगेगा वह उसे देगा और यह हर रात में है।

हदीस :– तिर्मिज़ी अबू उमामा बाहली रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि फ़रमाते हैं क़ियामुल लैल को अपने ऊपर लाज़िम कर लो कि यह अगले नेक लोगों का तरीक़ा है और तुम्हारे रब की तरफ़ क़ुर्बत (नज़्दीकी) का ज़रिया,सय्येआत (गुनाह) मिटाने वाला और गुनाह से रोकने वाला और सलमान फ़ारसी रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु की रिवायत में यह भी है कि बदन से बीमारी दफ़ा करने वाला है।

रात में पढ़ने की कुछ दुआयें

हदीस :– सही बुख़ारी में उबादह इब्ने सामित रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम जो रात मे उठे और यह दुआ पढ़े :–

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ وَ سُبْحٰنَ اللّٰهِ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اللّٰهُ اَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ رَبِّ اغْفِرْلِىْ.

तर्जमा :–" अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं,वह तन्हा है उसका कोई शरीक नहीं, उसी के लिए मुल्क है और उसी के लिए हम्द है और वह हर शय पर क़ादिर है और पाक है अल्लाह और हम्द है अल्लाह के लिए और अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और अल्लाह बड़ा है और नहीं है गुनाह से फिरना और न नेकी की ताक़त मगर अल्लाह के साथ, ऐ मेरे परवरदगार! तू मुझे बख़्श दे"।

फिर जो दुआ करे मक़बूल होगी और अगर वुज़ू करके नमाज़ पढे तो उसकी नमाज मक़बूल होगी।

हदीस :– सही बुखारी व मुस्लिम में अ़ब्दुल्लाह इब्ने अ़ब्बास रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम रात को तहज्जुद के लिए उठते तो यह दुआ पढ़ते।

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ قَيِّمُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ نُوْرُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ مَلِكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ الْحَقُّ وَ وَعْدُكَ الْحَقُّ وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ وَقَوْلُكَ حَقٌّ وَ الْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَ النَّبِيُّوْنَ حَقٌّ وَمُحَمَّدٌ حَقٌّ وَ السَّاعَةُ حَقٌّ اَللّٰهُمَّ لَكَ اَسْلَمْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَ عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْكَ اَنَبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَاِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاغْفِرْلِىْ مَاقَدَّمْتُ وَ مَا اَخَّرْتُ وَمَا اَسْرَرْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ وَ مَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهٖ مِنِّىْ اَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَاَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ وَلَآ اِلٰهَ غَيْرُكَ.

तर्जमा :– " इलाही तेरे ही लिए हम्द है आसमान व ज़मीन और जो कुछ इनमें है सबका तू क़ाइम रखने वाला है और तेरे ही लिए हम्द है। आसमान व ज़मीन और जो कुछ इनमें है सब का तू नूर है और तेरे ही लिए हम्द है। आसमान व ज़मीन और जो कुछ इनमें है सब का तू बादशाह है और

तेरे ही लिए हम्द है तू हक़ है और तेरा वअ्दा हक़ है और तेरा क़ौल हक़ है और तुझ से मिलना (क़ियामत में)हक़ है और जन्नत हक़ है और दोज़ख़ हक़ है और अम्बिया हक़ हैं और मुहम्मदसल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हक़ हैं और क़ियामत हक़ है ऐ अल्लाह। तेरे लिए मैं इस्लाम लाया और तुझ पर ईमान लाया और तुझ ही पर तवक्कुल किया और तेरी तरफ़ रुजू किया और तेरी ही मदद से ख़ुसूमत (झगड़ा) की और तेरी ही तरफ़ फ़ैसला लाया, पस तू बख़्श दे मेरे लिए वह गुनाह जो मैंने पहले किया और पीछे किया और छिपा कर किया और एलानिया किया और वह गुनाह जिसको तू मुझ से ज़्यादा जानता है तू ही आगे बढ़ाने वाला है और तू ही पीछे हटाने वाला है तेरे सिवा कोई मअ्बूद नहीं "।

यह एक दुआ और चन्द हदीसें ज़िक्र कर दी गयीं और इसके अलावा इस नमाज़ के फ़ज़ाइल में बकसरत अहादीस वारिद हैं जिसे अल्लाह तआला तौफ़ीक़ अता फ़रमाये उसके लिए यही बस है।

नमाज़े इस्तिख़ारा :– हदीसे सही जिसको मुस्लिम के सिवा जमाअते मुहद्दिसीन ने जाबिर इब्ने अब्दुल्ला रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत किया फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हम को तमाम उमूर (कामों)में इस्तिख़ारा की तअ्लीम फ़रमाते जैसे क़ुर्आन की सूरत तअ्लीम फ़रमाते थे। फ़रमाते हैं जब कोई किसी अम्र (काम) का इरादा करे तो दो रकअ्त नफ़्ल पढ़े फिर कहे :–

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْتَخِیْرُكَ بِعِلْمِكَ وَ اَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَاَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِیْمِ فَاِنَّكَ تَقْدِرُ وَ لَا اَقْدِرُ وَ تَعْلَمُ وَ لَا اَعْلَمُ وَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوْبِ اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ خَیْرٌ لِّیْ فِیْ دِیْنِیْ وَ مَعَاشِیْ وَ عَاقِبَةِ اَمْرِیْ اَوْ قَالَ عَاجِلِ اَمْرِیْ وَ اٰجِلِهٖ فَاقْدُرْهُ لِیْ وَ یَسِّرْهُ لِیْ ثُمَّ بَارِكْ لِیْ فِیْهِ وَ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ شَرٌّ لِّیْ فِیْ دِیْنِیْ وَ مَعَاشِیْ وَ عَاقِبَةِ اَمْرِیْ اَوْ قَالَ عَاجِلِ اَمْرِیْ وَ اٰجِلِهٖ فَاصْرِفْهُ عَنِّیْ وَاصْرِفْنِیْ عَنْهُ وَ اقْدُرْ لِیَ الْخَیْرَ حَیْثُ كَانَ ثُمَّ رَضِّنِیْ بِهٖ۔

तर्जमा :– " ऐ अल्लाह ! मैं तुझ से इस्तिख़ारा करता हूँ तेरे इल्म के साथ और तेरी क़ुदरत के साथ तलबे क़ुदरत करता हूँ और तुझ से तेरे फ़ज़्ले अज़ीम का सवाल करता हूँ इसलिए कि तू क़ादिर है और मैं क़ादिर नहीं और तू जानता है और मैं नहीं जानता और तू ग़ैबों का जानने वाला है। ऐ अल्लाह! अगर तेरे इल्म मे यह है कि यह काम मेरे लिए बेहतर है मेरे दीन व मईशत (ज़िन्दगी) और अन्जामकार (नतीजा) में या फ़रमाया इस वक़्त और आइन्दा में तो इसको मेरे लिए मुक़द्दर कर दे और आसान कर फिर उस में बरकत दे मेरे लिए और अगर तेरे इल्म में यह काम मेरे लिए बुरा है दीन व मईशत और अन्जामकार में या फ़रमाया इस वक़्त और आइन्दा में तो इसको मुझ से फेर दे और मुझ को इससे फेर और मेरे लिए ख़ैर को मुक़र्रर फ़रमा जहाँ भी हो फिर मुझे उस से राज़ी कर"।

और अपनी हाजत ज़िक्र कर के ख़्वाह बजाए هٰذَا الْاَمْرَ के हाजत का नाम ले या उसके बाद اَوْ عَاجِلِ اَمْرِیْ में रावी को शक है कि हुज़ूर ने दोनों में से क्या फ़रमाया। (रद्दुल मुहतार)

फ़ुक़हा फ़रमाते हैं जमा करे यानी यूँ कहे وَ عَاقِبَةِ اَمْرِیْ وَ عَاجِلِ اَمْرِیْ وَ اٰجِلِهٖ (गुनिया)

मसअ्ला :– हज और जिहाद और दूसरे नेक काम में नफ़्से फ़ेल के लिए इस्तिख़ारा नहीं हो सकता हाँ तअय्युने वक़्त के लिए कर सकते हैं।

मसअ्ला :– मुस्तहब यह है कि इस दुआ के अव्वल आख़िर सूरए फ़ातिहा और दुरूद शरीफ़ पढ़े

और पहली रकअ्त में قُلْ یٰۤاَیُّهَا الْكٰفِرُوْنَ और दूसरी में قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ पढ़े और बाज़ मशाइख़ फ़रमाते हैं कि पहली में وَ رَبُّكَ یَخْلُقُ مَا یَشَآءُ وَ یَخْتَارُ से یُعْلِنُوْنَ तक और दूसरी में وَ مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّ لَا مُؤْمِنَةٍ (मुअ्मिनतिन" से आख़िर आयत तक भी पढ़े। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– बेहतर यह है कि सात बार इस्तिख़ारा करे कि एक हदीस में है ऐ अनस जब तू किसी काम का क़स्द करे तो अपने रब से उसमें सात बार इस्तिख़ारा कर फिर नज़र कर कि तेरे दिल में क्या गुज़रा कि बेशक इसी में ख़ैर है और बाज़ मशाइख़ से मनक़ूल है कि ऊपर वाली दुआ पढ़ कर बा–तहारत क़िबला–रू–यानी पाकी के साथ क़िब्ले की तरफ़ रुख़ करके सो रहे अगर ख़्वाब में सफ़ेद या हरी चीज़ देखे तो वह काम बेहतर है और काली व लाल चीज़ देखे तो बुरा है उस से बचे। (रद्दुल मुहतार) इस्तिख़ारे का वक़्त उस वक़्त तक है कि एक तरफ़ राए पूरी न जम चुकी हो।

सलाते तस्बीह :– इस नमाज़ में बेइन्तिहा सवाब है। बाज़ मुहक़्क़िक़ीन(बड़े–बड़े उलमा)फ़रमाते हैं इस नमाज़ की बड़ाई सुन कर तर्क न करेगा मगर दीन में सुस्ती करने वाला। नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हज़रते अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हु से फ़रमाया ऐ चचा! क्या मैं तुमको अता न करूँ,क्या मैं तुम को न दूँ, क्या तुम्हारे साथ एहसान न करूँ दस ख़सलतें हैं कि जब तुम करो तो अल्लाह तआला तुम्हारा गुनाह बख़्श देगा अगला, पिछला, पुराना, नया, जो भूल कर किया और जो क़स्दन किया छोटा और बड़ा पोशीदा और ज़ाहिर इस के बाद सलाते तस्बीह की तरकीब तअ्लीम फ़रमाई फिर फ़रमाया अगर तुमसे हो सके कि हर रोज़ एक बार पढ़ो तो करो और अगर रोज़ न करो तो हर जुमे में एक बार और यह भी न करो तो हर महीने में एक बार और यह भी न करो तो उम्र में एक बार और इसकी तरकीब हमारे तौर पर वह है जो सुनने तिर्मिज़ी शरीफ़ में अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक रदियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत से ज़िक्र किया गया है, फ़रमाते हैं कि अल्लाहु अकबर कह कर : –

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَ بِحَمْدِكَ وَ تَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰی جَدُّكَ وَلَا اِلٰهَ غَیْرُكَ

पढ़े फिर यह पढ़े :–

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اللّٰهُ اَكْبَرُ۔

पन्द्रह बार फिर अऊज़ु और बिस्मिल्लाह और सूरए फ़ातिहा और सूरत पढ़कर दस बार यही तस्बीह पढ़े फिर रुकू करे और रुकू में दस बार यही तस्बीह पढ़े फिर रुकू से सर उठाये और "समिअल्लाहु लिमन हमिदह" और "अल्लाहुम–म रब्बना व–लकल हम्द"के बाद दस बार कहे फिर सजदे को जाये और उसमें दस बार कहे फिर सजदे से सर उठा कर दस बार कहे फिर सजदे को जाये और उसमें दस मर्तबा पढ़े। यूँही चार रकअ्त पढ़े हर रकअ्त में 75 बार तस्बीह और चारों में तीन सौ हुई और रुकू व सुजूद में سُبْحٰنَ رَبِّیَ الْعَظِیْمِ سُبْحٰنَ رَبِّیَ الْاَعْلٰی कहने के बाद तस्बीहात पढ़े।(गुनिया वग़ैरा)

मसअ्ला :– इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से पूछा गया कि आप को मालूम है इस नमाज़ में कौन सूरत पढ़ी जाये। फ़रमाया सूरए तकासुर और सूरए अस्र और قُلْ یٰۤاَیُّهَا الْكٰفِرُوْنَ और قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ और बाज़ ने कहा सूरए हदीद और हश्र और सफ़ और तग़ाबुन। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– अगर सजदए सहव वाजिब हो और सजदा करे तो इन दोनों में तस्बीहात न पढ़ी जायें और अगर किसी जगह भूल कर दस बार से कम पढ़ी हैं तो दूसरी जगह पढ़ ले कि वह मिक़दार

पूरी हो जाये और बेहतर यह है कि उसके बाद जो दूसरा मौक़ा तस्बीह का आवे वहीं पढ़ ले मसलन क़ौमा की सजदे में कहे और रुकू में भूला तो उसे भी सजदा ही में कहे न क़ौमा में कि क़ौमे की मिक़दार थोड़ी होती है और पहले सजदे में भूला तो दूसरी में कहे जलसे में नहीं। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– तस्बीह उंगलियों पर न गिने बल्कि हो सके तो दिल में शुमार करे वर्ना उंगलियाँ दबाकर

मसअ्ला :– हर ग़ैर मकरूह वक़्त में यह नमाज़ पढ़ सकता है और बेहतर यह है कि ज़ोहर से पहले पढ़े। (आलमगीरी,रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– इब्ने अ़ब्बास रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से मरवी कि इस नमाज़ में सलाम से पहले यह दुआ़ पढ़े :–

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ تَوْفِيْقَ اَهْلِ الْهُدٰى وَ اَعْمَالَ اَهْلِ الْيَقِيْنِ وَ مُنَاصَحَةَ اَهْلِ التَّوْبَةِ وَ عَزْمَ اَهْلِ الصَّبْرِ وَ جِدَّ اَهْلِ الْخَشْيَةِ وَ طَلَبَ اَهْلِ الرَّغْبَةِ وَ تَعَبُّدَ اَهْلِ الْوَرَعِ وَ عِرْفَانَ اَهْلِ الْعِلْمِ حَتّٰى اَخَافَكَ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ مَخَافَةً تَحْجُزُنِيْ عَنْ مَعَاصِيْكَ حَتّٰى اَعْمَلَ بِطَاعَتِكَ عَمَلًا اَسْتَحِقُّ بِهٖ رِضَاكَ وَ حَتّٰى اُنَاصِحَكَ بِالتَّوْبَةِ خَوْفًا مِّنْكَ وَ حَتّٰى اُخْلِصَ لَكَ النَّصِيْحَةَ حُبًّا لَّكَ وَ حَتّٰى اَتَوَكَّلَ عَلَيْكَ فِي الْاُمُوْرِ حُسْنَ ظَنٍّ بِكَ سُبْحٰنَ خَالِقِ النُّوْرِ۔ (रद्दुल मुहतार)

तर्जमा :–" ऐ अल्लाह! मैं तुझ से सवाल करता हूँ हिदायत वालों की तौफ़ीक़ और यक़ीन वालों के अअ्माल और अहले तौबा की ख़ैरख़्वाही और अहले सब्र का अ़ज़्म और ख़ौफ़ वालों की कोशिश और रग़बत वालों की तलब और परहेज़गारों की इबादत और अहले इल्म की मअ्रिफ़त ताकि मैं तुझ से डरूँ। ऐ अल्लाह। मैं तेरी इताअ़त के साथ ऐसा अमल करूँ जिसकी वजह से तेरी रज़ा का मुस्तहिक़ हो जाऊँ और ताकि तेरे ख़ौफ़ से ख़ालिस तौबा करूँ और ताकि तेरी महब्बत की वजह से ख़ैरख़्वाही को तेरे लिए करूँ और ताकि तमाम कामों में तुझ पर तवक्कुल करूँ तुझ पर नेक गुमान करते हुए, पाक है नूर का पैदा करने वाला।

नमाज़े हाजत :– अबू दाऊद हुज़ैफ़ा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कहते हैं जब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम को कोई अहम काम पेश आता तो नमाज़ पढ़ते। इसके लिए दो रकअ़त या चार रकअ़त पढ़े। हदीस में है पहली रकअ़तों में सूरए फ़ातिहा और तीन बार आयतल कुर्सी पढ़े बाक़ी तीन रकअ़तों में सूरए फ़ातिहा और قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ और قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ o और قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ o एक–एक बार पढ़े तो यह ऐसी हैं जैसे शबे क़द्र में चार रकअ़तें पढ़ीं। मशाइख़ फ़रमाते हैं कि हमने यह नमाज़ पढ़ी और हमारी हाजतें पूरी हुईं। एक हदीस में है जिसको तिर्मिज़ी व इब्ने माजा ने अ़ब्दुल्लाह इब्ने अबी औफ़ा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत किया कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं जिसकी कोई हाजत अल्लाह की तरफ़ हो या किसी बनी आदम की तरफ़ तो अच्छी तरह वुज़ू करे फिर दो रकअ़त नमाज़ पढ़कर अल्लाह तआ़ला की सना करे नबी सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम पर दुरूद भेजे फिर यह पढ़े :–

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحٰنَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ . اَسْئَلُكَ مُوْجِبَاتِ

رَحْمَتِكَ وَ عَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَ الْغَنِيْمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَّ السَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ اِثْمٍ لَا تَدَعْ لِيْ ذَنْبًا اِلَّا غَفَرْتَهٗ وَ لَا هَمًّا اِلَّا فَرَّجْتَهٗ وَ لَا حَاجَةً هِيَ لَكَ رِضًا اِلَّا قَضَيْتَهَا يَا اَرْحَمَ الرّٰحِمِيْنَ.

तर्जमा :– " अल्लाह के सिवा कोई मअ्बूद नहीं जो हलीम व करीम है पाक है अल्लाह मालिक है अ़र्शे अ़ज़ीम का। हम्द है अल्लाह के लिए जो रब है तमाम जहान का मैं तुझ से तेरी रहमत के असबाब माँगता हूँ और तलब करता हूँ तेरी बख़्शिश के ज़रिए और हर नेकी से ग़नीमत और हर गुनाह से सलामती को मेरे लिए कोई गुनाह बग़ैर मग़फ़िरत न छोड़ और हर ग़म को दूर कर दे और जो हाजत तेरी रज़ा के मुवाफ़िक़ है उसे पूरा कर दे ऐ सब मेहरबानों से ज़्यादा मेहरबान।"

तिर्मिज़ी व इब्ने माजा व तबरानी वग़ैरहुम उ़समान इब्ने हनीफ़ रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि एक साहब नाबीना हाज़िरे ख़िदमते अक़दस हुए और अ़र्ज़ की अल्लाह से दुआ़ कीजिए कि मुझे आफ़ियत दे। इरशाद फ़रमाया अगर तू चाहे तो दुआ़ करूँ और चाहे सब्र कर यह तेरे लिए बेहतर है। उन्होंने अ़र्ज़ की हुज़ूर (सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम) दुआ़ करें। उन्हें हुक्म फ़रमाया कि वुज़ू करो और अच्छा वुज़ू करो और दो रकअ़त नमाज़ पढ़ कर यह दुआ़ पढ़ो :–

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ وَ اَتَوَسَّلُ وَ اَتَوَجَّهُ اِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ نَّبِيِّ الرَّحْمَةِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّيْ تَوَجَّهْتُ بِكَ اِلٰى رَبِّيْ فِيْ حَاجَتِيْ هٰذِهٖ لِتُقْضٰى لِيْ اَللّٰهُمَّ فَشَفِّعْهُ فِيَّ .

तर्जमा :–"ऐ अल्लाह!मैं तुझ से सवाल करता हूँ और तवस्सुल करता हूँ और तेरी तरफ़ मुतावज्जेह होता हूँ तेरे नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम के ज़रिए से जो नबीये रहमत हैं या रसूलल्लाह!मैं हुज़ूर के ज़रिये से अपने रब की तरफ़ इस हाजत के बारे में मुतावज्जेह होता हूँ ताकि मेरी हाजत पूरी हो इलाही शफ़ाअ़त मेरे हक़ में क़बूल फ़रमा।"

उ़समान इब्ने हनीफ़ रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु फ़रमाते हैं ख़ुदा की क़सम हम उठने भी न पाये थे बातें ही कर रहे थे कि वह हमारे पास आये गोया कभी अंधे थे ही नहीं। नीज़ क़ज़ाए हाजत के लिए एक मुजर्रब नमाज़ जो उ़लमा हमेशा पढ़ते आये यह है कि इमामे आज़म रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु के मज़ारे मुबारक पर जाकर दो रकअ़त नमाज़ पढ़े और इमाम के वसीले से अल्लाह तआ़ला से सवाल करे इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाहि तआ़ला अ़लैहि फ़रमाते हैं कि मैं ऐसा करता हूँ तो बहुत जल्द मेरी हाजत पूरी हो जाती है। (ख़ैरातुल हिसान)नीज़ इसके लिए एक मुजर्रब(तजरबा की हुई) नमाज़ सलातुल असरार (यानी नमाज़े ग़ौसिया) है जो इमाम अबुल हसन नूरुद्दीन अ़ली इब्ने जरीर लख़मी शतनौफ़ी बहजतुल असरार (किताब का नाम) में और मुल्ला अ़ली क़ारी व शैख़ अ़ब्दुल हक़ रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुम हुज़ूर सय्यिदना ग़ौसे आज़म रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत करते हैं। इसकी तरकीब यह है कि बादे नमाज़े मग़रिब सुन्नतें पढ़ कर दो रकअ़त नमाज़ नफ़्ल पढ़े और बेहतर यह है कि सूरए फ़ातिहा के बाद हर रकअ़त में ग्यारह–ग्यारह बार قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ पढ़े सलाम के बाद अल्लाह तआ़ला की हम्द व सना करे फिर नबी सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम पर ग्यारह–ग्यारह बार दुरूद व सलाम अ़र्ज़ करे और ग्यारह–ग्यारह बार यह कहे :– يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ اَغِثْنِيْ وَ امْدُدْنِيْ فِيْ قَضَاءِ حَاجَتِيْ يَا قَاضِيَ الْحَاجَاتِ .

तर्जमा :– ऐ अल्लाह के रसूल ऐ अल्लाह के नबी मेरी फ़रियाद को पहुँचिए और मेरी मदद कीजिए और मेरी हाजत पूरी होने में ऐ तमाम हाजतों के पूरा करने वाले।

يَاغَوْثَ الثَّقَلَيْنِ وَيَاكَرِيْمَ الطَّرَفَيْنِ اَغِثْنِيْ وَاَمْدِدْنِيْ فِيْ قَضَاءِ حَاجَتِيْ يَاقَاضِيَ الْحَاجَاتِ

तर्जमा :– " ऐ जिन्न व इन्स के फ़रियादरस ! ऐ दोनों तरफ़ माँ बाप से बुज़ुर्ग मेरी फ़रियाद को पहुँचिये और मेरी मदद कीजिए मेरी हाजत पूरी होने में ऐ हाजतों के पूरा करने वाले"।

फिर हुज़ूर ग़ौसे अअ्ज़म के तवस्सुल से अल्लाह तआला से दुआ करे।

नमाज़े तौबा :– अबू दाऊद व तिर्मिज़ी व इब्ने माजा और इब्ने हब्बान अपनी सही में अबूबक सिद्दीक़ रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं जब कोई बन्दा गुनाह करे फिर वुज़ू कर के नमाज़ पढ़े फिर इस्तिग़फ़ार करे अल्लाह तआला उसके गुनाह बख़्श देगा। फिर यह आयत पढ़ी :–

وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ وَمَنْ يَّغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اللّٰهُ وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى مَا فَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ۝

तर्जमा :– " जिन्होंने बेहयाई का कोई काम किया या अपनी जानों पर ज़ुल्म किया फिर अल्लाह को याद किया और अपने गुनाहों की बख़्शिश माँगी और कौन गुनाह बख़्शे मगर अल्लाह और अपने किये पर दानिस्ता (जान कर) हठ न की"।

सलातुर्रग़ाइब

मसअ्ला :– सलाते रग़ाइब कि रजब की पहली शबे जुमा और शाबान की पन्द्रहवीं शब और शबे कद्र में जमाअत के साथ नफ़्ल नमाज़ बाज़ जगह लोग अदा करते हैं। फ़ुक़्हा इसे नाजाइज़ मकरूह और बिदअ्त कहते हैं और लोग इस बारे में जो हदीस बयान करते हैं मुहद्दिसीन उसे मौज़ू (बेअस्ल,मनगढ़न्त) बताते हैं लेकिन अजिल्लाए अकाबिर (बड़े–बड़े औलिया) से सही रिवायत के साथ मरवी है तो उसके मना में ग़ुलू न चाहिए और अगर जमाअत में तीन से ज़ाइद मुक़तदी न हों तो बिल्कुल कोई हरज नहीं।

तरावीह का बयान

मसअ्ला :– तरावीह मर्द व औरत सब के लिए बिल इजमा यानी सब के नज़दीक सुन्नते मुअक्कदा है इसका तर्क जाइज़ नहीं (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा) इस पर ख़ुलफ़ाए राशेदीन रदियल्लाहु तआला अन्हुम ने मुदावमत फ़रमाई यानी हमेशा पढ़ी और नबी सल्ललाहु तआला अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मेरी सुन्नत और सुन्नते ख़ुलफ़ाए राशेदीन को अपने ऊपर लाज़िम समझो और ख़ुद हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने भी तरावीह पढ़ी और उसे बहुत पसंद फ़रमाया। सही मुस्लिम में अबू हुरैरह रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी इरशाद फ़रमाते है जो रमज़ान में क़ियाम करे ईमान की वजह से और सवाब तलब करने के लिए उसके अगले सब गुनाह बख़्श दिये जायेंगे यानी सग़ाइर(छोटे–छोटे गुनाह)फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इस अन्देशे से कि उम्मत पर फ़र्ज़ न हो जाये तर्क फ़रमाई फिर फ़ारूक़े अअ्ज़म रदियल्लाहु तआला अन्हु रमज़ान में एक रात मस्जिद में तशरीफ़ ले गये और लोगों को मुतफ़र्रिक़ तौर पर नमाज़ पढ़ते पाया, कोई तन्हा पढ़ रहा है किसी के साथ कुछ लोग पढ़ रहे हैं। फ़रमाया मैं मुनासिब जानता हूँ कि इस सब को एक इमाम के साथ जमा कर दूँ तो बेहतर हो। सब को एक इमाम उबई इब्ने कअ्ब रदियल्लाहु तआला अन्हु के साथ इकट्ठा कर दिया फिर दूसरे दिन तशरीफ़ ले गये तो मुलाहिज़ा फ़रमाया कि लोग अपने इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ते हैं फ़रमाया :– نِعْمَتِ الْبِدْعَةُ هٰذِهٖ तर्जमा :– यह अच्छी बिदअ्त है। (रवाहु असहाबुस सुनन)

मसअ्ला :– जम्हूर यानी अक्सर उलमा किराम का मज़हब यह है कि तरावीह की बीस रकअ्तें है और यही अहादीस से साबित है। बैहक़ी ने साइब इब्ने यज़ीद रदियल्लाहु तआला अन्हु से सही सनद के साथ रिवायत की कि लोग फ़ारूक़े अअ्ज़म रदियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माने में बीस रकअ्तें पढ़ा करते थे और हज़रते उसमान व अली रदियल्लाहु तआला अन्हुमा के अहद में भी यूँ ही था और मुअत्ता में यज़ीद इब्ने रूमान से रिवायत है कि उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माने में लोग रमज़ान में तेईस (23) रकअ्तें पढ़ते। बैहक़ी ने कहा इसमें तीन रकअ्तें वित्र की हैं और मौला अली रदियल्लाहु तआला अन्हु ने एक शख़्स को हुक्म फ़रमाया कि रमज़ान में लोगों को बीस रकअ्तें पढ़ाये नीज़ इसके बीस रकअ्त होने में यह हिकमत है कि फ़राइज़ व वाजिबात की इससे तकमील होती है और कुल फ़राइज़ व वाजिब की हर रोज़ बीस रकअ्तें हैं। लिहाज़ा मुनासिब है कि यह भी बीस हों कि मुकम्मल(पूरा किया हुआ) व मुकम्मिल (पूरा करने वाला) बराबर हों।

मसअ्ला :– इसका वक़्त इशा के फ़र्ज़ों के बाद से तुलूए फ़ज्र तक है व वित्र से पहले भी हो सकती है और बाद में भी तो अगर कुछ रकअ्तें इसकी बाक़ी रह गईं कि इमाम वित्र को खड़ा हो गया तो इमाम के साथ वित्र पढ़ ले फिर बाक़ी अदा करे जबकि फ़र्ज़ जमाअत से पढ़े हों और यह अफ़ज़ल है,और अगर तरावीह पूरी कर के वित्र तन्हा पढ़े तो भी जाइज़ है और अगर बाद में मअ्लूम हुआ कि नमाज़े इशा बिग़ैर तहारत पढ़ी थी और तरावीह व वित्र तहारत के साथ तो इशा व तरावीह फिर पढ़े वित्र हो गया। (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– मुस्तहब यह है कि तिहाई रात तक ताख़ीर करे और आधी रात के बाद पढ़े तो भी कराहत नहीं। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– अगर तरावीह फ़ौत हो जाये तो इनकी क़ज़ा नहीं यानी छूट गई कि वक़्त जाता रहा और अगर क़ज़ा तन्हा पढ़ ले तो तरावीह नहीं बल्कि नफ़्ले मुस्तहब हैं जैसे मग़रिब व इशा की सुन्नतें। (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– तरावीह की बीस रकअ्तें दस सलाम से पढ़े यअ्नी हर दो रकअ्त पर सलाम फेरे और अगर किसी ने बीसों रकअ्तें पढ़ कर आख़िर में सलाम फेरा तो अगर हर दो रकअ्त पर क़अ्दा करता रहा तो हो जायेगी मगर कराहत के साथ और अगर क़अ्दा न किया था तो दो रकअ्त के क़ाइम मक़ाम हुई यअ्नी सिर्फ़ दो रकअ्त तरावीह हुई। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– एहतियात यह है कि जब दो रकअ्त पर सलाम फेरे तो हर दो रकअ्त पर अलग–अलग नियत करे और अगर एक साथ बीसों रकअ्त की नियत कर ली तो भी जाइज़ है (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– तरावीह में एक बार क़ुर्आन मजीद ख़त्म करना सुन्नते मुअक्कदा है और दो मर्तबा फ़ज़ीलत और तीन मर्तबा अफ़ज़ल लोगों की सुस्ती की वजह से क़ुर्आन शरीफ़ के ख़त्म करने को तर्क न करे। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– इमाम व मुक़तदी हर दो रकअ्त पर सना पढ़ें और तशह्हुद के बाद दुआ भी हाँ अगर मुक़तदियों पर गिरानी हो तो तशह्हुद के बाद सिर्फ़ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ पढ़ कर सलाम फेर दे। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– अगर एक क़ुर्आन पाक ख़त्म करना हो तो बेहतर यह है कि सत्ताईसवीं शब में ख़त्म

हो फिर अगर इस रात में या इसके पहले ख़त्म हो तो तरावीह आख़िर रमज़ान तक बराबर पढ़ते रहें कि सुन्नते मुअक्कदा हैं। (आलमगीरी)

मसअला :– अफ़ज़ल यह है कि तमाम शुफ़ओं में क़िरात बराबर हो और अगर ऐसा न किया जब भी हरज नहीं। यूँ ही हर शुफ़आ यानी दोनों रकअ़तों की पहली रकअ़त और दूसरी रकअ़त की क़िरात मसावी (बराबर) हो दूसरी की क़िरात पहली से ज़्यादा न होना चाहिए। (आलमगीरी)

मसअला :– क़िरात और अरकान की अदा में जल्दी करना मकरूह है और जितनी तरतील ज़्यादा हो बेहतर है। यूँही अऊज़ु व बिस्मिल्लाह व तमानीयत (इत्मीनान)व तस्बीह का छोड़ देना भी मकरूह है। (आलमगीरी.दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– हर चार रकअ़त एक तरवीहा है। इस तरह बीस रकअ़त में पाँच तरवीहा हुईं।

मसअला :– हर चार रकअ़त पर इतनी देर तक बैठना मुस्तहब है जितनी देर में चार रकअ़तें पढ़े पाँचवीं तरवीहा और वित्र के दरमियान अगर बैठना लोगों पर गिराँ हो तो न बैठे (आलमगीरी वग़ैरा)

मसअला :– इस बैठने में उसे इख़्तियार है कि चुपका बैठा रहे या कलिमा पढ़े या तिलावत करे या दुरूद शरीफ़ पढ़े या चार रकअ़तें तन्हा नफ़्ल पढ़े जमाअत से मकरूह है या यह तस्बीह पढ़े :–

سُبْحَانَ ذِی الْمُلْکِ وَ الْمَلَکُوْتِ . سُبْحَانَ ذِی الْعِزَّۃِ وَ الْعَظَمَۃِ وَ الْهَیْبَۃِ وَ الْقُدْرَۃِ وَ الْکِبْرِیَاءِ وَ الْجَبَرُوْتِ . سُبْحَانَ الْمَلِکِ الْحَیِّ الَّذِیْ لَا یَنَامُ وَ لَا یَمُوْتُ سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّنَا وَ رَبُّ الْمَلٰٓئِکَۃِ وَ الرُّوْحِ . لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ نَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ نَسْئَلُکَ الْجَنَّۃَ وَ نَعُوْذُبِکَ مِنَ النَّارِ

तर्जमा :– पाक है मुल्क व मलकूत वाला पाक है इज़्ज़त व बुज़ुर्गी और हैबत व क़ुदरत वाला बड़ाई और जबरूत (ताक़त) वाला पाक है बादशाह जो जिन्दा है जो न सोता है न मरता है। पाक मुक़द्दस है फ़रिश्तों और रूह का मालिक। अल्लाह के सिवा कोई मअ़बूद नहीं। अल्लाह से हम मग़फ़िरत चाहते हैं, तुझ से जन्नत का सवाल करते हैं और जहन्नम से तेरी पनाह माँगते हैं।

मसअला :– हर दो रकअ़त के बाद दो रकअ़त पढ़ना मकरूह है यूँ ही दस रकअ़त के बाद बैठना भी मकरूह। (दुर्रे मुख़्तार, आलमगीरी)

मसअला :– तरावीह में जमाअ़त सुन्नते किफ़ाया है कि अगर मस्जिद के सब लोग छोड़ देंगे तो सब गुनाहगार होंगे और अगर किसी एक ने घर में तन्हा पढ़ ली तो गुनाहगार नहीं मगर जो शख़्स मुक़तदा(जिसकी पैरवी की जाये जैसे मज़हबी पेशवा) हो कि उसके होने से जमाअ़त बड़ी होती है और छोड़ देगा तो लोग कम हो जायेंगे उसे बिला उज़्र जमाअत छोड़ने की इजाज़त नहीं। (आलमगीरी)

मसअला :– तरावीह मस्जिद में बा–जमाअ़त पढ़ना अफ़ज़ल है अगर घर में जमाअ़त से पढ़ी तो जमाअ़त के तर्क का गुनाह न हुआ मगर वह सवाब न मिलेगा जो मस्जिद में पढ़ने का था।(आलमगीरी)

मसअला :– अगर आलिम हाफ़िज़ भी हो तो अफ़ज़ल यह है कि ख़ुद पढ़े दूसरे की इक़्तिदा न करे और अगर इमाम ग़लत पढ़ता हो तो मस्जिदे मुहल्ला छोड़ कर दूसरी मस्जिद में जाने में हरज नहीं यूँही अगर दुसरी जगह का इमाम ख़ुश आवाज़ हो या हल्की क़िरात पढ़ता हो या मस्जिदे मुहल्ला में ख़त्म न होगा तो दूसरी मस्जिद में जाना जाइज़ है। (आलमगीरी)

मसअला :– ख़ुशख़्वाँ यानी अच्छी आवाज़ से पढ़ने वाले को इमाम बनाना न चाहिये बल्कि दुरुस्तख़्वाँ यअ़नी सही क़ुर्आन पढ़ने वाले को इमाम बनायें।(आलमगीरी)अफ़सोस सद अफ़सोस कि इस ज़माने मे हाफ़िज़ों की हालत निहायत ख़राब है अक्सर लोग तो ऐसा पढ़ते हैं कि يَعْلَمُوْنَ تَعْلَمُوْنَ कि सिवा

कुछ नहीं पता चलता, अलफ़ाज व हुरूफ़ ख़ा जाया करते है जो अच्छा पढ़ने वाले कहे जाते हैं उन्हें देखिये तो हुरूफ़ सही अदा नहीं करते ط، ت، ص، س، ث और ذ، ز، ظ और ء، ع، ا हम्ज़ा वग़ैरा हुरूफ़ में फ़र्क़ नहीं करते जिस से क़तअन नमाज़ नहीं होती। फ़क़ीर को इन्हीं मुसीबतों की वजह से तीन साल ख़त्मे क़ुर्आन मजीद सुनना न मिला। अल्लाह तआ़ला मुसलमान भाईयों को तौफ़ीक़ दे कि जैसे अल्लाह तआ़ला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम पर क़ुर्आने पाक नाज़िल फ़रमाया है उसी तरह पढ़ने की कोशिश करें। आमीन!

मसअला :– आजकल अकसर रिवाज हो गया है कि हाफ़िज़ को उजरत देकर तरावीह पढ़वाते हैं यह नाजाइज़ है देने वाला और लेने वाला दोनों गुनाहगार हैं। उजरत सिर्फ़ यही नहीं कि पहले से मुक़र्रर कर लें कि यह लेंगे यह देंगे बल्कि अगर मालूम है कि यहाँ कुछ मिलता है अगर्चे उससे तय न हुआ हो यह भी नाजाइज़ है क्यूँकि जो चीज़ मशहूर है वह शर्त की तरह है। हाँ अगर कह दे कि कुछ नहीं दूँगा या नहीं लूँगा फिर पढ़े और हाफ़िज़ की ख़िदमत करें तो इस में हरज नहीं क्यूँकि सरीह दलालत पर फ़ौकियत रखता है यानी खुल्लमखुल्ला कह देना इशारे से बढ़ कर मतलब यह है कि जब साफ़–साफ़ कह दिया गया तो अब वह हुक्म नहीं।

मसअला :– एक इमाम दो मस्जिदों में तरावीह पढ़ाता है अगर दोनों में पूरी पूरी पढ़ाये तो नाजाइज़ है और मुक़तदी ने दो मस्जिदों में पूरी पूरी पढ़ी तो हरज नहीं मगर दूसरी में वित्र पढ़ना जाइज़ नहीं जबकि पहली मे पढ़ चुका और अगर घर में तरावीह पढ़कर मस्जिद में आया और इमामत की तो मकरूह है। (आलमगीरी)

मसअला :– लोगों ने तरावीह पढ़ लीं अब दोबारा पढ़ना चाहते हैं तो तन्हा–तन्हा पढ़ सकते हैं जमाअ़त की इजाज़त नहीं। (आलमगीरी)

मसअला :– अफ़ज़ल यह है कि एक इमाम के पीछे पढ़ें और दो के पीछे पढ़ना चाहें तो बेहतर यह है कि पूरे तरवीहा पर इमाम बदलें मसलन आठ एक के पीछे और बारह दूसरे के पीछे।(आलमगीरी)

मसअला :– नाबालिग़ के पीछे बालिग़ों की तरावीह न होंगी यही सही है। (आलमगीरी)

मसअला :– रमज़ान शरीफ़ में वित्र जमाअ़त के साथ पढ़ना अफ़ज़ल है ख़्वाह उसी इमाम के पीछे जिसके पीछे इशा व तरावीह पढ़ी या दूसरे के पीछे। (आलमगीरी.दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– यह जाइज़ है कि एक शख़्स इशा व वित्र पढ़ाये दूसरा तरावीह जैसा कि हज़रते उमर फ़ारूक़े आज़म रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु इशा व वित्र की इमामत करते थे और उबई इब्ने कअ़ब रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु तरावीह की। (आलमगीरी)

मसअला :– अगर सब लोगों ने इशा की जमाअ़त तर्क कर दी तो तरावीह भी जमाअ़त से न पढ़ें। हाँ इशा जमाअ़त से हुई और बाज़ को जमाअ़त न मिली तो यह तरावीह की जमाअ़त में शरीक हों।(दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– अगर इशा जमाअ़त से पढ़ी और तरावीह तन्हा तो वित्र की जमाअ़त में शरीक हो सकता है और अगर इशा तन्हा पढ़ ली अगर्चे तरावीह बा–जमाअ़त पढ़ी तो वित्र तन्हा पढ़े।(दुर्रेमुख़्तार.रद्दुल मुहतार)

मसअला :– इशा की सुन्नतों का सलाम न फेरा इसी में तरावीह मिलाकर शुरू की तो तरावीह नहीं हुई। (आलमगीरी)

मसअला :– तरावीह बैठ कर पढ़ना मकरूह है बल्कि बाज़ों के नज़दीक तो होगी ही नहीं।(दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– मुक़तदी को यह जाइज़ नहीं कि बैठा रहे जब इमाम रुकू करने को हो तो खड़ा हो जाये कि यह मुनाफ़िक़ों से मुशाबहत है यानी मुनाफ़िक़ों का तरीक़ा है। अल्लाह तआला इरशाद फ़रमाता है :– إِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلٰوةِ قَامُوا كُسَالٰى
तर्जमा :– "मुनाफ़िक़ जब नमाज़ को खड़े होते हैं तो थके जी से।" (गुनिया वगैरा)
मसअला :– इमाम से ग़लती हुई कोई सूरत या आयत छूट गई तो मुस्तहब यह है कि उसे पहले पढ़कर फिर आगे पढ़े। (आलमगीरी)
मसअला :– दो रकअ़त पर बैठना भूल गया और खड़ा हो गया तो जब तक तीसरी का सजदा न किया हो बैठ जाये और सजदा कर लिया हो तो चार पूरी करे मगर यह दो शुमार की जायेंगी और जो दो पर बैठ चुका है तो चार हुईं। (आलमगीरी)
मसअला :– तीन रकअ़त पढ़ कर सलाम फेरा अगर दूसरी पर बैठा न था तो न हुई इनके बदले की दो रकअ़त फिर पढ़े।
मसअला :– क़अ़दे में मुक़तदी सो गया इमाम सलाम फेरकर और दो रकअ़त पढ़कर क़अ़दे में आया अब यह बेदार हुआ तो अगर मालूम हो गया तो सलाम फेर कर शामिल हो जाये और इमाम के सलाम फेरने के बाद जल्द पूरी कर के इमाम के साथ हो जाये। (आलमगीरी)
मसअला :– वित्र पढ़ने के बाद लोगों को याद आया कि दो रकअ़तें रह गयीं तो जमाअ़त से पढ़ लें और आज याद आया कि कल दो रकअ़तें रह गई थीं तो जमाअ़त से पढ़ना मकरूह है। (आलमगीरी)
मसअला :– सलाम फेरने के बाद कोई कहता है दो हुईं कोई कहता है तीन तो इमाम के इल्म में जो हो उसका एअ़तिबार है और इमाम को किसी बात का यक़ीन न हो तो जिस को सच्चा जानता हो कि उसके क़ौल का एअ़तिबार करे और अगर इसमें लोगों को शक हो कि बीस हुईं या अट्ठारह तो दो रकअ़त तन्हा–तन्हा पढ़ें। (आलमगीरी)
मसअला :– अगर किसी वजह से नमाज़े तरावीह फ़ासिद हो जाये तो जितना क़ुर्आन मजीद इन रकअ़तों में पढ़ा है उसे दोबारा पढ़ें ताकि ख़त्म में नुक़सान न रहे। (आलमगीरी)
मसअला :– अगर किसी वजह से ख़त्म न हो तो सूरतों की तरावीह पढ़ें और इसके लिए बाज़ों ने यह तरीक़ा रखा है कि أَلَمْ تَرَ كَيْفَ से आख़िर तक दो बार पढ़ने में बीस रकअ़तें हो जायेंगी। (आलमगीरी)
मसअला :– एक बार بِسْمِ اللّٰهِ शरीफ़ जहर यानी आवाज़ से पढ़ना सुन्नत है और हर सूरत की इब्तिदा में आहिस्ता पढ़ना मुस्तहब और यह जो आजकल बअ़्ज़ जाहिलों ने निकाला है कि एक सौ चौदह बार بِسْمِ اللّٰهِ जहर से पढ़ी जाये वर्ना ख़त्म न होगा मज़हबे हनफ़ी में बेअस्ल है।
मसअला :– मुतअख़्ख़िरीन(बाद वाले उलमा)ने ख़त्मे तरावीह में तीन बार قُلْ هُوَ اللّٰهُ पढ़ना मुस्तहब कहा और बेहतर यह कि ख़त्म के दिन पिछली रकअ़त में الٓمّٓ से مُفْلِحُوْنَ तक पढ़े।
मसअला :– शबीना कि एक रात की तरावीह में पूरा क़ुर्आन पढ़ा जाता है जिस तरह आजकल रिवाज है कि कोई बैठा बातें कर रहा है,कुछ लोग चाय पीने में मशग़ूल हैं ,कुछ लोग मस्जिद से बाहर हुक़्क़ानोशी कर रहे हैं और जब जी में आया एक आध रकअ़त में शामिल भी हुए यह नाजाइज़ है।
फ़ायदा :– हमारे इमामे आज़म रदियल्लाहु तआला अन्हु रमज़ान शरीफ़ में इकसठ ख़त्म किया करते थे तीस दिन में और तीस रात में और एक तरावीह में और पैंतालीस बरस इशा के वुज़ू से नमाज़े फ़ज्र पढ़ी है।

मुनफ़रिद का फ़र्ज़ों की जमाअ़त पाना

इमामे मालिक व नसई रिवायत करते हैं कि एक सहाबी महजन नामी रदियल्लाहु तआला अन्हु हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ एक मज्लिस में हाज़िर थे अज़ान हुई हुज़ूर खड़े हुए और नमाज़ पढ़ी वह बैठे रह गये। इरशाद फ़रमाया जमाअ़त के साथ नमाज़ पढ़ने से किस चीज़ ने रोका ? क्या तुम मुसलमान नहीं हो ? अर्ज़ की या रसूलल्लाह! हूँ तो मगर मैंने घर पर पढ़ ली थी। इरशाद फ़रमाया जब नमाज पढ़कर मस्जिद में आओ और नमाज़ क़ाइम की जाये तो लोगों के साथ पढ़ लो अगर्चे पढ़ चुके हो। इसी के मिस्ल यज़ीद इब्ने आमिर रदियल्लाहु तआला अन्हु का वाक़िआ है जो अबू दाऊद में मरवी है। इमामे मालिक ने रिवायत की अ़ब्दुल्लाह इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा फ़रमाते हैं जो मग़रिब या सुबह की नमाज़ पढ़ चुका है फिर जब इमाम के साथ पाये इआदा न करे।
मसअला :– तन्हा फ़र्ज़ नमाज़ शुरू ही की थी यअ़नी अभी पहली रकअ़त का सजदा न किया था कि जमाअ़त क़ाइम हुई तो तोड़ कर जमाअ़त में शामिल हो जाये। (दुर्रे मुख़्तार)
मसअला :– फ़ज्र या मग़रिब की नमाज़ एक रकअ़त पढ़ चुका था कि जमाअ़त क़ाइम हुई फ़ौरन नमाज़ तोड़ कर जमाअ़त में शामिल हो जाये अगर्चे दूसरी रकअ़त पढ़ रहा हो अलबत्ता दूसरी रकअ़त का सजदा कर लेता तो अब इन दो नमाज़ों में तोड़ने की इजाज़त नहीं और नमाज़ पूरी करने के बाद नफ़्ल की नियत से भी इनमें शरीक नहीं हो सकता कि तीन रकअ़तें नफ़्ल की नहीं और मग़रिब में अगर शामिल हो गया तो बुरा किया,इमाम फेरने के बाद एक रकअ़त और मिलाकर चार करे और अगर इमाम के साथ सलाम फेर दिया तो नमाज़ फ़ासिद हो गई चार रकअ़त क़ज़ा करे। (आलमगीरी वगैरा)
मसअला :– मग़रिब पढ़ने वाले के पीछे नफ़्ल की नियत से शामिल हो गया इमाम ने चौथी रकअ़त को तीसरी गुमान किया और खड़ा हो गया इस मुक़तदी ने उसका इत्तिबा किया इसकी नमाज़ फ़ासिद हो गई तीसरी पर इमाम ने क़अ़दा किया हो या नहीं। (आलमगीरी)
मसअला :– चार रकअ़त वाली नमाज़ शुरू कर के एक रकअ़त पढ़ ली यअ़नी पहली रकअ़त का सजदा कर लिया तो वाजिब है कि एक रकअ़त और पढ़कर तोड़ दे कि यह दो रकअ़तें नफ़्ल हो जायें और दो पढ़ ली हैं तो अभी तोड़ दे यानी तशह्हुद पढ़ कर सलाम फेर दे और तीन पढ़ ली हैं तो वाजिब है कि न तोड़े, तोड़ेगा तो गुनाहगार होगा बल्कि हुक्म है कि पूरी कर के नफ़्ल की नियत से जमाअ़त में शामिल हो जमाअ़त का सवाब पा लेगा मगर अ़स्र में शामिल नहीं हो सकता कि अ़स्र के बाद नफ़्ल जाइज़ नहीं। (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार)
मसअला :– जमाअ़त क़ाइम होने से मुअज़्ज़िन का तकबीर कहना मुराद नहीं बल्कि जमाअ़त शुरू हो जाना मुराद है। मुअज़्ज़िन के तकबीर कहने से क़त्अ़ न करेगा यानी नमाज़ न तोड़ेगा अगर्चे पहली रकअ़त का अभी सजदा न किया हो। (रद्दुल मुहतार)
मसअला :– जमाअ़त क़ाइम होने से नमाज़ क़त्अ़ करना उस वक़्त है कि जिस मक़ाम पर यह नमाज़ पढ़ता हो वहीं जमाअ़त क़ाइम हुई या एक मस्जिद में यह पढ़ता है दूसरी मस्जिद में जमाअ़त

काइम हुई तो तोड़ने का हुक्म नहीं अगर्चे पहली रकअ़त का सजदा न किया हो। (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– नफ़्ल शुरूअ़ किये थे और जमाअ़त क़ाइम हुई तो क़ता न करे (यानी न तोड़े)बल्कि दो रकअ़त पूरी करे अगर्चे पहली का सजदा भी न किया हो और तीसरी पढ़ता हो तो चार पूरी करे। (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुलमुहतार)

मसअला :– जुमे और ज़ोहर की सुन्नतें पढ़ने में ख़ुतबा या जमाअ़त शुरूअ़ हुई तो चार पूरी करे।

मसअला :– सुन्नत या क़ज़ा नमाज़ शुरूअ़ की और जमाअ़त क़ाइम हुई तो पूरी कर के शामिल हो। हाँ जो क़ज़ा शुरू की अगर बिल्कुल उसी क़ज़ा के लिए जमाअ़त क़ाइम हुई तोड़ कर शामिल हो जाये। (रद्दुलमुहतार)

मसअला :– नमाज़ तोड़ना बग़ैर उ़ज़्र हो तो हराम है और माल के तलफ़ यानी नुक़सान या चोरी हो जाने का अंदेशा हो तो मुबाह और कामिल करने के लिए हो तो मुस्तहब और जान बचाने के लिए हो तो वाजिब।

मसअला :– नमाज़ तोड़ने के लिए बैठने की हाजत नहीं खड़ा–खड़ा एक तरफ़ सलाम फेरकर तोड दे।

मसअला :– जिस शख़्स ने नमाज़ न पढ़ी हो उसे मस्जिद से अज़ान के बाद निकलना मकरूहे तहरीमी है। इब्ने माजा उसमान रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया अज़ान के बाद जो मस्जिद से चला गया और किसी हाजत के लिए नहीं गया और न वापस होने का इरादा है वह मुनाफ़िक़ है। इमाम बुख़ारी के अ़लावा जमाअ़ते मुहद्दिसीन ने रिवायत की कि अबू शअ़शा कहते हैं हम अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु के साथ मस्जिद में थे जब मुअज़्ज़िन ने अ़स्र की अज़ान कही उस वक़्त एक शख़्स चला गया उस पर फ़रमाया कि उस ने अबुल क़ासिम सल्लल्लाहु तआला अ़लैहि वसल्लम की नाफ़रमानी की।(दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार)

अज़ान के बाद मस्जिद से बाहर जाने के मसाइल

मसअला :– अज़ान से मुराद नमाज़ का वक़्त हो जाना है ख़्वाह अभी अज़ान हुई हो या नहीं।

मसअला :– जो शख़्स किसी दूसरी मस्जिद की जमाअ़त का मुन्तज़िम हो मसलन इमाम या मुअज़्ज़िन हो कि उसके होने से सब लोग होते हैं वर्ना मुतफ़र्रिक़ (अलग–अलग)हो जाते हैं ऐसे शख़्स को इजाज़त है कि वहाँ से अपनी मस्जिद चला जाये अगर्चे यहाँ इक़ामत भी शुरूअ़ हो गई हो मगर जिस मस्जिद का मुअज़्ज़िन है अगर वहाँ जमाअ़त हो चुकी तो अब यहाँ से जाने की इजाज़त नहीं। (दुर्रेमुख़्तार,रद्दुल मुहतार)

मसअला :– सबक़ याद है तो यहाँ से अपने उस्ताद की मस्जिद को जा सकता है या कोई ज़रूरत हो और वापस होने का इरादा हो तो भी जाने की इजाज़त है जब कि ज़न्ने ग़ालिब हो यानी ज़्यादा ख़्याल हो कि जमाअ़त से पहले वापस आ जायेगा। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअला :– जिसने ज़ोहर या इशा की नमाज तन्हा पढ़ी हो उसे मस्जिद से चले जाने की मनाही उस वक़्त है कि इक़ामत शुरूअ़ हो गई तो हुक्म है कि जमाअ़त में नफ़्ल की नियत से शरीक हो जाये और मग़रिब व फ़ज्र व अ़स्र में उसे हुक्म है कि मस्जिद से बाहर चला जाये जबकि पढ़ ली हो। (दुर्रेमुख़्तार)

इमाम की मुख़ालिफ़त करने और जमाअ़त में शामिल होने के मसाइल

मसअला :– मुक़तदी ने दो सजदे किये और इमाम अभी पहले ही में था तो दूसरा सजदा न हुआ।

मसअला :– चार रकअ़त वाली नमाज़ जिसे एक रकअ़त इमाम के साथ मिली तो उसने जमाअ़त न पाई,हाँ जमाअ़त का सवाब मिलेगा अगर्चे क़ादा अख़ीरा में शामिल हुआ हो बल्कि जिसे तीन रकअ़तें मिलीं उसने भी जमाअ़त न पाई जमाअ़त का सवाब मिलेगा मगर जिस की कोई रकअ़त जाती रही उसे इतना सवाब न मिलेगा जितना अव्वल से शरीक होने वाले को है । इस मसअले का हासिल यह है कि किसी ने क़सम खाई फ़लाँ नमाज़ जमाअ़त से पढ़ेगा और रकअ़त जाती रही तो क़सम टूट गई कफ़्फ़ारा देना होगा तीन और दो रकअ़त वाली नमाज़ में भी एक रकअ़त न मिली तो जमाअ़त न मिली और लाहिक़ (जिसकी बीच की एक या ज़्यादा रकअ़त छुटी हो)का हुक्म पूरी जमाअ़त पाने वाले का है। (दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार)

मसअला :– इमाम रुकूअ़ में था किसी ने उसकी इक़्तिदा की और खड़ा रहा यहाँ तक कि इमाम ने सर उठा लिया तो वह रकअ़त नहीं मिली। लिहाज़ा इमाम के फ़ारिग़ होने के बअ़द उस रकअ़त को पढ़ ले और अगर इमाम को क़ियाम में पाया और उसके साथ रुकूअ़ में शरीक न हुआ तो पहले रुकूअ़ कर ले फिर और आफ़आल यानी और सारे काम इमाम के साथ करे और अगर पहले रुकूअ़ न किया बल्कि इमाम के साथ हो लिया फिर इमाम के फ़ारिग़ होने के बअ़द रुकूअ़ किया तो भी हो जायेगी मगर वाजिब के तर्क का गुनाह हुआ। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअला :– इसके रुकूअ़ करने से पहले इमाम ने सर उठा लिया कि इसे रकअ़त न मिली तो इस सूरत में नमाज़ तोड़ भी देना जाइज़ नहीं जैसा कि बाज़ जाहिल करते हैं बल्कि इस पर वाजिब है कि सजदे में इमाम की मुताबअ़त पैरवी करे अगर्चे यह सजदे रकअ़त में शुमार न होंगे। यूँही अगर सजदे में मिला जब भी साथ दे फिर भी अगर सजदे न किये तो नमाज़ फ़ासिद न होगी यहाँ तक कि अगर इमाम के सलाम के बअ़द इसने अपनी रकअ़त पढ़ ली नमाज़ हो गई मगर तर्के वाजिब का गुनाह हुआ।

मसअला :– इमाम से पहले रुकूअ़ किया मगर उस के सर उठाने से पहले इमाम ने भी रुकूअ़ किया तो रुकू हो गया बशर्ते कि इसने उस वक़्त रुकू किया हो कि इमाम बक़द्रे फ़र्ज़ क़िरात कर चुका हो वर्ना रुकू न हुआ और इस सूरत में इमाम के साथ या बअ़द अगर दोबारा रुकूअ़ करेगा हो जायेगी वर्ना नमाज़ जाती रही और इमाम से पहले रुकूअ़ ख़्वाह कोई रुक्न अदा करने में था और यह तकबीर कह कर झुका था कि इमाम खड़ा हो गया तो अगर हद्दे रुकूअ़ में शरीक हो गया अगर्चे क़लील (थोड़ा ही) तो रकअ़त मिल गई। (आलमगीरी)मुक़तदी ने तमाम रकअ़तों में रुकूअ़ व सुजूद इमाम से पहले किया तो सलाम के बाद ज़रूरी है कि एक रकअ़त बग़ैर क़िरात पढ़े और न पढ़ी तो नमाज़ न हुई और अगर इमाम के बाद रुकूअ़ व सुजूद किया तो नमाज़ हो गई और अगर रुकूअ़ पहले किया और सजदा साथ–साथ तो चारों रकअ़तें बग़ैर क़िरात पढ़े और अगर रुकूअ़ साथ किया और सजदा पहले तो दो रकअ़त बाद में पढ़े। (आलमगीरी)

क़ज़ा नामज़ का बयान

हदीस न.1 :– गज़वए ख़न्दक में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अ़लैहि वसल्लम की चार नमाज़े मुशरिकीन की वजह से जाती रहीं यहाँ तक कि रात का कुछ हिस्सा चला गया। बिलाल रदियल्लाहु तआला अन्हु को हुक्म फ़रमाया, उन्होंने अज़ान व इक़ामत कही। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अ़लैहि वसल्लम ने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी फिर इक़ामत कही तो अ़स्र की पढ़ी फिर इक़ामत कही तो मग़रिब की पढ़ी फिर इक़ामत कही तो इशा की पढ़ी।

हदीस न.2 :– इमाम अहमद ने अबी जुमआ हबीब इब्ने सब्बाअ़ से रिवायत की कि ग़ज़वए अहज़ाब में मग़रिब की नमाज़ पढ़ कर फ़ारिग़ हुए तो फ़रमाया किसी को मअ़लूम है मैंने अ़स्र की नमाज़ पढ़ी है? लोगों ने अ़र्ज़ की नहीं पढ़ी। मुअज़्ज़िन को हुक्म फ़रमाया उसने इक़ामत कही। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अ़लैहि वसल्लम ने अ़स्र की नमाज़ पढ़ी फिर मग़रिब का इआदा किया यानी दोबारा पढ़ी। तबरानी व बैहक़ी इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुम से रावी फ़रमाया जो शख़्स किसी नमाज़ को भूल जाये और याद उस वक़्त आये कि इमाम के साथ हो तो पूरी करे फिर भूली हुई पढ़े फिर उसको पढ़े जिस को इमाम के साथ पढ़ा। सही बुख़ारी मुस्लिम में है कि फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआला अ़लैहि वसल्लम जो नमाज़ से सो जाये या भूल जाये तो जब याद आये पढ़ ले कि वही उसका वक़्त है। सही मुस्लिम की रिवायत में यह भी है कि सोते में (अगर नमाज़ जाती रही) तो क़ुसूर नहीं क़ुसूर तो बेदारी में है।

मसअला :– बिला उ़ज़्रे शरई नमाज़ क़ज़ा कर देना बहुत सख़्त गुनाह है उस पर फ़र्ज़ है कि उसकी क़ज़ा पढ़े और सच्चे दिल से तौबा करे। तौबा या हज्जे मक़बूल से गुनाह माफ़ हो जायेगा।

मसअला :– तौबा जब ही सही है कि क़ज़ा पढ़ ले उसको तो अदा न करे तौबा किये जाये यह तौबा नहीं कि वह नमाज़ जो उसके ज़िम्मे थी उसका न पढ़ना तो अब भी बाक़ी है और जब गुनाह से बाज़ न आया तौबा कहाँ हुई। (दुर्रेमुख़्तार) हदीस में फ़रमाया गुनाह पर क़ाइम रहकर इस्तिग़फ़ार करने वाला उसके मिस्ल है जो अपने रब से ठट्ठा करता है।

नमाज़ क़ज़ा करने के उ़ज़्र

मसअला :– दुश्मन का ख़ौफ़ नमाज़ क़ज़ा कर देने के लिए उ़ज़्र है। मसलन मुसाफ़िर को चोर और डाकूओं का सही अंदेशा है तो इसकी वजह से वक़्ती नमाज़ क़ज़ा कर सकता है बशर्ते कि किसी तरह नमाज़ पढ़ने पर क़ादिर न हो और अगर सवार है और सवारी पर पढ़ सकता है अगर्चे चलने ही की हालत में या बैठ कर पढ़ सकता है तो उ़ज़्र न हुआ, यूँही अगर क़िब्ले को मुँह करता है तो दुश्मन का सामना होता है तो जिस रूख़ बन पड़े पढ़ ले हो जायेगी वर्ना नमाज़ क़ज़ा करने का गुनाह हुआ। (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– जनाई (दाई) नमाज़ पढ़ेगी तो बच्चे के मर जाने का अंदेशा है नमाज़ क़ज़ा करने के लिए यह उ़ज़्र है। बच्चे का सर बाहर आ गया और निफ़ास से पहले वक़्त ख़त्म हो जायेगा तो इस हालत में भी माँ पर नमाज पढ़ना फ़र्ज है ,न पढ़ेगी गुनाहगार होगी। किसी बर्तन में बच्चे का सर रख कर जिससे उसको सदमा न पहुँचे नमाज़ पढ़े मगर इस तरकीब से पढ़ने में भी बच्चे के मर जाने का अंदेशा हो तो ताख़ीर (देर) मुआफ़ है निफ़ास ख़त्म हो जाने के बाद इस नमाज़ की क़ज़ा पढ़े (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– जिस चीज़ का बन्दों पर हुक्म है उसे वक़्त पर बजा लाने को अदा कहते हैं और वक़्त के बाद अमल में लाना क़ज़ा है और उस हुक्म में बजा लाने में कोई ख़राबी पैदा हो जाये तो दोबारा वह ख़राबी दफ़ा करने के लिए करना इआदा है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअला :– वक़्त में अगर तहरीमा बाँध लिया नमाज़ क़ज़ा न हुई बल्कि अदा है (दुर्रे मुख़्तार)मगर नमाज़े फ़ज्र व जुमा व ईदैन की इनमें सलाम से पहले भी अगर वक़्त निकल गया नमाज़ जाती रही

मसअला :– सोते में या भूल से नमाज़ क़ज़ा हो गई तो उसकी क़ज़ा पढ़नी फ़र्ज़ है अलबत्ता क़ज़ा का गुनाह उस पर नहीं मगर बेदार होने और याद आने पर अगर वक़्ते मकरूह न हो तो उस वक़्त पढ़ ले ताख़ीर (देर करना) मकरूह है कि हदीस में इरशाद फ़रमाया नमाज़ से भूल जाये या सो जाये तो याद आने पर पढ़ ले कि वही उसका वक़्त है। (आलमगीरी वग़ैरा) मगर दुख़ूले वक़्त के बाद (यानी वक़्त शुरू होने के बाद) सो गया फिर वक़्त निकल गया तो क़तअ़न गुनहगार हुआ जबकि जागने पर सही एअ़तिमाद न हो या जगाने वाला मौजूद न हो बल्कि फ़ज्र में दुख़ूले वक़्त से पहले भी सोने की इजाज़त नहीं हो सकती जबकि अक्सर हिस्सा रात का जागने में गुज़रा और ज़न है (यानी ग़ालिब गुमान है)कि अब सो गया तो वक़्त में आँख न खुलेगी तो भी सोने की इजाज़त नहीं।

मसअला :– कोई सो रहा है या नमाज़ पढ़ना भूल गया तो जिसे मालूम हो उस पर वाजिब है कि सोते को जगा दे और भूले हुए को याद दिला दे। (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– जब यह अंदेशा हो कि सुबह की नमाज़ जाती रहेगी तो बिला ज़रूरत शरइय्या उसे रात देर तक जागना मना है। (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– फ़र्ज की क़ज़ा फ़र्ज है और वाजिब की क़ज़ा वाजिब और सुन्नत की क़ज़ा सुन्नत यानी वह सुन्नतें जिनकी क़ज़ा है मसलन फ़ज्र की सुन्नतें जबकि फ़र्ज़ भी फ़ौत हो गया हो और ज़ोहर की पहली सुन्नतें जबकि ज़ोहर का वक़्त बाक़ी हो। (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार)

मसअला :– क़ज़ा के लिए कोई वक़्त मुअ़य्यन (मुक़र्रर)नहीं। उम्र में जब भी पढ़ेगा बरीउज़्ज़िम्मा हो जायेगा। तुलू व ग़ुरूब और ज़वाल के वक़्त कि इन तीन वक़्तों में नमाज़ जाइज़ नहीं। यानी इन तीन वक़्तों के अ़लावा उम्र में किसी भी नमाज की क़ज़ा किसी भी वक़्त पढ़ सकता है (आलमगीरी)

मसअला :– मजनून (पागल) की हालते जुनून (पगलई)में जो नमाज़ें फ़ौत हुईं अच्छे होने के बाद उनकी क़ज़ा वाजिब नहीं जबकि जुनून नमाज़ के छह वक़्ते कामिल तक (यानी पूरे छः वक़्त)जुनून बराबर रहा हो। (आलमगीरी)

मसअला :– जो शख़्स मआज़ल्लाह मुरतद हो गया फिर इस्लाम लाया तो ज़मानए इर्तेदाद (इस्लाम से फिर जाने के ज़माना)की नमाज़ों की क़ज़ा नहीं और मुर्तद होने से पहले ज़मानए इस्लाम में जो नमाज़ें जाती रही थीं उनकी क़ज़ा वाजिब है। (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– दारुलहरब में कोई शख़्स मुसलमान हुआ और अहकामे शरीअ़त यानी नमाज़,रोज़ा ज़कात वग़ैरा की उसको इत्तिलाअ़ न हुई तो जब तक वहाँ रहा उन दिनों की क़ज़ा उस पर वाजिब नहीं और जब दारुल इस्लाम में आ गया तो अब जो नमाज़ क़ज़ा होगी उसे पढ़ना फ़र्ज़ है कि दारुलइस्लाम में अहकाम का न जानना उ़ज़्र नहीं और किसी एक शख़्स ने भी उसे नमाज़ फ़र्ज़

होने की इत्तिलाअ् दे दी अगर्चे फ़ासिक या बच्चा या औरत या गुलाम ने तो अब जितनी न पढ़ेगा उनकी क़ज़ा वाजिब है। दारुल इस्लाम में मुसलमान हुआ तो जो नमाज़ें फ़ौत हुईं उसकी क़ज़ा वाजिब है अगर्चे कहे कि मुझे इसका इल्म न था (दुर्रे मुख्तार)

मसअला :– ऐसा मरीज़ कि इशारे से भी नमाज़ नहीं पढ़ सकता अगर यह हालत पूरे छः वक़्त तक रही तो इस हालत में जो नमाज़ें फ़ौत हुईं उनकी क़ज़ा वाजिब नहीं। (आलमगीरी)

मसअला :– जो नमाज़ जैसी फ़ौत हुई उसकी क़ज़ा वैसी ही पढ़ी जायेगी मसलन सफ़र में नमाज़ क़ज़ा हुई तो चार रकअ़त वाली दो ही पढ़ी जायेंगी अगर्चे इक़ामत की हालत में पढ़े और हालते इक़ामत में फ़ौत हुई तो चार रकअ़त वाली की क़ज़ा चार रकअ़त हैं अगर्चे सफ़र में पढ़े। अलबत्ता क़ज़ा पढ़ने के वक़्त कोई उज़्र है तो उसका एअ्तिबार किया जायेगा मसलन जिस वक़्त फ़ौत हुई थी उस वक़्त खड़ा होकर पढ़ सकता था और अब क़ियाम नहीं कर सकता तो बैठ कर पढ़े या इस वक़्त इशारे ही से पढ़ सकता है तो इशारे से पढ़े और सेहत के बाद उसका इआदा नहीं।(आलमगीरी)

मसअला :– लड़की इशा की नमाज़ पढ़ कर या बे पढ़े सोई आँख खुली तो मअ्लूम हुआ कि पहला हैज़ आया तो उस पर वह इशा फ़र्ज़ नहीं और एहतिलाम में बालिग़ हुई तो उसका हुक्म वह है जो लड़के का है पौ फटने से पहले आँख खुली तो उस वक़्त की नमाज़ फ़र्ज़ है अगर्चे पढ़ कर सोई और पौ फटने के बाद आँख खुली तो इशा की नमाज़ लौटाये और उम्र से बालिग़ हुई यानी उसकी उम्र पूरे पन्द्रह साल की हो गई तो जिस वक़्त पूरे पन्द्रह साल की हुई उस वक़्त की नमाज़ उस पर फ़र्ज़ है अगर्चे पहले पढ़ चुकी हो। (आलमगीरी वग़ैरा)

क़ज़ा नमाज़ों में तरतीब वाजिब है

मसअला :– पाँचों फ़र्ज़ों में बाहम (यानी आपस में) और फ़र्ज़ व वित्र में तरतीब ज़रूरी है कि पहले फ़ज्र फिर ज़ोहर फिर अस्र फिर मग़रिब फिर इशा फिर वित्र पढ़े ख़्वाह यह सब क़ज़ा हों या बअ्ज़ (कुछ) अदा बाज़ क़ज़ा मसलन ज़ोहर की क़ज़ा हो गई तो फ़र्ज़ है कि इसे पढ़कर अस्र पढ़े या वित्र क़ज़ा हो गया तो उसे पढ़कर फ़ज्र पढ़े अगर याद होते हुए अस्र या फ़ज्र की पढ़ ली तो नाजाइज़ है। (आलमगीरी वग़ैरा)

मसअला :– अगर वक़्त में इतनी गुंजाइश नहीं कि वक़्ती और क़ज़ायें सब पढ़ ले तो वक़्ती और क़ज़ा नमाज़ों में जिस की गुंजाइश हो पढ़े बाक़ी में तरतीब साक़ित है मसलन इशा व वित्र क़ज़ा हो गये और फ़ज्र के वक़्त में पाँच रकअ़त की गुंजाइश है तो वित्र व फ़ज्र पढ़े और छह रकअ़त की वुसअ़त है तो इशा व फ़ज्र पढ़े। (शरहे विक़ाया)

मसअला :– तरतीब के लिए मुतलक़ वक़्त का एअ्तिबार है मुस्तहब वक़्त होने की ज़रूरत नहीं तो जिसकी ज़ोहर की नमाज़ क़ज़ा हो गई और आफ़ताब ज़र्द होने से पहले ज़ोहर से फ़ारिग़ नहीं हो सकता मगर आफ़ताब डूबने से पहले दोनों पढ़ सकता है तो ज़ोहर पढ़े फिर अस्र। (रद्दुलमुहतार)

मसअला :– अगर वक़्त में इतनी गुन्जाइश है कि मुख़्तसर तौर पर पढ़े तो दोनों पढ़ सकता है और उमदा तरीक़े से पढ़े तो दोनों नमाज़ों की गुंजाइश नहीं तो इस सूरत में भी तरतीब फ़र्ज़ है और बक़द्रे जवाज़ जहाँ तक इख़्तिसार कर सकता है करे। (आलमगीरी)

मसअला :– वक़्त की तंगी से तरतीब साक़ित होना उस वक़्त है कि शुरूअ् करते वक़्त, वक़्त तंग

हो अगर शुरूअ् करते वक़्त गुन्जाइश थी और यह याद था इस वक़्त से पहले की नमाज़ क़ज़ा हो गई है और नमाज़ में तूल दिया (बढ़ाया) कि अब वक़्त तंग हो गया तो यह नमाज़ न होगी हाँ अगर तोड़ कर फिर से पढ़े तो हो जायेगी और अगर क़ज़ा नमाज़ याद न थी और वक़्ती नमाज़ में तूल दिया कि वक़्त तंग हो गया अब याद आ गई तो हो गई,क़ता न करे यानी तोड़े नहीं। (आलमगीरी)

मसअला :– वक़्त तंग होने न होने में इसके गुमान का एअ्तिबार नहीं बल्कि यह देखा जायेगा कि हक़ीक़तन वक़्त तंग था या नहीं मसलन जिसकी नमाज़े इशा क़ज़ा हो गई और फ़ज्र का वक़्त तंग होना गुमान कर के फ़ज्र की पढ़ ली फिर यह मअ्लूम हुआ कि वक़्त तंग न था तो नमाज़े फ़ज्र न हुई अब अगर दोनों की गुन्जाइश हो तो इशा पढ़कर फिर फ़ज्र पढ़े वर्ना फ़ज्र पढ़ ले। अगर दोबारा फिर ग़लती मालूम हुई तो वही हुक्म है यानी दोनों पढ़ सकता है तो दोनों पढ़े वर्ना सिर्फ़ फ़ज्र पढ़े और अगर फ़ज्र को न लौटाया इशा पढ़ने लगा और बक़द्रे तशह्हुद बैठने न पाया था कि आफ़ताब निकल आया तो फ़ज्र की नमाज़ जो पढ़ी थी हो गई। यूँ ही अगर फ़ज्र की नमाज़ क़ज़ा हो गई और ज़ोहर के वक़्त में दोनों नमाज़ों की गुन्जाइश उसके गुमान में नहीं है और ज़ोहर पढ़ ली फिर मअ्लूम हुआ कि गुन्जाइश है तो ज़ोहर न हुई फ़ज्र पढ़ कर ज़ोहर पढ़े यहाँ तक कि अगर फ़ज्र पढ़ कर ज़ोहर की एक रकअ़त पढ़ सकता है तो फ़ज्र पढ़कर ज़ोहर शुरूअ् करे।(आलमगीरी)

मसअला :– जुमे के दिन फ़ज्र की नमाज़ क़ज़ा हो गई अगर फ़ज्र पढ़ कर जुमे में शरीक हो सकता है तो फ़र्ज़ है कि पहले फ़ज्र पढ़े अगर्चे ख़ुतबा होता हो और अगर जुमा न मिलेगा मगर ज़ोहर का वक़्त बाक़ी रहेगा जब भी फ़ज्र पढ़ कर ज़ोहर पढ़े और अगर ऐसा है कि फ़ज्र पढ़ने में जुमा भी जाता रहेगा और जुमे के साथ वक़्त भी ख़त्म हो जायेगा तो जुमा पढ़ ले फिर फ़ज्र पढ़े इस सूरत में तरतीब साक़ित है यानी अब तरतीब की ज़रूरत नहीं। (आलमगीरी)

मसअला :– अगर वक़्त की तंगी के सबब तरतीब साक़ित हो गई और वक़्ती नमाज़ पढ़ रहा था कि इसी बीच नमाज़ ही में वक़्त ख़त्म हो गया तो तरतीब औद न करेगी यानी वक़्ती नमाज़ हो गई। (आलमगीरी) मगर फ़ज्र व जुमे में कि वक़्त निकल जाने से यह खुद ही नहीं हुई।

मसअला :– क़ज़ा नमाज़ याद न रही और वक़्तिया (यानी जिस नमाज़ का वक़्त था) पढ़ ली,पढ़ने के बअ्द याद आई तो वक़्तिया हो गई और पढ़ने में याद आई तो गई।

मसअला :– अपने को बा वुज़ू गुमान कर के ज़ोहर पढ़ी फिर वुज़ू करके अस्र पढ़ी फिर मालूम हुआ कि ज़ोहर में वुज़ू न था तो अस्र की हो गई सिर्फ़ ज़ोहर को लौटाये।-(आलमगीरी)

मसअला :– फ़ज्र की नमाज़ क़ज़ा हो गई और याद होते हुए ज़ोहर की पढ़ ली फिर फ़ज्र की पढ़ ली तो ज़ोहर की न हुई। अस्र पढ़ते वक़्त ज़ोहर की याद थी मगर अपने गुमान में ज़ोहर को जाइज़ समझा था तो अस्र की हो गई। ग़रज़ यह है कि फ़र्ज़ियत की तरतीब से जो नावाक़िफ़ है उसका हुक्म भूलने वाले की मिस्ल है कि उसकी नमाज़ हो जायेगी। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– छः नमाज़ें जबकि क़ज़ा हो गईं कि छटी का वक़्त ख़त्म हो गया उस पर तरतीब फ़र्ज़ नहीं। अब अगर्चे बावुजूद वक़्त की गुंजाइश और याद के वक़्ती पढ़ेगा हो जायेगी ख़्वाह वह सब एक साथ क़ज़ा हुई मसलन एक दम से छः वक़्तों की न पढ़ीं या मुतफ़र्रिक़ तौर पर क़ज़ा हुई(यानी अलग –अलग दिनों या वक़्तों में)मसलन छह दिन फ़ज्र की नमाज़ न पढ़ी और बाक़ी नमाज़ें पढ़ता रहा

मगर इनके पढ़ते वक़्त वह कज़ायें भूला हुआ था ख़्वाह वह सब पुरानी हों या बाज़ (कुछ)नई और बाज़ पुरानी मसलन एक महीने की नमाज़ न पढ़ी फिर पढ़नी शुरू की फिर एक वक़्त की क़ज़ा हो गई तो उसके बाद की नमाज़ हो जायेगी अगर्चे इसका क़ज़ा होना याद हो।(दुर्रे मुख़्तार,रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला :– जब छः नमाजें क़ज़ा होने के सबब तरतीब साक़ित हो गई तो उन में से अगर बअ्ज़ पढ़ली कि छः से कम रह गईं तो वह तरतीब औद न करेगी यानी अगर उन में से दो बाक़ी हों तो बावुजूद याद के वक़्ती नमाज हो जायेगी अलत्ता अगर सब क़ज़ाएं पढ़लीं तो अब फिर साहिबे तरतीब हो गया कि अब अगर कोई नमाज़ क़ज़ा हो तो गुज़री हुई शर्तों के साथ उसे पढ़े वर्ना न होगी।(दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– यूँहीं अगर भूलने या वक़्त की तंगी के सबब तरतीब साक़ित हो गई तो वह भी औद न करेगी यानी अब तरतीब का हुक्म फिर नहीं होगा मसलन भूल कर नमाज़ पढ़ ली अब याद आया तो नमाज़ का लौटान्ना नहीं अगर्चे वक़्त में बहुत कुछ गुंजाइश हो। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– बावुजूद याद और गुन्जाइशे वक़्त के वक़्ती नमाज़ की निस्बत जो कहा गया कि न होगी उससे मुराद यह है कि वह नमाज़ मौकूफ़ है अगर वक़्ती पढ़ता गया और क़ज़ा रहने दी तो जब दोनों मिलकर छः हो जायेंगी यानी छठी का वक़्त ख़त्म हो जायेगा तो सब सही हो गईं और इस दरमियान में क़ज़ा पढ़ लीं तो सब गईं यानी नफ़्ल हो गईं सब को फिर से पढ़े। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– बअ्ज़ (कुछ) नमाज़ पढ़ते वक़्त क़ज़ा याद थी और बअ्ज़ में याद न रही तो जिन में क़ज़ा याद है उन में पाँचवीं का वक़्त ख़त्म हो जाये यानी क़ज़ा समेत छठी का वक़्त हो जाये तो अब सब हो गईं और जिनके अदा करते वक़्त क़ज़ा की याद न थी उनका एअ्तिबार नहीं।(रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला :– औरत की एक नमाज़ क़ज़ा हुई उसके बाद हैज़ आ गया तो हैज़ से पाक होकर पहले क़ज़ा पढ़ ले फिर वक़्ती पढ़े अगर क़ज़ा याद होते हुए वक़्ती पढ़ेगी न होगी जबकि वक़्त में गुन्जाइश हो। (आलमगीरी)

क़ज़ा–ए–उम्री–के मसाइल

मसअ्ला :– जिसके ज़िम्मे क़ज़ा नमाज़ें हों अगर्चे उनका पढ़ना जल्द से जल्द वाजिब है मगर बाल बच्चों की परवरिश वग़ैरा और अपनी जरूरियात की फ़राहमी के सबब ताख़ीर (देर)जाइज़ है तो कारोबार भी करे और जो वक़्त फ़ुर्सत का मिले उसमें क़ज़ा पढ़ता रहे यहाँ तक कि पूरी हो जायें। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला :– क़ज़ा नमाजें नवाफ़िल से अहम हैं यानी जिस वक़्त नफ़्ल पढ़ता है उन्हें छोड़ कर उनके बदले क़ज़ायें पढ़े कि बरीउज़्ज़िम्मा हो जाये अलबत्ता तरावीह और बारह रकअ्तें सुन्नते मुअक्कदा की न छोड़े। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– मन्नत की नमाज में किसी ख़ास वक़्त या दिन की क़ैद लगाई तो उसी वक़्त या दिन में पढ़नी वाजिब है वर्ना क़ज़ा हो जायेगी और वक़्त या दिन मोअ्य्यन नहीं तो गुन्जाइश है।(दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– किसी शख़्स की एक नमाज़ क़ज़ा हो गई और यह याद नहीं कि कौन सी नमाज़ थी तो एक दिन की सब नमाज़ें पढ़े। यूँही अगर दो नामज़ें दो दिन में क़ज़ा हुईं तो दोनों दिनों की सब नमाज़ें पढ़े। यूँही तीन दिन की सब नमाज़ें और पाँच दिन की सब नमाज़ें। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– एक दिन अस्र की और एक दिन ज़ोहर की क़ज़ा हो गई और यह याद नहीं कि पहले दिन की कौन नमाज़ है तो जिधर तबीअत जमे उसे पहली क़रार दे और किसी तरफ़ दिल नहीं

जमता तो जो चाहे पहले पढ़े मगर दूसरी पढ़ने के बाद जो पहले पढ़ी है फेरे और बेहतर यह है कि पहले ज़ोहर पढ़े फिर अस्र फिर ज़ोहर का इआदा करे यानी लौटाये और अगर पहले अस्र पढ़ी फिर ज़ोहर फिर अस्र का इआदा किया तो भी हरज नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– अस्र की नमाज़ पढ़ने में याद आया कि नमाज़ का एक सजदा रह गया मगर यह याद नहीं कि इसी नमाज का रह गया या ज़ोहर का तो जिधर दिल जमे उस पर अमल करे और किसी तरफ़ दिल न जमे तो अस्र पूरी कर के आख़िर में एक सजदए सहव करे फिर ज़ोहर का इआदा करे फिर अस्र का और इआदा न किया तो भी हरज नहीं (आलमगीरी)

नमाज़ के फ़िदया के मसाइल

मसअ्ला :– जिसकी नमाज़ें क़ज़ा हो गईं और इन्तिक़ाल हो गया तो अगर वसीयत कर गया और माल भी छोड़ा तो उसकी तिहाई से हर फ़र्ज़ व वित्र के बदले निस्फ़ साअ् गेहूँ या एक साअ जौ तसद्दुक (सदक़ा) करें। और माल न छोड़ा और वुरसा फ़िदया देना चाहें तो कुछ माल अपने पास से या क़र्ज़ लेकर मिस्कीन पर तसद्दुक़ करके उसके क़ब्ज़े में दें और मिस्कीन अपनी तरफ़ से उसे हिबा कर दे और यह कब्ज़ा भी कर ले फिर यह मिस्कीन को दे, यूँही लौट फेर करते रहें यहाँ तक कि सबका फ़िदया अदा हो जाये और अगर माल छोड़ा मगर वह नाकाफ़ी है जब भी यही करें और अगर वसीयत न की और वली अपनी तरफ़ से बतौरे एहसान फ़िदया देना चाहे तो दे और अगर माल की तिहाई बकदे काफ़ी है और वसीयत यह की कि इसमें से थोड़ा लेकर लौट फेर करके फ़िदया पूरा कर लें और बाक़ी को वुरसा या और कोई ले ले तो गुनाहगार हुआ।(दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– मय्यत ने वली को अपने बदले नमाज़ पढ़ने की वसीयत की और वली ने पढ़ भी ली तो यह नाकाफ़ी है। यूँही अगर मरज़ की हालत में नमाज़ का फ़िदया दिया तो अदा न हुआ।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला :– बअ्ज़ नावकिफ़ यूँ फिदया देते हैं नमाज़ों के फिदये की क़ीमत लगाकर सबके बदले में क़ुर्आन मजीद दे देते हैं। इस तरह कुल फिदया अदा नहीं होता यह सिर्फ़ बे–अस्ल बात है बल्कि सिर्फ़ उतना ही अदा होगा जिस क़ीमत का मुसहफ़ शरीफ़ है।

मसअ्ला :– शाफ़िई मज़हब की नमाज़ क़ज़ा हुई उसके बाद हनफ़ी हो गया तो हनफ़ियों के तौर पर क़ज़ा पढ़े। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– जिसकी नमाज़ों में नुक़सान व कराहत हो वह तमाम उम्र की नमाज़ें फेरे तो अच्छी बात है और कोई ख़राबी न हो तो न चाहिये और करे तो फ़ज्र अस्र के बाद न पढ़े और तमाम रकअ्तें भरी पढ़े और वित्र में क़ुनूत पढ़ कर तीसरी के बाद क़अ्दा करे फिर एक और मिलाये कि चार हो जायें। यह इसलिए है कि अब जो नामज़ें पढ़ रहा है वह नफ़्ल की तरह हैं लिहाज़ा नफ़्ल के अहकाम लागू होंगे और नफ़्ल नमाज़ में हर दो रकअ्त के बाद क़अ्दा ज़रूरी है लिहाज़ा तीन रकअ्त को चार बना लेना चाहिए। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– क़ज़ाए उमरी कि शबे क़द्र या रमज़ान के आख़िरी जुमा में जमाअ्त से पढ़ते हैं और यह समझते हैं कि उम्र भर की क़ज़ाएं इसी एक नमाज़ से अदा हो गईं यह सिर्फ़ ग़लत अक़ीदा है।

सजदए सहव का बयान

हदीस में है एक बार हुजूर स़ल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम दो रकअ़त पढ़ कर खड़े हो गये बैठे नहीं फिर सलाम के बाद सजदए सहव किया उस हदीस को तिर्मिज़ी ने मुग़ीरह इब्ने शोअ़बा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवयात किया और फ़रमाया कि यह हदीस हसन सही है।

मसअ्ला :– वाजिबाते नमाज़ में जब कोई वाजिब भूले से रह जाये तो उसकी तलाफ़ी यानी कमी को पूरा करने के लिए सजदए सहव वाजिब है और उसका त़रीक़ा यह है कि अत्तहीय्यात के बाद दाहिनी त़रफ़ सलाम फेर कर दो सजदे करे फिर तशहहुद वग़ैरा पढ़कर सलाम फेरे। (आम्मए कुतुब)

मसअ्ला :– अगर बग़ैर सलाम फेरे सजदे कर लिये काफ़ी हैं मगर ऐसा करना मकरूहे तन्ज़ीही है

मसअ्ला :– क़स्दन वाजिब तर्क किया तो सजदए सहव से वह नुक़सान दफ़अ् न होगा बल्कि इआ़दा वाजिब है। यूँही अगर सहवन (भूल कर)वाजिब तर्क हुआ और सजदए सहव न किया जब भी लौटाना वाजिब है। (दुर्रेमुख़्तार वग़ैरा)

मसअ्ला :– कोई ऐसा वाजिब तर्क हो जो वाजिबाते नमाज़ से नहीं बल्कि उसका वुजूब अम्रे ख़ारिज से हो (यानी नामज़ के बाहर वह चीज़ वाजिब हो)तो सजदए सहव वाजिब नहीं मसलन ख़िलाफ़े तरतीब क़ुर्आन मजीद पढ़ना तर्के वाजिब है मगर तरतीब के मुवाफ़िक़ पढ़ना वाजिबाते तिलावत से है वाजिबाते नमाज़ से नहीं। लिहाज़ा सजदए सहव नहीं। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– फ़र्ज़ तर्क हो जाने से नमाज़ जाती रहती है सजदए सहव से उसकी तलाफ़ी नहीं हो सकती। लिहाज़ा फिर पढ़े और सुनन व मुस्तहब्बात मसलन तअ़व्वुज़(अऊज़ुबिल्लाह),तस्मीया, (बिस्मिल्लाह),सना (सुब्हाना),आमीन तकबीराते इन्तिक़ालात (तकबीरें),तस्बीहात के तर्क से भी सजदए सहव नहीं बल्कि नमाज़ हो गई। (रद्दुलमुहतार ग़ुनिया)मगर लौटाना मुस्तहब है सहवन तर्क किया हो या क़स्दन।

मसअ्ला :– सजदए सहव उस वक़्त वाजिब है कि वक़्त में गुन्जाइश हो और अगर न हो मसलन नमाज़े फ़ज्र में सहव वाक़ेअ् हुआ और पहला सलाम फेरा और सजदा अभी न किया कि आफ़ताब तुलूअ् कर आया तो सजदए सहव साक़ित हो गया। यूँही अगर क़ज़ा पढ़ता था और सजदे से पहले क़ुर्से आफ़ताब (सूरज ज़र्द (पीला) हो गया सजदए सहव साक़ित हो गया। जुमा या ईदैन का वक़्त जाता रहेगा जब भी यही हुक्म है। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– जो चीज़ मानेए बिना है (बिना का बयान तीसरे हिस्से में गुज़रा)यानी उसके बाद बिना नहीं हो सकती मसलन कलाम वग़ैरा मुनाफ़ीए नमाज़ अगर सलाम के बाद पाई तो अब सजदए सहव नहीं हो सकता। (आलमगीरी,रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– सजदए सहव का साक़ित होना अगर इसके फ़ेअ्ल से है तो लौटाना वाजिब है वरना नहीं। (रद्दुलमुहतार)

नोट :– यह अल्लामा शामी की बहस है और आलाहज़रत रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु ने हाशिया रद्दुल मुहतार में यह साबित किया कि बहर हाल इआ़दा (लौटाना) है।

मसअ्ला :– फ़र्ज व नफ़्ल दोनों का एक हुक्म है यानी नवाफ़िल में भी वाजिब तर्क होने से सजदए सहव वाजिब है। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– नफ़्ल की दो रकअ़तें पढ़ीं और इनमें सहव (भूल) हुआ फिर इसी पर बिना कर के दो

रकअ़तें और पढ़ीं तो सजदए सहव करे और फ़र्ज़ में सहव हुआ था और इस पर क़स्दन नफ़्ल की बिना की तो सजदए सहव नहीं बल्कि फ़र्ज़ का इआ़दा करे और अगर इस फ़र्ज़ के साथ सहवन नफ़्ल मिलाया हो मसलन चार रकअ़त पर क़अ़दा करके खड़ा हो गया और पाँचवीं का सजदा कर लिया तो एक रकअ़त और मिलाये कि यह दो हो जायें और इनमें सजदए सहव करे।(रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– सजदए सहव के बाद भी अत्तहीय्यात पढ़ना वाजिब है अत्तहीयात पढ़ कर सलाम फेरे और बेहतर यह है कि दोनों क़अ़दों में दुरूद शरीफ़ भी पढ़े। (आलमगीरी) और यह भी इख़्तियार है कि पहले क़अ़दा में अत्तहीय्यात व दुरूद पढ़े और दूसरे में सिर्फ़ अत्तहीय्यात।

मसअ्ला :– सजदए सहव से वह पहला क़अ़दा बातिल न हुआ मगर फिर क़अ़दा करना वाजिब है और अगर नमाज़ का कोई सजदा बाक़ी रह गया था क़अ़दे के बाद उसको किया या सजदए तिलावत किया तो वह क़अ़दा जाता रहा अब फिर क़अ़दा फ़र्ज़ है कि बग़ैर क़अ़दा नमाज़ ख़त्म कर दी तो न हुई और पहली सूरत में हो जायेगी मगर वाजिबुल इआ़दा यानी उसका लौटाना वाजिब है। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअ्ला :– एक नमाज़ में चन्द वाजिब तर्क हुए तो वही दो सजदे सब के लिए काफ़ी हैं। (रद्दुल मुहतार वग़ैरा)वाजिबाते नमाज़ का मुसलसल बयान पहले (तीसरे हिस्से में) हो चुका मगर तफ़सीले अहकाम के लिए इआ़दा बेहतर। वाजिब की ताख़ीर,रुक्न की तक़दीम यानी सजदा पहले करना फिर रुकूअ् करना वग़ैरा या ताख़ीर (देर) या उसको मुकर्रर करना (दो बार करना)या वाजिब में तग़य्युर (बदलाव) यह सब भी तर्के वाजिब हैं।

मसअ्ला :– फ़र्ज़ की पहली दो रकअ़तों में और नफ़्ल व वित्र की किसी रकअ़त में सूरए फ़ातिहा शरीफ़ की एक आयत भी रह गई या सूरत से पहले दो बार फ़ातिहा शरीफ़ पढ़ी या सूरत मिलाना भूल गया या सूरत को फ़ातिहा पर मुकद्दम किया (यानी पहले सूरत फिर फ़ातिहा पढ़ी)या सूरए फ़ातिहा के बाद एक या दो छोटी आयतें पढ़ कर रुकूअ् में चला गया फिर याद आया और लौटा और तीन आयतें पढ़ कर रुकूअ् किया तो इन सब सूरतों में सजदए सहव वाजिब है(दुर्रेमुख़्तार,आलमगीरी)

मसअ्ला :– सूरए फ़ातिहा शरीफ़ के बाद सूरत पढ़ी उसके बाद फिर अलहम्दु पढ़ी तो सजद–ए–सहव वाजिब नहीं यूहीं फ़र्ज़ की पिछली रकअ़तों में फ़ातिहा की तकरार से मुतलक़न सजदए सहव वाजिब नहीं और अगर पहली रकअ़तों में सूरए फ़ातिहा का ज़्यादा हिस्सा पढ़ लिया था फिर इआ़दा किया तो सजदए सहव वाजिब है। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– सूरए फ़ातिहा पढ़ना भूल गया और सूरत शुरूअ् कर दी और एक आयत के बराबर पढ़ली अब याद आया तो अलहम्दु पढ़ कर सूरत पढ़े और सजदा सहव वाजिब है। यूँही अगर सूरत पढ़ने के बाद या रुकू में या रुकूअ् से खड़े होने के बाद याद आया तो फिर सूरए फ़ातिहा पढ़कर सूरत पढ़े और रुकूअ् का इआ़दा करे और सजदए सहव करे। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– फ़र्ज़ की पिछली रकअ़तों में सूरत मिलाई तो सजदए सहव नहीं और क़स्दन मिलाई जब भी हरज नहीं मगर इमाम को न चाहिए। यूँही अगर पिछली में सूरए फ़ातिहा न पढ़ी जब भी सजदए सहव नहीं और रुकूअ् व सुजूद व क़अ़दा में क़ुर्आन पढ़ा तो सजदा–सहव वाजिब है। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– आयते सजदा पढ़ी और सजदा करना भूल गया तो सजदए तिलावत अदा करे और सजदए सहव करे। (आलमगीरी)

मसअला :— जो फ़ेअ्ल नमाज़ में मुकर्रर (बार–बार)हैं उनमें तरतीब वाजिब है। लिहाज़ा ख़िलाफ़े तरतीब फ़ेअ्ल वाक़ेअ् हो तो सजदए सहव करे मसलन क़िरात से पहले रुकूअ् कर दिया और रुकूअ् के बअ्द क़िरात न की तो नमाज़ फ़ासिद हो गई कि फ़र्ज़ तर्क हो गया और रुकूअ् के बाद क़िरात तो की मगर फिर रुकूअ् न किया तो भी फ़ासिद हो गई कि क़िरात की वजह से रुकूअ् जाता रहा और अगर बक़द्रे फ़र्ज़ क़िरात करके रुकूअ् किया मगर वाजिबे क़िरात अदा न हुआ मसलन सूरए फ़ातिहा न पढ़ी या सूरत न मिलाई तो। हुक्म यही है कि लौटे और सूरए फ़ातिहा व सूरत पढ़कर रुकूअ् करे और सजदए सवह करे और अगर दोबारा रुकू न किया तो नमाज़ जाती रही कि पहला रुकूअ् जाता रहा। (रद्दुल मुहतार)

मसअला :— किसी रकअ्त का कोई सजदा रह गया आख़िर में याद आया तो सजदा करे फिर अत्तहीय्यात पढ़कर सजदए सहव करे और सजदए सहव के पहले जो अफ़आले नमाज़ अदा किये बातिल न होंगे। हाँ अगर क़अ्दा के बाद वह नमाज़ वाला सजदा किया तो सिर्फ़ वह क़अ्दा जाता रहा। (आलमगीरी,दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :— तअ्दीले अरकान(रुक्न अदा करने में अद्ल करना) से नमाज़ अदा करना भूल गया सजदए सहव वाजिब है। (आलमगीरी)

मसअला :— फ़र्ज़ में क़अ्दए ऊला भूल गया तो जब तक सीधा खड़ा न हुआ लौट आये और सजदए सहव नहीं और अगर सीधा खड़ा हो गया तो न लौटे और आख़िर में सजदए सहव करे और अगर सीधा खड़ा होकर लौटा तो सजदए सहव करे और सही मज़हब में नमाज़ हो जायेगी मगर गुनाहगार हुआ। लिहाज़ा हुक्म है कि अगर लौटे तो फ़ौरन खड़ा हो जाये। (दुर्रे मुख़्तार गुनिया)

मसअला :— अगर मुक़तदी भूल कर खड़ा हो गया तो ज़रूरी है कि लौट आये ताकि इमाम की मुख़ालफ़त न हो। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :— क़अ्दए अख़ीरा भूल गया तो जब तक उस रकअ्त का सजदा न किया हो लौट आये और सजदए सहव करे और अगर क़अ्दए अख़ीरा में बैठा था मगर बक़द्रे तशह्हुद न हुआ था कि खड़ा हो गया तो लौट आये और वह जो पहले कुछ देर तक बैठा था महसूब (शुमार)होगा यानी लौटने के बाद जितनी देर तक बैठा यह और पहले का क़अ्दा दोनों मिलकर बक़द्रे तशह्हुद हो गये फ़र्ज़ अदा हो गया मगर सजदए सहव इस सूरत में भी वाजिब है और अगर इस रकअ्त का सजदा कर लिया तो सजदे से सर उठाते ही वह फ़र्ज़ नफ़्ल हो गया। लिहाज़ा अगर चाहे तो अलावा मग़रिब के और नमाज़ों में एक और मिलाये शुफ़आ (दो रकअ्त को मिलाकर एक शुफ़आ कहते हैं)पूरा हो जाये और ताक़ (विषम)रकअ्त न रहे अगर्चे वह नमाज़े फ़ज्र या अस्र हो मग़रिब में और न मिलाये कि चार पूरी हो गईं। (दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार)

मसअला :— नफ़्ल का हर क़अ्दा क़ादए अख़ीरा है यानी फ़र्ज़ है अगर क़अ्दा न किया और भूल कर खड़ा हो गया तो जब तक उस रकअ्त का सजदा न करे लौट आये और सजदए सहव करे और वाजिबे नमाज़ मसलन वित्र फ़र्ज़ के हुक्म में है लिहाज़ा वित्र का क़अ्दए ऊला भूल जाये तो वही हुक्म है जो फ़र्ज़ के क़अ्दए ऊला भूल जाने का है (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :— अगर बक़द्रे तशह्हुद क़अ्दए अख़ीरा कर चुका है और भूल कर खड़ा हो गया तो जब

तक उस रकअ्त का सजदा न किया हो लौट आये और सजदए सहव करके सलाम फेर दे और अगर क़ियाम ही की हालत में सलाम फेर दिया तो भी नमाज़ हो जायेगी मगर सुन्नत तर्क हुई और उस सूरत में अगर इमाम खड़ा हो गया तो मुक़तदी उसका साथ न दें बल्कि बैठे हुए इन्तिज़ार करें अगर लौट आया साथ हो लें और न लौटा और सजदा कर लिया तो मुक़तदी सलाम फेर दें और इमाम एक रकअ्त और मिलाये कि यह दो नफ़्ल हो जायें और सजदए सहव कर के सलाम फेरे और यह दो रकअ्तें सुन्नते ज़ोहर या इशा के क़ाइम मक़ाम न होंगी और अगर इन दो रकअ्तों में किसी ने इमाम की इक़्तिदा की यानी अब शामिल हुआ तो यह मुक़तदी भी छह पढ़े और अगर उस ने तोड़ दी तो दो रकअ्त की क़ज़ा पढ़े और अगर इमाम चौथी पर न बैठा था तो यह मुक़तदी छः रकअ्त की क़ज़ा पढ़े और अगर इमाम ने इन रकअ्तों को फ़ासिद कर दिया तो मुक़तदी पर मुतलक़न क़ज़ा नहीं।(दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार)

मसअला :— चौथी पर क़अ्दा करके खड़ा हो गया और किसी फ़र्ज़ पढ़ने वाले ने उसकी इक़्तिदा की तो इक़्तिदा सही नहीं अगर्चे लौट आया और क़अ्दा न किया था तो जब तक पाँचवीं का सजदा न किया इक़्तिदा कर सकता है कि अभी तक फ़र्ज़ ही में है। (रद्दुल मुहतार)

मसअला :— दो रकअ्त की नियत थी और इनमें सहव हुआ और दूसरी के क़अ्दा में सजदए सहव कर लिया तो इस पर नफ़्ल की बिना मकरूहे तहरीमी है। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :— मुसाफ़िर ने सजदए सहव के बाद इक़ामत की नियत की तो चार पढ़ना फ़र्ज़ है और आख़िर में सजदए सहव का इआदा करे। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :— क़अ्दए ऊला में तशह्हुद के बाद इतना पढ़ा "अल्लाहुम–म सल्लि अला मुहम्मद" सजदए सहव वाजिब है। इस वजह से नहीं कि दुरूद शरीफ़ पढ़ा बल्कि इस वजह से कि तीसरी के क़ियाम में ताख़ीर हुई तो अगर इतनी देर तक सुकूत किया जब भी सजदए सहव वाजिब है जैसे क़अ्दा व रुकूअ् व सुजूद में क़ुर्आन पढ़ने से सजदए सहव वाजिब है हालाँकि वह कलामे इलाही है। इमामे अअ्ज़म रदियल्लाहु तआला अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को ख़्वाब में देखा हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया दुरूद पढ़ने वाले पर तुमने क्यूँ सजदा वाजिब बताया। अर्ज़ की इसलिए कि उसने भूल कर पढ़ा हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने तहसीन फ़रमाई। (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार वग़ैरा)

मसअला :— किसी क़अ्दे में अगर तशह्हुद में से कुछ रह गया सजदा सहव वाजिब है नमाज़े नफ़्ल हो या फ़र्ज़। (आलमगीरी)

मसअला :— पहली दो रकअ्तों के क़ियाम में सूरए फ़ातिहा के बाद तशह्हुद पढ़ा सजदए सहव वाजिब है और सूरए फ़ातिहा से पहले पढ़ा तो नहीं। (आलमगीरी)

मसअला :— पिछली रकअ्तों के क़ियाम में तशह्हुद पढ़ा तो वाजिब न हुआ और अगर क़अ्दए ऊला में चन्द बार तशह्हुद पढ़ा सजदा सहव वाजिब हो गया। (आलमगीरी)

मसअला :— तशह्हुद पढ़ना भूल गया और सलाम फेर दिया फिर याद आया तो लौट आये तशह्हुद पढ़े और सजदए सहव करे। यूँही अगर तशह्हुद की जगह सूरए फ़ातिहा पढ़ी सजदए सहव वाजिब हो गया। (आलमगीरी)

मसअला :– रुकूअ् की जगह सजदा किया या सजदे की जगह रुकूअ् या किसी ऐसे रुक्न को दो बार किया जो नमाज़ में मुक़र्रर मशरूअ् यानी शरीअत में दो बार का हुक्म न था या किसी रुक्न को मुक़द्दम या मुअख़्ख़र किया यानी आगे या पीछे किया तो इन सब सूरतों में सजदए सहव वाजिब है। (आलमगीरी)

मसअला :– क़ुनूत या तकबीरे क़ुनूत यानी क़िरात के बाद क़ुनूत के लिए जो तकबीर कही जाती है भूल गया सजदए सहव करे।(आलमगीरी)

मसअला :– ईदैन की सब तकबीरें या बअ्ज़ भूल गया या ज़्यादा कहीं या ग़ैर महल में कहीं(यानी जहाँ कहना हो वहाँ के बजाए दूसरी जगह कहीं) इन सब सूरतों में सजदए सहव वाजिब है।(आलमगीरी)

मसअला :– इमाम तकबीराते ईदैन भूल गया और रुकूअ् में चला गया तो लौट आये और मसबूक़ रुकूअ् में शामिल हुआ तो रुकूअ् ही में तकबीर कह ले। (यानी बिना हाथ उठाए रुकू ही में अल्लाहु अकबर–अल्लाहु अकबर कह ले)(आलमगीरी) ईदैन में दूसरी रकअ्त की तकबीरें रुकूअ् भूला गया तो सजदए सहव वाजिब है और पहली रकअ्त की तकबीरें रुकूअ् भूला तो नहीं। (आलमगीरी)

मसअला :– जुमा व ईदैन में सहव वाक़ेअ् हुआ और जमाअत कसीर (ज़्यादा)हो तो बेहतर यह है कि सजदए सहव न करे। (आलम गीरी रद्दुल मुहतार)

मसअला :– इमाम ने जहरी नमाज़ (जिस में क़िरात बलन्द आवाज़ से होती है) में बक़द्र जवाज़े नमाज़ यानी एक आयत आहिस्ता पढ़ी या सिर्री (आहिस्ता क़िरअत की रकअ्त) में जहर से तो सजदए सहव वाजिब है और एक कलिमा आहिस्ता या जहर से पढ़ा तो माफ़ है।(आलम गीरी दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार ग़ुनिया)

मसअला :– मुनफ़रिद (तन्हा नमाज़ पढ़ने वाले)ने सिर्री नमाज़ में जहर से पढ़ा तो सजदा सहव वाजिब है और जहरी में आहिस्ता तो नहीं। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– सना व दुआ व तशह्हुद बलन्द आवाज़ से पढ़ा तो ख़िलाफ़े सुन्नत हुआ मगर सजदए सहव वाजिब नहीं। (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– क़िरात वग़ैरा किसी मौक़े पर सोचने लगा कि बक़द्रे एक रुक्न यानी तीन बार सुब्हानल्लाह कहने के वक़्फ़ा हुआ सजदए सहव वाजिब है। (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– इमाम से सहव हुआ और सजदए सहव किया तो मुक़तदी पर भी सजदए सहव वाजिब है अगर्चे मुक़तदी सहव वाक़ेअ् होने के बाद जमाअत में शामिल हो और अगर इमाम से सजदए सहव साक़ित हो गया तो मुक़तदी से भी साक़ित हो गया फिर अगर इमाम से साक़ित होना उसके किसी फ़ेल के सबब हो तो मुक़तदी पर भी नमाज़ का लौटाना वाजिब है वर्ना माफ़। (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– अगर मुक़तदी से ब–हालते इक़्तिदा सहव वाक़ेअ् हुआ तो मुक़तदी पर सजदए सहव वाजिब नहीं और ऐसी नमाज़ का लौटाना भी ज़रूरी नहीं। (आम्मए कुतुब, शामी)

मसअला :– मसबूक़ इमाम के साथ सजदए सहव करे अगर्चे उसके शरीक होने से पहले सहव हुआ हो और इमाम के साथ सजदा न किया माबक़िया (यानी जो छूट गई थीं)पढ़ने खड़ा हो गया तो आख़िर में सजदए सहव करे,और अगर इस मसबूक़ से अपनी नमाज़ में सहव हुआ तो आख़िर के यही सजदे उस सहवे इमाम के लिए भी काफ़ी हैं। (आलमगीरी,रद्दुल मुहतार)

मसअला :– मसबूक़ ने अपनी नमाज़ बचाने के लिए इमाम के साथ सजदए सहव न किया यानी जानता है कि अगर सजदा सहव करेगा तो नमाज़ जाती रहेगी मसलन नमाज़े फ़ज्र में आफ़ताब

तुलूअ् हो जायेगा या जुमे में वक़्ते अस्र आ जायेगा या मोज़े पर सहव की मुद्दत गुज़र जायेगी तो इन सूरतों में इमाम के साथ सजदए सहव न करने में कराहत नहीं बल्कि बक़द्रे तशह्हुद बैठने के बाद खड़ा हो जाये। (ग़ुनिया)

मसअला :– मसबूक़ ने इमाम के सहव में इमाम के साथ सजदए सहव किया फिर जब अपनी पढ़ने खड़ा हुआ और इसमें भी सहव हुआ तो इसमें भी सजदए सहव करे। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअला :– मसबूक़ को इमाम के साथ सलाम फेरना जाइज़ नहीं अगर क़स्दन फेरेगा नमाज़ जाती रहेगी और अगर सहवन फेरा और सलामे इमाम के साथ बिना वक़्फ़ा किए फ़ौरन ही सलाम फेरा था तो इस पर सजदए सहव वाजिब नहीं और अगर सलामे इमाम के कुछ भी बाद फेरा तो खड़ा हो जाये अपनी नमाज़ पूरी करके सजदए सहव करे। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअला :– इमाम के एक सजदए सहव करने के बाद शरीक हुआ तो दूसरा सजदा इमाम के साथ करे और पहले की क़ज़ा नहीं और अगर दोनों सजदों के बाद शरीक हुआ तो इमाम के सहव का इसके ज़िम्मे कोई सजदा नहीं। (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– इमाम ने सलाम फेर दिया और मसबूक़ अपनी पूरी करने खड़ा हुआ अब इमाम ने सजदए सहव किया तो जब तक मसबूक़ ने उस रकअ्त का सजदा न किया हो लौट आये और इमाम के साथ सजदा करे जब इमाम सलाम फेरे तो अब अपनी पढ़े और पहले जो क़ियाम व क़िरात व रुकू कर चुका है उसका शुमार न होगा बल्कि फिर से वह अफ़आल करे और अगर न लौटा और अपनी पढ़ ली तो आख़िर में सजदए सहव करे और अगर उस रकअ्त का सजदा कर चुका है तो न लौटे .लौटेगा तो नमाज़ फ़ासिद हो जायेगी। (आलमगीरी)

मसअला :– इमाम के सहव से लाहिक़ (जिसकी बीच की कुछ रकअ्तें छूटी हों) पर भी सजदए सहव वाजिब है मगर लाहिक़ अपनी आख़िर नमाज़ में सजदए सहव करेगा और इमाम के साथ अगर सजदा किया हो तो आख़िर में इआदा करे। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– अगर तीन रकअ्त में मसबूक़ हुआ और एक रकअ्त में लाहिक़ तो एक रकअ्त बिला क़िरात पढ़कर बैठे और तशह्हुद पढ़ कर सजदए सहव करे फिर एक रकअ्त भरी पढ़ कर बैठे कि यह इसकी दूसरी रकअ्त है फिर एक भरी और एक ख़ाली पढ़ कर सलाम फेर दे और अगर एक में मसबूक़ है और तीन में लाहिक़ तो तीन पढ़ कर सजदए सहव करे फिर एक भरी पढ़ कर सलाम फेर दे। (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– मुक़ीम ने मुसाफ़िर की इक़्तिदा की और इमाम से सहव हुआ तो इमाम के साथ सजदए सहव करे फिर अपनी दो पढ़े और इनमें भी सहव हुआ तो आख़िर में फिर सजदा करे।(रद्दुल मुहतार)

मसअला :– इमाम से सलातुल ख़ौफ़ में (जिस का बयान और तरीक़ा इन्शा अल्लाह तआला आगे आयेगा)सहव हुआ तो इमाम के साथ दूसरा गिरोह सजदए सहव करे और पहला गिरोह उस वक़्त करे जब अपनी नमाज़ ख़त्म कर चुके। (आलमगीरी)

मसअला :– इमाम को हदस हुआ और इससे पहले सहव भी वाक़ेअ् हो चुका है और उसने ख़लीफ़ा बनाया तो ख़लीफ़ा सजदए सहव करे और अगर ख़लीफ़ा को भी हालते ख़िलाफ़त में सहव हुआ तो वही सजदे काफ़ी हैं, और अगर इमाम से तो सहव न हुआ मगर ख़लीफ़ा से इस हालत में सहव

हुआ तो इमाम पर भी सजदए सहव वाजिब है और अगर खलीफ़ा का सहव खिलाफ़त से पहले हो तो सजदा वाजिब नहीं न उस पर न इमाम पर। (आलमगीरी)

मसअला :– जिस पर सजदए सहव वाजिब है अगर सहव होना याद न था और ब–नियते क़ता सलाम फेर दिया(यानी नमाज़ ख़त्म करने की नियत से सलाम फेर दिया)तो अभी नमाज़ से बाहर न हुआ बशर्ते कि सजदए सहव कर ले। लिहाज़ा जब तक कलाम या हदसे अमद(नमाज़ के ख़िलाफ़ कोई काम जानबूझ कर करना जैसे वुज़ू तोड़ा) या मस्जिद से बाहर हुआ न हो या और कोई फ़ेअ्ल नमाज़ के ख़िलाफ़ न किया हो उसे हुक्म है कि सजदा करले और अगर सलाम के बअ्द सजदए सहव न किया तो सलाम फेरने के वक़्त से नमाज़ से बाहर हो गया लिहाज़ा अगर सलाम फेरने के बाद किसी ने इक्तिदा की और इमाम ने सजदए सहव कर लिया तो इक्तिदा सही है और सजदा न किया तो सही नहीं और अगर याद था कि सहव हुआ है और तोड़ने की नियत से सलाम फेर दिया तो सलाम फेरते ही नमाज से बाहर हो गया और सजदए सहव नहीं कर सकता इआदा करे यानी नमाज़ लौटाये और अगर इसने ग़लती से सजदा किया और इसमें कोई शरीक हुआ तो इक्तिदा सही नहीं (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार)

मसअला :– सजदए तिलावत बाक़ी था या क़अ्दए अख़ीरा में तशह्हुद न पढ़ा था मगर बक़द्रे तशह्हुद बैठ चुका था और यह याद है कि सजदए तिलावत या तशह्हुद बाक़ी है मगर क़स्दन सलाम फेर दिया तो सजदा साकित हो गया और नमाज़ से बाहर हो गया नमाज़ फ़ासिद न हुई कि तमाम अरकान अदा कर चुका है मगर वाजिब के तर्क की वजह से मकरूहे तहरीमी हुई,यूँही अगर उसके ज़िम्मे सजदए सहव व सजदए तिलावत हैं और दोनों याद हैं या सिर्फ़ सजदए तिलावत याद है और क़स्दन सलाम फेर दिया तो दोनों साकित हो गये अगर सजदए नमाज व सजदए सहव दोनों बाक़ी थे या सिर्फ़ सजदए नमाज़ रह गया था और सजदए नमाज़ याद होते हुए सलाम फेर दिया तो नमाज़ फ़ासिद हो गई और अगर सजदए नमाज़ व सजदए तिलावत बाक़ी थे और सलाम फेरते वक़्त दोनों याद थे या एक जब भी नमाज फ़ासिद हो गई। (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– सजदए नमाज़ या सजदए तिलावत बाक़ी था या सजदए सहव करना था और भूल कर सलाम फेरा तो जब तक मस्जिद से बाहर न हुआ, कर ले और मैदान में हो तो जब तक सफ़ों से निकल न जाये या आगे को सजदे की जगह से न गुज़रा कर ले। (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– रुकूअ् में याद आया कि नमाज़ का कोई सजदा रह गया है और वहीं से सजदे को चला गया या सजदे में याद आया और सर उठा कर वह सजदा कर लिया तो बेहतर यह है कि इस रुकूअ् व सुजूद को लौटाये और सजदए सहव करे और अगर उस वक़्त न किया बल्कि आख़िर नमाज़ में किया तो उस रुकूअ् व सुजूद का इआदा (लौटाना)नहीं, सजदए सहव करना होगा।(दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– ज़ोहर की नमाज़ पढ़ता था और यह ख्याल कर के कि चार पूरी हो गई दो रकअ्त पर सलाम फेर दिया तो चार पूरी कर ले और सजदए सहव करे और अगर यह गुमान किया कि मुझ पर दो ही रकअ्तें हैं मसलन अपने को मुसाफ़िर तसव्वुर किया या गुमान हुआ कि नमाज़े जुमा है या नया मुसलमान है समझा कि ज़ोहर के फ़र्ज़ दो ही हैं नमाज़े इशा को तरावीह तसव्वुर किया तो नमाज जाती रही, यूँही अगर कोई रुक्न फ़ौत हो गया और याद होते हुए सलाम फेर दिया तो नमाज गई। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– जिस को रकअ्त के शुमार में शक हो मसलन तीन हुईं या चार और बुलूग़ (बालिग़ होने) के बअ्द यह पहला वाक़िआ है तो सलाम फेर कर या कोई अमल नमाज़ के ख़िलाफ़ करके तोड़ दे या ग़ालिबे गुमान के मुताबिक़ पढ़ ले मगर हर सूरत में इस नमाज़ को सिरे से पढ़े महज़ तोड़ने की नियत काफ़ी नहीं और अगर यह शक पहली बार नहीं बल्कि पहले भी हो चुका है तो अगर ग़ालिब गुमान किसी तरफ़ हो तो उस पर अमल करे वर्ना कम की जानिब को इख़्तियार करे यानी तीन और चार में शक हो तो तीन क़रार दे, दो और तीन में शक हो तो दो और तीसरी चौथी दोनों में क़अ्दा करे कि तीसरी रकअ्त का चौथी होने का एहतिमाल है और चौथी में क़अ्दा के बअ्द सजदए सहव कर के सलाम फेरे और गुमाने ग़ालिब की सूरत में सजदए सहव नहीं मगर सोचने में बक़द्रे एक रुक्न के वक़्फ़ा किया हो तो सजदए सहव वाजिब हो गया (हिदाया वग़ैरा)

मसअला :– नमाज़ पूरी करने के बाद शक हुआ तो इस का कुछ एअ्तिबार नहीं और अगर नमाज़ के बअ्द यक़ीन है कि कोई फ़र्ज़ रह गया मगर इस में शक है कि वह क्या है तो फिर से पढ़ना फ़र्ज़ है। (फ़तह,रद्दुल मुहतार)

मसअला :– ज़ोहर पढ़ने के बाद एक आदिल शख़्स ने ख़बर दी कि तीन रकअ्तें पढ़ीं तो फिर से पढ़े अगर्चे इसके ख़्याल में यह ख़बर गलत हो और अगर कहने वाला आदिल न हो तो उसकी ख़बर का एअ्तिबार नहीं और अगर मुसल्ली को शक हो और दो आदिलों ने ख़बर दी तो उनकी ख़बर पर अमल करना ज़रूरी है। (आलमगीरी वग़ैरा)

मसअला :– अगर तअ्दादे रकआत में शक न हुआ मगर खुद इस नमाज़ की निस्बत शक है मसलन ज़ोहर की दूसरी रकअ्त में शक हुआ कि यह अस्र की नमाज़ पढ़ता हूँ और तीसरी में नफ़्ल का शुबह हुआ और चौथी मे ज़ोहर का तो ज़ोहर ही है। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– तशह्हुद के बाद यह शक हुआ कि तीन हुईं या चार और रुक्न की क़द्र ख़ामोश रहा और सोचता रहा फिर यक़ीन हुआ कि चार हो गईं तो सजदए सहव वाजिब है और अगर एक तरफ़ सलाम फेरने के बाद ऐसा हुआ तो कुछ नहीं और अगर उसे हदस हुआ और वुज़ू करने गया था कि यह शक वाक़ेअ् हुआ और सोचने में वुज़ू से कुछ देर तक रुका रहा तो सजदए सहव वाजिब है। (आलमगीरी)

मसअला :– यह शक वाक़ेअ् हुआ कि इस वक़्त की नमाज़ पढ़ी या नहीं अगर वक़्त बाक़ी है लौटाये वर्ना नहीं। (आलमगीरी)

मसअला :– शक की सब सूरतों में सजदए सहव वाजिब है और ग़लबए ज़न(ग़ालिब गुमान)में नहीं मगर जबकि सोचने में एक रुक्न का वक़्फ़ा हो गया हो तो वाजिब हो गया। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– बे–वुज़ू होने या मसह न करने का यक़ीन हुआ और इसी हालत में एक रुक्न अदा कर लिया तो सिरे से नमाज़ पढ़े अगर्चे फिर यक़ीन हुआ कि वुज़ू था और मसह किया था।(आलमगीरी)

मसअला :– नमाज़ में शक हुआ कि मुक़ीम है या मुसाफ़िर तो चार पढ़े और दूसरी के बाद क़अ्दा ज़रूरी है। (आलमगीरी)

मसअला :– वित्र में शक हुआ कि दूसरी है या तीसरी तो इस में कुनूत पढ़ कर क़अ्दा के बाद एक और पढ़े और इसमें भी कुनूत पढ़े और सजदए सहव करे। (आलमगीरी वग़ैरा)

मसअ्ला :– इमाम नमाज़ पढ़ रहा है दूसरी में शक हुआ कि पहली है या दूसरी,या चौथी और तीसरी में शक हुआ और मुक्तदियों की तरफ़ नज़र की कि यह खड़े हों तो खड़ा हो जाऊँ बैठें तो बैठ जाऊँ तो इनमें हरज नहीं। और सजदए सहव वाजिब न हुआ। (आलमगीरी)

नमाज़े मरीज़ का बयान

हदीस में है इमरान इब्ने हसीन रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु बीमार थे, हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम से नमाज़ के बारे में सवाल किया। फ़रमाया खड़े हो कर पढ़ो अगर इस्तिताअत (ताक़त)न हो तो बैठ कर इसकी भी इस्तिताअत न हो तो लेट कर अल्लाह तआ़ला किसी नफ़्स को तकलीफ़ नहीं देता मगर उतनी कि उसकी वुसअ़त हो। इस हदीस को मुस्लिम के सिवा जमाअते मुहद्दिसीन ने रिवायत किया। बज़्ज़ाज़ मुसनद में और बैहक़ी मअ़रिफ़ा में जाबिर रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु से रावी कि नबी सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम एक मरीज़ की इयादत को तशरीफ़ ले गये देखा कि तकिये पर नमाज़ पढ़ता है यानी सजदा करता है उसे फेंक दिया। उसने एक लकड़ी ली कि उस पर नमाज पढ़े उसे भी लेकर फेंक दिया। और फ़रमाया ज़मीन पर नमाज़ पढ़े अगर इस्तिताअत हो वर्ना इशारा करे और सजदे को रुकूअ़ से पस्त करे यानी सजदा करते वक़्त रुकूअ़ से, ज़्यादा झुके।

मसअ्ला :– जो शख़्स बीमारी की वजह से खड़े होकर नमाज़ पढ़ने पर क़ादिर नहीं कि खड़े होकर पढ़ने से मरज़ में नुक़सान या तकलीफ़ होगी या मरज़ बढ़ जायेगा या देर में अच्छा होगा या चक्कर आता है या खड़े होकर पढ़ने से क़तरा आयेगा बहुत शदीद दर्द नाक़ाबिले बर्दाश्त हो जायेगा तो इन सब सुरतों में बैठ कर रुकूअ़ व सुजूद के साथ नमाज़ पढ़े। (दुर्रे मुख़्तार) इसके मुतअ़ल्लिक़ बहुत मसाइल नमाज़े फ़राइज के बयान में ज़िक्र किए गये।

मसअ्ला :– अगर अपने आप बैठ भी नहीं सकता मगर लड़का या गुलाम या ख़ादिम या कोई अजनबी शख़्स वहाँ है कि बैठादे तो बैठकर पढ़ना ज़रूरी है और अगर बैठा नहीं रह सकता तो तकिया या दीवार या किसी शख़्स पर टेक लगा कर पढ़े। यह भी न हो सके तो लेट कर पढ़े और बैठ कर पढ़ना मुमकिन हो तो लेट कर नमाज़ न होगी। (आलमगीरी,दुर्रे मुख़्तार,रदुल मुहतार)

मसअ्ला :– बैठ कर पढ़ने में किसी ख़ास तौर पर पढ़ना ज़रूरी नहीं बल्कि मरीज़ पर जिस तरह आसानी हो उस तरह बैठे हाँ दो ज़ानू बैठना आसान हो या दूसरी तरह बैठने के बराबर हो तो दो ज़ानू बेहतर है वर्ना जो आसान हो इख़्तियार करें। (आलमगीरी वग़ैरा)

मसअ्ला :– नफ़्ल नमाज़ में थक गया तो दीवार या असा (लाठी या डंडा) पर टेक लगाने में हरज नहीं वर्ना मकरूह है और बैठ कर पढ़ने में कुछ हरज नहीं। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– चार रकअ़त वाली नमाज बैठ कर पढ़ी क़अ्दए अख़ीरा के मौक़े पर तशहहुद पढ़ने से पहले क़िरात शुरूअ़ कर दी और रुकूअ़ भी किया तो इसका हुक्म वही है कि खड़ा होकर पढ़ने वाला चौथी के बअ्द खड़ा हो जाता। लिहाज़ा उसने जब तक पाँचवीं का सजदा न किया हो तशहहुद पढ़े और सजदए सहव करे और पाँचवीं का सजदा कर लिया तो नमाज़ जाती रही। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– बैठ कर पढ़ने वाला दूसरी के सजदे से उठा और क़ियाम की नियत की मगर क़िरात से पहले याद आ गया तो तशहहुद पढ़े और नमाज़ हो गई और सजदए सहव भी नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– मरीज़ ने बैठ कर नमाज़ पढ़ी चौथी के सजदे से उठा तो यह गुमान करके कि तीसरी है,क़िरात की और इशारे से रुकू व सुजूद किया नमाज़ जाती रही और दूसरी के सजदे के बाद यह गुमान करके कि दूसरी है,क़िरात शुरू की फिर याद आया तो तशहहुद की तरफ़ न लौटे बल्कि पूरी करे और आख़िर में सजदए सहव करे। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– खड़ा हो सकता है मगर रुकूअ़ व सुजूद नहीं कर सकता या सिर्फ़ सजदा नहीं कर सकता मसलन हलक़ वग़ैरा में फोड़ा है कि सजदा करने से बहेगा तो बैठ कर इशारे से पढ़ सकता है बल्कि यही बेहतर है और इस सूरत में यह भी कर सकता है कि खड़े होकर पढ़े और रुकूअ़ के लिए इशारा करे या रुकूअ़ पर क़ादिर हो तो रुकूअ़ करे फिर बैठ कर सजदे के लिए इशारा करे।(आलमगीरी, दुर्रे मुख़्तार रदुल मुहतार)

मसअ्ला :– इशारे की सूरत में सजदे का इशारा रुकूअ़ से पस्त होना ज़रूरी है यानी सजदे में रुकूअ़ की ब–निसबत ज़्यादा झुका हुआ इशारा हो मगर यह ज़रूरी नहीं कि सर को बिल्कुल ज़मीन से क़रीब कर दे। सजदे के लिए तकिया वग़ैरा कोई चीज़ पेशानी के क़रीब उठा कर उस पर सजदा करना मकरूहे तहरीमी है ख़्वाह खुद उसी ने वह चीज़ उठाई हो या दूसरे ने।(दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअ्ला :– अगर कोई चीज़ उठाकर उस पर सजदा किया और सजदे में ब–निस्बत रुकूअ़ के ज़्यादा सर झुकाया जब भी सजदा हो गया मगर गुनाहगार हुआ और सजदे के लिए ज़्यादा सर न झुकाया तो हुआ ही नहीं। (दुर्रे मुख़्तार, आलमगीरी)

मसअ्ला :– अगर कोई ऊँची चीज़ ज़मीन पर रखी हुई है उस पर सजदा किया और रुकूअ़ के लिए सिर्फ़ इशारा न हुआ बल्कि पीठ भी झुकाई तो सहीह है बशर्ते कि सजदे के शराइत पाये जायें मसलन उस चीज़ का सख़्त होना जिस पर सजदा किया कि इस क़द्र पेशानी दब गई हो कि फिर दबाने से न दबे और उसकी ऊँचाई बारह उंगल से ज़्यादा न हो इन शराइत के पाये जाने के बाद हक़ीक़तन रुकूअ़ व सुजूद पाये गये। इशारे से पढ़ने वाला इसे न कहेंगे और खड़ा होकर पढ़ने वाला इसकी इक़्तिदा कर सकता है और यह शख़्स जब इस तरह रुकूअ़ व सुजूद कर सकता है और क़ियाम पर क़ादिर है तो इस पर क़ियाम फ़र्ज़ है या नमाज़ पढ़ने के बीच में क़ियाम पर क़ादिर हो गया तो जो बाक़ी है उसे खड़े हो कर पढ़ना फ़र्ज़ है। लिहाज़ा जो शख़्स ज़मीन पर सजदा नहीं कर सकता मगर ऊपर दी हुई शराइत के साथ कोई चीज़ ज़मीन पर रख कर सजदा कर सकता है तो उस पर फ़र्ज़ है कि उसी तरह सजदा करे इशारा जाइज नहीं और अगर वह चीज़ जिस पर सजदा किया ऐसी नहीं तो हक़ीक़तन सुजूद न पाया गया बल्कि सजदे के लिए इशारा हुआ। लिहाज़ा खड़ा होने वाला इसकी इक़्तिदा नहीं कर सकता और अगर यह शख़्स नमाज़ पढ़ने के बीच में क़ियाम पर क़ादिर हुआ तो सिरे से पढ़े। (रदुलमुहतार)

मसअ्ला :– पेशानी में ज़ख़्म है कि सजदे के लिए माथा नहीं लगा सकता तो नाक पर सजदा करे और ऐसा न किया बल्कि इशारा किया तो नमाज़ न हुई। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– अगर मरीज़ बैठने पर भी क़ादिर नहीं यानी बैठ नहीं सकता तो लेट कर इशारे से पढ़े ख़्वाह दाहिनी या बायीं करवट पर लेट कर क़िब्ले को मुँह करे ख़्वाह चित लेट कर क़िब्ले को पाँव करे मगर पाँव न फैलाए कि क़िब्ला को पाँव फैलाना मकरूह है बल्कि घुटने खड़े रखे और सर के नीचे तकिया वग़ैरा रख कर ऊँचा कर ले कि मुँह क़िब्ला को हो जाये और यह सूरत यानी चित

लेट कर पढ़ना अफ़ज़ल है। (दुर्रे मुख़्तार वगैरा)

मसअला :– अगर सर से इशारा भी न कर सके तो नमाज़ साकित है इसकी ज़रूरत नहीं कि आँख या भौं या दिल के इशारे से पढ़े फिर अगर छः वक़्त इसी हालत में गुज़र गये तो उनकी क़ज़ा भी साकित फ़िदया की भी हाजत नहीं वर्ना सेहत होने के बाद इन नमाज़ों की क़ज़ा लाज़िम है अगर्चे इतनी ही सेहत हो कि सर के इशारे से पढ़ सके। (दुर्रे मुख़्तार वगैरा)

मसअला :– मरीज़ अगर क़िब्ले की तरफ़ न अपने आप मुँह कर सकता है न दूसरे के ज़रिए से तो वैसे ही पढ़ ले और सेहत के बाद इस नमाज़ को दोहराने की ज़रूरत नहीं और अगर कोई शख़्स मौजूद है कि इसके कहने से क़िब्ला–रू कर देगा मगर इस ने उस से न कहा तो न हुई। इशारे से जो नमाज़ें पढ़ी हैं सेहत के बअ्द उनका लौटाना भी ज़रूरी नहीं। यूँही अगर ज़बान बन्द हो गई और गूँगे की तरह नमाज़ पढ़ी फिर ज़बान खुल गई तो इन नमाज़ों को भी दोहराने की ज़रूरत नहीं।(दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार)

मसअला :– मरीज़ इस हालत को पहुँच गया कि रुकूअ् व सुजूद की तअ्दाद याद नहीं रख सकता तो उस पर अदा ज़रूरी नहीं। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– तन्दरूस्त शख़्स नमाज़ पढ़ रहा था,नमाज़ के बीच में ऐसा मरज़ पैदा हो गया कि अरकान अदा पर कुदरत न रही। तो जिस तरह मुमकिन हो बैठ कर लेट कर नमाज़ पूरी करे सिरे से पढ़ने की हाजत नहीं। (दुर्रे मुख़्तार,आलमगीरी)

मसअला :– बैठ कर रुकूअ् व सुजूद से नमाज़ पढ़ रहा था नमाज़ पढ़ते ही में क़ियाम पर क़ादिर हो गया तो जो बाक़ी है खड़ा होकर पढ़े और इशारे से पढ़ता था और नमाज़ ही में रुकूअ् व सुजूद पर क़ादिर हो गया तो सिरे से पढ़े। (दुर्रे मुख़्तार,आलमगीरी)

मसअला :– रुकूअ् व सुजूद पर क़ादिर न था खड़े या बैठे नमाज़ शुरूअ् की रुकूअ् व सुजूद के इशारे की नौबत न आई थी कि अच्छा हो गया तो उसी नमाज़ को पूरा करे सिरे से पढ़ने की हाजत नहीं और अगर लेट कर नमाज़ शुरूअ् की थी और इशारे से पहले खड़े या बैठकर रुकूअ् व सुजूद पर क़ादिर हो गया तो सिरे से पढ़े। (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– चलती हुई कश्ती या जहाज़ में बिला उज़्र बैठ कर नमाज़ सही नहीं बशर्ते कि उतर कर खुश्की में पढ़ सके और ज़मीन पर बैठ गई हो तो उतरने की हाजत नहीं और किनारे पर बँधी हो और उतर सकता हो तो उतर कर खुश्की में पढ़े वर्ना कश्ती ही में खड़े होकर और बीच दरिया में लंगर डाले हुए है तो बैठ कर पढ़ सकता है अगर हवा के तेज़ झोंके लगते हों कि खड़े होने में चक्कर का ग़ालिब गुमान हो। और अगर हवा से ज़्यादा हरकत न हो तो बैठ कर नहीं पढ़ सकते और कश्ती पर नमाज़ पढ़ने में क़िब्ले को मुँह कर ले और अगर इतनी तेज गर्दिश हो कि क़िब्ले को मुँह करने से आजिज़ (मजबूर) है तो इस वक़्त मुलतवी रखे ,हाँ अगर वक़्त जाता देखे तो पढ़ ले। (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार गुनिया)

मसअला :– जुनून या बेहोशी अगर पूरे छः वक़्त को घेर ले तो इन नमाज़ों की क़ज़ा भी नहीं अगर्चे बेहोशी आदमी या दरिन्दे के ख़ौफ़ से हो और इस से कम हो तो क़ज़ा वाजिब है। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– अगर किसी–किसी वक़्त होश हो जाता है तो उसका वक़्त मुक़र्रर है या नहीं अगर

वक़्त मुक़र्रर है और इस से पहले पूरे छः वक़्त न गुज़रे तो क़ज़ा वाजिब और वक़्त मुक़र्रर न हो बल्कि दफ़्अतन(अचानक) होश हो जाता है फिर वही हालत पैदा हो जाती है तो इस इफ़ाक़े का एअ्तिबार नहीं यानी सब बेहोशियाँ मुत्तसिल (मिली हुई) समझी जायेंगी। (दुर्रे मुख़्तार,आलमगीरी)

मसअला :– शराब या भाँग पी अगर्चे दवा की ग़रज़ से और अक़्ल जाती रही तो क़ज़ा वाजिब है अगर्चे बेअक़्ली कितने ही ज़्यादा ज़माने तक हो। यूँही अगर दूसरे ने मजबूर कर के शराब पिला दी जब भी क़ज़ा मुतलक़न वाजिब है। (दुर्रे मुख़्तार आलमगीरी)

मसअला :– सोता रहा जिसकी वजह से नमाज़ जाती रही तो क़ज़ा फ़र्ज़ है अगर्चे नींद पूरे छः वक़्त को घेरे। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– अगर यह हालत हो कि रोज़ा रखता है तो खड़े होकर नमाज़ नहीं पढ़ सकता और न रखे तो खड़े हो कर पढ़ सकेगा तो रोज़ा रखे और नमाज़ बैठ कर पढ़े। (आलमगीरी)

मसअला :– मरीज़ ने वक़्त से पहले नमाज़ पढ़ ली इस ख़्याल से कि वक़्त में न पढ़ सकेगा तो नमाज़ न हुई,और बग़ैर क़िरात भी न होगी मगर जबकि क़िरात से आजिज़ हो यानी क़िरात कर ही न सके तो हो जायेगी।(आलमगीरी)

मसअला :– औरत बीमार हो तो शौहर पर फ़र्ज़ नहीं कि उसे वुज़ू करा दे और ग़ुलाम बीमार हो तो वुज़ू करा देना मौला के ज़िम्मे है। (आलमगीरी)

मसअला :– छोटे से ख़ेमे में है कि खड़ा नहीं हो सकता और बाहर निकलता है तो मेंह और कीचड़ है तो बैठ कर पढ़े। यूँही खड़े होने में दुश्मन का ख़ौफ़ है तो बैठ कर पढ़ सकता है। (आलमगीरी)

मसअला :– बीमार की नमाज़ें क़ज़ा हो गईं अब अच्छा होकर उन्हें पढ़ना चाहता है तो वैसे पढ़े जैसे तन्दरूस्त पढ़ते हैं उस तरह नहीं पढ़ सकता जैसे बीमारी में पढ़ता मसलन बैठ कर या इशारे से अगर उसी तरह पढ़ी तो न हुई, और सेहत की हालत में क़ज़ा हुई बीमारी में उन्हें पढ़ना चाहता है तो जिस तरह पढ़ सकता है पढ़े हो जायेगी सेहत की सी पढ़ना इस वक़्त वाजिब नहीं।(आलमगीरी)

मसअला :– पानी में डूब रहा है अगर इस वक़्त भी बग़ैर अमले कसीर इशारे से पढ़ सकता है मसलन तैराक है या लकड़ी वग़ैरा का सहारा पाया जाये तो पढ़ना फ़र्ज़ है वर्ना मअ्जूर है बच जाये तो क़ज़ा पढ़े। (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार)

मसअला :– आँख बनवाई और तबीबे हाज़िक़ मुसलमान (माहिर मुसलमान हकीम,डाक्टर)मस्तूर (यानी जिसकी हालत मालूम न हो कि परहेज़गार है या फ़ासिक़)ने लेटे रहने का हुक्म दिया तो लेट कर इशारे से पढ़े। (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार)

मसअला :– मरीज़ के नीचे नजिस बिछौना बिछा है और हालत यह हो कि बदला भी जाये तो नमाज़ पढ़ते–पढ़ते नमाज़ न होने की मिक़दार बिछौना नापाक हो जाये तो उसी पर नमाज़ पढ़े। यूँही अगर बदला जाये तो इस क़द्र जल्द नजिस न होगा मगर बदलने में उसे शदीद तकलीफ़ होगी तो उसी नजिस बिछौना ही पर पढ़ ले। (आलमगीरी,दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार)

तम्बीहे ज़रूरी

मुसलमान इस बाब के मसाइल को देखें तो उन्हें बख़ूबी मालूम हो जायेगा कि शरीअते मुतह्हरा ने किसी हालत में भी सिवा बाज़ नादिर सूरतों के नमाज़ मुआफ़ नहीं की बल्कि यह हुक्म दिया कि जिस तरह मुमकिन हो पढ़े। आजकल जो बड़े नमाज़ी कहलाते हैं उनकी यह हालत देखी जा रही है कि बुख़ार आया ज़रा शिद्दत हुई नमाज़ छोड़ दी। शिद्दत का दर्द हुआ नमाज़ छोड़ दी। कोई फुड़िया निकल आई नमाज़ छोड़ दी यहाँ तक नौबत पहुँच गई है कि दर्दे सर व ज़ुकाम में नमाज़ छोड़ बैठते हैं हालाँकि जब तक इशारे से भी पढ़ सकता हो और न पढ़े तो उन्हीं वईदों का मुस्तहिक़ है जो शुरूअ् किताब में नमाज़ छोड़ने वाले के लिए अहादीस से बयान हुईं। अल्लाह तआला हमें अपनी पनाह में रखे।

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْ مُقِيْمِي الصَّلٰوةِ وَ مَنْ صَالِحِيْ اَهْلِهَا اَحْيَاءً وَّ اَمْوَاتاً وَّ ارْزُقْنَا اِتِّبَاعَ شَرِيْعَةِ حَبِيْبِكَ الْكَرِيْمِ عَلَيْهِ اَفْضَلُ الصَّلٰوةِ وَ التَّسْلِيْمِ. اٰمِيْنَ

तर्जमा :– ऐ अल्लाह तू हम को नमाज़ क़ाइम करने वालों में और जिन्दगी और मरने के बाद अच्छे नमाज़ वालों में कर और अपने हबीबे करीम की शरीअत की पैरवी रोज़ी कर उन पर बेहतर दुरूद व सलाम नाज़िल फ़रमा। आमीन !

सजदा तिलावत का बयान

सही मुस्लिम में अबू हुरैरह रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फ़रमाते हैं जब इब्ने आदम आयते सजदा पढ़ कर सजदा करता है शैतान हट जाता है और रो कर कहता है हाय बर्बादी मेरी,इब्ने आदम को सजदे का हुक्म हुआ उस ने सजदा किया उसके लिए जन्नत है और मुझे हुक्म हुआ मैंने इन्कार किया मेरे लिए दोज़ख़ है।

मसअला :– सजदे की चौदह आयतें हैं वह यह हैं।

1. सूरए अअ्राफ़ की आख़िर आयतः–

اِنَّ الَّذِيْنَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِهٖ وَ يُسَبِّحُوْنَهٗ وَلَهٗ يَسْجُدُوْنَ۝

2.सूरए रअ्द की यह आयत :–

وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ طَوْعًا وَّ كَرْهًا وَّ ظِلٰلُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَ الْاٰصَالِ۝

3.सूरए नहल की यह आयतः–

وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ مِنْ دَآبَّةٍ وَّ الْمَلٰٓئِكَةُ وَ هُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ۝

4.सूरए बनी इस्राईल में यह आयतः–

اِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهٖٓ اِذَا يُتْلٰى عَلَيْهِمْ يَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ سُجَّدًا ۝ وَّ يَقُوْلُوْنَ سُبْحٰنَ رَبِّنَآ اِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُوْلًا ۝ وَ يَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ يَبْكُوْنَ وَ يَزِيْدُهُمْ خُشُوْعًا۝

5.सूरए मरयम में यह आयतः–

اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُ الرَّحْمٰنِ خَرُّوْا سُجَّدًا وَّ بُكِيًّا۝

6.सूरए हज में पहली जगह जहाँ सजदे का जिक है यह आयत

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يَسْجُدُ لَهٗ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَ مَنْ فِي الْاَرْضِ وَ الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ وَ النُّجُوْمُ وَ الْجِبَالُ وَ الشَّجَرُ وَ الدَّوَآبُّ وَ كَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ ؕ وَ كَثِيْرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ ؕ وَ مَنْ يُّهِنِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ مُّكْرِمٍ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ۝

7.सूरए फ़ुरक़ान में यह आयतः–

وَ اِذَا قِيْلَ لَهُمُ اسْجُدُوْا لِلرَّحْمٰنِ قَالُوْا وَ مَا الرَّحْمٰنُ اَنَسْجُدُ لِمَا تَاْمُرُنَا وَ زَادَهُمْ نُفُوْرًا۝

8.सूरए नम्ल में यह आयत

اَلَّا يَسْجُدُوْا لِلّٰهِ الَّذِيْ يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ يَعْلَمُ مَا تُخْفُوْنَ وَ مَا تُعْلِنُوْنَ۝ اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ۝

9.सूरए सजदा में यह आयतः–

اِنَّمَا يُؤْمِنُ بِاٰيٰتِنَا الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِّرُوْا بِهَا خَرُّوْا سُجَّدًا وَّ سَبَّحُوْا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَ هُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ۝

10.सूरए ص में यह आयत

فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهٗ وَ خَرَّ رَاكِعًا وَّ اَنَابَ فَغَفَرْنَا لَهٗ ذٰلِكَ وَ اِنَّ لَهٗ عِنْدَنَا لَزُلْفٰى وَ حُسْنَ مَاٰبٍ ۝

11.حم السجدة में यह आयत :–

وَ مِنْ اٰيٰتِهِ الَّيْلُ وَ النَّهَارُ وَ الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوْا لِلشَّمْسِ وَ لَا لِلْقَمَرِ وَ اسْجُدُوْا لِلّٰهِ الَّذِيْ خَلَقَهُنَّ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ۝ فَاِنِ اسْتَكْبَرُوْا فَالَّذِيْنَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُوْنَ لَهٗ بِالَّيْلِ وَ النَّهَارِ وَ هُمْ لَا يَسْئَمُوْنَ۝

12.सूरए नज्म की इस आयत में :–

فَاسْجُدُوْا لِلّٰهِ وَ اعْبُدُوْا۝

13.सूरए इन्शिक़ाक़ में यह आयत :–

فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ وَ اِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْاٰنُ لَا يَسْجُدُوْنَ۝

14.सूरए इक़रा में यह आयत :–

وَ اسْجُدْ وَ اقْتَرِبْ

मसअला :– आयते सजदा पढ़ने या सुनने से सजदा वाजिब हो जाता है पढ़ने में यह शर्त है कि इतनी आवाज़ से हो कि अगर कोई उज़्र न हो तो ख़ुद सुन सके। सुनने वाले के लिए यह ज़रूरी नहीं कि बिलक़स्द (जानबूझ कर)सुनी हो,बिला क़स्द (अन्जाने से) सुनने से भी सजदा वाजिब हो जाता है। (हिदाया,दुर्रे मुख़्तार वग़ैरहुमा)

मसअला :– सजदा वाजिब होने के लिए पूरी आयत पढ़ना ज़रूरी नहीं बल्कि वह लफ़्ज़ जिसमें सजदे का माद्दा पाया जाता है और उसके साथ क़ब्ल या बाद का कोई लफ़्ज़ मिला कर पढ़ना काफ़ी है। (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– अगर इतनी आवाज़ से आयत पढ़ी कि सुन सकता था मगर शोर गुल होने की वजह से न सुनी तो सजदा वाजिब हो गया और अगर महज़ (सिर्फ़) होंट हिले आवाज़ पैदा न हुई तो वाजिब न हुआ। (आलमगीरी वग़ैरा)

मसअला :– क़ारी ने आयत पढ़ी मगर दूसरे ने न सुनी तो अगर्चे उसी मजलिस में हो उस पर सजदा वाजिब न हुआ अलबत्ता नमाज़ में इमाम ने आयत पढ़ी तो मुक़तदियों पर वाजिब हो गया अगर्चे न सुनी हो बल्कि अगर्चे आयत पढ़ते वक़्त वह मौजूद भी न था बाद पढ़ने के सजदे से पहले शामिल हुआ और अगर इमाम से आयत सुनी मगर इमाम के सजदा करने के बाद उसी रकअत में शामिल हुआ तो इमाम का सजदा उस के लिए भी काफ़ी है और दूसरी रकअत से शामिल हुआ तो नमाज़ के बाद सजदा करे। यूँही अगर शामिल ही न हुआ जब भी सजदा करे।(आलमगीरी,दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– सूरए हज की आख़िर आयत जिस में सजदे का ज़िक है उसके पढ़ने या सुनने से

सजदा वाजिब नहीं कि उसमें सजदे से मुराद नमाज़ का सजदा है अलबत्ता अगर शाफ़िई मज़हब के इमाम की इक़्तिदा की और उसने इस मौक़े पर सजदा किया तो उसकी मुताबअत (पैरवी) में मुक़तदी पर भी वाजिब है। (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– इमाम ने आयते सजदा पढ़ी और सजदा किया तो मुक़तदी भी उसकी मुताबअत में सजदा करेगा अगर्चे आयत न सुनी हो। (ग़ुनिया)

मसअला :– मुक़तदी ने आयते सजदा पढ़ी तो न ख़ुद उस पर सजदा वाजिब है न इमाम पर न और मुक़तदियों पर न नमाज़ में न बाद में अलबत्ता अगर दूसरे नमाज़ी ने कि उसके साथ नमाज़ में शरीक न था आयत सुनी ख़्वाह वह मुनफ़रिद हो या दूसरे इमाम का मुक़तदी या दूसरा इमाम, उन पर बादे नमाज़ सजदा वजिब है। यूँही उस पर भी वाजिब है जो नमाज़ में न हो। (आलमगीरी,दुर्रे मुख़्तार,रद्दुलमुहतार)

मसअला :– जो शख़्स नमाज़ में नहीं और आयते सजदा पढ़ी और नमाज़ी ने सुनी तो नमाज़ के बाद सजदा करे नमाज़ में न करे और नमाज़ ही में कर लिया तो काफ़ी न होगा नमाज़ के बाद फिर करना होगा मगर नमाज़ फ़ासिद न होगी। हाँ अगर तिलावत करने वाले के साथ सजदा किया और इत्तिबा का इरादा भी किया तो नमाज़ जाती रही। (ग़ुनिया,आलमगीरी)

मसअला :– जो शख़्स नमाज़ में न था आयते सजदा पढ़ कर नमाज़ में शामिल हो गया तो सजदा साक़ित हो गया। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– रुकूअ् या सुजूद में आयते सजदा पढ़ी तो सजदा वाजिब हो गया और उसी रुकूअ् या सुजूद से अदा भी हो गया और तशह्हुद में पढ़ी तो सजदा वाजिब हो गया। लिहाज़ा सजदा करे(रद्दुल मुहतार)

मसअला :– आयते सजदा पढ़ने वाले पर उस वक़्त सजदा वाजिब होता है कि वह वुजूबे नमाज़ का अहल हो यानी अदा या क़ज़ा का उसे हुक्म हो, लिहाज़ा अगर काफ़िर या मजनून या नाबालिग़ या हैज़ व निफ़ास वाली औरत ने आयत पढ़ी तो इन पर सजदा वाजिब नहीं और मुसलमान आक़िल बालिग अहले नमाज़ ने इनसे सुनी तो इस पर वाजिब हो गया, और जुनून अगर एक दिन रात से ज़्यादा न हो तो मजनून पर पढ़ने या सुनने से वाजिब है। बे–वुज़ू जुनुब ने आयत पढ़ी या सुनी तो सजदा वाजिब है। नशे वाले ने आयत पढ़ी या सुनी तो सजदा वाजिब है। यूँही सोते में आयत पढ़ी बेदारी के बअ्द उसे किसी ने ख़बर दी तो सजदा करे। नशा वाले या सोने वाले ने आयत पढ़ी तो सुनने वाले पर सजदा वाजिब हो गया। (आलमगीरी दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– औरत ने नमाज़ में आयते सजदा पढ़ी और सजदा न किया यहाँ तक कि हैज़ आ गया तो सजदा साक़ित हो गया। (आलमगीरी)

मसअला :– नफ़्ल पढ़ने वाले ने आयत पढ़ी और सजदा भी कर लिया फिर नमाज़ फ़ासिद हो गई तो इसकी क़ज़ा में सजदे का इआदा नहीं और न किया था तो नमाज़ के बअ्द अलग से करे। (आलमगीरी)

मसअला :– फ़ारसी या किसी और ज़बान में आयत का तर्जमा पढ़ा तो पढ़ने वाले और सुनने वाले पर सजदा वाजिब हो गया। सुनने वाले ने यह समझा हो या नहीं कि आयते सजदा का तर्जमा है। अलबत्ता यह ज़रूर है कि उसे न मअ्लूम हो तो बता दिया गया हो कि यह आयते सजदा का तर्जमा है और आयत पढ़ी गई हो तो इसकी ज़रूरत नहीं कि सुनने वाले को आयते सजदा होना बताया गया हो। (आलमगीरी)

मसअला :– चन्द शख़्सों ने एक–एक हर्फ़ पढ़ा कि सबका मजमुआ आयते सजदा हो गया तो किसी पर वाजिब न होगा। यूँही परिन्दे से आयते सजदा सुनी या जंगल या पहाड़ वग़ैरा में आवाज़ गूँजी और बिजिन्सेही आयत की आवाज़ कान में आई तो सजदा वाजिब नहीं (आलमगीरी दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– आयते सजदा पढ़ने के बाद मआज़ल्लाह मुर्तद हो गया फिर मुसलमान हुआ तो सजदा वाजिब न रहा। (आलमगीरी)

मसअला :– आयते सजदा लिखने या उसकी तरफ़ नज़र करने से सजदा वाजिब नहीं। (आलमगीरी,ग़ुनिया)

मसअला :– सजदए तिलावत के लिए तहरीमा के सिवा वह तमाम शराइत हैं जो नमाज़ के लिए हैं। मसलन तहारत,इस्तिक़बाले क़िब्ला,नियत,वक़्त उस मअ्ना पर कि आगे आता है,सत्रे औरत। लिहाज़ा अगर पानी पर क़ादिर है तयम्मुम कर के सजदा करना जाइज़ नहीं। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअला :– इसकी नियत में यह शर्त नहीं कि फ़ुलाँ आयत का सजदा है बल्कि मुतलक़न सजदए–तिलावत की नियत काफ़ी है। (दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार)

मसअला :– जो चीज़ें नमाज़ को फ़ासिद करती हैं उनसे सजदा भी फ़ासिद हो जायेगा मसलन हदसे अ़मद यानी जान बूझ कर सजदा करने में वुज़ू तोड़ना व कलाम (बात करना) व क़हक़हा (ज़ोर से हँसना)इन सब बातों से सजदा भी फ़ासिद हो जायेगा यानी फिर से सजदा करना वाजिब होगा। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअला :– सजदे का मसनून तरीक़ा यह है कि खड़ा होकर अल्लाहु अकबर कहता हुआ सजदा में जाये और कम से कम तीन बार سُبْحَانَ رَبِّيَ الْاَعْلٰى कहे फिर अल्लाहु अकबर कहता हुआ खड़ा हो जाये। पहले, पीछे दोनों बार अल्लाहु अकबर कहना सुन्नत है और खड़े होकर सजदे में जाना और सजदे के बाद खड़ा होना यह दोनों क़ियाम मुस्तहब। (आलमगीरी,रद्दुल मुहतार वग़ैरा)

मसअला :– मुस्तहब यह है कि तिलावत करने वाला आगे और सुनने वाले उसके पीछे सफ़ बाँध कर सजदा करें और यह भी मुस्तहब है कि सुनने वाले उससे पहले सर न उठायें और अगर इसके ख़िलाफ़ किया मसलन अपनी–अपनी जगह पर सजदा किया अगर्चे तिलावत करने वाले के आगे या उससे पहले सजदा किया या सर उठा लिया या तिलावत करने वाले ने इस वक़्त सजदा न किया और सुनने वाले ने कर लिया तो हरज नहीं और तिलावत करने वाले का सजदा फ़ासिद हो जाये तो उनके सजदों पर इसका कुछ असर नहीं कि यह हक़ीक़तन इक़्तिदा नहीं लिहाज़ा औरत ने अगर तिलावत की तो मर्दों की अमाम यअ्नी सजदे में आगे हो सकती है और औरत मर्द के मुहाज़ी (बराबर) हो जाये तो फ़ासिद न होगा। (आलमगीरी ग़ुनिया)

मसअला :– अगर सजदे से पहले या बअ्द में खड़ा न हुआ या अल्लाहु अकबर न कहा या सुब्हाना न पढ़ा तो हो जायेगा मगर तकबीर छोड़ना न चाहिए कि सल्फ़ (बुज़ुर्गों) के ख़िलाफ़ है। (आलमगीरी)

मसअला : – अगर तन्हा सजदा करे तो सुन्नत यह है कि तकबीर इतनी आवाज़ से कहे कि ख़ुद सुन ले और दूसरे लोग भी उसके साथ हों तो मुसतहब यह है कि इतनी आवाज़ से कहे कि दूसरे भी सुनें। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– यह जो कहा गया कि सजदा तिलावत में سُبْحَانَ رَبِّيَ الْاَعْلٰى पढ़े यह फ़र्ज़ नमाज़ में है और नफ़्ल नमाज़ में सजदा किया तो चाहे यह पढ़े या और दुआयें जो अहादीस में वारिद हैं वह पढ़े

मसलन :–

سَجَدَ وَجْهِیَ لِلَّذِیْ خَلَقَهٗ وَ صَوَّرَهٗ وَ شَقَّ سَمْعَهٗ وَ
بَصَرَهٗ بِحَوْلِهٖ وَ قُوَّتِهٖ فَتَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِیْنَ.

तर्जमा :– "मेरे चेहरे ने सजदा किया उसके लिये जिस ने उसे पैदा किया और उसकी सूरत बनाई और अपनी ताक़त व कुव्वत से कान और आँख की जगह फाड़ी बरकत वाला है अल्लाह जो अच्छा पैदा करने वाला है"।

या यह पढ़े :–

اَللّٰهُمَّ اكْتُبْ لِیْ عِنْدَكَ بِهَا اَجْرًا وَّ ضَعْ عَنِّیْ بِهَا وِزْرًا وَّ اجْعَلْهَا
لِیْ عِنْدَكَ ذُخْرًا وَّ تَقَبَّلْهَا مِنِّیْ كَمَا تَقَبَّلْتَهَا مِنْ عَبْدِكَ دَاوٗدَ.

तर्जमा:– ऐ अल्लाह ! इस सजदे की वजह से तू मेरे लिये अपने नज़दीक सवाब लिख और इसकी वजह से मुझसे गुनाह को दूर कर और इसे तू मेरे लिए अपने पास ज़खीरा बना और उसको तू मुझ से कबूल कर जैसा तूने अपने बन्दे दाऊद अलैहिस्सलाम से कबूल किया।

या यह कहे :–

سُبْحٰنَ رَبِّنَا اِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُوْلًا.

तर्जमा :– " पाक है हमारा रब बेशक हमारे परवरदगार का वअ़दा होकर रहेगा"।

और अगर बैरूने नमाज़ (नमाज से बाहर)हो तो चाहे यह पढ़े या सहाबा व ताबेईन से जो आसार मरवी हैं वह पढ़े मसलन इब्ने उ़मर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से मरवी है वह कहते थे:–

اَللّٰهُمَّ لَكَ سَجَدَ سَوَادِیْ وَ بِكَ اٰمَنَ فُؤَادِیْ
اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِیْ عِلْمًا یَّنْفَعُنِیْ وَ عَمَلًا یَّرْفَعُنِیْ.

तर्जमा :– "ऐ अल्लाह! मेरे जिस्म ने तुझे सजदा किया और मेरा दिल तुझ पर ईमान लाया। ऐ अल्लाह ! तू मुझ को इल्मे नाफ़ेअ़ और अ़मले राफ़ेअ़ रोज़ी कर"। (गुनिया,रद्दुल मुहतार)

मसअला :– सजदए तिलावत के लिए अल्लाहु अकबर कहते वक़्त न हाथ उठाना है न इसमें तशह्हुद है न सलाम। (तन्वीरूल अबसार)

मसअला :– आयते सजदा बैरूने नमाज़ (नमाज़ के बाहर)पढ़ी तो फ़ौरन सजदा कर लेना वाजिब नहीं, हाँ बेहतर है कि फ़ौरन करे और वुज़ू हो तो ताख़ीर मकरूहे तन्ज़ीही। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– उस वक़्त अगर किसी वजह से सजदा न कर सके तो तिलावत करने वाले और सामेअ़ (सुनने वाले) को यह कह लेना मुस्तहब है :–

سَمِعْنَا وَ اَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَ اِلَیْكَ الْمَصِیْرُ.

तर्जमा :–"हमने सुना और हुक्म माना तेरी मग़फ़िरत का सवाल करते है ऐ परवरदिगार! और तेरी ही तरफ़ फिरना है"।

मसअला :– सजदए तिलावत नमाज़ में फ़ौरन करना वाजिब है, ताख़ीर करेगा गुनाहगार होगा और सजदा करना भूल गया तो जब तक हुरमते नमाज़ में है, कर ले (यानी कोई ऐसा काम न किया हो जो नमाज़ को तोड़ने वाला है तो सजदा करे)अगर्चे सलाम फेर चुका हो और सजदए सहव करे। (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार) ताख़ीर से मुराद तीन आयत से ज़्यादा पढ़ लेना है कम में ताख़ीर नहीं मगर

आख़िर सूरत में अगर सजदा वाक़ेअ़ है मसलन इन्शक़्क़त (यअ़नी सूरए इन्शक़्क़त) तो सूरत पूरी करके सजदा करेगा जब भी हरज नहीं। (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– नमाज़ में आयते सजदा पढ़ी उसका सजदा नमाज़ ही में वाजिब है बैरूने नमाज़ नहीं हो सकता और क़स्दन न किया तो गुनाहगार हुआ,तौबा लाज़िम है बशर्ते कि आयते सजदा पढ़ी और सजदा न किया फिर वह नमाज़ फ़ासिद हो गई या क़स्दन फ़ासिद की तो बैरूने नमाज़ सजदा कर ले और सजदा कर लिया तो हाजत नहीं। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– अगर आयत पढ़ने के बाद फ़ौरन नमाज़ का सजदा कर लिया यानी आयते सजदा के बाद तीन आयत से ज़्यादा न पढ़ा और रुकूअ़ कर के सजदा किया तो अगर्चे सजदए तिलावत की नियत न हो अदा हो जायेगा। (आलमगीरी,दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– नमाज़ का सजदए तिलावत नमाज़ के सजदे से भी अदा हो जाता है और रुकूअ़ से भी, मगर रुकूअ़ से जब अदा होगा कि फ़ौरन करे फ़ौरन न किया तो सजदा करना ज़रूरी है और जिस रुकूअ़ से सजदए तिलावत अदा किया ख़्वाह वह रुकूअ़–ए–नमाज़ हो या उसके अलावा,अगर रुकू–ए–नमाज़ है तो उस में अदाए सजदा की नियत कर ले और अगर ख़ास सजदे ही के लिए यह रुकूअ़ किया तो इस रुकूअ़ से उठने के बअ़द मुस्तहब यह है कि दो तीन आयतें या ज़्यादा पढ़कर रुकू–ए–नमाज़ करे फ़ौरन न करे और अगर आयते सजदा पर सूरत ख़त्म है और सजदे के लिए रुकूअ़ किया तो दूसरी सूरत की आयतें पढ़ कर रुकूअ़ करे। (गुनिया,आलमगीरी,दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार)

मसअला :– आयते सजदा बीच सूरत में है तो अफ़ज़ल यह है कि उसे पढ़ कर सजदा करे फिर कुछ और आयतें पढ़ कर रुकूअ़ करे अगर सजदा न किया और रुकूअ़ कर लिया और इस रुकूअ़ में अदाए सजदा की भी नियत कर ली, तो काफ़ी है और अगर न सजदा किया न रुकूअ़ किया बल्कि सूरत ख़त्म कर के रुकूअ़ किया तो अगर्चे नियत करे नाकाफ़ी है और जब तक नमाज़ में है सजदे की क़ज़ा कर सकता है। (आलमगीरी)

मसअला :– सजदे पर सूरत ख़त्म है और आयते सजदा पढ़ कर सजदा किया तो सजदे से उठने के बअ़द दूसरी सूरत की कुछ आयतें पढ़ कर रुकूअ़ करे और बग़ैर पढ़े रुकूअ़ कर दिया तो भी जाइज़ है। (आलमगीरी)

मसअला :– अगर आयते सजदा के बअ़द ख़त्म सूरत में दो तीन आयतें बाक़ी हैं तो चाहे फ़ौरन रुकूअ़ कर दे या सूरत ख़त्म करने के बअ़द या फ़ौरन सजदा करे फिर बाक़ी आयतें पढ़ कर रुकूअ़ में जाये या सूरत ख़त्म कर के सजदे में जाये सब तरह इख़्तियार है मगर इस सूरते अख़ीरा में सजदे से उठ कर कुछ आयतें दूसरी सूरत की पढ़ कर रुकूअ़ करे। (गुनिया,आलमगीरी)

मसअला :– रुकूअ़ में जाते वक़्त सजदे की नियत नहीं की बल्कि रुकूअ़ में या उठने के बअ़द की तो यह नियत काफ़ी नहीं। (आलमगीरी)

मसअला :– तिलावत के बअ़द इमाम रुकूअ़ में गया और सजदे की नियत कर ली मगर मुक़तदियों ने न की तो इनका सजदा अदा न हुआ। लिहाज़ा इमाम जब सलाम फेरे तो मुक़तदी सजदा कर के क़अ़दा करें और सलाम फेरें इस क़अ़दा में तशह्हुद वाजिब है अगर क़अ़दा न किया तो नमाज़ फ़ासिद हो गई कि क़अ़दा जाता रहा। यह हुक्म जहरी नमाज़ का है सिर्री में चूँकि मुक़तदी को

इल्म नहीं लिहाज़ा माज़ूर है। अगर इमाम ने रुकूअ़ से सजदए तिलावत की नियत न की तो इसी सजदए नमाज़ से मुक़तदियों का भी सजदए तिलावत अदा हो गया अगर्चे नियत न हो। लिहाज़ा इमाम को चाहिए कि रुकूअ़ में सजदे की नियत न करे, मुक़तदियों ने अगर नियत न की तो उनका सजदा अदा न होगा और रुकूअ़ के बअ़्द जब इमाम सजदा करेगा तो उससे सजदए तिलावत बहर हाल अदा हो जायेगा नियत करे या न करे फिर नियत की क्या हाजत।(आलमगीरी,दुर्रे मुख़्तार,रदुल मुहतार)

मसअ्ला :– जहरी नमाज़ में इमाम ने आयते सजदा पढ़ी तो सजदा करना औला (बेहतर)है और सिर्री में रुकूअ़ करना कि मुक़तदियों को धोका न लगे। (रदुल मुहतार)

मसअ्ला :– इमाम ने सजदए तिलावत किया मुक़तदियों को रुकूअ़ का गुमान हुआ और रूकूअ़ में गये तो रुकूअ़ तोड़कर सजदा करें और जिसने रूकूअ़ और एक सजदा किया जब भी हो गया और अगर रुकूअ़ करके दो सजदे कर लिये तो उसकी नमाज़ गई। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– मुसल्ली(नमाज़ी) सजदए तिलावत भूल गया रुकूअ़ या सजदा या क़अ्दा में याद आया तो उसी वक़्त सजदा करे फिर जिस रुक्न में था उसकी तरफ़ लौट आये यअ्नी रुकू में था तो सजदा करके रुकूअ़ में वापस हो और अगर उस रुक्न का इआदा न किया यअ्नी लौटाया नहीं जब भी नमाज हो गई। (आलमगीरी) मगर क़अ्द अख़ीरा का इआदा (लौटाना)फ़र्ज़ है कि सजदे से क़अ्दा बातिल हो जाता है।

एक मज्लिस में आयते सजदा पढ़ने या सुनने के मसाइल

मसअ्ला:–एक मजलिस में सजदे की एक आयत को बार–बार पढ़ा या सुना तो एक ही सजदा वाजिब होगा अगर्चे चन्द शख़्सों से सुना हो। यूँही अगर आयत पढ़ी और वही आयत दूसरे से सुनी जब भी एक ही सजदा वाजिब होगा। (दुर्रे मुख़्तार,रदुल मुहतार)

मसअ्ला :– पढ़ने वाले ने कई मजलिसों में एक आयत बार–बार पढ़ी और सुनने वाले की मजलिस न बदली तो पढ़ने वाला जितनी मजलिसों में पढ़ेगा उस पर उतने ही सजदे वाजिब होंगे और सुनने वाले पर एक और अगर इसका उलटा है यअ्नी पढ़ने वाला एक मज्लिस में बार–बार पढ़ता रहा और सुनने वाले की मजलिस बदलती रही तो पढ़ने वाले पर एक सजदा वाजिब होगा सुनने वाले पर उतने जितनी मजलिसों में सुना। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– मजलिस में वही आयत पढ़ी या सुनी और सजदा कर लिया फिर उसी मजलिस में वही आयत पढ़ी या सुनी तो वही पहला सजदा काफ़ी है। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– एक मंजलिस में चन्द बार आयत पढ़ी या सुनी और आख़िर में इतनी ही बार सजदा करना चाहे तो यह भी ख़िलाफ़े मुस्तहब है बल्कि एक ही बार करे ब–ख़िलाफ़ दुरूद शरीफ़ के कि नामे अक़दस लिया सुना तो एक बार दुरूद शरीफ़ वाजिब और हर बार मुस्तहब। (रदुल मुहतार)

मज्लिस बदलने और न बदलने की सूरतें

मसअ्ला :– दो एक लुक़मे खाने, दो एक घूँट पीने, खड़े हो जाने,दो एक क़दम चलने, सलाम का जवाब देने, दो एक बात करने, मकान के एक गोशे से दूसरे गोशे की तरफ़ चले जाने से मजलिस न बदलेगी। हाँ अगर मकान बड़ा है जैसे शाही महल तो ऐसे मकान में एक गोशे से दूसरे में जाने से मजलिस बदल जयेगी। कश्ती में है और कश्ती चल रही है मजलिस न बदलेगी। रेल का भी

यही हुक्म होना चाहिए। जानवर पर सवार है और वह चल रहा है तो मजलिस बदल रही है। हाँ अगर सवारी पर नमाज़ पढ़ रहा है तो न बदलेगी। तीन लुक़मे खाने, तीन घुँट पीने,तीन कलिमे बोलने, तीन क़दम मैदान में चलने, निकाह या ख़रीद व फ़रोख़्त, करने लेट कर सो जाने से मजलिस बदल जायेगी। (आलमगीरी,गुनिया,दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअ्ला :– सवारी पर नमाज़ पढ़ता है और कोई शख़्स साथ चल रहा है या वह भी सवार है मगर नमाज़ में नहीं,ऐसी हालत में अगर आयत बार–बार पढ़ी तो इस पर एक सजदा वाजिब है और साथ वाले पर उतने जितनी बार सुना। (दुर्रे मुख़्तार,रदुल मुहतार)

मसअ्ला :– ताना तनना(कपड़ा बुनते वक़्त कपड़ा बुनने के लिए तागा ताना जाना) नहर या हौज़ में तैरना दरख़्त की एक शाख़ से दूसरी शाख़ पर जाना,हल जोतना दायें चलाना, चक्की के बैल के पीछे फिरना,औरत का बच्चा को दूध पिलाना इन सब सूरतों में मजलिस बदल जाती है जितनी बार पढ़ेगा या सुनेगा उतने सजदे वाजिब होंगे। (गुनिया,दुर्रे मुख़्तार वग़ैरहुमा)यही हुक्म कोल्हू के बैल के पीछे चलने का होना चाहिए।

मसअ्ला :– एक जगह बैठे–बैठे ताना तन रहा है तो मजलिस बदल रही है अगर्चे फ़तहुल क़दीर में इसके ख़िलाफ़ लिखा इसलिये कि यह अमले कसीर है। (रदुल मुहतार)

मसअ्ला :– किसी मजलिस में देर तक बैठना, क़िरात,तस्बीह व तहलील दर्स,वअ्ज़ में मशग़ूल होना मजलिस को नहीं बदलेगा और अगर दोनों बार पढ़ने के दरमियान कोई दुनिया का काम किया मसलन कपड़ा सीना वग़ैरा तो मजलिस बदल जायेगी। (रदुल मुहतार)

मसअ्ला :– आयते सजदा नमाज़ के बाहर तिलावत की और सजदा करके फिर नमाज़ शुरूअ़ की और नमाज़ में फिर वही आयत पढ़ी तो उस के लिए दोबारा सजदा करे और अगर पहले न किया था तो यही उसके भी क़ाइम मक़ाम हो गया बशर्ते कि आयत पढ़ने और नमाज़ के दरमियान कोई अजनबी फ़ेल फ़ासिल न हो और अगर न पहले सजदा किया न नमाज़ में तो दोनों साक़ित हो गये और गुनहगार हुआ तौबा करे। (दुर्रे मुख़्तार,रदुल मुहतार)

मसअ्ला :– एक रकअ़त में बार–बार वही आयत पढ़ी तो एक ही सजदा है ख़्वाह चन्द बार पढ़ कर सजदा किया या एक बार पढ़ कर सजदा किया फिर दोबार,तीसरी बार आयत पढ़ी यूँही अगर एक नमाज़ की सब रकअ़तों में या दो–तीन में वही आयत पढ़ी तो सब के लिए एक सजदा काफ़ी है। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– नमाज़ में आयते सजदा पढ़ी और सजदा कर लिया, फिर सलाम के बाद उसी मजलिस में वही आयत पढ़ी तो अगर कलाम न किया था तो वही नमाज़ वाला सजदा इसके भी क़ाइम मक़ाम है और कलाम कर लिया था तो दोबारा सजदा करे और अगर नमाज़ में सजदा न किया था फिर सलाम फेरने के बाद वही आयत पढ़ी तो एक सजदा कर ले नमाज़ वाला साक़ित हो गया। (ख़ानिया, आलमगीरी गुनिया, रदुल मुहतार)

मसअ्ला :– नमाज़ में आयते सजदा पढ़ी और सजदा किया फिर बे–वुज़ू हुआ और वुज़ू करके बिना की फिर वही आयत पढ़ी तो दूसरा सजदा वाजिब न हुआ और अगर बिना के बअ्द दूसरे से वही आयत सुनी तो दूसरा वाजिब है और यह दूसरा सजदा नमाज़ के बाद करे। (आलमगीरी)

मसअला :– एक मजलिस में सजदे की चन्द आयतें पढ़ीं तो उतने ही सजदे करे एक काफ़ी नहीं।

(मसअला :– पूरी सूरत पढ़ना और आयते सजदा छोड़ देना मकरूहे तहरीमी है और सिर्फ़ आयते सजदा पढ़ने में कराहत नहीं मगर बेहतर यह है कि एक आयत पहले या बाद की मिला ले। (दुर्रे मुख्तार)

मसअला :– सुनने वालों ने सजदे का तहय्या किया हो और सजदा करने के लिए तैयार हों और सजदा उन पर भारी न हो तो आयत बलन्द आवाज़ से पढ़ना औला है वर्ना आहिस्ता,और सुनने वालों का हाल मालूम न हो कि इरादा है कि नहीं है जब भी आहिस्ता पढ़ना बेहतर होना चाहिए। (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– आयते सजदा पढ़ी गई मगर काम में मशगूली के सबब न सुनी तो सही यह कि सजदा वाजिब नहीं मगर बहुत से उलमा कहते हैं कि अगर्चे न सुनी सजदा वाजिब हो गया। (दुर्रे मुख्तार)

ज़रूरी फ़ाएदा :– जिस मक़सद के लिए एक मजलिस में सजदे की सब आयतें पढ़ कर सब सजदे करे अल्लाह तआला उसका मक़सद पूरा फ़रमा देगा। ख़्वाह एक–एक आयत पढ़ कर उसका सजदा करता जाये या सब को पढ़ कर आख़िर में चौदह सजदे करे। (गुनिया,दुर्रे मुख्तार,रद्दुल मुहतार)

मसअला :– ज़मीन पर आयते सजदा पढ़ी तो यह सजदा सवारी पर नहीं कर सकता मगर ख़ौफ़ की हालत में हो तो हो सकता है और सवारी पर आयत पढ़ी तो सफ़र की हालत में सवारी पर भी सजदा कर सकता है। (आलमगीरी)

मसअला :– मरज़ की हालत में इशारे से भी सजदा अदा हो जायेगा। यूँही सफ़र में सवारी पर इशारे से हो जायेगा। (आलमगीरी,वगैरा)

मसअला :– जुमा व ईदैन व दूसरी नमाज़ों में और जिस नमाज़ में भारी जमाअत हो आयते सजदा इमाम को पढ़ना मकरूह है। हाँ अगर आयत के बाद फ़ौरन रुकूअ व सुजूद कर दे और रुकूअ में नियत न करे तो कराहत नहीं। (गुनिया, दुर्रे मुख्तार,रद्दुल मुहतार)

सजदए शुक्र के कुछ मौके

मसअला :– सजदा शुक्र मसलन औलाद पैदा हुई या माल पाया या गुमी हुई चीज़ मिल गई या मरीज़ ने शिफ़ा पाई या मुसाफ़िर वापस आया गरज़ किसी नेअ्मत पर सजदा करना मुस्तहब है और इसका तरीक़ा वही है जो सजदए तिलावत का है। (आलमगीरी,रद्दुल मुहतार)

मसअला :– सजदा बे–सबब जैसा अक्सर अवाम करते हैं न सवाब न मकरूह।

नमाज़े मुसाफ़िर का बयान

अल्लाह तआला फ़रमाता है :–

وَ اِذَا ضَرَبْتُمْ فِی الْاَرْضِ فَلَیْسَ عَلَیْکُمْ جُنَاحٌ اَنْ
تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلٰوۃِ اِنْ خِفْتُمْ اَنْ یَّفْتِنَکُمُ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا۔

तर्जमा :– "जब तुम ज़मीन में सफ़र करो तो तुम पर इसका गुनाह नहीं कि नमाज़ में क़स्र करो अगर ख़ौफ़ हो कि क़ाफ़िर तुम्हें फ़ितने में डालेंगे"।

हदीस न.1 :– सही मुस्लिम शरीफ़ में है यअ्ला इब्ने उमय्या रदियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं अमीरुल मोमिनीन फ़ारूक़े आज़म रदियल्लाहु तआला अन्हु से मैंने अर्ज़ की कि अल्लाह तआला ने तो यह फ़रमाया। اَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلٰوۃِ اِنْ خِفْتُمْ اَنْ یَّفْتِنَکُمُ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا۔

तर्जमा :– "क़स्र करो नमाज का अगर तुम लोग डरते हो कि फ़ितने में डाल देंगे तुम लोगों को काफ़िर लोग"।

और अब तो लोग अमन में हैं (यअ्नी अमन की हालत में क़स्र नहीं होना चाहिए)फ़रमाया इसका मुझे भी तअज्जुब हुआ था मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सवाल किया। इरशाद फ़रमाया एक सदक़ा है कि अल्लाह तआला ने तुम पर तसद्दुक फ़रमाया उसका सदक़ा कबूल करो।

हदीस न.2 :– सही बुखारी व सही मुस्लिम में मरवी कि हारिसा इब्ने वहब ख़ुज़ाई रदियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मिना में दो रकअ्त नमाज़ पढ़ाई हालाँकि न हमारी इतनी ज़्यादा तादाद कभी थी न इस क़द्र अमन।

हदीस न.3 :– सहीहैन में अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मदीने में ज़ोहर की चार रकअ्तें पढ़ीं और ज़ुलहुलैफ़ा में अस्र की दो रकअ्तें। (मदीनए मुनव्वरा से तीन मील के फ़ासिले पर एक मकाम का नाम है यह असह है)(मिरक़ात)

हदीस न.4 :– तिर्मिज़ी शरीफ़ में अब्दुल्ला इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से मरवी कहते हैं मैंने नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ हज़र (जहाँ पर आदमी का असली मकाम हो या ऐसी जगह जहाँ पन्द्रह दिन ठहरने का इरादा हो)व सफ़र दोनों में नमाज़ें पढ़ीं। हज़र में हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ ज़ोहर की चार रकअ्तें पढीं और इसके बाद दो रकअ्त और सफ़र में ज़ोहर की दो और इस के बाद दो रकअ्त और अस्र की दो और इसके बाद कुछ नहीं और मग़रिब की हज़र व सफ़र में बराबर तीन रकअ्तें सफ़र व हज़र किसी में नमाज़े मग़रिब की क़स्र न फ़रमाते और इसके बाद दो रकअ्त।

हदीस न.5 :– सहीहैन में उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा रदियल्लाहु तआला अन्हा से मरवी फ़रमाती हैं नमाज़ दो रकअ्त फ़र्ज़ की गई जब हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हिजरत फ़रमाई तो चार फ़र्ज़ कर दी गई और सफ़र की नमाज़ उसी पहले फ़र्ज़ पर छोड़ी गई।

हदीस न.6 :– सही मुस्लिम शरीफ़ में अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से मरवी कहते हैं कि अल्लाह तआला ने नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़बानी हज़र में चार रकअ्तें फ़र्ज़ कीं और सफ़र में दो और ख़ौफ़ में एक यानी इमाम के साथ।

हदीस न.7 :– इब्ने माजा ने अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने नमाज़े सफ़र की दो रकअ्तें मुक़र्रर फ़रमाईं और यह पूरी हैं कम नहीं यअ्नी अगर्चे बज़ाहिर दो रकअ्तें कम हो गईं मगर सवाब में यह दो ही चार के बराबर हैं।

मसाइले फ़िक़्हिय्यह

शरअन मुसाफ़िर वह शख़्स है जो तीन दिन की राह तक जाने के इरादे से बस्ती से बाहर हुआ।

मसअला :– दिन से मुराद साल का सब में छोटा दिन और तीन दिन की राह से यह मुराद नहीं कि सुबह से शाम तक चले कि खाने, पीने, नमाज़ और दीगर ज़रूरियात के लिए ठहरना ज़रूरी है बल्कि मुराद दिन का अकसर हिस्सा है मसलन शुरूअ् सुबह से दोपहर ढलने तक चला फिर ठहर गया फिर दूसरे और तीसरे दिन यूँही किया तो इतनी दूर तक की राह को मुसाफ़ते सफ़र(सफ़र की

दूरी)कहेंगे। दोपहर के बअ़्द तक चलने में भी बराबर चलना मुराद नहीं बल्कि आदतन जितना आराम लेना चाहिये उस क़दर इस दरमियान में ठहरता भी जाये और चलने से मुराद मोअ़्तदिल (दरमियानी)चाल है कि न तेज़ हो न सुस्त, खुश्की में आदमी और ऊँट की दरमियानी चाल का एअ़्तिबार है और पहाड़ी रास्ते में इसी हिसाब से जो उसके लिए मुनासिब हो और दरिया में कश्ती की चाल उस वक़्त की कि हवा न रुकी हो न तेज़। (दुर्रे मुख़्तार,आलमगीरी,वग़ैरहुमा)

मसअ्ला :– साल का छोटा दिन उस जगह मोअ़्तबर है जहाँ रात दिन मोअ़्तदिल(बराबर)हों यानी छोटे दिन के अकसर हिस्से में मन्ज़िल तय कर सकते हों। लिहाज़ा जिन शहरों में बहुत छोटा दिन होता है जैसे बुलगारिया कि वहाँ बहुत छोटा दिन होता है। लिहाज़ा वहाँ के दिन का एअ़्तिबार नहीं। (रद्दुलमुह़तार)

मसअ्ला :– कोस का एअ़्तिबार नहीं कि कोस कहीं छोटे होते हैं कहीं बड़े बल्कि एअ़्तिबार तीन मंजिलों का है और खुश्की में मील के हिसाब से इसकी मिक़दार $57\frac{3}{8}$ मील है। (फ़तावा रज़विया)

मसअ्ला :– किसी जगह जाने के दो रास्ते हैं एक से मसाफ़ते सफ़र है दूसरे से नहीं तो जिस रास्ते से यह जायेगा उस का एअ़्तिबार है नजदीक वाले रास्ते से गया तो मुसाफ़िर नहीं और दूर वाले से गया तो है अगर्चे उस रास्ते कि इख्तियार करने में उसकी कोई सही गरज न हो।(आलमगीरी)

मसअ्ला :– किसी जगह जाने के दो रास्ते है एक दरिया का दूसरा खुश्की का। इनमें एक दो दिन का है दूसरा तीन दिन का। तीन दिन वाले से जाये तो मुसाफिर है वर्ना नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– तीन दिन की राह को तेज सवारी पर दो दिन या कम में तय करे तो मुसाफ़िर ही है और तीन दिन से कम के रास्ते को ज़्यादा दिनों मे तय किया तो मुसाफिर नहीं।(दुर्रे मुख़्तार,आलमगीरी)

मसअ्ला :– तीन दिन की राह को किसी वली ने अपनी करामत से बहुत थोड़े ज़माने में तय किया तो ज़ाहिर यही है कि मुसाफ़िर के अहकाम उसके लिए साबित हो मगर इमाम इब्ने हुमाम ने उसका मुसाफ़िर होना मुसतबइद फ़रमाया यानी उसे मुसाफिर नहीं माना।

मसअ्ला :– महज़ सफ़र की नियत कर लेने से मुसाफिर न होगा बल्कि मुसाफ़िर का हुक्म उस वक़्त से है कि बस्ती की आबादी से बाहर हो जाये शहर में है तो शहर से गाँव में हैं तो गाँव से,और शहर वाले के लिए ,यह भी ज़रूरी है कि शहर के आस–पास जो आबादी शहर से मुत्तसिल (मिली हुई) है उससे भी बाहर हो जाये। (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुलमुह़तार)

मसअ्ला :– फ़नाए शहर से जो गाँव मुत्तसिल हैं शहर वाले के लिए उस गाँव से बाहर हो जाना ज़रूरी नहीं। यूँही शहर से मिले हुए बाग़ हों अगर्चे उनके निगहबान और काम करने वाले उनमें रहते हों उन बागों से निकल जाना ज़रूरी नहीं। (रद्दुल मुह़तार)

मसअ्ला :– फ़नाए शहर यानी शहर से बाहर की वह जगह जो शहर के कामों के लिए हो मसलन क़ब्रिसतान,घुडदौड का मैदान कूड़ा फेंकने की जगह अगर यह शहर से मुत्तसिल हों तो इनसे बाहर हो जाना जरूरी है और अगर शहर व फना के दरमियान फ़ासिला हो तो नहीं। (रद्दुल मुह़तार)

मसअ्ला :– आबादी से बाहर होने से मुराद यह है कि जिधर जा रहा है उस तरफ़ आबादी ख़त्म हो जाये अगर्चे उसकी मुहाज़ात (मुकाबिल)में दूसरी तरफ़ ख़त्म न हुई हों। (ग़ुनिया)

मसअ्ला :– कोई मुहल्ला पहले शहर से मिला हुआ था मगर अब जुदा हो गया तो उससे बाहर

होना भी ज़रूरी है और जो मुहल्ला वीरान हो गया ख़्वाह शहर से पहले मुत्तसिल था या अब भी मुत्तसिल है उस से बाहर होना शर्त नहीं (ग़ुनिया,रद्दुल मुह़तार)

मसअ्ला :– स्टेशन जहाँ आबादी से बाहर हो तो स्टेशन पर पहुँचने से मुसाफ़िर हो जायेगा जबकि मसाफ़ते सफ़र तक जाने का इरादा हो।

मसअ्ला :– सफ़र के लिए यह भी ज़रूरी है कि जहाँ से चले वहाँ से तीन दिन की राह का इरादा हो और अगर दो दिन की राह के इरादे से निकला और वहाँ पहुँच कर दूसरी जगह का इरादा हुआ कि वह भी तीन दिन से कम का रास्ता है यूँही सारी दुनिया घूम आये मुसाफिर नहीं। (ग़ुनिया,दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला :– यह भी शर्त है कि तीन दिन का इरादा मुत्तसिल सफ़र (यानी एक साथ लगातार सफ़र) का हो अगर यूँ इरादा किया कि मसलन दो दिन की राह पर पहुँच कर कुछ काम करना है वह कर के फिर एक दिन की राह जाऊँगा तो तीन दिन की राह का मुत्तसिल इरादा न हुआ,मुसाफिर न हुआ। (फ़तावा रज़विया)

मसअ्ला :– मुसाफ़िर पर वाजिब है कि नमाज़ में क़स्र करे यअ़्नी चार रकअ़्त वाले फ़र्ज़ को दो पढ़े। उसके हक़ में दो ही रकअ़्तें पूरी नमाज़ हैं और क़स्दन चार पढ़ीं और दो पर क़अ़्दा किया तो फ़र्ज़ अदा हो गये और पिछली दो रकअ़्तें नफ़्ल हुईं मगर गुनाहगार व मुस्तहिके नार हुआ कि वाजिब छोड़ा लिहाज़ा तौबा करे और दो रकअ़्त पर क़अ़्दा न किया तो फ़र्ज़ अदा न हुए और वह नमाज़ नफ़्ल हो गई। हाँ अगर तीसरी रकअ़्त का सजदा करने से पहले इक़ामत की नियत कर ली तो फ़र्ज़ बातिल न होंगे मगर क़ियाम व रुकूअ़् का इआ़दा (लौटाना) करना होगा और अगर तीसरी के सजदे में नियत की तो अब फ़र्ज़ जाते रहे। यूँही अगर पहली दोनों या एक में क़िरात न की नमाज़ फ़ासिद हो गई। (हिदाया,आलमगीरी,दुर्रेमुख़्तार वग़ैराहुम)

मसअ्ला :– यह रुख़सत कि मुसाफ़िर के लिए है मुतलक़ है उसका सफ़र जाइज़ काम के लिए है या नाजाइज़ के लिए बहरहाल मुसाफ़िर के अहकाम उसके लिए साबित होंगे। (आम्मए कुतुब)

मसअ्ला :– काफ़िर तीन दिन की राह के इरादे से निकला दो दिन के बाद मुसलमान हो गया तो उसके लिये क़स्र है और नाबालिग़ तीन दिन की राह के इरादे से निकला और रास्ते में बालिग़ हो गया,अब से जहाँ जाना है तीन दिन की राह न हो तो पूरी पढ़े। हैज़ वाली पाक हुई और अब से तीन दिन की राह न हो तो पूरी पढ़े। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– बादशाह ने रिआ़या का हाल जानने के लिए मुल्क में सफ़र किया तो क़स्र न करे जबकि पहला इरादा मुत्तसिल तीन मंज़िल का न हो और अगर किसी और ग़रज़ के लिए हो और मसाफ़ते सफ़र हो तो क़स्र करे। (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुह़तार)

मसअ्ला :– सुन्नतों में क़स्र नहीं बल्कि पूरी पढ़ी जायेंगी अलबत्ता ख़ौफ़ और रवारवी (जल्दी)की हालत में माफ़ हैं और अमन की हालत में पढ़ी जायें। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– मुसाफ़िर उस वक़्त तक मुसाफ़िर है जब तक अपनी बस्ती में पहुँच न जाये या आबादी में पूरे पन्द्रह दिन ठहरने की नियत न करे। यह उस वक़्त है जब तीन दिन की राह चल चुका हो और अगर तीन मन्ज़िल पहुँचने से पहले वापसी का इरादा कर लिया तो मुसाफ़िर न रहा अगर्चे जंगल में हो। (आलमगीरी दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– नियते इक़ामत (ठहरने की नियत)सही होने के लिए छःशर्ते हैं :–
1.चलना तर्क करे अगर चलने की हालत में इक़ामत की नियत की तो मुक़ीम नहीं ।
2. वह जगह इक़ामत की सलाहियत रखती हो। जंगल या दरिया या ग़ैर आबाद टापू में इक़ामत की नियत की मुक़ीम न हुआ। 3. पन्द्रह दिन ठहरने की नियत हो इससे कम ठहरने की नियत से मुक़ीम न होगा। 4. यह नियत एक ही जगह ठहरने की हो अगर दो मौज़ों में पन्द्रह दिन ठहरने का इरादा हो मसलन एक में दस दिन दूसरे में पाँच दिन तो मुक़ीम न होगा। 5. अपना इरादा मुस्तक़िल रखता हो यअ्नी किसी का ताबेअ् न हो। 6. उसकी हालत उसके इरादे के मुनाफ़ी (ख़िलाफ़) न हो। (आलमगीरी,रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– मुसाफ़िर जा रहा है और अभी शहर या गाँव में पहुँचा नहीं और इक़ामत की नियत कर ली तो मुक़ीम न हुआ और पहुँचने के बअ्द नियत की तो हो गया अगर्चे अभी मकान वग़ैरा की तलाश में फिर रहा हो। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– मुसलमानों का लश्कर किसी जंगल में पड़ाव डाल दे और डेरा खेमा नसब कर के पन्द्रह दिन ठहरने की नियत करे तो मुक़ीम न हुआ और जो लोग जंगल में ख़ेमों में रहते हैं वह अगर जंगल में ख़ेमा डाल कर पन्द्रह दिन की नियत से ठहरें मुक़ीम हो जायेंगे बशर्ते कि वहाँ पानी और घास वग़ैरा दस्तयाब हों कि उनके लिये जंगल वैसा ही है जैसा हमारे लिए शहर और गाँव।(दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– दो जगह पन्द्रह दिन ठहरने की नियत की और दोनों मुस्तक़िल (अलग–अलग)हों जैसे मिना व मक्का तो मुक़ीम न हुआ और एक दूसरे की ताबेअ् हों जैसे शहर और उसकी फ़ना यानी शहर से बाहर की वह जगह जो शहर के कामों के लिए हो मसलन क़ब्रिस्तान, घुड़दौड़ का मैदान, कूड़ा फेंकने की जगह तो मुक़ीम हो गया। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– यह नियत की कि इन दो बस्तियों में पन्द्रह रोज़ ठहरेगा। एक जगह दिन में रहेगा और दूसरी जगह रात में तो अगर पहले वहाँ गया जहाँ दिन में ठहरने का इरादा है तो मुक़ीम न हुआ और अगर पहले वहाँ गया जहाँ रात में रहने का इरादा है तो मुक़ीम हो गया फिर यहाँ से दूसरी बस्ती में गया जब भी मुक़ीम है। (आलमगीरी रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– मुसाफ़िर अगर अपने इरादे में मुस्तक़िल न हो तो पन्द्रह दिन की नियत से मुक़ीम न होगा मसलन औरत जिसका महरे मुअज्जल शौहर के जिम्मे में बाक़ी न हो कि यह शौहर की ताबेअ् है उसकी अपनी नियत बेकार है और गुलाम ग़ैर मुकातिब (ग़ैर मुकातिब उस गुलाम को कहते हैं जिससे यह न कहा हो कि इतना रुपया कमा कर दे दो तो तुम आज़ाद हो) कि अपने मालिक का ताबेअ् है और लश्करी जिसको बैतुलमाल या बादशाह की तरफ़ से ख़ुराक मिलती है कि अपने सरदार का ताबेअ् है और नौकर कि यह अपने आक़ा का ताबेअ् है और कैदी कि यह क़ैद करने वाले का ताबेअ् है और जिस मालदार पर तावान लाज़िम आया और शागिर्द जिन के उस्ताद के यहाँ से खाना मिलता है कि यह अपने उस्ताद का ताबेअ् है और नेक बेटा अपने बाप का ताबे है,इन सबकी अपनी नियत बेकार है बल्कि जिसके ताबेअ् हैं उनकी नियतों का एअ्तिबार है उनकी नियत इक़ामत की है तो ताबेअ् भी मुक़ीम है उनकी नियत इक़ामत की नहीं तो यह भी मुसाफ़िर हैं। (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार आलमगीरी)

मसअ्ला :– औरत का महरे मुअज्जल बाक़ी है तो उसे इख़्तियार है कि अपने नफ़्स को रोक ले। लिहाज़ा इस वक़्त ताबेअ् नहीं यूँही मुकातिब गुलाम को बग़ैर मालिक की इजाज़त के सफ़र का इख़्तियार है। लिहाज़ा ताबेअ् नहीं और जो सिपाही बादशाह या बैतुलमाल से ख़ुराक नहीं लेता वह ताबेअ् नहीं और अजीर(नौकर)जो महीना या साल पर नौकर नहीं बल्कि रोज़ाना उसका मुक़र्रर है वह दिन भर काम करने के बअ्द इजारा फ़स्ख़ कर सकता है लिहाजा ताबे नहीं और जिस मुसलमान को दुश्मन ने क़ैद किया और अगर मअ्लूम न हो तो उससे दरयाफ़्त करे जो बताये उसके मुवाफ़िक़ अमल करले और अगर न बताये तो अगर मालूम है कि वह दुश्मन मुक़ीम है तो पूरी पढ़े और मुसाफ़िर है तो क़स्र करे और यह भी मालूम न हो सके तो जब तक तीन दिन की राह तय न करे पूरी पढ़े और जिस पर तावान लाज़िम आया वह सफ़र मे था और पकड़ा गया अगर नादार (ग़रीब)है तो क़स्र करे और मालदार है और पन्द्रह दिन के अन्दर देने का इरादा है या कुछ इरादा नहीं जब भी क़स्र करे और यह इरादा है कि नहीं देगा तो पूरी पढ़े। (रद्दुल मुहतार वग़ैरा)

मसअ्ला :– ताबेअ् को चाहिए कि मतबूअ् (वह शख़्स जिसके ताबे है उसे मतबूअ् कहते हैं) से सवाल करे वह जो कहे उसके मुताबिक़ अमल करे और अगर उसने कुछ न बताया तो देखे कि मुक़ीम है या मुसाफ़िर,अगर मुक़ीम है तो अपने को मुक़ीम समझे और मुसाफ़िर है तो मुसाफ़िर और यह भी न मालूम हों तो तीन दिन की राह तय करने के बाद क़स्र करे।

मसअ्ला:–अन्धे के साथ कोई हाथ पकड़ कर ले जाने वाला है अगर वह उसका नौकर है तो नाबीना(अंधा)की अपनी नियत का एअ्तिबार है और अगर महज़ एहसान के तौर पर उसके साथ है तो इसकी नियत का एअ्तिबार है। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– जो सिपाही सरदार का ताबेअ् था और लश्कर को शिकस्त हुई और सब मुतफ़र्रिक़ (अलग–अलग) हो गये तो अब ताबे नहीं बल्कि इक़ामत व सफ़र में खुद इसकी अपनी नियत का लिहाज़ है। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– गुलाम अपने मालिक के साथ सफ़र में था मालिक ने किसी मुक़ीम के हाथ उसे बेच डाला अगर नमाज़ में उसे इसका इल्म था और दो पढ़ीं तो फिर पढ़े यूँही अगर गुलाम नमाज़ में था और मालिक ने इक़ामत की नियत कर ली अगर जानकर दो पढ़ीं तो फिर पढ़े।(रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– गुलाम दो शख़्सों में मुशतरक (शामिल) है और वह दोनों सफ़र में हैं,एक ने इक़ामत की नियत की दूसरे ने नहीं तो अगर उस गुलाम से ख़िदमत लेने में बारी मुक़र्रर है तो मुक़ीम की बारी के दिन चार पढ़े और मुसाफ़िर की बारी के दिन दो और बारी मुक़र्रर न हो तो हर रोज़ चार पढ़े और दो रकअ्त पर क़अ्दा फ़र्ज़ है (आलमगीरी)

मसअ्ला :– जिसने इक़ामत की मगर उसकी हालत बताती है कि पन्द्रह दिन न ठहरेगा तो नियत सही नहीं मसलन हज करने गया और शुरूअ् ज़िलहिज्जा में पन्द्रह दिन मक्का मुअज़्ज़मा में ठहरने का इरादा किया तो यह नियत बेकार है कि जब हज का इरादा है तो अरफ़ात व मिना को ज़रूर जायेगा फिर इतने दिनों में मक्का मुअज़्ज़मा में क्यों कर ठहर सकता है और मिना से वापस हो कर नियत करे तो सही है। (आलमगीरी दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– जो शख़्स कहीं गया और वहाँ पन्द्रह दिन ठहरने का इरादा नहीं मगर क़ाफ़िले के

साथ जाने का इरादा है और यह मअ्लूम है कि काफ़िला पन्द्रह दिन के बअ्द जायेगा तो वह मुक़ीम है अगर्चे इक़ामत कीं नियत नहीं। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– मुसाफ़िर किसी काम के लिए या साथियों के इन्तिज़ार में दो–चार रोज़ या तेरह–चौदह दिन की नियत से ठहरा या यह इरादा है कि काम हो जायेगा तो चला जायेगा और दोनों सूरतों में अगर आजकल–आजकल करते बरसों गुज़र जायें जब भी मुसाफ़िर ही है नमाज़ें क़स्र पढ़े। (आलमगीरी,वग़ैरा)

मसअ्ला :– मुसलमानों का लश्कर दारुलहरब को गया या दारुलहरब में किसी किले का मुहासरा (घिराव)किया तो मुसाफ़िर ही है अगर्चे पन्द्रह दिन की नियत कर ली हो अगर्चे ज़ाहिर ग़लबा हो,यूँही अगर दारुल इस्लाम में बाग़ियों का मुहासरा किया हो तो मुक़ीम नहीं और जो शख़्स दारुलहरब में अमान लेकर गया और पन्द्रह दिन की इक़ामत की नियत की तो चार पढ़े(ग़ुनिया,दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– दारुलहरब का रहने वाला वहीं मुसलमान हो गया और कुफ़्फ़ार उसके मार डालने की फ़िक्र में हुए वह वहाँ से तीन दिन की राह का इरादा करके भागा तो नमाज़ क़स्र करे और कहीं दो–एक माह के इरादे से छुप गया जब भी क़स्र पढ़े और अगर उसी शहर में छुपा तो पूरी पढ़े और अगर मुसलमान दारुलहरब, में क़ैद था वहाँ से भाग कर किसी ग़ार में छुपा तो क़स्र पढ़े अगर्चे पन्द्रह दिन का इरादा हो,और अगर दारुलहरब के किसी शहर के तमाम रहने वाले मुसलमान हो जायें और हर्बियों ने उनसे लड़ना चाहा तो वह सब मुक़ीम ही हैं। यूँही अगर कुफ़्फ़ार उनके शहर पर ग़ालिब आये और यह लोग शहर छोड़ कर एक दिन की राह के इरादे से चले गये जब भी मुक़ीम हैं और तीन दिन की राह का इरादा हो तो मुसाफ़िर फिर अगर वापस आये और कुफ़्फ़ार ने उनके शहर पर क़ब्ज़ा न किया हो तो मुक़ीम हो गये और अगर मुश्रिकों का शहर पर क़ब्ज़ा हो गया और वहाँ रहे भी मगर, मुसलमानों के वापस आने पर छोड़ दिया तो अगर यह लोग वहाँ रहना चाहें तो दारुल इस्लाम हो गया, नमाज़ें पूरी करें और अगर वहाँ रहने का इरादा नहीं बल्कि सिर्फ़ एक–आध महीना रह कर दारुल इस्लाम को चले जायेंगे तो क़स्र करें। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– मुसलमानों का लश्कर दारुलहरब में गया और ग़ालिब आया और उस शहर को दारुल इस्लाम बनाया तो क़स्र न करें और अगर महज़ दो–एक माह रहने का इरादा है तो करें।(आलमगीरी)

मसअ्ला :– मुसाफ़िर ने नमाज़ के अन्दर इक़ामत की नियत की तो यह नमाज़ भी पूरी पढ़े और अगर यह सूरत हुई कि एक रकअ्त पढ़ी थी कि वक़्त ख़त्म हो गया और दूसरी में इक़ामत की नियत की तो यह नमाज़ दो ही रकअ्त पढ़े इसके बाद की चार पढ़े,यूँही अगर मुसाफ़िर लाहिक़ था और इमाम भी मुसाफ़िर था इमाम के सलाम के बाद नियते इक़ामत की तो दो ही पढ़े और इमाम के सलाम से पहले इक़ामत की नियत की तो चार पढ़े। (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार)

मुसाफ़िर और मुक़ीम की इक़्तिदा के मसाइल

मसअ्ला :– अदा व क़ज़ा दोनों में मुक़ीम, मुसाफ़िर की इक़्तिदा कर सकता है और इमाम के सलाम के बअ्द अपनी बाक़ी दो रकअ्तें पढ़ ले और इन रकअ्तों में क़िरात बिल्कुल न करे बल्कि बक़द्रे फ़ातिहा चुप खड़ा रहे। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअ्ला :– इमाम मुसाफ़िर है और मुक़तदी मुक़ीम, इमाम के सलाम से पहले मुक़तदी खड़ा हो

गया और सलाम से पहले इमाम ने इक़ामत की नियत कर ली तो अगर मुक़तदी ने तीसरी का सजदा न किया हो तो इमाम के साथ हो ले वरना नमाज़ जाती रही और तीसरी के सजदे के बाद इमाम ने इक़ामत की नियत की तो मुताबअ्त न करे मुताबअ्त करेगा तो नमाज़ जाती रहेगी।(रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– यह पहले मालूम हो चुका है कि नमाज़ के सही होने का हुक्म इक़्तिदा के लिए शर्त है कि इमाम मुक़ीम या मुसाफ़िर का होना मअ्लूम हो ख़्वाह नमाज़ शुरूअ् करते मालूम हुआ हो या बाद में।

मसअ्ला :– लिहाज़ा इमाम को चाहिए कि शुरूअ् करते वक़्त अपना मुसाफ़िर होना ज़ाहिर कर दे और शुरू में न कहा तो बादे नमाज़ कह दे कि अपनी नमाज़ पूरी कर लो मैं मुसाफ़िर हूँ। (दुर्रे मुख़्तार) और शुरूअ् में कह दिया है जब भी बाद में कह दे कि जो–लोग उस वक़्त मौजूद न थे उन्हें भी मअ्लूम हो जाये।

मसअ्ला :– वक़्त ख़त्म होने के बअ्द मुसाफ़िर मुक़ीम की इक़्तिदा नहीं कर सकता वक़्त में कर सकता है और इस सूरत में मुसाफ़िर के फ़र्ज़ भी चार हो गये यह हुक्म चार रकअ्ती नमाज़ का है और जिन नमाज़ों में क़स्र नहीं उनमें वक़्त व बादे वक़्त दोनों सूरतों में इक़्तिदा कर सकता है वक़्त में इक़्तिदा की थी नमाज़ पूरी करने से पहले वक़्त ख़त्म हो गया जब भी इक़्तिदा सही है।(दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– मुसाफ़िर ने मुक़ीम की इक़्तिदा की और इमाम के मज़हब के मुवाफ़िक़ वह नमाज़ क़ज़ा है और मुक़तदी के मज़हब पर अदा मसलन इमाम शाफ़ई मज़हब का है और मुक़तदी हनफ़ी और एक मिस्ल के बअ्द ज़ोहर की नमाज़ उसने उसके पीछे पढ़ी तो इक़्तिदा सही है। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– मुसाफ़िर ने मुक़ीम के पीछे शुरूअ् कर के फ़ासिद कर दी तो अब दो ही पढ़ेगा यानी जबकि तन्हा पढ़े या किसी मुसाफ़िर की इक़्तिदा करे और फिर मुक़ीम की तो चार पढ़े।(रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– मुसाफ़िर ने मुक़ीम की इक़्तिदा की तो मुक़तदी पर भी क़अ्दए ऊला वाजिब हो गया,फ़र्ज़ न रहा तो अगर इमाम ने क़अ्दा न किया नमाज़ फ़ासिद न हुई और मुक़ीम ने मुसाफ़िर की इक़्तिदा की तो मुक़तदी पर भी क़अ्दए ऊला फ़र्ज़ हो गया। (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– क़स्र और पूरी पढ़ने में आख़िर वक़्त का एअ्तिबार है जबकि पढ़ न चुका हो,फ़र्ज़ करो कि किसी ने नमाज़ न पढ़ी थी और वक़्त इतना बाक़ी रह गया है कि अल्लाहु अकबर कह ले अब मुसाफ़िर हो गया तो क़स्र करे और मुसाफ़िर था इस वक़्त इक़ामत की नियत की तो चार पढ़े।(दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– ज़ोहर की नमाज़ वक़्त में पढ़ने के बअ्द सफ़र किया और अस्र की दो पढ़ीं फिर किसी ज़रूरत से मकान पर वापस आया और अभी अस्र का वक़्त बाक़ी है अब मअ्लूम हुआ कि दोनों नमाज़ें बे–वुज़ू हुईं तो ज़ोहर की दो पढ़े और अस्र की चार,और अगर ज़ोहर व अस्र की पढ़ कर आफ़ताब डूबने से पहले सफ़र किया और मअ्लूम हुआ कि दोनों नमाज़ें बे–वुज़ू पढ़ी थीं तो ज़ोहर की चार पढ़े और अस्र की दो। (रद्दुलमुहतार,आलमगीरी)

मसअ्ला :– मुसाफ़िर को सहव हुआ और दो रकअ्त पर सलाम फेरने के बाद नियते इक़ामत की, इस नमाज़ के हक़ में मुक़ीम न हुआ और सजदए सहव साक़ित हो गया और सजदा करने के बअ्द नियत की तो सही है और चार रकअ्त पढ़ना फ़र्ज़, अगर्चे एक ही सजदे के बअ्द नियत की।(आलमगीरी)

मसअ्ला :– मुसाफ़िर ने मुसाफ़िरों की इमामत की नमाज़ के बीच में इमाम बे–वुज़ू हुआ और

किसी मुसाफिर को ख़लीफ़ा किया ख़लीफ़ा ने इक़ामत की नियत की तो उसके पीछे जो मुसाफ़िर है उनकी नमाज़ें दो ही रकअ़त रहेंगी,यूँही अगर मुक़ीम को ख़लीफ़ा किया जब भी मुक़्तदी मुसाफ़िर दो ही पढ़े और अगर इमाम ने हदस के बअ़्द मस्जिद से निकलने के पहले इक़ामत की नियत की तो चार पढ़ें। (आलमगीरी)

असली वतन और वतने इक़ामत के मसाइल

मसअला :– वतन दो किस्म के हैं असली और वतने इक़ामत। वतने असली वह जगह है जहाँ उसकी पैदाइश है या उसके घर के लोग वहाँ रहते हैं या वहाँ सुकूनत कर ली और यह इरादा है कि यहाँ से न जायेगा। वतने इक़ामत वह जगह है कि मुसाफ़िर ने पन्द्रह दिन या इससे ज़्यादा ठहरने का वहाँ इरादा किया हो। (आलमगीरी)

मसअला :– मुसाफ़िर ने कहीं शादी कर ली अगर्चे वहाँ पन्द्रह दिन ठहरने का इरादा न हो। मुक़ीम हो गया और दो शहरों में इसकी दो औरतें रहती हो तो दोनों जगह पहुँचते ही मुक़ीम हो जायेगा।

मसअला :– एक जगह आदमी का वतने असली है अब उसने दूसरी जगह वतने असली बनाया अगर पहली जगह बाल–बच्चे मौजूद हो तो दोनों असली है वरना पहला असली न रहा ख़्वाह इन दोनों जगहों के दरमियान मसाफ़ते सफ़र (सफ़र की दूरी)हो या न हो (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअला :– वतने इक़ामत दूसरे वतने इक़ामत को बातिल कर देता है यानी एक जगह पन्द्रह दिन के इरादे से ठहरा फिर दूसरी जगह इतने ही दिन के इरादे से ठहरा तो पहली जगह अब वतन न रही दोनों के दरमियान मसाफ़ते सफ़र हो या न हो यूँही वतने इक़ामत, वतने असली व सफ़र से बातिल हो जाता है। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअला :– अगर अपने घर के लोगों को लेकर दूसरी जगह चला गया और पहली जगह मकान व असबाब (सामान)वग़ैरा बाकी है तो वह भी वतने असली है। (आलमगीरी)

मसअला :– वतने इक़ामत के लिए यह जरूरी नहीं कि तीन दिन के सफ़र के बाद वहाँ इक़ामत की हो बल्कि अगर मुद्दते सफ़र तय करने से पहले इक़ामत कर ली वतने इक़ामत हो गया। (आलमगीरी)

मसअला :– बालिग के वालिदैन किसी शहर में रहते हैं और वह शहर इसकी पैदाइश की जगह नहीं न इसके घर वाले वहाँ हों तो वह जगह इसके लिए वतन नहीं।(रद्दुल मुहतार)

मसअला :– मुसाफ़िर जब वतने असली में पहुँच गया सफ़र ख़त्म हो गया अगर्चे इक़ामत की नियत न की हो। (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– औरत बियाह कर सुसराल गई और यहीं रहने–सहने लगी तो मयका उसके लिए वतने असली न रहा यानी अगर सुसराल तीन मन्ज़िल पर है वहाँ से मयका आई और पन्द्रह दिन ठहरने की नियत न की तो क़स्र पढ़े और अगर मयका रहना नहीं छोड़ा बल्कि सुसराल आरिज़ी तौर पर गई तो मयका आते ही सफ़र ख़त्म हो गया नमाज़ पूरी पढ़े।

मसअला :– औरत को बग़ैर महरम के तीन दिन या ज़्यादा राह जाना नाजाइज़ है बल्कि एक दिन की राह जाना भी नाबालिग बच्चे या कम अक़्ल के साथ भी सफ़र नहीं कर सकती ,साथ में बालिग महरम या शौहर का होना जरूरी है। (आलमगीरी वग़ैरा)

मसअला :– महरम के लिए जरूर है कि सख़्त फ़ासिक़, बेबाक, ग़ैर मामून यानी बेहया या ग़लत

हरकतें करने वाला न हो। (आलमगीरी)

जुमे का बयान

अल्लाह तआ़ला फ़रमाता है:–

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝

तर्जमा :– "ऐ ईमान वालो ! जब नमाज़ के लिए जुमे के दिन अज़ान दी जाये तो ज़िके ख़ुदा की तरफ़ दौड़ो और ख़रीद व फ़रोख़्त छोड़ दो यह तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानते हो।

फ़ज़ाइले रोज़े जुमा

हदीस न.1 व 2 :– सहीहैन में अबू हुरैरह रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु से मरवी हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं हम पिछले हैं (यानी दुनिया में आने के लिहाज़ से)और कियामत के दिन पहले, सिवा इसके कि उन्हें हम से पहले किताब मिली और हमें उनके बाद यही जुमा वह दिन है कि उन पर फ़र्ज़ किया गया यानी यह कि इसकी ताज़ीम करें वह इस से ख़िलाफ़ हो गये और हम को अल्लाह तआ़ला ने बता दिया दूसरे लोग हमारे ताबेअ़ हैं यहूद ने दूसरे दिन को वह दिन मुक़र्रर किया यअ़्नी हफ़्ते को और नसारा ने तीसरे दिन को यअ़्नी इतवार को। और मुस्लिम की दूसरी रिवायत उन्हीं से और हुज़ैफ़ा रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु से यह है फ़रमाते हैं हम दुनिया वालों से पीछे हैं और क़ियामत के दिन पहले कि तमाम मख़लूक़ से पहले हमारे लिए फ़ैसला हो जायेगा।

हदीस न. 3 :– मुस्लिम व अबू दाऊद व तिर्मिज़ी व नसई अबू हुरैरह रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु से रावी फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम बेहतर दिन (अच्छा दिन) कि आफ़ताब ने उस पर तुलूअ़ किया जुमे का दिन है। इसी में आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा किये गये और इसी में जन्नत में दाख़िल किये गये और इसी में जन्नत से उतरने का उन्हें हुक्म हुआ और क़ियामत जुमे ही के दिन क़ाइम होगी।

हदीस न.4 व 5 :– अबू दाऊद व नसई व इब्ने माजा व बैहक़ी औस इब्ने औस रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु से रावी कि फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम तुम्हारे अफ़ज़ल दिनों से जुमे का दिन है इसी में आदम अलैहिस्सलाम पैदा किये गये और इसी में इन्तिक़ाल किया और इसी में नफ़्ख़ा है (यानी दूसरी बार सूर फुँका जाना) इसी में सअ़क़ा है (यानी पहली बार सूर फुँका जाना) इस दिन में मुझ पर दुरूद की कसरत करो कि तुम्हारा दुरूद मुझ पर पेश किया जाता है। लोगों ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम उस वक़्त हुज़ूर पर हमारा दुरूद क्यों कर पेश किया जायेगा जब हुज़ूर इन्तिक़ाल फ़रमा चुके होंगे। फ़रमारया अल्लाह तआ़ला ने ज़मीन पर अम्बिया के जिस्म खाना हराम कर दिया है और इब्ने माजा की रिवायत में है कि फ़रमाते हैं जुमे के दिन मुझ पर दुरूद की कसरत करो कि यह दिन मशहूद (गवाही दिया हुआ

यानी बुज़ुर्गी वाला) है इसमें फरिश्ते हाज़िर होते हैं और मुझ पर जो दुरूद पढ़ेगा पेश किया जायेगा अबूदरदा रदियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि मैंने अर्ज़ की,और मौत के बअ्द? फरमाया बेशक अल्लाह ने ज़मीन पर अम्बिया के जिस्म खाना हराम कर दिया है अल्लाह का नबी ज़िन्दा है रोज़ी दिया जाता है।

हदीस न. 6.व 7 :– इब्ने माजा अबू लिबाबा इब्ने अब्दुल मुन्ज़िर और अहमद सअ्द इब्ने मआज़ रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रावी कि फरमाते हैं सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जुमे का दिन तमाम दिनों का सरदार है अल्लाह के नज़दीक सब से बड़ा दिन है और वह अल्लाह के नज़दीक ईदे अज़हा और ईदुल फित्र से बड़ा है। उसमें पाँच ख़सलतें हैं 1.अल्लाह तआला ने उसी में आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। 2. उसी में ज़मीन पर उन्हें उतारा। 3. उसी में उन्हें वफ़ात दी। 4 उसमें एक साअत ऐसी है कि बन्दा उस वक़्त जिस चीज़ का सवाल करे वह उसे देगा जब तक हराम का सवाल न करे। 5.उसी दिन क़ियामत क़ाइम होगी, कोई मुकर्रब फरिश्ता व आसमान व ज़मीन और हवा और पहाड़ और दरिया ऐसी नहीं कि जुमे के दिन से डरता न हो।

जुमे के दिन एक ऐसी साअत (वक़्त)है कि उस में दुआ क़बूल होती है

हदीस न.8 व 10 :– बुख़ारी व मुस्लिम अबू हुरैरह रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी फरमाते है सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जुमे में एक ऐसी साअत है कि मुसलमान बन्दा अगर उसे पा ले और उस वक़्त अल्लाह तआला से भलाई का सवाल करे तो वह उसे देगा और मुस्लिम की रिवायत में यह भी है कि वह वक़्त बहुत थोड़ा है,रहा यह कि वह कौन सा वक़्त है इसमें रिवायतें बहुत है उनमें दो क़वी हैं एक यह कि इमाम के ख़ुतबे के लिए बैठने से ख़त्मे नमाज़ तक है। इस हीदस को मुस्लिम अबू बुरदा इब्ने अबी मूसा से वह अपने वालिद से वह हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं और दूसरी यह कि वह जुमे की पिछली साअत है इमाम मालिक व अबू दाऊद व तिर्मिज़ी व नसई व अहमद अबू हुरैरह रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी वह कहते है मैं कोहेतूर की तरफ़ गया और कअ्ब अहबार से मिला उन के पास बैठा। उन्होंने मुझे तौरात की रिवायतें सुनाई और मैंने उनसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीसें बयान कीं। उनमें एक हदीस यह भी थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेहतर दिन कि आफ़ताब ने उस पर तुलू किया जुमे का दिन है उसी में आदम अलैहिस्सलाम पैदा किये गये और उसी में उन्हें उतरने का हुक्म हुआ और उसी में उनकी तौबा क़बूल हुई और उसी में उनका इन्तिक़ाल हुआ और उसी में क़ियामत क़ाइम होगी और कोई जानवर ऐसा नहीं कि जुमे के दिन सुबह के वक़्त आफ़ताब निकलने तक क़ियामत के डर से चीख़ता न हो सिवा आदमी और जिन्न के और इसमें एक ऐसा वक़्त है कि मुसलमान बन्दा नमाज़ पढ़ते में उसे पा ले तो अल्लाह तआला से जिस शय (चीज़)का सवाल करे वह उसे देगा। कअ्ब ने कहा साल में ऐसा एक दिन है। मैंने कहा बल्कि हर जुमे में है। कअ्ब ने तौरात पढ़कर कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सच फरमाया। अबू हुरैरह रदियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं फिर मैं अब्दुल्लाह इब्ने सलाम रदियल्लाहु तआला अन्हु से मिला और कअ्ब अहबार की मजलिस और जुमे के बारे में जो हदीस बयान की थी उसका ज़िक्र किया और कअ्ब ने कहा था यह हर साल में एक दिन है।

अब्दुल्लाह इब्ने सलाम ने कहा कअ्ब ने ग़लत कहा। मैंने कहा फिर कअ्ब ने तौरात पढ़कर कहा बल्कि वह साअत हर जुमे में है। कहा कअ्ब ने सच कहा फिर अब्दुल्लाह इब्ने सलाम ने कहा तुम्हें मालूम है यह कौन सी साअत है। मैंने कहा मुझे बताओ और बुख़्ल (कंजूसी)न करो। कहा जुमे के दिन की पिछली साअत है मैंने कहा पिछली साअत कैसे हो सकती है, हुज़ूर ने तो फरमाया है मुसलमान बन्दा नमाज़ पढ़ते में उसे पाये और वह नमाज़ का वक़्त नहीं अब्दुल्लाह बिन सलाम ने कहा क्या हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने यह नहीं फरमाया है कि जो किसी मजलिस में नमाज़ के इन्तिज़ार में बैठे वह नमाज़ में है। मैंने कहा हाँ फरमाया तो है कहा तो वह यही है यानी नमाज़ पढ़ने से नमाज़ का इन्तिज़ार मुराद है।

हदीस न.11 :– तिर्मिज़ी ने अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि फरमाते हैं सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जुमे के दिन जिस साअत की ख़्वाहिश की जाती है उसे अस्र के बाद से ग़ुरूबे आफ़ताब तक तलाश करो।

हदीस न.12 :– तबरानी औसत में अनस इब्ने मालिक रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि फरमाते हैं सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह तआला किसी मुसलमान को जुमे के दिन बे–मग़फिरत किये न छोड़ेगा।

हदीस न. 13 :– अबू यअ्ला उन्हीं से रावी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते है जुमे के दिन और रात में चौबीस घन्टे, में कोई घन्टा ऐसा नहीं जिसमें अल्लाह तआला जहन्नम से छह लाख आज़ाद न करता हो जिन पर जहन्नम वाजिब हो गया था।

जुमे के दिन या रात में मरने के फ़ज़ाइल

हदीस न.14 :– अहमद व तिर्मिज़ी अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रावी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो मुसलमान जुमे के दिन या जुमे की रात में मरेगा अल्लाह तआला उसे फ़ितनए क़ब्र से बचालेगा।

हदीस न.15 :– अबू नईम ने जाबिर रदियल्लहु तआला अन्हु से रिवायत की कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो जुमे के दिन या जुमे की रात में मरेगा अज़ाबे क़ब्र से बचा लिया जायेगा और क़ियामत के दिन इस तरह आयेगा कि उस पर शहीदों की मुहर होगी।

हदीस न. 16 :– हुमैद ने तरग़ीब (किताब का नाम)में अयास इब्ने बुकैर से रिवायत की कि फरमाते है जो जुमे के दिन मरेगा उसके लिए शहीद का अज्र लिखा जायेगा और फ़ितनए क़ब्र से बचा लिया जायेगा।

हदीस न. 17 :– अता से मरवी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो मुसल –मान मर्द या मुसलमान औरत जुमे के दिन या जुमे की रात में मरे अज़ाबे क़ब्र और फ़ितनए क़ब्र से बचा लिया जायेगा और ख़ुदा से इस हाल में मिलेगा कि उस पर कुछ हिसाब न होगा। और उसके साथ गवाह होंगे कि उसके लिए गवाही देंगे या मुहर होगी।

हदीस न.18 :– बैहक़ी की रिवायत अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु से है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जुमे की रात रौशन रात है और जुमे का दिन चमकदार दिन।

हदीस न.19 :– तिर्मिज़ी इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रावी कि उन्होंने यह आयत पढ़ी:–

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَ اَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَ رَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا

तर्जमा :– "आज मैंने तुम्हारा दीन कामिल कर दिया और तुम पर अपनी नेअ़मत तमाम कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम को दीन पसन्द फ़रमाया।

उनकी ख़िदमत में एक यहूदी हाज़िर था उसने कहा यह आयत हम पर नाज़िल होती तो हम उस दिन को ईद बनाते। इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा ने फ़रमाया यह आयत दो ईदों के दिन उतरी जुमा और अ़रफ़ा के दिन यअ़नी हमें उस दिन को ईद बनाने की ज़रूरत नहीं कि अल्लाह तआला ने जिस दिन यह आयत उतारी उस दिन दोहरी ईद थी कि जुमा व अ़रफ़ा। यह दोनों दिन मुसलमानों की ईद के हैं और उस दिन यह दोनों जमा थे कि जुमे का दिन था और नवीं ज़िलहिज्जा।

फ़ज़ाइले नमाज़े जुमा

हदीस न.20 :– मुस्लिम व अबू दाऊद व तिर्मिज़ी व इब्ने माजा अबू हुरैरह रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं जिसने अच्छी तरह वुज़ू किया फिर जुमे को आया(खुतबा)सुना और चुप रहा उसके लिए मग़फ़िरत हो जायेगी उन गुनाहों की जो इस जुमे और दूसरे जुमे के दरमियान हैं और तीन दिन और, और जिसने कंकरी छुई उसने लग्व(बेकार काम)किया यअ़नी खुतबा सुनने की हालत में इतना काम भी लग्व में दाख़िल है कि कंकरी पड़ी हो उसे हटा दे।

हदीस न.21 :– तबरानी की रिवायत अबू मालिक अशअ़री रदियल्लाहु तआला अन्हु से है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं जुमा कफ़्फ़ारा है उन गुनाहों के लिए जो इस जुमे और इसके बाद वाले जुमे के दरमियान हैं और तीन दिन ज़्यादा,और यह इस वजह से कि अल्लाह तआला फ़रमाता है जो एक नेकी करे उसके लिए उसकी दस मिस्ल है।

हदीस न. 22 :– इब्ने हब्बान अपनी सहीह में अबू सईद रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पाँच चीजें जो एक दिन में करेगा अल्लाह तआला उसको जन्नती लिख देगा 1. जो मरीज़ को पूछने जाये 2. जनाज़े में हाज़िर हो 3. रोज़ा रखे 4. जुमे को जाये 5. गुलाम आज़ाद करे।

हदीस न.23 :– तिर्मिज़ी रावी हैं कि यज़ीद इब्ने अबी मरयम कहते हैं मैं जुमे को जाता था उबाया इब्ने रिफ़ाआ इब्ने राफ़ेअ़ मिले उन्होंने कहा तुम्हें बशारत (खुशख़बरी)हो कि तुम्हारे यह क़दम अल्लाह की राह में हैं। मैंने अबू अ़ब्स को कहते सुना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जिसके क़दम अल्लाह की राह में गर्द आलूद हों वह आग पर हराम हैं और बुख़ारी की रिवायत में यूँ है कि उबाया यह कहते हैं मैं जुमे को जा रहा था अबू अ़ब्स रदियल्लाहु तआला अन्हु मिले और हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इरशाद सुनाया।

जुमा छोड़ने पर वईदें

हदीस न. 24,25,26:–मुस्लिम अबू हुरैरह व इब्ने उमर से और नसाई व इब्ने माजा इब्ने अब्बास व इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुम से रावी हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं लोग जुमा छोड़ने से बाज़ आयेंगे या अल्लाह तआला उनके दिलों पर मुहर कर देगा फिर ग़ाफ़िलीन में हो जायेंगे।

हदीस न.27 से 31 :– फ़रमाते हैं जो तीन जुमे सुस्ती की वजह से छोड़े अल्लाह तआला उसके दिल पर मुहर कर देगा इसको अबू दाऊद व तिर्मिज़ी व नसई व इब्ने माजा व दारमी व इब्ने खुज़ैमा व इब्ने हब्बान व हाकिम अबू जअ़द ज़मरी से और इमाम मालिक ने सफ़वान इब्ने सुलैम से और इमाम अहमद ने अबू क़तादा रदियल्लाहु तआला अन्हुम से रिवायत किया। तिर्मिज़ी ने कहा यह हदीस हसन है और हाकिम ने कहा सही है मुस्लिम शरीफ़ की शराइत के मुताबिक़ और इब्ने खुज़ैमा और इब्ने हब्बान की एक रिवायत में है जो तीन जुमे बिला उज़्र छोड़े वह मुनाफ़िक़ है और रज़ीन की रिवायत में है वह अल्लाह से बेइलाक़ा है और तबरानी की रिवायत उसामा रदियल्लाहु तआला अन्हु से है वह मुनाफ़िक़ीन में लिख दिया गया और इमाम शाफ़िई रदियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से है वह मुनाफ़िक़ लिख दिया गया उस किताब में जो न महव हो (न मिटे)न बदली जाये और एक रिवायत में है जो तीन जुमे पै–दर–पै छोड़े उसने इस्लाम को पीठ के पीछे फेंक दिया इसको अबू यअ़ला ने इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से बइस्नादे सही रिवायत किया।

हदीस न. 32 :– अहमद व अबू दाऊद व इब्ने माजा सुमरा इब्ने जुनदुब रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं जो बग़ैर उज़्र जुमा छोड़े एक दीनार सदक़ा दे और अगर न पाये तो आधा दीनार और यह दीनार तसद्दुक़ करना शायद इसलिए हो कि क़बूले तौबा के लिए मुईन(मददगार) हो वरना हक़ीक़तन तौबा करना फ़र्ज़ है।

हदीस न. 33 :– सही मुस्लिम शरीफ़ में इब्ने मसऊद रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मैंने क़स्द (इरादा) किया एक शख़्स को नमाज़ पढ़ाने का हुक्म दूँ और जो लोग जुमे से पीछे रह गये उनके घरों को जला दूँ।

हदीस न.34 :– इब्ने माजा ने जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने खुतबा फ़रमाया और फ़रमाया ऐ लोगो। मरने से पहले अल्लाह की तरफ़ तौबा करो और मशग़ूल होने से पहले नेक कामों की तरफ़ सबक़त करो और यादे खुदा की कसरत और ज़ाहिर व पोशीदा (छुपा हुआ) सदक़े की कसरत से जो तअ़ल्लुक़ात तुम्हारे और तुम्हारे रब के दरमियान हैं मिलाओ ऐसा करोगे तो तुम्हें रोज़ी दी जायेगी और तुम्हारी मदद की जायेगी, शिकस्तगी (तंगी,परेशानी)दूर फ़रमाई जायेगी और जान लो कि इस जगह इस दिन इस साल में कियामत तक के लिए अल्लाह ने तुम पर जुमा फ़र्ज़ किया जो शख़्स मेरी हयात में या मेरे बाद हल्का जानकर और ब–तौरे इन्कार जुमा छोड़े और उसके लिए कोई इमाम यअ़नी हाकिमे इस्लाम हो आदिल या ज़ालिम तो अल्लाह तआला न उसकी परागंदगी(परेशानी)को जमा फ़रमायेगा न उसके काम में बरकत देगा आगाह उसके लिए न नमाज़ है,न ज़कात न हज न रोज़ा न नेकी

जब तक तौबा न करे और जो तौबा करे अल्लाह उसकी तौबा कबूल फरमायेगा।

हदीस न. 35 :– दारेकुतनी उन्हीं से रावी कि फरमाते हैं सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो अल्लाह और पिछले दिन पर ईमान लाता है उस पर जुमा के दिन जुमा (नमाज़) फर्ज़ है मगर मरीज़ या मुसाफिर या औरत या बच्चा या ग़ुलाम पर,और जो शख़्स खेल या तिजारत में मशग़ूल रहा तो अल्लाह तआला उससे बेपरवाह है और अल्लाह ग़नी हमीद है।

जुमे के दिन नहाने और ख़ुशबू लगाने का बयान

हदीस न. 36,37,38:–सही बुख़ारी में सलमान फ़ारसी रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो शख़्स जुमे के दिन नहाये और जिस तहारत की इस्तिताअत हो करे और तेल लगाये और घर में जो ख़ुश्बू हो मले फिर नमाज़ को निकले और दो शख़्सों में जुदाई न करे यअ्नी दो शख़्स बैठे हुए हों उन्हें हटाकर बीच में न बैठे और जो नमाज़ उसके लिए लिखी गई है पढ़े और इमाम जब खुतबा पढ़े तो चुप रहे, उसके लिए उन गुनाहों की जो इस जुमे और दूसरे जुमे के दरमियान हैं मग़फ़िरत हो जायेगी और इसी के क़रीब–क़रीब अबू सईद ख़ुदरी व अबू हुरैरह रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से भी चन्द तरीक़ों से रिवायतें हैं।

हदीस न.39,40 :– अहमद व अबू दाऊद व तिर्मिज़ी व नसई व इब्ने माजा व इब्ने ख़ुज़ैमा व इब्ने हब्बान व हाकिम औस इब्ने औस और तबरानी औसत में इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुम से रावी कि फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो नहलाए और नहाये और अव्वल वक़्त आये और शुरूअ् ख़ुतबे में शरीक हो और चलकर आये सवारी पर न आये और इमाम से क़रीब हो और कान लगा कर ख़ुतबा सुने और लग्व(बेकार)काम न करे उसके लिए हर क़दम के बदले साल भर का अमल है एक साल के दिनों के रोज़े और रातों के क़ियाम का उसके लिए अज्र है और इसी के मिस्ल दीगर सहाबए किराम रदियल्लाहु तआला अन्हुम से भी रिवायतें हैं।

हदीस न.41 :– बुख़ारी व मुस्लिम अबू हुरैरह रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हर मुसलमान पर सात दिन में एक दिन गुस्ल है कि उस दिन में सर धोये और बदन।

हदीस न.42 :– अहमद व अबू दाऊद तिर्मिज़ी व नसई व दारमी सुमरा इब्ने जुन्दुब रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि फ़रामते हैं जिसने जुमे के दिन वुज़ू किया बेहतर और अच्छा है और जिसने ग़ुस्ल किया तो गुस्ल अफ़ज़ल है।

हदीस न.43 :– अबू दाऊद इकरमा से रावी कि इराक़ से कुछ लोग आये उन्होंने इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से सवाल किया कि जुमे के दिन आप ग़ुस्ल वाजिब जानते हैं? फ़रमाया न, हाँ यह ज़्यादा तहारत है और जो नहाये उसके लिए बेहतर है और जो ग़ुस्ल न करे उस पर वाजिब नहीं।

हदीस न.44 :– इब्ने माजा इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रावी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं इस दिन को अल्लाह तआला ने मुसलमानों के लिए ईद किया तो जो जुमे को आये वह नहाये और अगर ख़ुश्बू हो तो लगाये।

हदीस न.45 :– अहमद व तिर्मिज़ी बर्रा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं मुसलमान पर हक़ है कि जुमे के दिन नहाये और घर में जो ख़ुश्बू हो लगाये और ख़ुश्बू न पाये तो पानी यअ्नी नहाना बजाए ख़ुश्बू है।

हदीस न.46,47 :– तबरानी कबीर व औसत में सिद्दीके अकबर व इमरान इब्ने हसीन रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रावी कि फ़रमाते हैं जो जुमे के दिन नहाये उसके गुनाह और ख़तायें मिटा दी जाती हैं और जब चलना शुरूअ् किया तो हर क़दम पर बीस नेकियाँ लिखी जाती हैं और दूसरी रिवायत में है हर क़दम पर बीस साल का अमल लिखा जाता है और जब नमाज़ से फ़ारिग़ हो तो उसे दो सौ बरस के अमल का अज्र मिलता है।

हदीस न.48 :– तबरानी कबीर में बरिवायते सिक़ात (मोतबर रावी) अबू उमामा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि फ़रमाते हैं जुमे का गुस्ल बाल की जड़ों से ख़तायें खींच लेता है।

जुमे के लिए, अव्वल जाने का सवाब और गर्दनें फलाँगने की मनाही।

हदीस न.49 :– बुख़ारी व मुस्लिम व अबू दाऊद व तिर्मिज़ी व मालिक व नसई व इब्ने माजा अबू हुरैरह रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो शख़्स जुमे के दिन गुस्ल करे जैसे जनाबत का गुस्ल है फिर पहली साअत में जाये तो गोया उसने ऊँट की क़ुर्बानी की और जो दूसरी साअत में गया उसने गाय की क़ुर्बानी की और जो तीसरी साअत में गया गोया उसने सींग वाले मेंढे की क़ुर्बानी की और जो चौथी साअत में गया गोया अण्डा ख़र्च किया फिर जब इमाम ख़ुतबे को निकला मलाइका ज़िक्र सुनने हाज़िर होते हैं।

हदीस न. 50,52 :– बुख़ारी व मुस्लिम व इब्ने माजा की दूसरी रिवायत उन्हीं से है हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं जब जुमे का दिन होता है फ़रिश्ते मस्जिद के दरवाज़े पर खड़े होते हैं और हाज़िर होने वालों को लिखते हैं सब में पहला फिर उस के बअ्द वाला (उसके बाद वही सवाब ज़िक किए जो ऊपर की रिवायत में ज़िक किये गये) फिर इमाम जब ख़ुतबे को निकला फ़रिश्ते अपने दफ़्तर लपेट लेते हैं और ज़िक्र सुनते हैं इसी के मिस्ल सुमरा इब्ने जुन्दुब व अबू सईद ख़ुदरी रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से भी रिवायत है"।

हदीस न.53 :– इमाम अहमद व तबरानी की रिवायत अबू उमामा रदियल्लाहु तआला अन्हु से है जब इमाम ख़ुतबे को निकलता है तो फ़रिश्ते दफ़्तर लपेट लेते हैं। किसी ने उनसे कहा तो जो शख़्स इमाम के निकलने के बअ्द आये उसका जुमा न हुआ। कहा हाँ हुआ तो लेकिन वह दफ़्तर में नहीं लिखा गया।

हदीस न.54 :– जिसने जुमे के दिन लोगों की गर्दनें फलाँगी उसने जहन्नम की तरफ़ पुल बनाया इस हदीस को तिर्मिज़ी व इब्ने माजा मआज़ इब्ने अनस जुहनी से वह अपने वालिद से रिवायत करते हैं और तिर्मिज़ी ने कहा यह हदीस ग़रीब है और तमाम अहले इल्म के नज़दीक इसी पर अमल है।

हदीस न. 55 :– अहमद व अबू दाऊद व नसई अब्दुल्लाह इब्ने बुस्र रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि एक शख़्स लोगों की गर्दनें फलाँगते हुए आये और हुज़ूर सल्लल्लाहु तआल अलैहि वसल्लम ख़ुतबा फ़रमा रहे थे इरशाद फ़रमाया बैठ जा तूने ईज़ा पहुँचाई।

हदीस न. 56 :– अबू दाऊद अम्र इब्ने आस रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि फरमाते हैं जुमे में तीन किस्म के लोग हाज़िर होते हैं एक वह कि लग्व के साथ हाज़िर हों (यानी कोई ऐसा काम ज़ाहिर किया जिससे सवाब जाता रहा मसलन खुतबे के वक़्त कलाम किया या कंकरियाँ छुई)तो उसका हिस्सा जुमे से वही लग्व है और एक वह शख़्स कि अल्लाह से दुआ की तो अगर चाहे दे और चाहे न दे और एक वह कि सुकूत व इनसात (यानी ख़ामोशी)के साथ हाज़िर हुआ और किसी मुसलमान की न गर्दन फलाँगी न ईज़ा दी तो जुमा उस के लिए कफ़्फ़ारा है आइन्दा जुमा और तीन दिन ज़्यादा तक।

मसाइले फ़िक़्हिय्या

जुमा फर्ज़ है और इसकी फ़र्ज़ीयत ज़ोहर से ज़्यादा मुअक्कद(सख़्त)है और इसका इन्कार करने वाला काफ़िर है। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअला :– जुमा पढ़ने के लिए छह शर्तें हैं कि उनमें से एक शर्त भी मफ़कूद हो यानी न पाई जाये तो होगा ही नहीं।

मिस्र (शहर)की तअ्रीफ़ व अहकाम

1.मिस्र या फनाए मिस्र :– मिस्र वह जगह है जिसमें मुतअद्दिद यअ्नी बहुत से कूचे (गलियाँ)और बाज़ार हों और वह ज़िला या परगना हो उसके मुतअल्लिक़ देहात गिने जाते हों और वहाँ कोई हाकिम हो कि अपने दबदबे व सितवत (रोब दाब) के सबब मज़लूम का इन्साफ़ ज़ालिम से ले सके यानी इंसाफ़ पर कुदरत काफ़ी है अगर्चे नाइन्साफ़ी करता हो और बदला न लेता हो,और मिस्र के आस पास की जगह जो मिस्र की मसलेहतों के लिए हो उसे फ़नाए मिस्र कहते हैं जैसे क़ब्रिस्तान घुड़ दौड़ का मैदान फौज के रहने की जगह, कचहरियाँ, स्टेशन कि यह चीजें शहर से बाहर हों तो फ़नाए मिस्र में इनका शुमार है और वहाँ जुमा जाइज़। (ग़ुनिया वग़ैरा) लिहाज़ा जुमा शहर में पढ़ा जाये या क़स्बे में या उनकी फ़ना में और गाँव में जाइज़ नहीं। (ग़ुनिया)

मसअला :– जिस शहर में कुफ़्फ़ार का तसल्लुत (कब्ज़ा) हो गया वहाँ भी जाइज़ है जब तक दारूल इस्लाम रहे। (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– मिस्र के लिए हाकिम का वहाँ रहना ज़रूरी है और अगर बतौर दौरा वहाँ आ गया तो वह जगह मिस्र न होगी न वहाँ जुमा क़ाइम किया जायेगा। (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– जो जगह शहर से क़रीब है मगर शहर की ज़रूरतों के लिए न हो और उसके और शहर के दरमियान खेत वग़ैरा फ़ासिल हो यानी खेत वग़ैरा बीच में हों तो वहाँ जुमा जाइज़ नहीं अगर्चे अज़ाने जुमा की आवाज़ वहाँ तक पहुँचती हो।(आलमगीरी)मगर अकसर अइम्मा कहते हैं कि अगर अज़ान की आवाज़ पहुँचती हो तो उन लोगों पर जुमा पढ़ना फ़र्ज़ है बल्कि बाज़ ने तो यह फ़रमाया कि अगर शहर से दूर जगह हो मगर बिलातकलीफ़ वापस जा सकता हो तो जुमा पढ़ना फ़र्ज़ है।(दुर्रे मुख़्तार) लिहाज़ा जो लोग शहर के क़रीब गाँव में रहते हैं तो उन्हें चाहिए कि शहर आकर जुमा पढ़ जायें।

मसअला :– गाँव का रहने वाला शहर में आया और जुमे के दिन यहीं रहने का इरादा है तो जुमा फ़र्ज़ है और उसी दिन वापसी का इरादा हो ज़वाल से पहले या बाद तो फ़र्ज़ नहीं मगर पढ़े तो

मुस्तहिक़्क़े सवाब है,यूँही मुसाफ़िर शहर में आया और कोई दूसरा काम भी मक़सूद है तो इस सई यानी जुमे के लिए आने का भी सवाब पायेगा और जुमा पढ़ा तो जुमे का भी।(आलमगीरी, रद्दुलमुहतार)

मसअला :– हज के दिनों में मिना में जुमा पढ़ा जायेगा जब कि ख़लीफ़ा या अमीरे हिजाज़ यानी शरीफ़े मक्का वहाँ मौजूद हों और अमीरे मौसम यानी वह कि हाजियों के लिए हाकिम बनाया गया है जुमा नहीं क़ाइम कर सकता। हज के अलावा और दिनों में मिना में जुमा नहीं हो सकता और अरफ़ात में मुतलक़न नहीं हो सकता न हज के ज़माने में न और दिनों में। (आलमगीरी)

मसअला :– शहर में मुतअद्दिद जगह जुमा हो सकता है ख़्वाह वह शहर छोटा हो या बड़ा और जुमा दो मस्जिदों में हो या ज़्यादा। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)मगर बिला ज़रूरत बहुत सी जगह जुमा क़ाइम न किया जाये कि जुमा शआइरे इस्लाम यानी इस्लाम की निशानियों से है और जामेए जमाअ़त है और बहुत सी मस्जिदों में होने से वह शौकते इस्लामी बाक़ी नहीं रहती जो इजतिमा (इकट्ठे होने)में होती है। परेशानी दूर करने के लिए तो ख़्वामख़्वाह जमाअ़त ख़राब करना और मुहल्ला मुहल्ला जुमा क़ाइम करना न चाहिए। नीज़ एक बहुत ज़रूरी बात जिसकी तरफ़ अवाम की बिल्कुल तवज्जोह नहीं यह है कि जुमे को और नमाज़ों की तरह समझ रखा है कि जिसने चाहा नया जुमा क़ाइम कर लिया और जिसने चाहा पढ़ा दिया यह नाजाइज़ है इसलिए कि जुमा क़ाइम करना बादशाहे इस्लाम या उसके नाइब का काम है इसका बयान आगे आता है और जहाँ इस्लामी सल्तनत न हो वहाँ सब से बड़ा फ़क़ीह सुन्नी सहीहुल अक़ीदा हो अहकामे शरइय्या जारी करने में सुल्ताने इस्लाम के क़ाइम मक़ाम है यअ्नी जहाँ इस्लामी हुकूमत न हो वहाँ शहर का सबसे बड़ा सुन्नी सहीहुल अक़ीदा फ़क़ीह जुमा क़ाइम करने का हुक्म देगा। लिहाज़ा वही जुमा क़ाइम करे बग़ैर इसकी इजाज़त के नहीं हो सकता और यह भी न हो तो आम लोग जिसको इमाम बनायें। आलिम के होते हुए अवाम ब–तौरे खुद किसी को इमाम नहीं बना सकते न यह हो सकता है कि दो चार शख़्स किसी को इमाम मुकर्रर कर लें ऐसा जुमा कहीं से साबित नहीं।

मसअला :– ज़ोहरे एहतियाती(कि जुमे के बाद चार रकअ़त नमाज़ इस नियत से कि सबमें पिछली ज़ोहर जिस का वक़्त पाया और न पढ़ी) ख़ास लोगों के लिए है। जिन को फ़र्ज़े जुमा अदा होने में शक न हो और अवाम कि अगर एहतियाती ज़ोहर पढ़ें तो जुमे के अदा होने में उन्हें शक होगा वह न पढ़ें और उस की चारों भरी पढ़ी जायें बेहतर यह है कि जुमा पिछली चार सुन्नतें पढ़ कर ज़ोहरे एहतियाती पढ़ें फिर दो सुन्नतें और इन छह सुन्नतों में सुन्नते वक़्त की नियत करें।(आलमगीरी ,सग़ीरी)

दूसरी शर्त

2. सुल्ताने इस्लाम या उसका नाइब : जिसे जुमा क़ाइम करने का हुक्म दिया।

मसअला :– सुल्तान आदिल हो या ज़ालिम जुमा क़ाइम कर सकता है यूँही अगर ज़बरदस्ती बादशाह बन बैठा यअ्नी शरअ़न उसको हक़्क़े इमामत न हो मसलन क़र्शी(हाशमी वग़ैरा)न हो या और कोई शर्त न पाई गई हो तो यह भी जुमा क़ाइम कर सकता है। यूँही अगर औरत बादशाह बन बैठी तो उसके हुक्म से जुमा क़ाइम होगा यह खुद नहीं क़ाइम कर सकती। (दुर्रेमुख़्तार,रद्दुल मुहतार वग़ैरहुम)

मसअला :– बादशाह ने जिसे जुमे का इमाम मुकर्रर कर दिया वह दूसरे से भी पढ़वा सकता है अगर्चे उसे इस का इख़्तियार न दिया कि दूसरे से पढ़वा दे। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– इमामे जुमा की बिला इजाज़त किसी ने जुमा पढ़ाया अगर इमाम या वह शख़्स जिसके हुक्म से जुमा काइम होता है शरीक हो गया तो हो जायेगा वरना नहीं। (दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार)

मसअला :– हाकिमे शहर का इन्तिकाल हो गया या फ़ितने के सबब कहीं चला गया और उसके ख़लीफ़ा(वलीअहद)या क़ाज़ी माज़ून ने जुमा क़ाइम किया जाइज़ है। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअला :– किसी शहर में बादशाहे इस्लाम वग़ैरा जिसके हुक्म से जुमा क़ाइम होता है, न हो तो आम लोग जिसे चाहें इमाम बना दें। यूँही अगर बादशाह से इजाज़त न ले सकते हों जब भी किसी को मुक़र्रर कर सकते हैं। (आलमगीरी दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– हाकिमे शहर नाबालिग़ या काफ़िर है और अब वह नाबालिग़ बालिग़ हुआ या काफ़िर मुसलमान हुआ तो अब भी जुमा क़ाइम करने का इनको हक़ नहीं अलबत्ता अगर जदीद हुक्म इनके लिये आया या बादशाह ने कह दिया था कि बालिग़ होने या इस्लाम लाने के बाद जुमा क़ाइम करना तो क़ाइम कर सकता है। (आलमगीरी)

मसअला :– ख़ुतबे की इजाज़त जुमे की इजाज़त और जुमे की इजाज़त ख़ुतबे की इजाज़त है अगर्चे कह दिया हो कि ख़ुतबा पढ़ना और जुमा न क़ाइम करना। (आलमगीरी)

मसअला :– बादशाह लोगों को जुमा क़ाइम करने से मना कर दे तो लोग ख़ुद क़ाइम कर लें और अगर उसने किसी शहर की शहरियत बातिल कर दी यअ्नी शहर अब शहर नहीं रहा तो लोगों को अब जुमा पढ़ने का इख़्तियार नहीं। (रद्दुल मुहतार) यह उस वक़्त है कि बादशाहे इस्लाम ने शहरियत बातिल कर दी हो और काफ़िर ने बातिल की तो पढ़ें।

मसअला :– इमामे जुमा को बादशाह ने मअ्ज़ूल कर दिया तो जब तक मअ्ज़ूली का परवाना आये या ख़ुद बादशाह न आये मअ्ज़ूल न होगा। (आलमगीरी)

मसअला :– बादशाह सफ़र कर के अपने मुल्क के किसी शहर में पहुँचा तो वहाँ जुमा ख़ुद क़ाइम कर सकता है। (आलमगीरी)

(3)वक़्ते ज़ोहर यअ्नी वक़्ते ज़ोहर में नमाज़ पूरी हो जाये तो अगर नमाज़ के दरमियान में अगर्चे तशह्हुद के बाद अस्र का वक़्त आ गया जुमा बातिल हो गया ज़ोहर की क़ज़ा पढ़ें। (आम्मए कुतुब)

मसअला :– मुक़तदी नमाज़ में सो गया था आँख उस वक़्त खुली कि इमाम सलाम फेर चुका है तो अगर वक़्त बाक़ी है जुमा पूरा करे वरना ज़ोहर की क़ज़ा पढ़े यअ्नी नये तहरीमा से (आलमगीरी वग़ैरा) यूँही अगर इतनी भीड़ थी कि रुकूअ् व सुजूद न कर सका यहाँ तक कि इमाम ने सलाम फेर दिया तो उसमें भी वही सूरतें हैं। (दुर्रे मुख़्तार)

(4) ख़ुतबा

मसअला :– ख़ुतबए जुमे में शर्त यह है कि 1.वक़्त में हो 2. नमाज़ से पहले 3.ऐसी जमाअत के सामने हो जो जुमे के लिए शर्त है यअ्नी कम से कम ख़तीब के सिवा तीन मर्द हों 4. इतनी आवाज़ से हो कि पास वाले सुन सकें अगर कोई अम्र मानेअ् न हो तो अगर ज़वाल से पहले ख़ुतबा पढ़ लिया या नमाज़ के बअ्द पढ़ा या तन्हा पढ़ा या औरतों बच्चों के सामने पढ़ा तो इन सब सूरतों में जुमा न हुआ और अगर बहरों या सोने वालों के सामने पढ़ा या हाज़िरीन दूर हैं कि सुनते नहीं या मुसाफ़िर बीमारों के सामने पढ़ा या जो आक़िल बालिग़ मर्द है तो हो जायेगा।(दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– ख़ुतबा ज़िक्रे इलाही का नाम है अगर्चे सिर्फ़ एक बार 'अलहम्दु लिल्लाह' या 'सुब्हानल्लाह' या 'लाइला–ह–इल्लल्लाह' कहा इसी क़द्र से फ़र्ज़ अदा हो गया मगर इतने ही पर इक्तिफ़ा करना मकरूह है। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअला :– छींक आई और उस पर 'अलहम्दुलिल्लाह' कहा या तअज्जुब के तौर पर 'सुब्हानल्लाह' या 'लाइला–ह इल्लल्लाह' कहा तो फ़र्ज़े ख़ुतबा अदा न हुआ। (आलमगीरी)

मसअला :– ख़ुतबा व नमाज़ में अगर ज़्यादा फ़ासिला हो जाये तो वह ख़ुतबा काफ़ी नहीं।(दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– सुन्नत यह है कि दो ख़ुतबे पढ़े जायें और बड़े–बड़े न हों अगर दोनों मिलकर तवाले मुफ़स्सल (सूरए हुजुरात से सूरए बुरूज तक के क़ुर्आन की हर एक सूरत को तवाले मुफ़स्सल कहते हैं)से बढ़ जाये तो मकरूह है ख़ुसूसन जाड़ों में। (दुर्रे मुख़्तार,ग़ुनिया)

मसअला :– ख़ुतबे में यह चीज़ें सुन्नत हैं 1. ख़तीब का पाक होना 2. खड़ा होना 3.ख़ुतबे से पहले ख़तीब का बैठना 4. ख़तीब का मिम्बर पर होना। 5. सामेईन की तरफ़ मुँह 6. क़िब्ले को पीठ करना, बेहतर यह है कि मिम्बर मेहराब की बायें जानिब हो 7. हाज़िरीन का इमाम की तरफ़ मुतवज्जेह होना 8. ख़ुतबे से पहले 'अऊज़ुबिल्लाह' आहिस्ता पढ़ना इतनी बलन्द आवाज़ से ख़ुतबा पढ़ना कि लोग सुनें। 9. अलहम्द से शुरूअ् करना 10. अल्लाह तआला की सना करना। 11. अल्लाह तआला की वहदानियत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की रिसालत की शहादत देना 12 हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजना 13. कम से कम एक आयत की तिलावत करना 14. पहले ख़ुतबे में वअ्ज़ व नसीहत होना 15. दूसरे में हम्द व सना व शहादत व दुरूद का अदा करना 17.दूसरे में मुसलमानों के लिए दुआ करना 18. दोनों ख़ुतबे हल्के होना 19. दोनों के दरमियान बक़द्र तीन आयत पढ़ने के बैठना। मुस्तहब यह है कि दूसरे ख़ुतबे में आवाज़ बनिस्बत पहले कि पस्त हो और ख़ुलफ़ाए राशिदीन व अम्मैन मुकर्रमैन यअ्नी हज़रते हमज़ा हज़रते अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा का ज़िक्र हो बेहतर यह है कि दूसरा ख़ुतबा इस से शुरू करें :–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ
عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا
مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ..

तर्जमा :– "हम्द है अल्लाह के लिए हम उसकी हम्द करते हैं और उससे मदद तलब करते हैं और मग़फ़िरत चाहते हैं और उस पर ईमान लाते हैं और उस पर तवक्कुल करते हैं और अल्लाह की पनाह माँगते हैं अपने नफ़्सों की बुराई से और अपने अअ्मल की बदी से जिसको अल्लाह हिदायत करे उसे कोई गुमराह करने वाला नहीं और जिसको गुमराह करे उसे हिदायत करने वाला कोई नहीं"।

मर्द अगर इमाम के सामने हो तो इमाम की तरफ़ मुँह करे और दाहिने बायें हो इमाम की तरफ़ मुड़ जाये और इमाम से क़रीब होना अफ़ज़ल है मगर यह जाइज़ नहीं कि इमाम से क़रीब होने के लिए लोगों की गर्दनें फलाँगे अलबत्ता इमाम अभी ख़ुतबे को नहीं गया है और आगे जगह बाक़ी है तो आगे जा सकता है और ख़ुतबा शुरूअ् होने के बअ्द मस्जिद में आया तो मस्जिद के किनारे ही बैठ जाये ख़ुतबा सुनने की हालत में दो ज़ानू बैठे जैसे नमाज़ में बैठते हैं।(आलमगीरी)

मसअला :– बादशाहे इस्लाम की ऐसी तारीफ़ जो उसमें न हो हराम है मसलन मालिके रिक़ाबिल उमम(उम्मत की गर्दनों का मालिक)कि यह महज़ झूट और हराम है। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– खुतबे में आयत न पढ़ना या दोनों खुतबों के दरमियान जलसा न करना (न बैठना) या खुतबे के बीच में कलाम करना मकरूह है अलबत्ता ख़तीब ने नेक बात का हुक्म किया या बुरी बात से मना किया तो उसे इसकी मनाही नहीं। (आलमगीरी)

मसअला :– ग़ैरे अरबी में खुतबा पढ़ना या अरबी के साथ दूसरी ज़बान खुतबे में मिलाना ख़िलाफ़े सुन्नते मुतवारिसा (यअ्नी जो हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से साबित चली आ रही है उसके ख़िलाफ़ है)। यूँही खुतबे में अशआर पढ़ना भी न चाहिए अगर्चे अरबी ही के हों ,हाँ दो एक नसीहत के अगर कभी पढ़ दे तो हरज नहीं।

(5)जमाअत :– यअ्नी इमाम के अलावा कम से कम तीन मर्द।

मसअला :– अगर तीन गुलाम या मुसाफ़िर बीमार या गूँगे या अनपढ़ मुक़तदी हों तो जुमा हो जायेगा और सिर्फ़ औरतें और बच्चे हों तो नहीं। (आलमगीरी,रद्दुल मुहतार)

मसअला :– खुतबे के वक़्त जो लोग मौजूद थे वह भाग गये और दूसरे तीन शख़्स आ गये तो इनके साथ इमाम जुमा पढ़े यअ्नी जुमे की जमाअत के लिए उन्हीं लोगों का होना ज़रूरी नहीं जो खुतबे के वक़्त हाज़िर थे बल्कि उनके ग़ैर से भी हो जायेगा। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– पहली रकअ्त का सजदा करने से पहले सब मुक़तदी भाग गये या सिर्फ़ दो रह गये तो जुमा बातिल हो गया सिरे से ज़ोहर की नियत बाँधे और अगर सब भाग गये मगर तीन मर्द बाक़ी हैं या सजदे के बाद भागे या तहरीमा के बाद भाग गये और इमाम ने दूसरे तीन मर्दों के साथ जुमा पढ़ा तो इन सब सूरतों में जुमा जाइज़ है। (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार)

मसअला :– " इमाम ने जब 'अल्लाहु अकबर'कहा उस वक़्त मुक़तदी बावुज़ू थे मगर उन्होंने नियत न बाँधी फिर यह सब बेवुज़ू हो गये और दूसरे लोग आ गये यह चले गये तो हो गया और अगर तहरीमा ही के वक़्त (नमाज़ शुरूअ् करने के वक़्त) सब मुक़तदी बेवुज़ू थे फिर और लोग आ गये तो इमाम सिरे से तहरीमा बाँधे। (ख़ानिया)

(6) इज़्ने आम :– यअ्नी मस्जिद का दरवाज़ा खोल दिया जाये कि जिस मुसलमान का जी चाहे आये किसी की रोक टोक न हो अगर जामे मस्जिद में जब लोग जमा हो गये दरवाज़ा बन्द करके जुमा पढ़ा न हुआ।(आलमगीरी)

मसअला :– बादशाह ने अपने मकान में जुमा पढ़ा और दरवाज़ा खोल दिया लोगों को आने की आम इजाज़त है तो हो गया लोग आयें या न आयें और दरवाज़ा बन्द करके पढ़ा या दरबानों को बैठा दिया कि लोगों को आने न दें तो जुमा न हुआ जेल में नमाज़े जुमा फ़र्ज़ नहीं।(आलमगीरी)

मसअला :– औरतों को अगर जामे मस्जिद से रोका जाये तो इज़्ने आम के ख़िलाफ़ न होगा कि इनके आने मे ख़ौफ़े फ़ितना है। (रद्दुल मुहतार)

जुमा वाजिब होने के लिये ग्यारह शर्तें हैं :– इन में से एक भी न पाई जाये तो फ़र्ज़ नहीं फिर भी अगर पढ़ेगा तो हो जायेगा बल्कि मर्द आक़िल, बालिग़ के लिए जुमा पढ़ना अफ़ज़ल है और औरत के लिए ज़ोहर अफ़ज़ल है। हाँ औरत का मकान अगर मस्जिद से बिल्कुल मिला हुआ है कि घर में

इमामे मस्जिद की इक़्तिदा कर सके तो इसके लिए भी जुमा अफ़ज़ल है और नाबालिग़ ने जुमा पढ़ा तो नफ़्ल है कि उस पर नमाज़ फ़र्ज़ ही नहीं। (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार)

शर्तें यह हैं :–

(1)शहर में मुक़ीम होना (2)सेहत यअ्नी मरीज़ पर जुमा फ़र्ज़ नहीं मरीज़ से मुराद वह है कि मस्जिदे जुमा तक न जा सकता हो या चला तो जायेगा मगर मरज़ बढ़ जायेगा या देर में अच्छा होगा (गुनिया) शैख़े फ़ानी (यअ्नी इतना बूढ़ा कि मस्जिदे जुमा तक न जा सके) मरीज़ के हुक्म में है। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– जो शख़्स मरीज का तीमार दार हो जानता है कि जुमे को जायेगा तो मरीज़ दिक़्क़तों में पड़ जा येगा और उस का कोई पुरसाने हाल न होगा तो इस तीमार दार पर जुमा फ़र्ज़ नहीं।(दुर्रे मुख़्तार)

(3)आज़ाद होना :– गुलाम पर जुमा फ़र्ज़ नहीं और उसका आक़ा मना कर सकता है।(आलमगीरी)

मसअला :– मुकातिब गुलाम यानी वह गुलाम जिस से उसके आक़ा ने यह कह दिया हो कि तू इतना रूपया या माल मुझे दे दे तो तू आज़ाद है उस पर जुमा वाजिब है। यूँही जिस गुलाम का कुछ हिस्सा आज़ाद हो चुका हो बाकी के लिए कोशिश करता हो यानी बक़िया आज़ाद होने के लिए कमाकर अपने आक़ा को देता हो इस पर भी जुमा फ़र्ज़ है (आलमगीरी,दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– जिस गुलाम को उसके मालिक ने तिजारत करने की इजाज़त दी हो या उसके ज़िम्मे कोई ख़ास मिक़दार कमा कर लाना मुकर्रर किया हो उस पर जुमा वाजिब है। (आलमगीरी)

मसअला :– मालिक अपने गुलाम को साथ ले कर जामे मस्जिद को गया और गुलाम को दरवाज़े पर छोड़ा कि सवारी की हिफ़ाज़त करे अगर जानवर की हिफ़ज़त में ख़लल न आये पढ़ ले।(आलमगीरी) मालिक ने गुलाम को जुमा पढ़ने की इजाज़त दे दी जब भी वाजिब न हुआ और बिला मालिक की इजाज़त के अगर जुमा या ईद को गया अगर जानता है कि मालिक नाराज़ न होगा तो जाइज़ है वरना नहीं।(रद्दुल मुहतार)

मसअला :– नौकर, मज़दूर को जुमा पढ़ने से नहीं रोक सकता अलबत्ता अगर जामे मस्जिद दूर है तो जितना हरज हुआ है उसकी मज़दूरी में कम कर सकता है और मज़दूर उसका मुतालबा भी नहीं कर सकता। (आलमगीरी)

(4)मर्द होना (5)बालिग़ होना (6)आक़िल होना यह दोनों शर्तें ख़ास जुमे के लिए नहीं बल्कि हर इबादत के वुजूब में अक़्ल वाला और बालिग़ होना शर्त है। **(7)अंखियारा होना।**

मसअला :– एक चश्म (काना)और जिसकी निगाह कमज़ोर हो उस पर जुमा फ़र्ज़ है यूँही जो अन्धा मस्जिद में अजान के वक़्त बा–वुज़ू हो उस पर जुमा फ़र्ज है और वह नाबीना जो ख़ुद मस्जिदे जुमा तक बिला तकल्लुफ़ न जा सकता हो अगर्चे मस्जिद तक कोई ले जाने वाला हो उजरते मिस्ल यानी जो इस काम के लिए मुनासिब उजरत हो उस उजरत पर ले जाये या बिला उजरत ले जाये उस पर जुमा फ़र्ज नहीं। (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअला :– बाज़ नाबीना बिला तकल्लुफ़ बग़ैर किसी की मदद के बाज़ारों रास्तों में चलते फिरते हैं और जिस मस्जिद में चाहें बिला पूछे जा सकते हैं उन पर जुमा फ़र्ज़ है। (रद्दुल मुहतार)

(8)चलने पर क़ादिर होना।

मसअला :– अपाहिज पर जुमा फ़र्ज़ नहीं अगर्चे कोई ऐसा हो कि उसे उठाकर मस्जिद में रख आयेगा। (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– जिसका एक पाँव कट गया हो, फ़ालिज से बेकार हो गया हो अगर मस्जिद तक जा सकता हो तो उस पर जुमा फ़र्ज़ है वरना नहीं। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

(9)क़ैद में न होना मगर जब कि किसी दैन (क़र्ज़) की वजह से क़ैद किया गया हो और मालदार है यानी अदा करने पर क़ादिर है तो उस पर जुमा फ़र्ज़ है। (रद्दुल मुहतार)

(10)बादशाह या चोर वग़ैरा किसी ज़ालिम का ख़ौफ़ न होना मुफ़लिस क़र्ज़दार को अगर क़ैद का अंदेशा हो तो उस पर फ़र्ज़ नहीं। (रद्दुल मुहतार)

(11)मेंह (बारिश) या आँधी या ओला या सर्दी का न होना यानी इस क़द्र कि इन से नुक़सान का ख़ौफ़े सही हो।

मसअला :– जुमे की इमामत हर वह मर्द कर सकता है जो और नमाज़ों में इमाम हो सकता हो अगर्चे उस पर जुमा फ़र्ज़ न हो जैसे मरीज़, मुसाफ़िर गुलाम (दुर्रे मुख़्तार)यअ्नी जबकि सुल्ताने इस्लाम या उसका नाइब या जिसको उसने इजाज़त दे दी बीमार हो या मुसाफ़िर तो यह सब नमाज़े जुमा पढ़ा सकते हैं या उन्होंने किसी मरीज़ या मुसाफ़िर या गुलाम या किसी इमामत के लाइक शख़्स को इजाज़त दी हो या ब–ज़रूरत आम लोगों ने किसी ऐसे को इमाम मुक़र्रर किया जो इमामत कर सकता हो यह नहीं कि बतौरे खुद जिसका जी चाहे जुमा पढ़ा दे कि यूँ जुमा न होगा।

शहर में जुमा के दिन ज़ोहर पढ़ने के मसाइल

मसअला :– जिस पर जुमा फ़र्ज़ है उसे शहर में जुमा हो जाने से पहले ज़ोहर पढ़ना मकरूहे तहरीमी है बल्कि इमाम इब्ने हुमाम रदियल्लाहु तआला अन्हु ने फ़रमाया हराम है और पढ़ लिया जब भी जुमे के लिए जाना फ़र्ज़ है और जुमा हो जाने के बअ्द ज़ोहर पढ़ने में कराहत नहीं बल्कि अब तो ज़ोहर ही पढ़ना फ़र्ज़ है अगर जुमा दूसरी जगह न मिल सके मगर जुमा तर्क करने का गुनाह उसके सर रहा। (दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार)

मसअला :– यह शख़्स कि जुमा होने से पहले ज़ोहर पढ़ चुका था नादिम (शर्मिन्दा) होकर घर से जुमे की नियत से निकला अगर उस वक़्त इमाम नमाज़ में हो तो नमाज़े ज़ोहर जाती रही जुमा मिल जाये तो पढ़ ले वरना ज़ोहर की नमाज़ फिर पढ़े अगर्चे मस्जिद दूर होने के सबब जुमा न मिला हो। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– जामे मस्जिद में यह शख़्स है जिसने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ली है और जिस जगह नमाज़ पढ़ी वहीं बैठा है तो जब तक जुमा शुरूअ् न करे ज़ोहर बातिल नहीं और अगर ब–क़स्दे जुमा वहाँ से हटा तो बातिल हो गई। (दुर्रेमुख़्तार रद्दुल मुहतार)

मसअला :– यह शख़्स अगर मकान से निकला ही नहीं या किसी और ज़रूरत से निकला या इमाम के फ़ारिग हाने के वक़्त या फ़ारिग होने के बाद निकला या उस दिन जुमा पढ़ा ही न गया या लोगों ने जुमा पढ़ना तो शुरू किया था मगर किसी हादसे के सबब पूरा न किया तो इन सब सूरतों में ज़ोहर बातिल नहीं। (आलमगीरी वग़ैरा)

मसअला :– जिन सूरतों में ज़ोहर बातिल होना कहा गया उस से मुराद फ़र्ज़ जाता रहना है कि यह नमाज़ अब नफ़्ल हो गई। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअला :– जिस पर जुमा, फ़र्ज़ था उसने ज़ोहर की नमाज़ में इमामत की फिर जुमे को निकला तो

उसकी ज़ोहर बातिल है मगर मुक़्तदियों में जो जुमा को न निकला उसके फ़र्ज़ बातिल न हुए।(दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– जिस पर किसी उज़्र के सबब जुमा फ़र्ज़ न हो वह अगर ज़ोहर पढ़कर जुमे के लिए निकला तो उसकी नमाज़ भी जाती रही उन शराइत के साथ जो ऊपर ज़िक्र की गईं। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– मरीज़ या मुसाफ़िर या क़ैदी या कोई और जिस पर जुमा फ़र्ज़ नहीं उन लोगों को भी जुमे के दिन शहर में जमाअत के साथ ज़ोहर पढ़ना मकरूहे तहरीमी है ख़्वाह जुमा होने से पहले जमाअत करें या बाद में। यूहीं जिन्हें जुमा न मिला वह भी बग़ैर अज़ान व इक़ामत ज़ोहर की नमाज़ तन्हा–तन्हा पढ़ें जमाअत इनके लिए भी मना है। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– उलमा फ़रमाते हैं जिन मस्जिद में जुमा नहीं होता उन्हें जुमे के दिन ज़ोहर के वक़्त बन्द रखें। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– गाँव में जुमे के दिन भी ज़ोहर की नमाज़ अज़ान व इक़ामत के साथ बा–जमाअत पढ़ें।

मसअला :– मअ्ज़ूर अगर जुमे के दिन ज़ोहर पढ़े तो मुस्तहब यह है कि नमाज़े जुमा हो जाने के बाद पढ़े और ताख़ीर न की तो मकरूह है। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– जिस ने जुमे का क़अ्दा पा लिया या सजदा सहव के बाद शरीक हुआ उसे जुमा मिल गया लिहाज़ा अपनी दो ही रकअ्तें पूरी करे (आलमगीरी वग़ैरा)

मसअला :– नमाज़े जुमा के लिए पहले से जाना और मिस्वाक करना और अच्छे और सफ़ेद कपड़े पहनना और तेल और खुश्बू लगाना और पहली सफ़ में बैठना मुस्तहब है और ग़ुस्ल सुन्नत।(आलमगीरी)

मसअला :– जब इमाम खुतबे के लिए खड़ा हो उस वक़्त से नमाज़ ख़त्म होने तक नमाज़ व दूसरे ज़िक्र व हर किस्म का कलाम मना है अलबत्ता साहिबे तरतीब अपनी क़ज़ा नमाज़ पढ़ ले यूँही जो शख़्स सुन्नत या नफ़्ल पढ़ रहा है जल्द जल्द पूरी कर ले (दुर्रे मुख़्तार)

खुतबे के बअ्ज़ दीगर मसाइल

मसअला :– जो चीज़ें नमाज़ में हराम हैं मसलन खाना, पीना, सलाम, व जवाबे सलाम, वग़ैरा सब खुतबे की हालत में हराम हैं यहाँ तक कि अम्र बिल मअ्रूफ़ (नेक काम के लिए कहना)हाँ ख़तीब अम्र बिल मअ्रूफ़ कर सकता है जब खुतबा पढ़े तो तमाम हाज़िरीन पर सुनना और चुप रहना फ़र्ज़ जो लोग इमाम से दूर हों कि खुतबे की आवाज़ उन तक नहीं पहुँचती उन्हें भी चुप रहना वाजिब है अगर किसी को बुरी बात करते देखें तो हाथ या सर के इशारे से मना कर सकते हैं ज़बान से नाजाइज़ है (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– खुतबा सुनने की हालत में देखा कि अन्धा कुँए में गिरा चाहता है या किसी को बिच्छू वग़ैरा काटना चाहता है तो ज़बान से कह सकते हैं इशारा या दबाने से बता सकें तो इस सूरत में भी ज़बान से कहने की इजाज़त नहीं (दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार)

मसअला :– ख़तीब ने मुसलमानों के लिए दुआ की तो सामेईन को हाथ उठाना या आमीन कहना मना है, करेंगे तो गुनहगार होंगे खुतबे में दुरूद शरीफ़ पढ़ते वक़्त ख़तीब का दायें बायें मुँह करना बुरी बिदअ्त है। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का नामे पाक ख़तीब ने लिया तो

हाज़िरीन दिल में दूरूद शरीफ़ पढ़ें ज़बान से पढ़ने की इस वक़्त इजाज़त नहीं यूँही सहाबए किराम के ज़िक्र पर इस वक़्त रदियल्लाहु तआला अन्हुम ज़बान से कहने की इजाज़त नहीं(दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअला :– ख़ुतबए जुमे के अलावा और ख़ुतबों का सुनना भी वाजिब है मसलन ख़ुतबाए ईदैन व निकाह वग़ैरहुमा (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– पहली अज़ान होते ही सई (यअ्नी जुमे के लिए कोशिश)वाजिब है और ख़रीद, फ़रोख़्त वग़ैरा उन चीज़ों का जो सई के मुनाफ़ी हों यअ्नी रूकावट बने उन का छोड़ देना वाजिब यहाँ तक कि रास्ता चलते हुए अगर ख़रीद व फ़रोख़्त की तो यह भी नाजाइज़ और मस्जिद में ख़रीद व फ़रोख़्त तो सख़्त गुनाह है और खाना खा रहा था कि अज़ाने जुमा की आवाज़ आई अगर यह अंदेशा हो कि खायेगा तो जुमा फ़ौत हो जायेगा तो खाना छोड़ दे और जुमे को जाये जुमे के लिए इत्मिनान व क़रार के साथ जाये (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– ख़तीब जब मिम्बर पर बैठे तो उस के सामने दो बारा अज़ान दी जाये (मोतून)यह हम ऊपर बयान कर आये कि, सामने से यह मुराद नहीं कि मस्जिद के अन्दर मिम्बर से मुत्तसिल (यअ्नी क़रीब) हो कि मस्जिद के अन्दर अज़ान कहने को फ़ुक़हाए इस्लाम मकरूह फ़रमाते हैं।

मसअला :– अकसर जगह देखा गया कि अज़ाने सानी यअ्नी ख़ुतबे से पहले की दूसरी अज़ान पस्त (धीमी)आवाज़ से कहते हैं यह न चाहिए बल्कि उसे भी बलन्द आवाज़ से कहें कि इससे भी एअ्लान मक़सूद है और जिसने पहली न सुनी उसे सुनकर हाज़िर हो। (बहर वग़ैरा)

मसअला :– ख़ुतबा ख़त्म हो जाये तो इक़ामत कही जाये ख़ुतबा व इक़ामत के दरमियान दुनिया की बात करना मकरूह है। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– जिसने ख़ुतबा पढ़ा वही नमाज़ पढ़ाये और अगर दूसरे ने पढ़ा दी जब भी हो जायेगी जब कि वह माज़ून हो यानी हुक्म दिया गया हो यूँही अगर नाबालिग़ ने बादशाह के हुक्म से ख़ुतबा पढ़ा और बालिग़ ने नमाज़ पढ़ाई जाइज़ है।

मसअला :– नमाज़े जुमा में बेहतर यह है कि पहली रकअ्त में 'सूरए जुमा और दूसरी में 'सूरए मुनाफ़िक़ून'या पहली में 'सूरए अअ्ला और दूसरी में सूरए ग़ाशिया पढ़े मगर हमेशा इन्हीं को न पढ़े कभी कभी और सूरतें भी पढ़े।(रद्दुल मुहतार)

मसअला :– जुमे के दिन अगर सफ़र किया और ज़वाल से पहले शहर की आबादी से बाहर हो गया तो हरज़ नहीं वरना मना है। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअला :– हजामत बनवाना और नाख़ून तरशवाना जुमे के बाद अफ़ज़ल है। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– सवाल करने वाला अगर नमाज़ियों के आगे से गुज़रता हो या गर्दनें फलाँगता हो या बिला ज़रूरत माँगता हो तो सवाल भी नाजाइज़ है और ऐसे साइल (माँगने वाले) को देना भी नाजाइज़। (रद्दुल मुहतार)बल्कि मस्जिद में अपने लिए मुतलक़न सवाल की इजाज़त नहीं।

मसअला :– जुमे के दिन ,या रात में सूरए कहफ़ की तिलावत अफ़ज़ल है ज़्यादा बुज़ुर्गी रात में पढ़ने की है। नसाई व बैहक़ी अबू सईद ख़ुदरी रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि फ़रमाते हैं जो शख़्स सूरए कहफ़ जुमे के दिन पढ़े उसके लिए दोनों जुमों के दरमियान नूर रौशन होगा और दारमी की रिवायत में जो शबे जुमा में सूरए कहफ़ पढ़े उसके लिए वहाँ से कअ्बा तक नूर रौशन होगा और अबूबक इब्ने मर्दविया की रिवायत इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से है कि फ़रमाते

है जो जुमे के दिन सूरए कहफ़ पढ़े उसके क़दम से आसमान तक नूर बलन्द होगा जो क़ियामत के लिए रौशन होगा और दो जुमों के दरमियान जो गुनाह हुए है बख़्श दिये जायेंगे। इस हदीस की इसनाद में कोई हरज नहीं। 'सूरए दुख़ान' पढ़ने की भी फ़ज़ीलत आई है तबरानी ने अबू उमामा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जो शख़्स जुमे के दिन या रात में 'सूरए दुख़ान'पढ़े उसके लिये अल्लाह तआला जन्नत में एक घर बनायेगा और अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि उसकी मग़फ़िरत हो जायेगी और एक रिवायत में है जो किसी रात में 'सूरए दुख़ान' पढ़े उसके लिये सत्तर हज़ार फ़रिश्ते इस्तिग़फ़ार करेंगे। जुमे के दिन या रात में जो सूरए यासीन पढ़े उसकी मग़फ़िरत हो जाये।

फ़ायदा :– जुमे के दिन रूहें जमा होती हैं लिहाज़ा इसमें ज़्यारते क़ुबूर करनी चाहिए और इस रोज़ जहन्नम नहीं भड़काया जाता। (दुर्रे मुख़्तार)

ईदैन का बयान

अल्लाह तआला फ़रमाता है–

وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ

तर्जमा – रोज़ो की गिनती पूरी करो और अल्लाह की बड़ाई बोलो कि उसने तुम्हे हिदायत फ़रमाई। और फ़रमाता है।

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ۝

तर्जमा – अपने रब के लिए नमाज़ पढ और क़ुर्बानी कर।

हदीस न.1 :– इब्ने माजा अबू उमामा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं जो ईदैन की रातों में क़ियाम करे उसका दिल न मरेगा जिस दिन लोगो के दिल मरेंगे।

हदीस न.2 :– अस्बहानी मआज़ इब्ने जबल रदियल्लाहु तआला अन्हुम से रावी कि फ़रमाते हैं जो पाँच रातों में शब बेदारी करे उसके लिए जन्नत वाजिब है ज़िलहिज्जा की आठवीं, नवीं ,दसवीं, रातें और ईदुलफ़ित्र की रात और शाबान की पन्द्रहवीं यअ्नी शबे बराअत।

हदीस न.3 :– अबू दाऊद अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब मदीने में तशरीफ़ लाये उस ज़माने में अहले मदीना साल में दो दिन ख़ुशी करते थे मेहरगान(पतझड़ का मौसम)व नैरोज़ फ़रमाया यह क्या दिन हैं लोगों ने अर्ज़ किया जाहिलियत में हम इन दिनों में ख़ुशी करते थे। फ़रमाया अल्लाह तआला ने उनके बदले में इन से बेहतर दो दिन तुम्हें दिये ईदे अज़हा व ईदुल फ़ित्र के दिन।

हदीस न.4 व 5 :– तिर्मिज़ी व इब्ने माजा व दारमी व बुरीदा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ईदुल फ़ित्र के दिन कुछ खाकर नमाज़ के लिए तशरीफ़ ले जाते और ईद अज़हा को न खाते जब तक नमाज़ न पढ़ लेते और बुख़ारी की रिवायत अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु से कि ईदुल फ़ित्र के दिन तशरीफ़ न ले जाते जब तक चन्द खजूरे न तनावुल फ़रमा लेते और ख़जूरें ताक़ (बे जोड़) होतीं यानी तीन, पाँच, सात वग़ैरा।

हदीस न.6 :– तिर्मिज़ी व दारमी ने अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि ईद को एक रास्ते से तशरीफ़ ले जाते और दूसरे से वापस होते।

हदीस न.7 :– अबू दाऊद व इब्ने माजा की रिवायत उन्हीं से है कि एक मर्तबा ईद के दिन बारिश

हुई तो मस्जिद में हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ईद की नमाज़ पढ़ी।

हदीस न.8 :– सहीहैन में इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रावी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ईद की नमाज़ दो रकअ़त पढ़ी न इसके क़ब्ल नमाज़ पढ़ी न बाद।

हदीस न.9 :– सही मुस्लिम शरीफ़ में है जाबिर इब्ने सुमरा रदियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ ईद की नमाज़ पढ़ी एक दो मर्तबा नहीं (बल्कि बारहा) न अज़ान हुई न इक़ामत।

मसाइले फ़िक़्हिय्या

ईदैन की नमाज़ वाजिब है मगर सब पर नहीं बल्कि उन्हीं पर जिन पर जुमा वाजिब है और इसकी अदा की वही शर्तें हैं जो जुमे के लिए हैं सिर्फ़ इतना फ़र्क़ है कि जुमे में ख़ुतबा शर्त है और ईदैन में सुन्नत अगर जुमे में ख़ुतबा न पढ़ा तो जुमा न हुआ और इसमें न पढ़ा तो नमाज़ हो गई मगर बुरा किया। दूसरा फ़र्क़ यह है कि जुमे का ख़ुतबा नमाज़ से पहले है और ईदैन का नमाज़ के बाद अगर पहले पढ़ लिया तो बुरा किया मगर नमाज़ हो गई लौटाई नहीं जायेगी और ख़ुतबे को भी नहीं दोहराया जायेगा और ईदैन में न अज़ान है न इक़ामत सिर्फ़ दो बार इतना कहने की इजाज़त है 'अस्सलातु जामिअ़ह' ।(आलमगीरी,दुर्रे मुख़्तार वग़ैरहुमा)बिला वजह ईद की नमाज़ छोड़ना गुमराही व बुरी बिदअ़त है। (जौहरा)

मसअला :– गाँव में ईदैन की नमाज़ पढ़ना मकरूहे तहरीमी है। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– ईद के दिन यह उमूर (काम) मुस्तहब हैं। हजामत बनवाना 2.नाख़ून तरशवाना 3. गुस्ल करना 4. मिस्वाक करना 5. अच्छे कपड़े पहनना नया हो तो नया वरना धुला हुआ। 6. अँगूठी पहनना 7. ख़ुश्बू लगाना 8. सुबह की नमाज़ मस्जिदे मुहल्ला में पढ़ना 9.ईदगाह जल्द जाना 10.नमाज़ से पहले सदक़ए फ़ित्र अदा करना 11. ईदगाह को पैदल जाना 12. दूसरे रास्ते से वापस आना 13. नमाज़ को जाने से पहले चन्द खजूरें खा लेना तीन, पाँच सात या कम या ज़्यादा मगर ताक़ (बे जोड़) हों,खजूरें न हों तो कोई मीठी चीज़ खा ले नमाज़ से पहले कुछ न खाया तो गुनहगार न हुआ मगर इशा तक न खाया तो इताब किया जायेगा। (कुतुबे कसीरह)

मसअला :– सवारी पर जाने में भी हरज नहीं मगर जिसको पैदल जाने पर क़ुदरत हो उसके लिए पैदल जाना अफ़ज़ल है और वापसी में सवारी पर आने में हरज नहीं। (आलमगीरी जौहरा)

मसअला :– ईदगाह को नमाज़ के लिए जाना सुन्नत है अगर्चे मस्जिद में गुन्जाइश हो और ईदगाह में मिम्बर बनाने या मिम्बर ले जाने में हरज नहीं। (रद्दुल मुहतार वग़ैरा)

मसअला :– ख़ुशी ज़ाहिर करना, कसरत से सदक़ा देना, ईदगाह को इत्मीनान व वक़ार और नीची निगाह किये जाना,आपस में मुबारक बाद देना मुस्तहब है और रास्ते में बलन्द आवाज़ से तकबीर न कहे। (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार)

मसअला :– नमाज़े ईद से क़ब्ल(पहले) नफ़्ल नमाज़ मुतलक़न मकरूह है ईदगाह में हो या घर में उस पर ईद की नमाज़ वाजिब हो या नहीं यहाँ तक कि औरत अगर चाश्त की नमाज़ घर में पढ़ना चाहे तो नमाज़ हो जाने के,बाद पढ़े,और नमाज़े ईद के बाद ईदगाह में नफ़्ल पढ़ना मकरूह है घर में पढ़ सकता है बल्कि मुस्तहब है कि चार रकअ़तें पढ़े यह अहकाम ख़वास के हैं अवाम अगर नफ़्ल

पढ़ें अगर्चे नमाज़े ईद से पहले अगर्चे ईदगाह में उन्हें मना न किया जाये।(दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार)

मसअला :– नमाज़े ईद का वक़्त बक़द्रे एक नेज़ा आफ़ताब बलन्द होने से ज़हवए कुबरा यानी निस्फ़ुन्नहार शरई तक है मगर ईदुल फ़ित्र में देर करना और ईद अज़हा में जल्द पढ़ लेना मुस्तहब है और सलाम फेरने के पहले ज़वाल हो गया तो नमाज़ जाती रही।(दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा) निस्फ़ुन्नहारे शरई का बयान दूसरे हिस्से में गुज़र चुका।

नमाज़े ईद का तरीक़ा

यह है कि दो रकअ़त वाजिब ईदुल फ़ित्र या ईद अज़हा की नियत करके कानों तक हाथ उठाये और 'अल्लाहु अकबर' कह कर हाथ बाँध ले फिर सना पढ़े फिर कानों तक हाथ उठाये और 'अल्लाहु अकबर कहता हुआ हाथ छोड़ दे फिर हाथ उठाये और 'अल्लाहु अकबर कहकर हाथ छोड़दे फिर हाथ उठाये और अल्लाह हुअकबर कह कर हाथ बाँध ले यअ़नी पहली तकबीर में हाथ बाँधे उसके बअ़द दो तकबीरों में हाथ लटकाये फिर चौथी तकबीर में बाँध ले इसको यूँ याद रखें कि जहाँ तकबीर के बाद कुछ पढ़ना है वहाँ हाथ बाँध लिये जायें और जहाँ पढ़ना नहीं वहाँ हाथ छोड़ दिये जायें फिर इमाम 'अऊज़ुबिल्लाह'और बिस्मिल्लाह' आहिस्ता पढ़कर जहर(यअ़नी बलन्द आवाज़)के साथ सूरए फ़ातिहा और सूरत पढ़े फिर रुकूअ़ करे और दुसरी रकअ़त में पहले सूरए फ़ातिहा और सूरत पढ़े फिर तीन बार कान तक हाथ ले जाकर 'अल्लाहु अकबर'कहे और हाथ न बाँधे और चौथी बार बग़ैर हाथ उठाये 'अल्लाहु अकबर' कहता हुआ रुकूअ़ में जाये इस से मअ़लूम हो गया कि ईदैन में ज़ाइद तकबीरें छह हुई तीन पहली में क़िरात से पहले और तकबीरे तहरीमा के बाद और तीन दूसरी में क़िरात के बाद और तकबीरे रुकूअ़ से पहले और इन सभी छः तकबीरों में हाथ उठाये जायेंगे और हर दो तकबीरों के दरमियान तीन तस्बीह की क़द्र ठहरे और ईदैन में मुस्तहब यह है कि पहली में 'सूरए जुमा' दूसरी में 'सूरए मुनाफ़िक़ून' पढ़े या पहली में 'सूरए अअ़ला' और दूसरी में 'सूरए ग़ाशिया।(दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअला :– इमाम ने छह तकबीरों से ज़्यादा कहीं तो मुक़तदी भी इमाम की पैरवी करे मगर तेरह से ज़्यादा में इमाम की पैरवी नहीं। (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– पहली रकअ़त में इमाम के तकबीरें कहने के बअ़द मुक़तदी शामिल हुआ तो उसी वक़्त तीन से ज़्यादा कही हों और अगर इसने तकबीरें न कहीं कि इमाम रुकूअ़ में चला गया तो खड़े खड़े न कहे बल्कि इमाम के साथ रुकूअ़ में जाये और रुकूअ़ में तकबीर कह ले और अगर इमाम को रुकूअ़ में पाया और ग़ालिब गुमान है कि तकबीरें कह कर इमाम को रुकूअ़ में पा लेगा तो खड़े–खड़े तकबीरें कहे फिर रुकूअ़ में जाये वरना'अल्लाहु अकबर' कह कर रुकूअ़ में जाये औ तीन तकबीरें कह ले अगर्चे इमाम ने क़िरात शुरूअ़ कर दी हो और तीन ही कहे अगर्चे इमाम नेर रुकूअ़ में तकबीरें कहे फिर अगर इसने रुकूअ़ में तकबीरें पूरी न की थीं कि इमाम ने सर उठा लिया तो बाक़ी साक़ित हो गईं और अगर इमाम रुकूअ़ से उठने के बअ़द शामिल हुआ तो अब तकबीरें न कहे बल्कि जब अपनी पढ़े उस वक़्त कहे और रुकूअ़ में जहाँ तकबीर कहना बताया गया उसमें हाथ न उठाये और अगर दूसरी रकअ़त में शामिल हुआ तो पहली रकअ़त की तकबीरें अब न कहे बल्कि जब अपनी फ़ौत शुदा(छूटी हुई)पढ़ने खड़ा हो उस वक़्त कहे और दूसरी रकअ़त की तकबीरें अगर इमाम के साथ पा जाये तो बेहतर वरना इसमें भी वही तफ़सील है जो पहली रकअ़त के बारे में ज़िक्र की गई। (आलमगीरी, दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– जो शख़्स इमाम के साथ शामिल हुआ फिर सो गया या उसका वुज़ू जाता रहा अब जो पढ़े तो तकबीरें उतनी कहे जितनी इमाम ने कहीं अगर्चे उसके मज़हब में उतनी न थीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– इमाम तकबीर कहना भूल गया और रुकूअ् में चला गया तो क़ियाम की तरफ़ न लौटे न रुकूअ् में तकबीर कहे। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला :– पहली रकअ्त में इमाम तकबीरें भूल गया और क़िरात शुरूअ् कर दी तो क़िरात के बअ्द कहले या रुकूअ् में और क़िरात का इआदा न करे यअ्नी लौटाये नहीं। (गुनिया,आलमगीरी)

मसअ्ला :– इमाम ने तकबीराते जवाइद(यअ्नी वह छः तकबीरें जो ईदैन की नमाज़ में ज़्यादा हैं)में हाथ न उठाये तो मुक़तदी उसकी पैरवी न करें बल्कि हाथ उठायें। (आलमगीरी वग़ैरा)

मसअ्ला :– नमाज के बअ्द इमाम दो खुतबे पढ़े और खुतबए जुमा में जो चीजें सुन्नत हैं इसमें भी सुन्नत है और जो वहाँ मकरूह यहाँ भी मकरूह सिर्फ दो बातों में फर्क है एक यह कि जुमे के पहले खुतबे से पेश्तर ख़तीब का बैठना सुन्नत था और इसमे न बैठना सुन्नत है। दूसरे यह कि इसमें पहले खुतबे से पेश्तर नौ बार और दूसरे के पहले सात बार और मिम्बर से उतरने के पहले चौदह बार 'अल्लाहु अकबर' कहना सुन्नत है और जुमे में नहीं। (आलमगीरी,दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– ईदुल फ़ित्र के खुतबे में सदकए फ़ित्र के अहकाम की तअ्लीम करे वह पाँच बातें हैं। 1.किस पर वाजिब है। 2.किस के लिए वाजिब है 3.कब वाजिब है 4.कितना वाजिब है 5. और किस चीज से वाजिब है, बल्कि मुनासिब यह है कि ईद से पहले जो जुमा पढ़े उसमें भी यह अहकाम बता दिये जायें कि पहले से लोग वाक़िफ़ हो जायें और ईदे अज़्हा के खुतबे में कुर्बानी के अहकाम और तकबीराते तश्रीक़ की तअ्लीम की जाये। (दुर्रे मुख़्तार आलमगीरी)

नोट : तकबीराते तश्रीक़ उन तकबीरों को कहते है जो बकरईद के महीने में नौ तारीख़ की फ़ज्र से तेरह तारीख़ की अस्र तक हर फ़र्ज नमाज़ के बाद तीन मरतबा कही जाती हैं।

मसअ्ला :– इमाम ने नमाज़ पढ़ ली और कोई शख़्स बाक़ी रह गया ख़्वाह वह शामिल ही न हुआ था या शामिल तो हुआ था मगर इसकी नमाज़ फ़ासिद हो गई तो अगर दूसरी जगह मिल जाये पढ़ ले वरना नहीं पढ़ सकता। हाँ बेहतर यह है कि यह शख़्स चार रकअ्त चाश्त की नमाज़ पढ़े(दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– किसी उज़्र के सबब ईद के दिन नमाज़ न हो सकी (मसलन सख़्त बारिश हुई या बादल के सबब चाँद नहीं देखा गया और गवाही ऐसे वक़्त गुज़री कि नमाज़ न हो सकी या बादल था और नमाज़ ऐसे वक़्त ख़त्म हुई कि ज़वाल हो चुका था तो दूसरे दिन पढ़ी जाये और दूसरे दिन भी न हुई तो ईदुल फ़ित्र की नमाज़ तीसरे दिन नहीं हो सकती,और दूसरे दिन भी नमाज़ का वही वक़्त है जो पहले दिन था यअ्नी एक नेज़ा आफ़ताब बलन्द होने से निस्फ़ुन्नहारे शरई तक और बिला उज़्र ईदुल फ़ित्र की नमाज़ पहले दिन न पढ़ी तो दूसरे दिन नहीं पढ़ सकते।(आलमगीरी,दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– ईद अज़्हा तमाम अहकाम में ईदुल फ़ित्र की तरह है सिर्फ़ बाज़ बातों में फ़र्क़ है इसमें मुस्तहब यह है कि नमाज़ से पहले कुछ न खाये अगर्चे कुर्बानी न करे और खा लिया तो कराहत नहीं और रास्ते में बलन्द आवाज़ से तकबीर कहता जाये और ईद अज़्हा की नमाज़ उज़्र की वजह से बारहवीं तक बिला कराहत मुअख़्ख़र कर सकते हैं यानी बारहवीं तक पढ़ सकते हैं, बारहवीं के बअ्द फिर नहीं हो सकती और बिला उज़्र दसवीं के बअ्द मकरूह है। (आलमगीरी वग़ैरा)

मसअ्ला :– कुर्बानी करनी हो मुस्तहब यह है कि पहली से दसवीं जिलहिज्जा तक न हजामत

बनवाए न नाखुन तरशवाए। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– अर्फ़े के दिन यअ्नी नवीं ज़िलहिज्जा को लोगों का किसी जगह जमा हो कर हाजियों की तरह वुक़ूफ़ करना और ज़िक्र व दुआ में मशग़ूल रहना सही यह है कि कुछ मुज़ाएक़ा (हरज) नहीं जबकि लाज़िम व वाजिब न जाने और अगर किसी दूसरी ग़रज़ से जमा हुए मसलन नमाज़े इस्तिस्क़ा पढ़नी है जब तो बिला इख़्तिलाफ़ जाइज़ है और असलन(बिल्कुल) हरज नहीं।(दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– ईद की नमाज़ के बअ्द मुसाफ़हा व मुआनक़ा यअ्नी गले मिलना जैसा उमूमन मुसलमानों में रिवाज है बेहतर है कि इसमें अपनी खुशी का इज़्हार है। (शिराहुलजव्वद)

तकबीरे तश्रीक़ के मसाइल

मसअ्ला :– नवीं ज़िलहिज्जा की फ़ज्र से तेरहवीं की अस्र तक हर नमाज़े फ़र्ज़े पंजगाना के बाद जो जमाअ्त मुस्तहब्बा के साथ अदा की गई एक बार तकबीर बलन्द आवाज़ से कहना वाजिब है और तीन बार अफ़जल,इसे तकबीरे तश्रीक़ कहते हैं वह यह है :–

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ. (तनवीरुल अबसार)

मसअ्ला :– तकबीरे तश्रीक़ सलाम फेरने के बअ्द फ़ौरन वाजिब है यअ्नी जब तक कोई ऐसा फ़ेअ्ल न किया हो कि उस नमाज़ पर बिना न कर सके। अगर मस्जिद से बाहर हो गया या क़स्दन (जानबुझ कर)वुज़ू तोड़ दिया या कलाम किया अगर्चे सहवन (भूलकर)तो तकबीर साक़ित हो गई और बिला क़स्द यानी बिला इरादा वुज़ू टूट गया तो कह ले। (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– तकबीरे तश्रीक़ उस पर वाजिब है जो शहर में मुक़ीम हो या जिसने उसकी इक़्तिदा की अगर्चे औरत या मुसाफ़िर या गाँव का रहने वाला और अगर उसकी इक़्तिदा न करें तो इन पर वाजिब नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला :– नफ़्ल पढ़ने वाले ने फ़र्ज़ वाले की इक़्तिदा की तो इमाम की पैरवी में इस मुक़तदी पर भी वाजिब है अगर्चे इमाम के साथ इसने फ़र्ज़ न पढ़े और मुक़ीम ने मुसाफ़िर की इक़्तिदा की तो मुक़ीम पर वाजिब है अगर्चे इमाम पर वाजिब नहीं।(दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– गुलाम पर तकबीरे तश्रीक़ वाजिब है और औरतों पर वाजिब नहीं अगर्चे जमाअत से नमाज़ पढ़ी। हाँ अगर मर्द के पीछे औरत ने पढ़ी और इमाम ने उसके इमाम होने की नियत की तो औरत पर भी वाजिब है मगर आहिस्ता कहे। यूँही जिन लोगों ने बरहना नमाज़ पढ़ी उन पर भी वाजिब नहीं अगर्चे जमाअत करें कि उनकी जमाअत जमाअ्ते मुस्तहब नहीं। (दुर्रे मुख़्तार,जौहरा वग़ैराहुमा)

मसअ्ला :– नफ़्ल व सुन्नत व वित्र के बअ्द तकबीर वाजिब नहीं और जुमे के बअ्द वाजिब है और नमाज़े ईद के बअ्द भी कह ले। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– मसबूक़(जिसकी शुरूअ् से रकअ्त छूटे)व लाहिक़(जिसकी दरमियान से रकअ्त छूटे)पर तकबीर वाजिब है मगर खुद सलाम फेरें उस वक़्त कहें और अगर इमाम के साथ कह ली तो नमाज़ फ़ासिद न हुई और नमाज़ ख़त्म करने के बाद तकबीर का इआदा भी नहीं यअ्नी लौटाना भी नहीं। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– और दिनों में नमाज़ क़ज़ा हो गई थी अय्यामे तश्रीक़ में उसकी क़ज़ा पढ़ी तो तकबीर वाजिब नहीं। यूँहीं इन दिनों की नमाज़ें और दिनों में पढ़ें जब भी वाजिब नहीं। यूहीं गुज़रे हुए साल

के अय्यामे तश्रीक़ की क़ज़ा नमाज़ें इस साल के अय्यामे तश्रीक़ में पढ़ें जब भी वाजिब नहीं हाँ अगर इसी साल के अय्यामे तश्रीक़ की क़ज़ा नमाज़ें इसी साल के इन्हीं दिनों में जमाअत से पढ़े तो वाजिब है। (रद्दुल मुहतार)

नोट :— वह दिन जिनमें तकबीरे तश्रीक़ कही जाती है उन्हें अय्यामे तश्रीक़ कहते हैं।

मसअला :— मुनफ़रिद यअ़नी तन्हा नमाज़ पढ़ने वाले पर तकबीर वाजिब नहीं (जौहरा नय्यिरा) मगर मुनफ़रिद भी कह ले कि साहिबैन के नज़दीक इस पर भी वाजिब है।

मसअला :— इमाम ने तकबीर न कही जब भी मुक़तदी पर कहना वाजिब है अगर्चे मुक़तदी मुसाफ़िर या देहाती या औरत हो। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :— इन तारीख़ों में अगर आम लोग बाज़ारों में एलान के साथ तकबीरें कहें तो उन्हें मना न किया जाये। (दुर्रे मुख़्तार)

गहन की नमाज़

हदीस न.1 :— सहीहैन में अबू मूसा अशअ़री रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अहदे करीम में एक मर्तबा गहन लगा मस्जिद में तशरीफ़ लाये और बहुत तवील(लम्बा)क़ियाम व रुकूअ़ व सुजूद के साथ नमाज़ पढ़ी कि मैंने कभी ऐसा करते न देखा और यह फ़रमाया कि अल्लाह तआला किसी की मौत व हयात के सबब अपनी यह निशानियाँ ज़ाहिर नहीं फ़रमाता लेकिन इनसे अपने बन्दों को डराता है। लिहाज़ा जब इनमें से कुछ देखो तो ज़िक्र व दुआ व इस्तिग़फ़ार की तरफ़ घबरा कर उठो।

हदीस न.2 :— नीज़ उन्हीं में इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से मरवी कि लोगों ने अ़र्ज़ की या रसूलल्लाह! हमने हुज़ूर को देखा कि किसी चीज़ के लेने का क़स्द (इरादा)फ़रमाते हैं फिर पीछे हटते देखा। फ़रमाया मैंने जन्नत को देखा और उससे एक(गुच्छा) लेना चाहा और अगर ले लेता तो जब तक दुनिया बाक़ी रहती तुम उससे खाते और दोज़ख़ को देखा और आज के मिस्ल कोई ख़ौफ़नाक मन्ज़र कभी न देखा और मैंने देखा कि अकसर दोज़ख़ी औरतें हैं। अ़र्ज़ की क्यूँ या रसूलल्लाह! (सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम) फ़रमाया कि कुफ़्र करती हैं। अ़र्ज़ की गई अल्लाह के साथ कुफ़्र करती हैं फ़रमाया शौहर की नाशुक्री करती हैं और एहसान का कुफ़रान करती हैं अगर तू उनके साथ उम्र भर एहसान करे फिर कोई बात भी ख़िलाफ़े मिज़ाज देखेगी कहेगी मैंने कभी कोई भलाई तुम से देखी ही नहीं।

हदीस न.3 :— सही बुख़ारी शरीफ़ में हज़रत असमा बिन्ते सिद्दीक़ रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से मरवी फ़रमाती हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आफ़ताब गहन में गुलाम आज़ाद करने का हुक्म फ़रमाया।

हदीस न.4 :— सुनने अरबअ़ में सुमरा इब्ने जुन्दुब रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कहते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आवाज़ नहीं सुनते थे यानी क़िरात आहिस्ता की।

मसाइले फ़िक़्हिय्या

सुरज गहन की नमाज़ सुन्नते मोअक्कदा है और चाँद गहन की मुस्तहब। सूरज गहन की

नमाज़ जमाअत से पढ़नी मुस्तहब है और तन्हा–तन्हा भी हो सकती है और जमाअत से पढ़ी जाये तो ख़ुतबे के सिवा तमाम शराइते जुमा इसके लिये शर्त हैं यअ़नी वही शख़्स उसकी जमाअत क़ाइम कर सकता है जो जुमा की कर सकता है वह न हो तो तन्हा–तन्हा पढ़ें घर में या मस्जिद में।(दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :— गहन की नमाज़ उसी वक़्त पढ़ें जब आफ़ताब गहन हो यानी जब गहन लग रहा हो, गहन छूटने के बअ़द नहीं,और अगर गहन छुटना शुरूअ़ हो गया मगर अभी बाक़ी है उस वक़्त भी शुरूअ़ कर सकते हैं और गहन की हालत में उस पर अब्र (बादल) आ जाए जब भी नमाज़ पढ़ें। (जौहरा नय्यिरा)

मसअला :— ऐसे वक़्त गहन लगा कि उस वक़्त नमाज़ मना है तो नमाज़ न पढ़ें बल्कि दुआ में मशग़ूल रहें और इसी हालत में डूब जाये तो दुआ ख़त्म कर दें और मग़रिब की नमाज़ पढ़ें। (जौहरा,रद्दुल मुहतार)

मसअला :— यह नमाज़ और नवाफ़िल की तरह दो रकअ़तें पढ़ें यअ़नी हर रकअ़त में एक रुकूअ़ और दो सजदे करें न इसमें अज़ान है न इक़ामत न बलन्द आवाज़ से क़िरात और नमाज़ के बअ़द दुआ करें यहाँ तक कि आफ़ताब खुल जाये और दो रकअ़त से ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं ख़्वाह दो रकअ़त पर सलाम फेरें या चार पर। (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार)

मसअला :— अगर लोग जमा न हुए तो इन लफ़्ज़ों से पुकारें 'अस्सलातु जामिआ'(दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार)

मसअला :— अफ़ज़ल यह है कि ईदगाह या जामे मस्जिद में इसकी जमाअत क़ाइम की जाये और अगर दूसरी जगह क़ाइम करें जब भी हरज नहीं। (आलमगीरी)

मसअला :— अगर याद हो तो 'सूरए बक़रह' और 'सूरए आले इमरान की मिस्ल बड़ी बड़ी सूरतें पढ़ें और रुकू व सजूद में भी तूल दें और नमाज़ के बअ़द दुआ में मशग़ूल रहें यहाँ तक कि पूरा आफ़ताब खुल जाये और यह भी जाइज़ है कि नमाज़ में तख़्फ़ीफ़ करें और दुआ में तूल, ख़्वाह इमाम क़िब्ला–रू दुआ करे या मुक़तदियों की तरफ़ मुँह करके खड़ा हो और यह बेहतर है,और सब मुक़तदी आमीन कहें अगर दुआ के वक़्त असा या कमान पर टेक लगाकर खड़ा हो तो यह भी अच्छा है, दुआ के लिए मिम्बर पर न जाये। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअला :— सूरज गहन और जनाज़े का इजतिमा हो तो पहले जनाज़ा पढ़ें। (जौहरा)

मसअला :— चाँद गहन की नमाज़ में जमाअत नहीं ,इमाम मौजूद हो या न हो बहरहाल तन्हा–तन्हा पढ़ें। (दुर्रे मुख़्तार,वग़ैरा) इमाम के अलावा दो तीन आदमी जमाअत कर सकते हैं।

मसअला :— तेज़ आँधी आये या दिन में सख़्त तारीकी(अँधेरा)छा जाये या रात में ख़ौफ़नाक रौशनी हो या लगातार कसरत से मेंह बरसे या कसरत से ओले पड़ें या आसमान सुर्ख़ हो जाये या बिजलियाँ गिरें या कसरत से तारे टूटें या ताऊन वग़ैरा वबा फैले या ज़लज़ले आयें या दुश्मन का ख़ौफ़ हो या और कोई दहशत नाक अम्र पाया जाये तो इन सबके लिए दो रकअ़त नमाज़ मुस्तहब है। (आलमगीरी,दुर्रे मुख़्तार वग़ैरहुमा)

चन्द हदीसें जिनमें आँधी वग़ैरा का ज़िक्र है इस मौक़े पर बयान कर देना मुनासिब मअ़लूम होता है कि मुसलमान उन पर अमल करें। और तौफ़ीक़ अल्लाह तआला ही की तरफ़ से है।

हदीस न.1 :— उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा रदियल्लाहु तआला अन्हा से सही बुख़ारी व सही मुस्लिम वग़ैराहुमा में मरवी फ़रमाती हैं जब तेज़ हवा चलती तो हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यह दुआ पढ़ते। اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ خَیْرَهَا وَ خَیْرَ مَا فِیْهَا وَ خَیْرَ مَا اُرْسِلَتْ بِهٖ

وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهَا وَ شَرِّ مَا فِيْهَا وَ شَرِّ مَآ اُرْسِلَتْ بِهٖ.

तर्जमा:– " ऐ अल्लाह! मै तुझ से इसके ख़ैर का सवाल करता हूँ और उसके ख़ैर का जो इसमें है और उसके ख़ैर का जिसके साथ यह भेजी गई और तेरी पनाह माँगता हूँ इसके शर से और उस चीज़ के शर से जो इसमें है और उसके शर से जिसके साथ यह भेजी गई।

हदीस न.2 :– इमाम शाफ़िई अबू दाऊद व इब्ने माजा व बैहक़ी ने दावाते कबीर में रिवायत की कि फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हवा अल्लाह तआला की रहमत से है, रहमत व अज़ाब लाती है उसे बुरा न कहो और अल्लाह से उसके ख़ैर का सवाल करो और उसके शर से पनाह माँगो।

हदीस न.3 :– तिर्मिज़ी में अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से मरवी कि एक शख़्स ने हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सामने हवा पर लअ़नत भेजी। फ़रमाया हवा पर लअ़नत न भेजो कि वह मामूर (हुक्म दी गई)है और जो शख़्स किसी शय पर लअ़नत भेजे और वह लअ़नत की मुस्तहक़ न हो तो वह लअ़नत उसी भेजने वाले पर लौट आती है।

हदीस न.4 :– अबू दाऊद नसई व इब्ने माजा व इमाम शाफ़िई ने उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा रदियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत की कहती हैं जब आसमान पर अब्र आता तो हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कलाम तर्क फ़रमा देते और उसकी तरफ़ मुतवज्जेह होकर यह दुआ पढ़ते।

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيْهِ.

तर्जमा :– " ऐ अल्लाह ! मैं तेरी पनाह माँगता हूँ उस चीज़ के शर से जो इसमें है"।

अगर खुल जाता हम्द करते और बरसता तो यह दुआ पढ़ते :–

اَللّٰهُمَّ سَقْيًا نَافِعًا

तर्जमा :– " ऐ अल्लाह! ऐसा पानी बरसा जो नफ़ा पहुँचाये"।

हदीस न.5 :– इमाम अहमद व तिर्मिज़ी ने अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत की कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब बादल की गरज और बिजली की कड़क सुनते तो यह कहते :–

اَللّٰهُمَّ لَا تَقْتُلْنَا بِغَضَبِكَ وَ لَا تُهْلِكْنَا بِعَذَابِكَ وَ عَافِنَا قَبْلَ ذٰلِكَ

तर्जमा :– " ऐ अल्लाह! अपने ग़ज़ब से तू हमको क़त्ल न कर और अपने अ़ज़ाब से हमको हलाक न कर और इससे क़ब्ल हमको आफ़ियत में रख"।

हदीस न.6 :– इमाम मालिक ने अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत की कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब बादल की आवाज़ सुनते तो कलाम तर्क फ़रमा देते और कहते।

سُبْحٰنَ الَّذِيْ يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهٖ وَ الْمَلٰٓئِكَةُ مِنْ خِيْفَتِهٖ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

तर्जमा :– " पाक है वह कि हम्द के साथ रअ़द (बिजली की कड़क) उसकी तस्बीह करता है और फ़रिश्ते उसके खौफ़ से,बेशक अल्लाह हर चीज़ पर क़ादिर है"।

हदीस न.7 :– फ़रमाते हैं जब बादल की गरज़ सुनो तो अल्लाह की तस्बीह करो तकबीर न कहो"।

नमाज़े इस्तिस्क़ा का बयान

अल्लाह तआला फ़रमाता है :

وَ مَآ اَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ وَ يَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ ۝

तर्जमा :– "तुम्हें जो मुसीबत पहुँचती है वह तुम्हारे हाथो के करतूत से है और बहुत सी माफ़ फ़रमा देता है"।

यह क़हत (सूखे, अकाल)भी हमारे ही मआसी(गुनाहों)का सबब है। लिहाज़ा ऐसी हालत में कसरते इस्तिग़फ़ार(यानी बहुत ज़्यादा इस्तिग़फ़ार और तौबा)की ज़रूरत है और यह भी उसका फ़ज़्ल है कि बहुत से माफ़ फ़रमा देता है वरना अगर सब बातों पर मुवाख़ज़ा(पकड)करे तो कहाँ ठिकाना।

और फ़रमाता है :–

لَوْ يُؤَاخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوْا مَا تَرَكَ عَلٰى ظَهْرِهَا مِنْ دَآبَّةٍ

तर्जमा :– "अगर लोगो को उनके फ़ेलों पर पकड़ता तो ज़मीन पर कोई चलने वाला न छोड़ता"।

और फ़रमाता है।

اِسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ اِنَّهٗ كَانَ غَفَّارًا ۝ يُّرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا ۝ وَّ يُمْدِدْكُمْ بِاَمْوَالٍ وَّ بَنِيْنَ وَ يَجْعَلْ لَّكُمْ جَنّٰتٍ وَّ يَجْعَلْ لَّكُمْ اَنْهٰرًا ۝

तर्जमा – "अपने रब से इस्तिग़फ़ार करो बेशक वह बडा बख़्शने वाला है। मूसलाधार पानी तुम पर भेजेगा और मालो और बेटों से तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हें बाग़ देगा और तुम्हें नहरें देगा"।

हदीस न.1 :– इब्ने माजा की रिवायत इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से है कि फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो लोग नाप और तौल में कमी करते हैं वह क़हत और शिद्दते मौत में और बादशाह के ज़ुल्म मे गिरफ़्तार होते हैं अगर चौपाये न होते तो उन पर बारिश नहीं होती।

हदीस न.2 :– सही मुस्लिम शरीफ़ अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं क़हत इसी का नाम नहीं कि बारिश न हो बडा क़हत तो यह है कि बारिश हो और ज़मीन कुछ न उगाये।

हदीस न.3 :– सहीहैन में है अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम किसी दुआ में उस क़द्र हाथ न उठाते जितना इस्तिस्क़ा में उठाते यहाँ तक कि बलन्द फ़रमाते कि बग़लों की सफ़ेदी ज़ाहिर होती।

हदीस न.4 :– सही मुस्लिम शरीफ़ में उन्हीं से मरवी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बारिश के लिए दुआ फ़रमाई और पुश्ते दस्त(हथेली के पिछले हिस्से) से आसमान की तरफ़ इशारा किया (यअ़नी और दुआओं में तो क़ायदा यह है कि हथेली आसमान की तरफ़ हो और इस में हाथ लौट दें कि हाल बदलने की फ़ाल हो)

हदीस न.5 :– सुनने अरबअ़ में इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से मरवी कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पुराने कपड़े पहन कर इस्तिस्क़ा के लिए तशरीफ़ ले जाते तवाज़ोअ व ख़ुशू व तज़र्रोअ़ (गिरिया व ज़ारी) के साथ ।

हदीस न.6 :– अबू दाऊद ने उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा रदियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत की, कहती हैं लोगों ने हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ख़िदमत में कहते बारों की शिकायत पेश की हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मिम्बर के लिए हुक्म फ़रमाया,

ईदगाह में रखा गया और लोगों से एक दिन का वादा फ़रमाया कि उस रोज़ सब लोग चलें। जब आफ़ताब का किनारा चमका उस वक़्त हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गये और मिम्बर पर बैठे तकबीर कही और हम्दे इलाही बजा लाये, फिर फ़रमाया तुम लोगों ने अपने मुल्क के क़हत की शिकायत की और यह कि मेंह अपने वक़्त से मोअख़्ख़र हो गया यअ़नी पीछे हट गया और अल्लाह तआ़ला ने तुम्हें हुक्म दिया है कि उससे दुआ़ करो और उसने वअ़दा कर लिया है कि तुम्हारी दुआ क़बूल फ़रमायेगा इसके बाद फ़रमाया :–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ لَآ اِلٰهَ
اِلَّا اللّٰهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْغَنِيُّ وَ نَحْنُ
الْفُقَرَآءُ اَنْزِلْ عَلَيْنَا الْغَيْثَ وَاجْعَلْ مَا اَنْزَلْتَ قُوَّةً وَّ بَلَاغًا اِلٰى حِيْنٍ۔

तर्जमा :– "सब ख़ूबियाँ अल्लाह को जो मालिक सारे जहान वालों का बहुत मेहरबान रहम वाला रोज़े जज़ाका मालिक है,अल्लाह के सिवा कोई मअ़बूद नहीं जो चाहता है करता है,ऐ अल्लाह! तू ही मअ़बूद है तेरे सिवा कोई मअ़बूद नहीं तू ग़नी हैं और हम मुहताज हैं हम पर बारिश उतार और जो कुछ उतारे हमारे लिए क़ुव्वत और एक वक़्त तक पहुँचने का सबब कर दे"।

फिर हाथ बलन्द फ़रमाया यहाँ तक कि बग़ल की सफ़ेदी ज़ाहिर हुई, फिर लोगों की तरफ़ मुतवज्जेह हुए और मिम्बर से उतर कर दो रकअ़त नमाज़ पढ़ी अल्लाह तआ़ला ने उसी वक़्त अब्र पैदा किया वह गरजा और चमका और बरसा और हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अभी मस्जिद को तशरीफ़ भी न लाये थे कि नाले बह गये।

हदीस न.7 :– इमाम मालिक व अबू दाऊद ब–रिवायते अ़म्र इब्ने शुऐब अ़न अबीहे अ़न जद्देही रावी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम इस्तिसक़ा की दुआ़ में यह कहते:

اَللّٰهُمَّ اسْقِ عِبَادَكَ وَ بَهِيْمَتَكَ وَ انْشُرْ رَحْمَتَكَ وَ اَحْيِ بَلَدَكَ الْمَيِّتَ۔

तर्जमा :– "ऐ अल्लाह! तू अपने बन्दों और चौपायों को सैराब कर और अपनी रहमत को फैला और अपने शहरे मुर्दा को ज़िन्दा कर"।

हदीस न.8 :– सुनने अबू दाऊद में जाबिर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कहते हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम को देखा कि हाथ उठा कर यह दुआ़ की:–

اَللّٰهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُّغِيْثًا مَّرِيْئًا مَّرِيْعًا نَّافِعًا غَيْرَ ضَآرٍّ عَاجِلًا غَيْرَ اٰجِلٍ

तर्जमा :– ऐ अल्लाह!हमको सैराब कर पूरी बारिश से जो ख़ुशगवार ताज़गी लाने वाली है नाफ़ेअ़ (नफ़ा पहुँचाने वाली) हो नुक़सान न करे, जल्द हो देर में न हो"।

हुज़ूर सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने यह दुआ़ पढ़ी ही थी कि आसमान घिर आया।

हदीस न.9 :– सही बुख़ारी शरीफ़ में अनस रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कहते हैं लोग जब क़हत में मुबतला होते तो अमीरुल मोमिनीन फ़ारूक़े अअ़ज़म हज़रते अ़ब्बास रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु के तवस्सुल (वसीले)से बारिश की दुआ़ करते अ़र्ज़ करते :

"ऐ अल्लाह!तेरी तरफ़ हम अपने नबी का वसीला किया करते थे और तू बरसाता था अब हम तेरी तरफ़ नबी सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम के अ़म्मे मुकर्रम(चचा मोहतरम)को वसीला

करते हैं बारिश भेज"।

अनस रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु कहते हैं जब यूँ दुआ़ करते तो बारिश होती यानी हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम आगे होते और हम हुज़ूर के पीछे सफ़ें बाँध कर दुआ़ करते अब कि यह मयस्सर नहीं, हुज़ूर के चचा को आगे करके दुआ़ करते हैं कि यह भी तवस्सुल हुज़ूर से है सूरतन मयस्सर नहीं तो मअ़नन।

मसाइले फ़िक़्हिय्यह

इस्तिसक़ा दुआ़ व इस्तिग़फ़ार का नाम है। इस्तिसक़ा की नमाज़ जमाअ़त से पढ़ें या तन्हा –तन्हा दोनों तरह इख़्तियार है। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– इस्तिसक़ा के लिए पुराने या पैवन्द लगे कपड़े पहन कर तज़लज़ुल(अपने आपको अल्लाह के सामने ज़लील जानते हुए)व ख़ुशूअ़ व ख़ुज़ूअ़ व तवाज़ोअ़ के साथ सर बरहना (नंगे सर)पैदल जाये और पा–बरहना (नंगे पाँव)हों तो बेहतर और जाने से पेश्तर(पहले)ख़ैरात करें कुफ़्फ़ार को अपने साथ न ले जायें कि जाते हैं रहमत के लिए और काफ़िर पर लअ़नत उतरती है। तीन दिन पेश्तर से रोज़े रखें और तौबा व इस्तिग़फ़ार करें, फिर मैदान में जायें और वहाँ तौबा करें और ज़बानी तौबा काफ़ी नहीं बल्कि दिल से करें और जिनके हुक़ूक़ उस के ज़िम्मे है सब अदा करें या मुआफ़ करायें कमज़ोरों बूढ़ों बुढ़ियों बच्चों के तवस्सुल (वसीले)से दुआ़ करें और सब आमीन कहें कि सही बुख़ारी शरीफ़ में है हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया तुम्हें रोज़ी और मदद कमज़ोरों के ज़रिए से मिलती है और एक रिवायत में है अगर जवान ख़ुशूअ़ करने वाले और चौपाये चरने वाले और बूढ़े रुकूअ़ करने वाले और बच्चे दूध पीने वाले न होते तो तुम पर शिद्दत से अज़ाब की बारिश होती। उस वक़्त बच्चे अपनी माँओं से जुदा रखे जायें और मवेशी भी साथ ले जायें। ग़रज़ यह कि रहमत की तवज्जोह के तमाम असबाब मुहय्या करें यानी जिन बातों से अल्लाह की रहमत होती है ज़्यादा से ज़्यादा वही बातें करें और तीन दिन मुतवातिर जंगल को जायें और दुआ़ करें और यह भी हो सकता है कि इमाम दो रकअ़त (बलन्द आवाज़ से किरात) जहर के साथ नमाज़ पढ़ाये और बेहतर यह है कि पहली में 'सूरए अअ़्ला'और दूसरी में 'सूरए ग़ाशियह'पढ़े और नमाज़ के बअ़्द ज़मीन पर खड़ा हो कर ख़ुतबा पढ़े और दोनों ख़ुतबों के दरमियान जलसा करे (बैठे) और यह भी हो सकता है कि एक ही ख़ुतबा पढ़े और ख़ुतबे में दुआ़ व तस्बीह व इस्तिग़फ़ार करे और ख़ुतबे के बीच में चादर लौट दे यानी ऊपर का किनारा नीचे और नीचे का ऊपर कर दे कि हाल बदलने की फ़ाल हो। ख़ुतबे से फ़ारिग़ होकर लोगों की तरफ़ पीठ और क़िब्ले को मुँह कर के दुआ़ करे बेहतर वह दुआयें हैं जो अहादीस में वारिद हैं और दुआ़ में हाथ को ख़ूब बलन्द करे और पुश्ते दस्त(हाथ का पिछला हिस्सा)आसमान की जानिब रखे। (आलमगीरी,ग़ुनिया,दुर्रे मुख़्तार,जौहरा)

मसअ्ला :– अगर जाने से पहले बारिश हो गई जब भी जायें और शुक्रे इलाही बजा लायें और मेंह के वक़्त हदीस में जो दुआ़ इरशाद हुई पढ़ें और बादल गरजे तो उसकी दुआ़ पढ़ें और बारिश में कुछ देर ठहरें कि बदन पर पानी पहुँचे। (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला : – कसरत से बारिश हो कि नुक़सान करने वाली मअ़्लूम हो तो उसके रुकने की दुआ़

कर सकते हैं और उसकी दुआ हदीस में यह है।:–

اَللّٰهُمَّ حَوَالَيْنَا وَ لَا عَلَيْنَا اَللّٰهُمَّ عَلَى الْاٰكَامِ وَالظِّرَابِ وَ بُطُوْنِ الْاَوْدِيَةِ وَ مَنَابِتِ الشَّجَرِ

तर्जमा :– " ऐ अल्लाह! हमारे आस–पास बरसा हमारे ऊपर न बरसा। ऐ अल्लाह! बारिश कर टीलों और पहाड़ियों पर और नालों में और जहाँ दरख़्त उगते हैं"।

इस हदीस को बुख़ारी व मुस्लिम ने अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत किया।

नमाज़े ख़ौफ़ का बयान

अल्लाह तआला फ़रमाता है :–

فَاِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا اَوْ رُكْبَانًا فَاِذَا اَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ ٥

तर्जमा :– " अगर तुम्हें ख़ौफ़ हो तो पैदल या सवारी पर नमाज़ पढ़ो फिर जब ख़ौफ़ जाता रहे तो अल्लाह को उस तरह याद करो जैसा उसने सिखाया वह कि तुम नहीं जानते थे"।

और फ़रमाता है:–

وَاِذَا كُنْتَ فِيْهِمْ فَاَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلٰوةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُمْ مَّعَكَ وَلْيَاْخُذُوْٓا اَسْلِحَتَهُمْ فَاِذَا سَجَدُوْا فَلْيَكُوْنُوْا مِنْ وَّرَآئِكُمْ وَلْتَاْتِ طَآئِفَةٌ اُخْرٰى لَمْ يُصَلُّوْا فَلْيُصَلُّوْا مَعَكَ وَلْيَاْخُذُوْا حِذْرَهُمْ وَ اَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ تَغْفُلُوْنَ عَنْ اَسْلِحَتِكُمْ وَ اَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيْلُوْنَ عَلَيْكُمْ مَّيْلَةً وَّاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ كَانَ بِكُمْ اَذًى مِّنْ مَّطَرٍ اَوْ كُنْتُمْ مَّرْضٰٓى اَنْ تَضَعُوْٓا اَسْلِحَتَكُمْ وَ خُذُوْا حِذْرَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ اَعَدَّ لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا فَاِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلٰوةَ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ قِيَامًا وَّ قُعُوْدًا وَّ عَلٰى جُنُوْبِكُمْ فَاِذَا اطْمَاْنَنْتُمْ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا ٥

तर्जमा :–"दो मगर पनाह की चीज़ लिए रहो बेशक अल्लाह ने काफ़िरों के लिए ज़िल्लत का अज़ाब तैयार कर रखा है फिर जब नमाज़ पूरी कर चुको फिर अल्लाह को याद करो खड़े और बैठे और करवटों पर लेटे और जब तुम उनमें हो और नमाज़ क़ाइम करो तो उनमें का एक गिरोह तुम्हारे साथखड़ा हो और उन्हें चाहिए कि अपने हथियार लिए हों फिर जब एक रकअ़त का सजदा कर ले तो वह तुम्हारे पीछे हों और अब दूसरा गिरोह आये जिसने तुम्हारे साथ न पढ़ी थी वह तुम्हारे साथ पढ़ें और अपनी पनाह और अपने हथियार लिए रहें। काफ़िरों की तमन्ना है कि कहीं तुम अपने हथियारों और अपने असबाब से ग़ाफ़िल हो जाओ तो एक साथ तुम पर झुक पड़ें और तुम पर कुछ गुनाह नहीं अगर तुम्हें मेंह से तकलीफ़ हो या बीमार हो कि अपने हथियार रख फर जब इत्मीनान से हो जाओ तो नमाज़ हसबे दस्तूर क़ाइम करो बेशक नमाज़ मुसलमानों पर वक़्त बाँधा हुआ फ़र्ज़ है।"

तिर्मिज़ी व नसई में ब–रिवायते अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु मरवी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम असफ़ान व दजवान (जगहों के नाम हैं) के दरमियान उतरे मुशरिकीन ने कहा इन के लिए एक नमाज़ है जो बाप और बेटों से भी ज़्यादा प्यारी है और वह नमाज़े अस्र है। लिहाज़ा सब काम ठीक रखो जब नमाज़ को खड़े हों एक दम हमला कर दो जिब्रील अलैहिस्सलातु वसल्लम नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुए और अर्ज़ की कि हुज़ूर अपने असहाब के दो हिस्से करें एक गिरोह के साथ नमाज़ पढ़ें और दूसरा गिरोह उन के पीछे सिपर यानी ढाल और अस्लेहा यअ़नी हथियार लिये खड़ा रहे तो उनकी एक एक रकअ़त होगी यानी हुज़ूर के साथ और रसुलुल्लाह सल्लल्लहु तआला अलैहि वसल्लम की दो रकअ़तें। सही बुख़ारी व सही मुस्लिम में जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कहते हैं हम रसूलुल्लाह

सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ गये जब ज़ातुर्रुक़ाअ़ (जगह का नाम) मे पहुँचे एक सायादार दरख़्त हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम के लिए छोड दिया उस पर हुज़ूर ने अपनी तलवार लटका दी थी एक मुशरिक आया और तलवार ली और खींच कर कहने लगा आप मुझ से डरते हैं फ़रमाया न। उसने कहा तो आप को कौन मुझ से बचाये ?। फ़रमाया अल्लाह सहाबा किराम ने जब देखा तो उसे डराया। उसने म्यान में तलवार रख कर लटका दी उसके बअ़द अज़ान हुई। हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने एक गिरोह के साथ दो रकअ़त नमाज़ पढ़ी फिर यह पीछे हटा और दूसरे गिरोह के साथ दो रकअ़त पढ़ी तो हुज़ूर की चार हुई और लोगों की दो–दो यअ़नी हुज़ूर के साथ।

मसाइले फ़िक़्हिय्या

नमाज़े ख़ौफ़ जाइज़ है जब कि दुश्मनों का क़रीब में होना यक़ीन के साथ मअ़लूम हो और अगर गुमान था कि दुश्मन क़रीब में हैं और नमाज़े ख़ौफ़ पढ़ी बअ़द को गुमान की ग़लती ज़ाहिर हुई तो मुक़तदी नमाज़ का इआ़दा करें यअ़नी दोहरयें। यूहीं अगर दुश्मन दूर हों तो यह नमाज़ जाइज़ नहीं यअ़नी मुक़तदी की न होगी और इमाम की हो जायेगी।

नमाज़े ख़ौफ़ का तरीक़ा यह है कि जब दुश्मन सामने हो और यह अंदेशा हो कि सब एक साथ नमाज़ पढ़ेंग तो हमला कर देंगे ऐसे वक़्त इमाम जमाअ़त के दो हिस्से करे अगर कोई गिरोह इस पर राज़ी हो कि हम बअ़द को पढ़ लेंगे तो उसे दुश्मन के मुक़ाबिल करे और दूसरे गिरोह के साथ पूरी नमाज़ पढ़ ले फिर जिस गिरोह ने नमाज़ नहीं पढ़ी उसमें कोई इमाम हो जाये और यह लोग उसके साथ बा–जमाअ़त पढ़ लें और अगर दोनों में से बअ़द को पढ़ने पर कोई राज़ी न हो तो इमाम एक गिरोह को दुश्मन के मुक़ाबिल करें और दूसरा इमाम के पीछे नमाज़ पढ़े जब इमाम इस गिरोह के साथ एक रकअ़ते पढ़ चुके यअ़नी पहली रकअ़त के दूसरे सजदे से सर उठाये तो यह लोग दुश्मन के मुक़ाबिल चले जायें और जो लोग वहाँ थे वह चले आयें अब इनके साथ इमाम एक रकअ़त पढ़े और तशहहुद पढ़ के सलाम फेर दे मगर मुक़तदी सलाम न फेरें बल्कि वह लोग दुश्मन के मुक़ाबिल चले जायें या यहीं अपनी नमाज़ पूरी कर के जायें और वह लोग आयें और एक रकअ़त बग़ैर क़िरात पढ़ कर तशहहुद के बअ़द सलाम फेरें और यह भी हो सकता है कि यह गिरोह यहाँ न आये बल्कि वहीं अपनी नमाज़ पूरी कर ले और दूसरा गिरोह अगर नमाज़ पूरी कर चुका है तब तो ठीक वर्ना अब पूरी करे ख़्वाह वहीं या यहाँ आकर और यह लोग क़िरात के साथ अपनी एक रकअ़त पढ़ें और तशहहुद के बअ़द सलाम फेरें। यह तरीक़ा दो रकअ़त वाली नमाज़ का है ख़्वाह नमाज़ ही दो रकअ़त की हो जैसे फ़ज्र व ईद व जुमा या सफ़र की वजह से चार की दो हो गई और चार रकअ़त वाली नमाज़ हो तो हर गिरोह के साथ इमाम दो–दो रकअ़त पढ़े और मग़रिब में पहले गिरोह के साथ दो और दूसरे के साथ एक पढ़े अगर पहले के साथ एक पढ़ी और दूसरे के साथ दो तो नमाज़ जाती रही। (दुर्रे मुख़्तार,आलमगीरी वग़ैरहुमा)

मसअ़ला :– यह सब अहकाम उस सूरत में हैं जब इमाम व मुक़तदी सब मुक़ीम हों या सब मुसाफ़िर या इमाम मुक़ीम है और मुक़तदी मुसाफ़िर और अगर इमाम मुसाफ़िर हो और मुक़तदी मुक़ीम तो इमाम एक गिरोह के साथ एक रकअ़त पढ़े और दूसरे के साथ एक पढ़ कर सलाम फेर दे फिर पहला गिरोह आये और तीन रकअ़त बग़ैर क़िरात के पढ़े फिर दूसरा गिरोह आये और तीन पढ़े पहली में फ़ातिहा व सूरत पढ़े और अगर इमाम मुसाफ़िर है और कुछ मुक़तदी मुक़ीम हैं कुछ मुसाफ़िर तो मुक़ीम के तरीक़े पर अमल करें और मुसाफ़िर मुसाफ़िर के। (आलमगीरी वग़ैरा)

मसअला :– एक रकअ़त के बअ़्द दुश्मन के मुक़ाबिल जाने से मुराद पैदल जाना है सवारी पर जायेंगे तो नमाज़ जाती रहेगी। (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– अगर ख़ौफ़ बहुत ज़्यादा हो कि सवारी से उतर न सके तो सवारी पर फ़र्ज़ नमाज़ उसी वक़्त जाइज़ होगी कि दुश्मन इनका पीछा कर रहे हों और अगर यह दुश्मन का पीछा कर रहे हों तो सवारी पर नामज़ न होगी। (जौहरा ,दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– नमाज़े ख़ौफ़ में सिर्फ़ दुश्मन के मुक़ाबिल जाना और वहाँ से इमाम के पास सफ़ में आना या वुज़ू जाता रहा तो वुज़ू के लिए चलना मुआफ़ है इसके अलावा चलना नमाज़ को फ़ासिद कर देगा। अगर दुश्मन ने इसे दौड़ाया या इसने दुश्मन को भगाया तो नमाज़ जाती रही। अलबत्ता पहली सूरत में अगर सवारी पर हो तो मुआफ़ है। (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार)

मसअला :– सवारी पर नहीं था,नमाज़ पढ़ते ही में सवार हो गया नमाज जाती रही ख़्वाह किसी ग़रज़ से सवार हुआ हो और लड़ना भी नमाज़ को फ़ासिद कर देता है मगर एक तीर फेंकने की इजाज़त है।(दुर्रे मुख़्तार)यूहीं आजकल बन्दूक़ का एक फ़ायर करने की इजाज़त है।

मसअला :– दरिया में तैरने वाला अगर कुछ देर बग़ैर आज़ा को हरकत दिये रह सके तो इशारे से नमाज़ पढ़े वर्ना नमाज़ न होगी। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– जंग में मशग़ूल है मसलन तलवार चला रहा है और वक़्ते नमाज़ ख़त्म होना चाहता है तो नमाज़ को मुअख़्ख़र करे लड़ाई से फ़ारिग़ हो कर नमाज़ पढ़े। (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– बाग़ियों और उस शख़्स के लिए जिसका सफ़र किसी मअ़सियत के लिए हो(यअ़नी गुनाह के काम के लिए सफ़र हो)तो नमाज़े ख़ौफ़ जाइज़ नहीं। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– नमाज़े ख़ौफ़ हो रही थी और नमाज़ के दरमियान ही ख़ौफ़ जाता रहा यअ़नी दुश्मन चले गये तो जो बाक़ी हैं वह अमन की सी पढ़ें अब ख़ौफ़ की पढ़ना जाइज़ नहीं। (आलमगीरी)

मसअला :– नमाज़े ख़ौफ़ में हथियार लिये रहना मुस्तहब है और ख़ौफ़ का असर सिर्फ़ इतना है कि ज़रूरत के लिए चलना जाइज़ है बाक़ी महज़ ख़ौफ़ से नमाज़ में क़स्र न होगा।(आलमगीरी,दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– नमाज़े ख़ौफ़ जिस तरह दुश्मन से डर के वक़्त जाइज़ है यूँही दरिन्दे और बड़े साँप वग़ैरा से ख़ौफ़ हो जब भी जाइज़ है। (दुर्रे मुख़्तार)

किताबुल जनाइज़

बीमारी का बयान :– बीमारी भी एक बहुत बड़ी नेअ़मत है। इसके मुनाफ़े बेशुमार है अगर्चे आदमी को ब–ज़ाहिर इससे तकलीफ़ पहुँचती है मगर हक़ीक़तन राहत व आराम का एक बड़ा ज़ख़ीरा हाथ आता है। यह ज़ाहिरी बीमारी जिसको आदमी बीमारी समझता है हक़ीक़त में रूहानी बीमारियों का एक बड़ा ज़बर दस्त इलाज है हक़ीक़ी बीमारी रूहानी बीमारियाँ हैं कि यह अलबत्ता बहुत ख़ौफ़ की चीज़ है और इसी को मरज़े मुहलिक समझना चाहिए। बहुत मोटी सी बात है जो हर शख़्स जानता है कि कोई कितना ही ग़ाफ़िल हो मगर जब मरज़ में मुबतला होता है तो किस क़द्र ख़ुदा को याद करता और तौबा व इस्तिग़फ़ार करता है और यह तो बड़े रुतबे वालों की शान है कि तकलीफ़ का उसी तरह इस्तिक़बाल करते हैं जैसे राहत का :– آنچہ از دوست می رسد نیکوست

तर्जमा :– " जो कुछ दोस्त से मिले बेहतर है"। मगर हम जैसे कम से कम इतना तो करें कि सब्र

व इस्तिक़लाल से काम लें और जज़अ़ यअ़नी रोने–धोने और बेसब्री ज़ाहिर करके आते हुए सवाब को हाथ से न जाने दें और इतना हर शख़्स जानता है कि बेसब्री से आई हुई मुसीबत जाती न रहेगी फिर उस बड़े सवाब से महरूमी दोहरी मुसीबत है बहुत से नादान बीमारी में निहायत बेजा और ग़लत बातें कह देते हैं बल्कि बाज़ कुफ़्र तक पहुँच जाते हैं। मआज़ल्लाह! अल्लाह तआ़ला की तरफ़ ज़ुल्म की निस्बत कर देते हैं यह तो बिल्कुल ही خَسِرَ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةَ यअ़नी दुनिया औरआख़िरत में घाटे में पड़ने के मिस्दाक़ बन जाते हैं।

अब हम इसके बाज़ फ़वाइद जो अहादीस में वारिद हैं बयान करते हैं कि मुसलमान अपने प्यारे और बरगुज़ीदा रसूल सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम के इरशादाते आ़लिया दिल लगा कर सुनें और उन पर अ़मल करें अल्लाह तआ़ला तौफ़ीक़ अ़ता फ़रमाये।

हदीस न.1व2 :– सही बुख़ारी व सही मुस्लिम में अबू हुरैरा व अबू सईद रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से मरवी हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं मुसलमान को जो तकलीफ़ व रंज व ग़म पहुँचे यहाँ तक कॉटा जो उसको चुभे अल्लाह तआ़ला उसके सबब गुनाह मिटा देता है।

हदीस न.3 :– सहीहैन में अ़ब्दुल्लाह इब्ने मसऊ़द रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं मुसलमान को जो अज़ीयत पहुँचती है मरज़ हो या उसके सिवा कुछ और अल्लाह तआ़ला उसके सय्येआत(गुनाहों) को गिरा देता है जैसे दरख़्त से पत्ते झड़ते हैं।

हदीस न.4 व 5 :– सही मुस्लिम शरीफ़ में जाबिर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम उम्मुस्साइब के पास तशरीफ़ ले गये फ़रमाया तुझे क्या हुआ है जो काँप रही है अ़र्ज़ की बुख़ार है, ख़ुदा उसमें बरकत न करे। फ़रमाया बुख़ार को बुरा न कह कि वह आदमी की ख़ताओं को इस तरह दूर करता है जैसे भट्टी मैल को। इसी के मिस्ल सुनने इब्ने माजा में अबू हुरैरह रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से भी मरवी।

हदीस न.6 :– सही बुख़ारी शरीफ़ में अनस रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी हुज़ूर सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं कि अल्लाह तआ़ला फ़रमाता है जब अपने बन्दे की आँखें ले लूँ फिर वह सब्र करे तो आँखों के बदले उसे जन्नत दूँगा।

हदीस न.7 :– तिर्मिज़ी शरीफ़ में है उमय्या ने सिद्दीक़ा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हा से इन दो आयतों का मतलब दरयाफ़्त किया।

إِنْ تُبْدُوْا مَا فِيْ أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ

तर्जमा :– " जो तुम्हारे नफ़्स में है उसे ज़ाहिर करो या छुपाओ अल्लाह तुमसे उसका हिसाब लेगा" और مَنْ يَّعْمَلْ سُوْٓءًا يُّجْزَ بِهٖ **तर्जमा** :– " जो किसी किस्म की बुराई करेगा उसका बदला दिया जायेगा " (कि जब हर बुराई की जज़ा है और जो ख़तरा दिल में गुज़रे उसका भी हिसाब है तो बड़ी मुश्किल है कि इससे कौन बचेगा)सिद्दीक़ा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हा ने फ़रमाया जब से मैंने इसका सवाल हुज़ूर सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम से किया किसी ने भी मुझ से न पूछा। हुज़ूर सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया इससे मुराद इताब है कि अल्लाह तआ़ला

बन्दों पर करता है कि उसे बुख़ार और तकलीफ़ पहुँचाता है यहाँ तक कि माल जो कुर्ते की आस्तीन में हो और गुम जाये और उसकी वजह से घबरा जाये इन उमूर की वजह से गुनाहों से ऐसा निकल जाता है जैसे भट्टी से सुर्ख़ सोना निकलता है (यानी गुनाहों से ऐसा पाक व साफ़ हो जाता है जैसे भट्टी से सोना मैल से साफ़ होकर निकलता है)

हदीस न.8 :– तिर्मिज़ी में अबू मूसा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बन्दे को कोई तकलीफ़ कम व बेश नहीं पहुँचती मगर गुनाह के सबब और जो अल्लाह तआला मुआफ़ फ़रमा देता है वह बहुत ज़्यादा है और यह आयत पढ़ी :–

وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ ط

तर्जमा :– "जो तुम्हें मुसीबत पहुँची वह उसका बदला है जो तुम्हारे हाथों ने किया और बहुत सी मुआफ़ फ़रमा देता है।"

हदीस न. 9 व 10 :– शरहे सुन्नत में अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से मरवी कि फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बन्दा जब इबादत के अच्छे तरीक़े पर हो फिर बीमार हो जाये फिर जो फ़रिश्ता उस पर मुवक्किल है उससे फ़रमाया जाता है उसके लिए वैसे ही अअ्माल लिख जब मरज़ में मुबतला न था यहाँ तक कि मैं उसे मरज़ से रिहा करूँ या अपनी तरफ़ बुला लूँ यअ्नी मौत दूँ, और अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत में है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं जब मुसलमान किसी बदन की बला में मुबतला होता है फ़रिश्तों को हुक्म होता है लिख जो नेक काम पहले किया करता था तो अगर शिफ़ा देता है तो धो देता और पाक कर देता है और मौत देता है तो बख़्श देता है और रहम फ़रमाता है।

हदीस न.11 :– तिर्मिज़ी व इब्ने माजा व दारमी सअ्द रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सवाल हुआ कि किस पर बला ज़्यादा सख़्त होती है। फ़रमाया अम्बिया पर फिर जो बेहतर हैं। फिर जो बेहतर हैं आदमी में जितना दीन होता है उसी के अन्दाज़े से बला में मुबतला किया जाता है अगर दीन में ज़ईफ़ कमज़ोर है तो उस पर आसानी की जाती है तो हमेशा बला में मुबतला किया जाता है यहाँ तक कि ज़मीन पर यूँ चलता है कि उस पर कोई गुनाह न रहा।

हदीस न. 12 :– तिर्मिज़ी व इब्ने माजा अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि हुज़ूरसल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं जितनी बला ज़्यादा उतना ही सवाब ज़्यादा और अल्लाह तआला जब किसी क़ौम को महबूब रखता है तो उसे बला में डालता है जो राज़ी हुआ उसके लिए रज़ा है और जो नाराज़ हो उसके लिए नाख़ुशी और दूसरी रिवायत तिर्मिज़ी की उन्हीं से यूँ है कि फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब अल्लाह तआला अपने बन्दे के साथ ख़ैर का इरादा फ़रमाता है तो उसे दुनिया ही में सज़ा दे देता है और जब शर का इरादा फ़रमाता है तो उसे गुनाह का बदला नहीं देता और क़ियामत के दिन उसे पूरा बदला देगा।

हदीस न.13 :– इमामे मालिक व तिर्मिज़ी अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मुसलमान मर्द व औरत के जान व माल व औलाद में हमेशा बला रहती है यहाँ तक कि अल्लाह तआला से इस हाल में मिलता है कि उस पर कुछ ख़ता नहीं।

हदीस न. 14 :– अहमद व अबू दाऊद बरिवायते मुहम्मद इब्ने ख़ालिद अपने बाप से अपने दादा से रावी कि फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बन्दे के लिए इल्मे इलाही में कोई मर्तबा मुक़र्रर होता है और वह अअ्माल के सबब उस रुतबे को न पहुँचा तो बदन या माल या औलाद में

उसको मुबतला फ़रमाता है फिर उसे सब्र देता है यहाँ तक कि उसे उस मर्तबे को पहुँचा देता है जो उसके लिए इल्मे इलाही में है।

हदीस न. 15 :– तिर्मिज़ी ने जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं जब क़ियामत के दिन अहले बला(मुसीबत उठाने वालों) को सवाब दिया जायेगा तो आफ़ियत वाले तमन्ना करेंगे काश दुनिया में क़ैंचियों से उनकी खालें काटी जातीं।

हदीस न.16 :– अबू दाऊद आमिरुर्राम रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बीमारियों का ज़िक्र फ़रमाया और फ़रमाया कि मोमिन जब बीमार हो फिर अच्छा हो जाये उसकी बीमारी गुनाहों से कफ़्फ़ारा हो जाती है और आइन्दा के लिए नसीहत,और मुनाफ़िक़ जब बीमार हुआ फिर अच्छा हुआ उसकी मिसाल ऊँट की है कि मालिक ने उसे बाँधा फिर खोला। एक शख़्स ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह! बीमार क्या चीज़ है? मैं तो कभी बीमार न हुआ। फ़रमाया हमारे पास से उठ जा कि तू हम में से नहीं।

हदीस न.17 :– इमाम अहमद शद्दाद इब्ने औस रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं अल्लाह तआला फ़रमाता है जब मैं अपने मोमिन बन्दे को बला में डालूँ और वह उसमें मुबतला होकर मेरी हम्द करे तो वह अपनी ख़्वाबगाहों से गुनाहों से ऐसा पाक होकर उठेगा जैसे उस दिन कि अपनी माँ से पैदा हुआ और रब तआला फ़रमाता है मैंने अपने बन्दे को मुक़य्यद (क़ैद में) और मुबतला किया उसके लिए अमल वैसा ही जारी रखो जैसा सेहत (तन्दरुस्ती) में था।

अयादत के फ़ज़ाइल :– मरीज़ की इयादत को जाना सुन्नत है अहादीस में इसकी बहुत फ़ज़ीलतें आई हैं।

हदीस न.1 :– बुख़ारी व मुस्लिम व अबू दाऊद व इब्ने माजा अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं मुसलमान के मुसलमान पर पाँच हक़ है।

1. सलाम का जवाब देना। 2. मरीज़ के पूछने को जाना। 3. जनाज़े के साथ जाना। 4. दअ्वत क़बूल करना। 5. छींकने वाले का जवाब देना। (जब अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो जवाब में यरहमुकल्लाह कहे)

हदीस न .2 :– सहीहैन में है बर्रा इब्ने आज़िब रदियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं हमें सात बातों का हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हुक्म फ़रमाया। (यह पाँच बातें ज़िक्र करके फ़रमाया) छटी यह कि क़सम खाने वाले की क़सम पूरी करना और सातवीं मज़लूम की मदद करना।

हदीस न. 3 :– बुख़ारी व मुस्लिम सौबान रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं मुसलमान जब अपने मुसलमान भाई की इयादत को गया तो वापस होने तक हमेशा जन्नत के फल चुनने में रहा।

हदीस न. 4 :– सही मुस्लिम शरीफ़ में अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं अल्लाह तआला रोज़े क़ियामत फ़रमायेगा ऐ इब्ने आदम। मैं बीमार हुआ तूने मेरी इयादत न की। अर्ज़ करेगा तेरी इयादत कैसे करता तू रब्बुलआलमीन है (यानी ऐ ख़ुदा तू कैसे बीमार हो सकता है कि मैं तेरी इयादत करता)फ़रमाया क्या

तुझे नहीं मअ्लूम मेरा फ़लाँ बन्दा बीमार हुआ और उसकी तूने इयादत न की क्या तू नहीं जानता कि अगर उसकी इयादत को जाता तो मुझे उसके पास पाता,और फ़रमायेगा ऐ इब्ने आदम! मैंने तुझ से खाना तलब किया तूने न दिया। अर्ज़ करेगा तुझे किस तरह खाना देता तू तो रब्बुलआलमीन है। फ़रमायेगा क्या तुझे नहीं मअ्लूम कि मेरे फलाँ बन्दे ने तुझ से खाना माँगा तूने न दिया क्या तुझे नहीं मअ्लूम कि अगर तूने दिया होता तो उसको (यअ्नी उसके सवाब को) मेरे पास पाता। फ़रमायेगा ऐ इब्ने आदम! मैंने तुझ से पानी तलब किया तूने न दिया। अर्ज़ करेगा तुझे कैसे पानी देता तू तो रब्बुल आलमीन है। फ़रमायेगा मेरे फुलाँ बन्दे ने तुझ से पानी माँगा तूने उसे न पिलाया अगर पिलाया होता तो मेरे यहाँ पाता।

हदीस न.5 :– सही बुख़ारी शरीफ़ में इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से मरवी हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक अअ्राबी की इयादत को तशरीफ़ ले गये और आदते करीमा यह थी कि जब किसी मरीज़ की इयादत को तशरीफ़ ले जाते यह फ़रमाते :–

لَا بَأْسَ طَهُوْرٌ اِنْشَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى.

यअ्नी कोई हरज़ की बात नहीं इन्शाअल्लाह तआला यह मरज़ गुनाहों से पाक करने वाला है उस अअ्राबी से भी यही फ़रमाया।

हदीस न.6 :– अबू दाऊद व तिर्मिज़ी अमीरुल मोमिनीन मौला अली रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं जो मुसलमान किसी मुसलमान की इयादत के लिएं सुबह को जाये तो शाम तक उसके लिए सत्तर हज़ार फ़रिश्ते इस्तिग़फ़ार करते हैं और उसके लिए जन्नत में एक बाग़ होगा।

हदीस न.7 :– अबू दाऊद ने अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं जो अच्छी तरह वुज़ू करके अपने मुसलमान भाई की इयादत को जाये जहन्नम से साठ बरस की राह दूर कर दिया गया।

हदीस न.8 :– तिर्मिज़ी व इब्ने माजा अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं जो शख़्स मरीज़ की इयादत को जाता है आसमान से मुनादी निदा करता है तू अच्छा है और तेरा चलना अच्छा और जन्नत की एक मन्ज़िल को तूने ठिकाना बनाया।

हदीस न.9 :– इब्ने माजा अमीरुल मोमिनीन फ़ारूक़े अअ्ज़म रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जब तू मरीज़ के पास जाये तो उससे कह कि तेरे लिए दुआ करे कि उसकी दुआ फ़रिश्तों की दुआ की तरह है।

हदीस न.10 :– बैहक़ी ने सईद इब्ने मुसय्यिब रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि फ़रमाते हैं अफ़ज़ल इयादत यह है कि जल्द उठ आये और इसी के मिस्ल अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु से भी मरवी।

हदीस न. 11 :– तिर्मिज़ी व इब्ने माजा अबू सईद ख़ुदरी रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं जब मरीज़ के पास जाओ तो उम्र (ज़िन्दगी) के बारे में दिल ख़ुश करने वाली बात करो कि यह किसी चीज़ को रद्द न कर देगा और उसके जी को

अच्छा मालूम होगा।

हदीस न.12 :– इब्ने हब्बान अपनी सही में उन्हीं से रावी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं पाँच चीज़ें है जो एक दिन में करेगा अल्लाह तआला उसको जन्नतियों में लिख देगा। **1.मरीज़ की इयादत करे। 2.जनाज़े में हाज़िर हो। 3.रोज़ा रखे। 4.जुमे को जाये। 5.ग़ुलाम आज़ाद करे।**

हदीस न.13 व 14 :– अहमद व तबरानी व अबू यअ्ला व इब्ने ख़ुज़ैमा व इब्ने हब्बान मआज़ इब्ने जबल और अबू दाऊद अबू उमामा रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रावी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं पाँच चीज़ें हैं कि जो इनमें से एक भी करे अल्लाह तआला के ज़मान (ज़मानत) में आजायेगा। 1.मरीज़ की इयादत करे या 2.जनाज़े के साथ जाये या 3.ग़ज़वा को जाये या 4.इमाम के पास उसकी तअ्ज़ीम व तौक़ीर के इरादे से जाये या 5.अपने घर में बैठा रहे कि लोग उससे सलामत रहें और वह लोगों से।

हदीस न.15 :– इब्ने ख़ुज़ैमा अपनी सही में अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया आज तुम में कौन रोज़ादार है। अबूबक रदियल्लाहु तआला अन्हु ने अर्ज़ की मैं। फ़रमाया आज तुम में किस ने मिस्कीन को खाना खिलाया। अर्ज़ की मैंने। फ़रमाया कौन आज जनाज़े के साथ गया। अर्ज़ की मैं। फ़रमाया किस ने आज मरीज़ की इयादत की। अर्ज़ की मैंने। फ़रमाया यह ख़सलतें किसी में कभी जमा न होंगी मगर जन्नत में दाख़िल होगा।

हदीस न. 16 :– अबू दाऊद व तिर्मिज़ी अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रावी कि फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब कोई मुसलमान किसी मुसलमान की इयादत को जाये तो सात बार यह दुआ पढ़े :–

اَسْاَلُ اللّٰهَ الْعَظِيْمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ اَنْ يَّشْفِيَكَ

तर्जमा :– "अल्लाह अज़ीम से सवाल करता हूँ जो अर्शे करीम का मालिक है इसका कि तुझे शिफ़ा दे"। अगर मौत नहीं आई है तो उसे शिफ़ा हो जायेगी।

मौत आने का बयान

दुनिया गुज़श्तनी व गुज़ाश्तनी है यानी गुज़रने वाली और गुज़ारने वाली है आख़िर एक दिन मौत आनी है जब यहाँ से कूच करना ही है तो वहाँ की तैयारी चाहिए जहाँ हमेशा रहना है और उस वक़्त को हर वक़्त पेशे नज़र रखना चाहिए। हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु से फ़रमाया दुनिया में ऐसे रहो जैसे मुसाफ़िर बल्कि राह चलता, तो मुसाफ़िर जिस तरह एक अजनबी शख़्स होता है और राहगीर रास्ते के खेल तमाशों में नहीं लगता कि राह खोटी होगी और मंज़िले मक़सूद तक पहुँचने में नाकामी होगी,इसी तरह मुसलमान को चाहिए कि दुनिया में न फँसे और न ऐसे तअ्ल्लुक़ात पैदा करे कि मक़सूदे असली के हासिल करने में आड़े आयें और मौत को कसरत से याद करे कि उसकी याद दुनयवी तअ्ल्लुक़ात की बेख़कनी करती है यअ्नी जड़ से उखाड़ फेंकती है। हदीस में इरशाद फ़रमाया।

أَكْثِرُوْا ذِكْرَهَا ذِمِ اللَّذَّاتِ الْمَوْتِ

तर्जमा :– "लज़्ज़तों को तोड़ने वाली मौत को कसरत से याद करो"।

मगर किसी मुसीबत परे मौत की आरज़ू न करे कि इसकी मनाही आई है और नाचार करनी है तो यूँ कहे इलाही मुझे ज़िन्दा रख जब तक ज़िन्दगी मेरे लिए ख़ैर हो और मौत दे जब मौत मेरे लिए बेहतर हो। इस हदीस को बुख़ारी व मुस्लिम ने अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत किया और मुसलमान को चाहिए कि अल्लाह तआला से नेक गुमान रखे उसकी रहमत का उम्मीदवार रहे। हदीस में फ़रमाया कोई न मरे मगर इस हाल में कि अल्लाह तआला से नेक गुमान रखता हो कि इरशादे इलाही है:–

أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي

(**तर्जमा** :– "मेरा बन्दा मुझ से जैसा गुमान रखता है मैं उसी तरह उसके साथ पेश आता हूँ") हुज़ूर एक जवान के पास तशरीफ़ ले गये और वह क़रीबुल मौत थे। फ़रमाया तू अपने को किस हाल में पाता है। अर्ज़ की या रसूलल्लाह! अल्लाह से उम्मीद है और अपने गुनाहों से डर। फ़रमाया यह दोनों ख़ौफ़ व रजा (उम्मीद) इस मौके पर जिस बन्दे के दिल में होंगे अल्लाह उसे वह देगा जिसकी उम्मीद रखता है और उससे अमन में रखेगा जिससे ख़ौफ़ करता है। रूह क़ब्ज़ होने का वक़्त बहुत सख़्त वक़्त है कि इसी पर सारे अअ्माल का दारोमदार है बल्कि ईमान के तमाम नताइजे उख़रवी(आख़िरत के नतीजे)इसी पर मुरत्तब हैं कि एअ्तिबार ख़ातमे ही का है और शैतान लईन ईमान लेने की फ़िक्र में है जिसको अल्लाह तआला उसके मक्र से बचाये और ईमान पर ख़ातमा फ़रमाये वह मुराद को पहुँचे यअ्नी बेशक एअ्तिबार ख़ातमे का है। إِنَّمَا الْعِبْرَةُ بِالْخَوَاتِيْمِ اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنَا حُسْنَ الْخَاتِمَةِ (**तर्जमा** : ऐ अल्लाह अच्छा ख़ात्मा अता फ़रमा।) इरशाद फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जिसका आख़िर कलाम "लाइला–ह इल्लल्लाह"हुआ यअ्नी कलिमए तय्यबा "ला इला–ह इल्लल्लाहु मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह"वह जन्नत में दाख़िल हुआ।

मसाइले फ़िक़्हिय्या

जब मौत का वक़्त क़रीब आये और अलामतें पाई जायें तो सुन्नत यह है कि दाहिनी करवट पर लिटा कर क़िब्ले की तरफ़ मुँह कर दें और यह भी जाइज़ है कि चित लिटायें और क़िब्ले को पाँव करें कि यूँही क़िब्ले को मुँह हो जायेगा मगर इस सूरत में सर को कुछ ऊँचा रखें और क़िब्ले को मुँह करना दुश्वार हो कि उस वक़्त कि तकलीफ़ होती हो तो जिस हालत पर है छोड़ दें।(दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– जाँकनी की हालत (दम निकलने के वक़्त की हालत)में जब तक रूह गले को न आई उसे तलक़ीन करें यअ्नी उसके पास बलन्द आवाज़ से पढ़ें।

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ

तर्जमा :– " मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह तआला के सिवा कोई मअ्बूद (पूजने के क़ाबिल) नहीं। और मुहम्मद (सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम)अल्लाह तआला के रसूल हैं। मगर उसे इसके कहने का हुक्म न करें।(आम्मए कुतुब)

मसअ्ला :– जब उसने कलिमा पढ़ लिया तो तलक़ीन मौक़ूफ़ कर दें (रोक दें)हाँ अगर कलिमा पढ़ने के बाद उसने कोई बात की तो फिर तलक़ीन करें कि उसका आख़िर कलाम "लाइला–ह इल्लल्लाहु मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह"हो। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– तलक़ीन करने वाला कोई नेक शख़्स हो ऐसा न हो जिसको उसके मरने की ख़ुशी हो, और उसके पास उस वक़्त नेक और परहेज़गार लोगों का होना बहुत अच्छी बात है और उस वक़्त वहाँ 'सूरए यासीन शरीफ़ की तिलावत और ख़ुश्बू होना मुस्तहब है मसलन लोबान या अगरबत्तियाँ सुलगा दें (आलमगीरी)

मसअ्ला :– मौत के वक़्त हैज़ व निफ़ास वाली औरतें उसके पास हाज़िर हो सकती हैं (आलमगीरी) मगर जिसका हैज़ व निफ़ास मुनक़ता हो गया और अभी ग़ुस्ल नहीं किया उसे और जुनुब को आना न चाहिए.और कोशिश करें कि मकान में कोई तस्वीर या कुत्ता न हो अगर यह चीज़ें हों तो फ़ौरन निकाल दी जायें कि जहाँ यह होती हैं रहमत के फ़रिश्ते नहीं आते। उसकी नज़अ् के वक़्त अपने और उसके लिए दुआए ख़ैर करते रहें, कोई बुरा कलिमा ज़बान से न निकालें कि उस वक़्त जो कुछ कहा जाता है मलाइका उस पर आमीन कहते हैं। नज़अ् में सख़्ती देखें तो 'सूरए यासीन 'व सूरए रअ्द' पढ़ें।

मसअ्ला :– जब रूह निकल जाये तो एक चौड़ी पट्टी जबड़े के नीचे से सर पर ले जाकर गिरह दे दें कि मुँह खुला न रहे और आँखें बंद कर दी जायें और उंगलियाँ और हाथ पाँव सीधे कर दिये जायें यह काम उसके घर वालों में जो ज़्यादा नर्मी के साथ कर सकता हो बाप या बेटा वह करे।

मसअ्ला :– आँख बंद करते वक़्त यह दुआ पढ़े:–

بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ يَسِّرْ عَلَيْهِ اَمْرَهُ وَسَهِّلْ عَلَيْهِ
مَا بَعْدَهُ وَاَسْعِدْهُ بِلِقَائِكَ وَاجْعَلْ مَا خَرَجَ اِلَيْهِ خَيْرًا مِّمَّا خَرَجَ عَنْهُ

तर्जमा :– " अल्लाह के नाम के साथ और रसूलुल्लाह की मिल्लत पर ऐ अल्लाह ! तू इसके काम को इस पर आसान कर और इसके माबअ्द को इस पर सहल कर और अपनी मुलाक़ात से तू इसे नेक–बख़्त कर और जिसकी तरफ़ निकला यअ्नी आख़िरत उसे उससे बेहतर कर जिससे निकला यअ्नी दुनिया"।

मसअ्ला :– उसके पेट पर लोहा या गीली मिट्टी या और कोई भारी चीज़ रख दें कि पेट फूल न जाये। (आलमगीरी) मगर ज़रूरत से ज़्यादा वज़नी न हो कि तकलीफ़ की वजह हो। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– मय्यत के सारे बदन को किसी कपड़े से छुपा दें और उसको चारपाई या तख़्त वग़ैरा किसी ऊँची चीज़ पर रखें कि ज़मीन की सील न पहुँचे। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– मरते वक़्त मआज़ल्लाह उसकी ज़बान से कलिमए कुफ़्र निकला तो कुफ़्र का हुक्म न देंगे कि मुमकिन है मौत की सख़्ती में अक़्ल जाती रही हो,और बेहोशी में यह कलिमा निकल गया। (दुर्रे मुख़्तार)और बहुत मुमकिन है कि उसकी बात पूरी समझ में न आई कि ऐसी शिद्दत की हालत

में आदमी पूरी बात साफ़ तौर पर अदा कर ले दुश्वार होता है।

मसअला :— उसके ज़िम्मे कर्ज़ या जिस क़िस्म के दैन हों जल्द से जल्द अदा कर दें कि हदीस में है मय्यत अपने दैन में मुक़य्यद है यअ्नी क़ैद जैसी हालत में। एक रिवायत में है उसकी रूह मुअ़ल्लक़ (अधर में)रहती है जब तक दैन न अदा किया जाये।

मसअला :— मय्यत के पास तिलावते कुर्आन मजीद जाइज़ है जबकि उसका तमाम बदन कपड़े से छिपा हुआ रहे,तस्बीह व दीगर अज़्कार (ज़िक्र की जमा)में मुतलक़न हरज नहीं। (रद्दुल मुहतार वगैरा)

मसअला : — गुस्ल व कफ़न व दफ़न में जल्दी चाहिए कि हदीस में इसकी बहुत ताकीद आई।(जौहरा)

मसअला :— पड़ोसियों और उसके दोस्त अहबाब को इत्तिला कर दें कि नमाज़ियों की कसरत होगी और उसके लिए दुआ करेंगे कि उन पर हक़ है कि उसकी नमाज़ पढ़ें और दुआ करें।(आलमगीरी वगैरा)

मसअला :— बाज़ार व शारए आम पर उसकी मौत की ख़बर देने के लिए बलन्द आवाज़ से पुकारना बाज़ ने मकरूह बताया मगर ज़्यादा सही यह है कि इसमें हरज नहीं मगर हसबे आदते जाहिलियत बड़े—बड़े अल्फ़ाज़ से न हो। (जौहरा, नय्यिरा,रद्दुल मुहतार)

मसअला :— नागहानी मौत से मरा तो जब तक मौत का यक़ीन न हो तज़हीज़ व तकफ़ीन यअ्नी कफ़न दफ़न मुलतवी रखें। (आलमगीरी)

मसअला :— औरत मर गई और उसके पेट में बच्चा हरकत कर रहा है तो बाईं जानिब से पेट चाक करके बच्चा निकाला जाये,और अगर औरत ज़िन्दा है और उसका पेट में बच्चा मर गया और औरत की जान पर बनी हो तो बच्चा काट कर निकाला जाये,और बच्चा भी ज़िन्दा हो तो कैसी ही तकलीफ़ हो बच्चा काट कर निकालना जाइज़ नहीं। (आलमगीरी,दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :— अगर उस ने क़स्दन (जान बूझ कर)किसी का माल निगल लिया और मर गया तो अगर इतना माल छोड़ा है कि तावान (जुर्माना) दे दिया जाये तो तर्के से तावान अदा करें वर्ना पेट चीर कर माल निकाला जायेगा और बिला क़स्द (बिला इरादा)है तो चीरा न जाये।(दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार)

मसअला :— हामिला औरत मर गई और दफ़न कर दी गई,किसी ने ख़्वाब में देखा कि उसके बच्चा पैदा हुआ तो महज इस ख़्वाब की बिना पर क़ब्र खोदना जाइज़ नहीं। (आलमगीरी)

मय्यत के नहलाने का बयान

मसअला :— मय्यत को नहलाना फ़र्ज़े किफ़ाया है। बाज़ (कुछ)लोगों ने गुस्ल दे दिया तो सब से साक़ित हो गया। (आलमगीरी)

मसअला :— नहलाने का तरीक़ा यह है कि जिस चारपाई या तख़्त या तख़्ते पर नहलाने का इरादा हो उसको तीन या पाँच या सात बार धूनी दें यअ्नी जिस चीज़ में वह खुश्बू सुलगती हो उसे उतनी बार चारपाई वग़ैरा के गिर्द फिरायें, और उस पर मय्यत को लिटा कर नाफ़ से घुटनों तक किसी कपड़े से छिपा दें फिर नहलाने वाला अपने हाथ पर कपड़ा लपेट कर इस्तिन्जा कराये फिर नमाज़ का सा वुज़ू कराए यानी मुँह फिर कोहनियों समेत हाथ धोयें फिर सर का मसह करें फिर धोयें मगर मय्यत के वुज़ू में गट्टों तक पहले हाथ धोना और कुल्ली कराना और नाक में पानी

डालना नहीं है, हाँ कोई कपड़ा या रुई की फुरैरी भिगोकर दाँतों और मसूढ़ों और होंटों और नथनों पर फेर दें फिर सर और दाढ़ी के बाल हों तो गुलेख़ेरू(एक दवा का नाम) से धोये यह न हो तो पाक साबुन इस्लामी कारख़ाने का बना हुआ या बेसन या किसी और चीज़ से वर्ना ख़ाली पानी भी काफ़ी है फिर बायीं करवट कर सर से पाँव तक बेरी का पानी बहायें कि तख़्ता तक पहुँच जाये फिर दाहिनी करवट पर लिटा कर यूँहीं करें और बेरी के पत्ते जोश दिया हुआ पानी न हो तो ख़ालिस पानी नीमगर्म (गुनगुना)ही काफ़ी है फिर टेक लगा कर बैठायें और नर्मी के साथ नीचे को पेट पर हाथ फेरें अगर कुछ निकले धो डालें,वुज़ू व गुस्ल को दोहरायें नहीं फिर आख़िर में सर से पाँव तक काफ़ूर का पानी बहायें फिर उसके बदन को किसी पाक कपड़े से आहिस्ता पोंछ दें।

मसअला :— एक मरतबा सारे बदन पर पानी बहना फ़र्ज़ है और तीन मरतबा सुन्नत। जहाँ गुस्ल दें मुस्तहब यह है कि पर्दा कर लें कि सिवा नहलाने वालों और मददगारों के दूसरा न देखे। नहलाते वक़्त ख़्वाह उस तरह लिटायें जैसे क़ब्र में रखते हैं या क़िब्ले की तरफ़ पाँव कर के या जो आसान हो करें। (आलमगीरी)

मसअला :— नहलाने वाला पाक हो। जुनुब या हैज़ वाली औरत ने गुस्ल दिया तो कराहत है मगर गुस्ल हो जायेगा और बेवुज़ू नहलाया तो कराहत भी नहीं। बेहतर यह है कि नहलाने वाला मय्यत का सबसे करीबी रिश्तेदार हो वह नहलाए और अगर नहलाना न जानता हो तो कोई और शख़्स नहलाये जो अमानतदार व परहेज़गार हो। (आलमगीरी)

मसअला :— नहलाने वाला एअ्तिमाद वाला शख़्स हो कि पूरी तरह गुस्ल दे और जो अच्छी बात देखे मसलन चेहरा चमक उठा या मय्यत के बदन से खुश्बू आई तो उसे लोगों के सामने बयान करे और कोई बुरी बात देखी मसलन चेहरे का रंग स्याह हो गया बदबू आई या सूरत या आज़ा में तग़य्युर(बदलाव)आया तो इसे किसी से न कहे और ऐसी बात कहना जाइज़ भी नहीं कि हदीस में इरशाद हुआ अपने मुर्दों की खूबियाँ ज़िक्र करो और उनकी बुराईयों से बाज़ रहो। (जौहरा नय्यिरा)

मसअला :— अगर कोई बदमज़हब मरा और उसका रंग स्याह हो गया और कोई बुरी बात ज़ाहिर हुई तो इसको बयान करना चाहिए कि इससे लोगों को इबरत व नसीहत होगी। (आलमगीरी)

मसअला :— नहलाने वाले के पास खुश्बू सुलगाना मुस्तहब है कि अगर मय्यत के बदन से बू आये तो उसे पता न चले वरना घबरायेगा नीज़ उसे चाहिए कि बक़द्रे ज़रूरत अअ्ज़ाए मय्यत की तरफ़ नज़र करे, बिला ज़रूरत किसी उज़्व (अंग) की तरफ़ न देखे कि मुमकिन है उसके बदन में कोई ऐब हो जिसे वह छिपाता था। (जौहरा)

मसअला :— अगर वहाँ इसके सिवा और भी नहलाने वाले हों तो नहलाने पर उजरत ले सकता है मगर अफ़ज़ल यह है कि न ले और अगर कोई दूसरा नहलाने वाला न हो तो उजरत लेना जाइज़ नहीं। (आलमगीरी, दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :— जुनुब या हैज़ व निफ़ास वाली औरत का इन्तिक़ाल हुआ तो एक ही गुस्ल काफ़ी है कि गुस्ल वाजिब होने के कितने ही असबाब हों सब एक गुस्ल से अदा हो जाते हैं। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :— मर्द को मर्द नहलाये और औरत को औरत। मय्यत छोटा लड़का है तो उसे औरत भी नहला सकती है और छोटी लड़की को मर्द भी। छोटे से यह मुराद है कि हद्दे शहवत को न

पहुँचे हों। (आलमगीरी)

मसअला :– जिस मर्द का अज़्वे तनासुल या उन्सयैन काट लिये गये हों वह मर्द ही है यअ्नी मर्द ही उसे गुस्ल दे सकता है या उस की औरत (आलमगीरी)

मसअला :– औरत अपने शौहर को गुस्ल दे सकती है जबकि मौत से पहले या बअ्द कोई ऐसी बात न हुई हो जिससे उसके निकाह से निकल जाये मसलन शौहर के लड़के या बाप को शहवत से छुआ या बोसा लिया या मआज़ल्लाह मुरतद हो गई अगर्चे गुस्ल से पहले ही फिर मुसलमान हो गई कि इन वजहों से निकाह जाता रहा और अजनबिया हो गई लिहाज़ा गुस्ल नहीं दे सकती।(आलमगीरी)

मसअला :– औरत को तलाक़े रजई दी अभी तक इद्दत में थी कि शौहर का इन्तिक़ाल हो गया तो गुस्ल दे सकती है और बाइन तलाक़ दी है तो अगर्चे इद्दत में है गुस्ल नहीं दे सकती।(आलमगीरी)

मसअला :– उम्मे वलद या मुदब्बरा या मुकातबा या वैसी बांदी अपने मुर्दा आक़ा को गुस्ल नहीं दे सकती कि यह सब अब उसकी मिल्क से ख़ारिज हो गईं। यूँही अगर यह मर जायें आक़ा नहीं नहला सकता। (दुर्रे मुख़्तार)

नोट :– "उम्मे वलद उस बांदी को कहते हैं जिस से मालिक का कोई बच्चा हो गया हो। मुदब्बरा वह बाँदी जिस से मालिक ने कहा कि मेरे मरने के बाद तू आज़ाद है मुकातबा वह बाँदी जिस से मालिक ने कहा कि तू अगर इतना–इतना रूपया दे दे तो तू आज़ाद हो जाये। (क़ादरी)

मसअला :– औरत मर जाये तो शौहर उसे न नहला सकता है न छू सकता है और देखने की मनाही नहीं।(दुर्रे मुख़्तार)अवाम में जो यह मशहूर है कि शौहर औरत के जनाज़े को न कंधा दे सकता है न क़ब्र में उतार सकता है न मुँह देख सकता है यह महज़ ग़लत है सिर्फ़ नहलाने और उसके बदन को बिला हाइल यअ्नी बग़ैर किसी कपड़े वग़ैरा की आड़ के हाथ लगाने की मनाही है।

मसअला :– औरत का इन्तिक़ाल हुआ और वहाँ कोई औरत नहीं कि नहला दे तो तयम्मुम कराया जाये फिर तयम्मुम कराने वाला महरम हो तो हाथ से तयम्मुम कराये और अजनबी हो अगर्चे शौहर तो हाथ पर कपड़ा लपेट कर जिन्से ज़मीन यअ्नी ऐसी चीज़ जिससे तयम्मुम जाइज़ हो और जो ज़मीन की जिन्स से हो उस पर हाथ मारे और तयम्मुम कराये और शौहर के सिवा कोई और अजनबी हो तो कलाईयों की तरफ़ नज़र न करे और शौहर को–इसकी हाजत नहीं और इस मसअले में जवान और बुढ़िया दोनों का एक हुक्म है। (दुर्रे मुख़्तार,आलमगीरी वग़ैरहुमा)

मसअला :– मर्द का इन्तिक़ाल हुआ और वहाँ न कोई मर्द है न उसकी बीवी तो जो औरत वहाँ है उसे तयम्मुम कराये फिर अगर औरत महरम है या इसकी बाँदी तो तयम्मुम में हाथ पर कपड़ा लपेटने की हाजत नहीं और अजनबी हो तो कपड़ा लपेट कर तयम्मुम कराये। (आलमगीरी)

मसअला :– मर्द का सफ़र में इन्तिक़ाल हुआ और उसके साथ औरतें हैं और काफ़िर मर्द मगर मुसलमान मर्द कोई नहीं तो औरतें उस काफ़िर को नहलाने का तरीक़ा बता दें कि वह नहला दे और अगर मर्द कोई नहीं और छोटी लड़की साथ है कि नहलाने की ताक़त रखती है तो यह औरतें उसे सिखा दें कि वह नहलाए यूहीं अगर औरत का इन्तिक़ाल हुआ और कोई मुसलमान औरत नहीं और काफ़िरा औरत मौजूद है तो मर्द उस काफ़िरा को गुस्ल की तअ्लीम करे और उससे नहलवाए या छोटा लड़का इस क़ाबिल हो कि नहला सके तो उसे बताये और वह नहलाये। (आलमगीरी)

मसअला :– ऐसी जगह इन्तिक़ाल हुआ कि पानी वहाँ नहीं मिलता तो तयम्मुम करायें और नमाज़ पढ़े और नमाज़ के बअ्द अगर दफ़न से पहले पानी मिल जाये तो नहला कर नमाज़ का इआदा करें। (आलमगीरी,दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– ख़ुन्सा मुश्किल (जिसके मर्द या औरत होने की शनाख़्त न हो) का इन्तिक़ाल हुआ तो उसे न मर्द नहला सकता है न औरत बल्कि तयम्मुम कराया जाये और तयम्मुम कराने वाला अजनबी हो तो हाथ या कपड़ा लपेट ले और कलाईयों पर नज़र न करे। यूहीं ख़ुन्सा मुश्किल छोटा बच्चा हो तो उसे मर्द भी नहला सकते हैं और औरतें भी यूहीं बरअक्स।

मसअला :– मुसलमान का इन्तिक़ाल हुआ और उसका बाप काफ़िर है तो उसे मुसलमान नहलायें उसके बाप के क़ाबू में न दें। काफ़िर मुसलमान हुआ और उसकी औरत काफ़िर है तो अगर किताबिया यअ्नी यहूदी वग़ैरा है नहला सकती है मगर बिला ज़रूरत उससे नहलवाना बहुत बुरा है और अगर मजूसिया या बुत–परस्त है और उसके मरने के बअ्द मुसलमान हो गई तो नहला सकती है बशर्ते कि निकाह में बाक़ी हो वर्ना नहीं और निकाह में बाक़ी रहने की सूरत यह है अगर सल्तनते इस्लामी में है तो हाकिमे इस्लाम शौहर के मुसलमान होने के बअ्द औरत पर इस्लाम पेश करे अगर मान लिया तो ठीक वरना फ़ौरन निकाह से निकल जायेगी और अगर सल्तनते इस्लामी में नहीं तो इस्लामे शौहर (यअ्नी शौहर के इस्लाम लाने)के बअ्द औरत को तीन हैज़ आने का इन्तिज़ार किया जायेगा। इस मुद्दत में मुसलमान हो गई तो ठीक वरना निकाह से निकल जायेगी और दोनों सूरतों में फिर अगर्चे मुसलमान हो जाये गुस्ल नहीं दे सकती। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– मय्यत से गुस्ल उतर जाने और उस पर नमाज़ सही होने में नियत और फ़ेल शर्त नहीं यहाँ तक कि मुर्दा अगर पानी में गिर गया या उस पर मेंह बरसा कि सारे बदन पर पानी बह गया गुस्ल हो गया मगर ज़िन्दों पर जो गुस्ले मय्यत वाजिब है यह उस वक़्त बरीउज़्ज़िम्मा होंगे कि नहलायें। लिहाज़ा अगर मुर्दा पानी में मिला तो गुस्ल की नियत से उसे तीन बार पानी में हरकत दे दें कि गुस्ल की सुन्नत अदा हो जाये और एक बार हरकत दी तो वाजिब अदा हो गया मगर सुन्नत का मुतालबा रहा और बिला नियत नहलाने से बरीउज़्ज़िम्मा हो जायेंगे मगर सवाब न मिलेगा मसलन किसी को सिखाने की नियत से मय्यत को गुस्ल दिया वाजिब साक़ित हो गया मगर गुस्ले मय्यत का सवाब न मिलेगा। नीज़ गुस्ल हो जाने के लिए यह भी ज़रूरी नहीं कि नहलाने वाला मुकल्लफ़ (जिस पर नमाज़ वग़ैरा फ़र्ज़ हो)या अहले नियत (जिसकी नियत को शरीअत क़बूल करे)हो। नाबालिग़ या काफ़िर ने नहला दिया गुस्ल अदा हो गया। यूहीं अगर अजनबी औरत ने मर्द को या अजनबी मर्द ने औरत को गुस्ल दिया अदा हो गया अगर्चे इनको नहलाना जाइज़ न था।(दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार)

मसअला :– किसी मुसलमान का आधे से ज़्यादा धड़ मिला तो गुस्ल व कफ़न देंगे और जनाज़े की नमाज़ पढ़ेंगे और नमाज़ के बअ्द वह बाक़ी टुकड़ा भी मिला तो उस पर दो बारा नमाज़ न पढ़ेंगे और आधा धड़ मिला तो अगर उस में सर भी है जब भी यही हुक्म है और अगर सर न हो या लम्बाई में सर से पाँव तक दाहिना या बायाँ एक जानिब का हिस्सा मिला तो इन दोनों सूरतों में न गुस्ल है न कफ़न न नमाज़ बल्कि एक कपड़े में लपेट कर दफ़न कर दें। (आलमगीरी दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– मुर्दा मिला और यह नहीं मालूम मुसलमान है या काफ़िर तो अगर उसकी वज़अ्

मुसलमानों की हो या कोई अलामत ऐसी हो जिससे मुसलमान होना साबित होता है या मुसलमानों के मुहल्ले में मिला तो गुस्ल दें और नमाज़ पढ़ें वरना नहीं। (आलमगीरी)

मसअला :– मुसलमान मुर्दे काफ़िर मुर्दों में मिल गये अगर ख़तना वगैरा किसी अलामत से शनाख़्त कर सकें तो मुसलमानों को जुदा कर के गुस्ल व कफ़न दें और नमाज़ पढ़ें और इम्तियाज़ न होता हो तो गुस्ल दें और नमाज़ में ख़ास मुसलमानों के लिए दुआ की नियत करें और उनमें अगर मुसलमानों की तादाद ज़्यादा हो तो मुसलमानों के मक़बरे में दफ़न करें वरना अलाहिदा। (रहुल मुह्तार)

मसअला :– काफ़िर मुर्दे के लिए गुस्ल व कफ़न व दफ़न नहीं बल्कि चिथड़े में लपेट कर तंग गड्ढे में दबा दें यह भी जब करें कि उसका कोई हम–मज़हब उसे ले न जाये वरना मुसलमान न हाथ लगायें न उसके जनाज़े में शिरकत करें और अगर रिश्तेदारी की वजह से शरीक हों तो दूर दूर रहे अगर मुसलमान ही उसका रिश्तेदार है और उसका हम–मज़हब कोई न हो या ले नहीं और रिश्तेदारी के लिहाज़ की वजह से गुस्ल व कफ़न करे तो जाइज़ है मगर किसी काम में सुन्नत का तरीक़ा न बरते बल्कि नजासत धोने की तरह उस पर पानी बहाये और चिथड़े में लपेट कर तंग गड्ढे में दबा दे। यह हुक्म काफ़िरे असली का है और मुरतद का हुक्म यह है कि मुतलक़न न उसे गुस्ल दें न कफ़न बल्कि कुत्ते की तरह किसी तंग गड्ढे में ढकेल कर मिट्टी से बगैर हाइल के पाट दें। (दुर्रे मुख़्तार,रहुल मुह्तार)

मसअला :– ज़िम्मिया(वह काफ़िरा औरत जिससे बादशाहे इस्लाम टैक्स लेकर उसकी इज़्ज़त की हिफ़ाज़त करे)को मुसलमान का हमल था, वह मर गई अगर बच्चे में जान पड़ गई थी तो उसे मुसलमानों के क़ब्रिस्तान में अलाहिदा दफ़न करें और इसकी पीठ क़िब्ले को कर दें कि बच्चे का मुँह क़िब्ले को हो इसलिए कि जब बच्चा पेट में होता है तो उसका मुँह माँ की पीठ की तरफ़ होता है। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– मय्यत का बदन अगर ऐसा हो गया कि हाथ लगाने से खाल उधड़ेगी तो हाथ न लगायें सिर्फ़ पानी बहा दें। (आलमगीरी)

मसअला :– नहलाने के बअ्‌द अगर नाक, कान,मुँह और दीगर सूराख़ों में रूई रख दें तो हरज नहीं मगर बेहतर यह है कि न रखें। (आलमगीरी,दुर्रे मुख़्तार वगैरहुमा)

मसअला :– मय्यत की दाढ़ी या सर के बाल में कंघा करना या नाख़ून तराशना या किसी जगह के बाल मूंडना या कतरना या, उखाड़ना नाजाइज़ व मकरूह तहरीमी है बल्कि हुक्म यह है कि जिस हालत पर है उसी हालत पर दफ़न कर दें, हाँ अगर नाख़ून टूटा हो तो ले सकते हैं और अगर नाख़ून या बाल तराश लिये तो कफ़न में रख दें। (दुर्रे मुख़्तार,रहुल मुह्तार,आलमगीरी)

मसअला :– मय्यत के दोनों हाथ करवटों में रखें सीने पर न रखें कि यह कुफ़्फ़ार का तरीक़ा है जैसे नमाज़ के क़ियाम में यह भी न करें।

मसअला :– बअ्‌ज़ जगह मय्यत के गुस्ल के लिए कोरे घड़े बधने लाते हैं इसकी कुछ ज़रूरत नहीं घर के इस्तेमाली घड़े लोटे से भी गुस्ल दे सकते हैं और बअ्‌ज़ यह जहालत करते हैं कि गुस्ल के बाद तोड़ डालते हैं यह नाजाइज़ व हराम है कि माल बर्बाद करना है और अगर यह ख़्याल हो कि नजिस हो गये तो यह भी फ़ुज़ूल है कि अव्वल तो इस पर छींटें नहीं पड़तीं और पड़ीं भी तो राजेह

यह है यअ्‌नी यही बेहतर माना गया है कि मय्यत का गुस्ल नजासते हुक्मिया दूर करने के लिए है तो मुस्तामल पानी की छींटें पड़ीं और मुस्तअ्‌मल पानी नजिस नहीं जिस तरह ज़िन्दों के वुज़ू व गुस्ल का पानी, और अगर फ़र्ज़ किया जाये नजिस पानी की छींटें पड़ी तो धो डालें धोने से पाक हो जायेंगे और अक्सर जगह घड़े मस्जिदों में रख देते हैं अगर नियत यह हो कि नमाज़ियों को आराम पहुँचेगा और उस मुर्दे को सवाब तो यह अच्छी नियत है और रखना बेहतर और अगर यह ख़याल हो कि घर में रखना नुहूसत है तो यह निरी हिमाक़त है और बअ्‌ज़ लोग घड़े का पानी फेंक देते हैं यह भी हराम है।

कफ़न का बयान

मसअला :– मय्यत को कफ़न देना फ़र्ज़े किफ़ाया है।(अगर किसी ने कफ़न नहीं दिया तो जिस–जिस को मअ्‌लूम था सब गुनहागार हुए)कफ़न के तीन दर्जे हैं **1.ज़रूरत 2.किफ़ायत 3. सुन्नत। मर्द के लिए सुन्नत तीन कपड़े हैं 1. इज़ार 2. लिफ़ाफ़ा 3. क़मीस और औरत के लिए पाँच कपड़े सुन्नत हैं 1.इज़ार 2.लिफ़ाफ़ा 3.क़मीस 4. ओढ़नी 5. सीना बन्द।** कफ़ने किफ़ायत मर्द के लिए दो कपड़े है 1. लिफ़ाफ़ा 2. इज़ार और औरत के लिए कफ़ने किफ़ायत तीन हैं 1.लिफ़ाफ़ा 2. इज़ार 3. ओढ़नी या 1. लिफ़ाफ़ा 2. क़मीस 3. ओढ़नी। कफ़ने ज़रूरत दोनों के लिए यह कि जो मयस्सर आये और कम अज़ कम इतना तो हो कि सारा बदन ढक जाये। (दुर्रे मुख़्तार,आलमगीरी वगैरहुमा)

मसअला :– लिफ़ाफ़ा यअ्‌नी चादर की मिक़दार यह है कि मय्यत के क़द से इस क़द्र ज़्यादा हो कि दोनों तरफ़ बाँध सकें और इज़ार यअ्‌नी तहबन्द चोटी से क़दम तक यानी लिफ़ाफ़ा से इतनी छोटी जो बन्दिश के लिए ज़्यादा था और क़मीस जिसको कफ़नी कहते हैं गर्दन से घुटनों के नीचे तक और यह आगे और पीछे दोनों तरफ़ बराबर हो और जाहिलों में रिवाज है कि पीछे कम रखते हैं यह ग़लती है। चाक और आस्तीनें इसमें न हों। मर्द और औरत की कफ़नी में फ़र्क़ है। मर्द की कफ़नी मोंढे पर चीरें और औरत के लिए सीने की तरफ़। ओढ़नी तीन हाथ की होनी चाहिए यानी डेढ़ गज़ सीना बन्द पिस्तान से नाफ़ तक और बेहतर यह है कि रान तक हो। (आलमगीरी,रहुल मुह्तार)

मसअला :– बिला ज़रूरत कफ़ने किफ़ायत से कम करना नाजाइज़ व मकरूह है (दुर्रे मुख़्तार)बअ्‌ज़ मोहताज कफ़ने मसनून के लिए लोगों से सवाल करते हैं यह नाजाइज़ है कि सवाल बिला ज़रूरत जाइज़ नहीं और यहाँ ज़रूरत नहीं। अलबत्ता अगर कफ़ने ज़रूरत पर भी क़ादिर न हों तो बक़द्रे ज़रूरत सवाल करें ज़्यादा नहीं,हाँ अगर बगैर माँगे मुसलमान ख़ुद कफ़ने मसनून पूरा कर दें तो इन्शा अल्लाह तआला पूरा सवाब पायेंगे। (फ़तावा रज़विया)

मसअला :– वारिसों में इख़्तिलाफ़ हुआ कोई दो कपड़ों के लिए कहता है कोई तीन के लिए तो तीन कपड़े दिये जायेंगे यह सुन्नत है या यूँ किया जाये कि अगर माल ज़्यादा है और वारिस कम तो कफ़ने सुन्नत दें और माल कम है वारिस ज़्यादा तो कफ़ने किफ़ायत। (जौहरा वगैरा)

मसअला :– कफ़न अच्छा होना चाहिए यानी मर्द ईदैन व जुमे के लिए जैसे कपड़े पहनता था और औरत जैसे कपड़े पहन कर मयके जाती थी उस क़ीमत का होना चाहिए। हदीस में है मुर्दों को अच्छा कफ़न दो कि वह एक दूसरे से मुलाक़ात करते और अच्छे कफ़न से तफ़ाख़ुर(फ़ख़्र) करते

यअ्नी खुश होते हैं सफ़ेद कफ़न बेहतर है कि नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया अपने मुर्दे सफ़ेद कपड़ों में कफ़नाओ। (गुनिया, रदुल मुहतार)

मसअला :– कुसुम (एक पीला रंग होता है)या ज़अ्फ़रान का रंगा हुआ या रेशम का कफ़न मर्द को मना है और औरत के लिए जाइज़ यानी जो कपड़ा ज़िन्दगी में पहन सकता है उसका कफ़न दिया जा सकता है और जो ज़िन्दगी में नाजाइज़ उस का कफ़न भी नाजाइज़ (आलमगीरी)

मसअला :– खुन्सा मुश्किल को औरत की तरह पाँच कपड़े दिये जायें मगर कुसुम या ज़ाफ़रान का रंगा हुआ रेशमी कफ़न उसे नाजाइज़ है। (आलमगीरी)

मसअला :– किसी ने वसीयत की कि कफ़न में उसे दो कपड़े दिये जायें तो यह वसीयत जारी न की जाये, तीन कपड़े दिये जायें और अगर यह वसीयत की कि दस हज़ार रुपए का कफ़न दिया जाये तो यह भी नाफ़िज़ न,होगी दरमियानी दर्जे का कफ़न दिया जाये। (रदुल मुहतार)

मसअला :– जो नाबालिग़ हदे शहवत को पहुँच गया वह बालिग़ के हुक्म में है यअ्नी बालिग़ को कफ़न में जितने कपड़े दिये जाते हैं उसे भी दिये जायें और उससे छोटे लड़के को एक कपड़ा और छोटी लड़की को दो कपड़े दे सकते हैं और लड़के को भी दो कपड़े दिये जायें तो अच्छा है और बेहतर यह है कि दोनों को पूरा कफ़न दें अगर्चे एक दिन का बच्चा हो। (रदुल मुहतार वगैरा)

मसअला :– पुराने कपड़े का भी कफ़न हो सकता है मगर पुराना हो तो धुला हुआ हो कि कफ़न सुथरा होना मरगूब (प्रसन्दीदा) है। (जौहरा)

मसअला :– मय्यत ने अगर कुछ माल छोड़ा तो कफ़न उसी के माल से होना चाहिए और मदयून(क़र्ज़दार) है तो क़र्ज़ख़्वाह(जिसका क़र्ज़ है)कफ़ने किफ़ायत से ज़्यादा को मना कर सकता है और मना न किया तो इजाज़त समझी जायेगी। (रदुल मुहतार) मगर क़र्ज़ख़्वाह को मना करने का उस वक़्त हक़ है जब वह माल दैन (क़र्ज़) में मुस्तग़रक़ (घिरा हुआ)हो यानी सारे ही माल से दैन अदा हों।

मसअला :– दैन व, वसियत व मीरास इन सब पर कफ़न मुक़द्दम है और दैन वसियत पर और वसियत मीरास पर यअ्नी जो माल छोड़े उसमें से सब से पहले कफ़न फिर उसके बाद क़र्ज़ उसके बाद वसियत और उसके बाद वारिसों का हक़।(जौहरा)

मसअला :– मय्यत ने माल न छोड़ा तो कफ़न उसके ज़िम्मे है जिस के ज़िम्मे ज़िन्दगी में नफ़्क़ा था और अगर कोई ऐसा नहीं जिस पर नफ़्क़ा वाजिब होता, या है मगर नादार(बिल्कुल ग़रीब)है तो बैतुलमाल से दिया जाये और बैतुलमाल भी वहाँ न हो जैसे यहाँ हिन्दुस्तान में तो वहाँ के मुसलमानों पर कफ़न देना फ़र्ज़ है अगर मअ्लूम था न दिया तो सब गुनाहगार होंगे अगर उन लोगों के पास भी नहीं तो एक कपड़े की क़द्र दूसरे लोगों से सवाल कर ले। (जौहरा, दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– औरत ने अगर्चे माल छोड़ा उसका कफ़न शौहर के ज़िम्मे में है बशर्ते कि मौत के वक़्त कोई ऐसी बात न पाई गई जिससे औरत का नफ़्क़ा शौहर पर से साक़ित (ख़त्म) हो जाता अगर शौहर मरा और उसकी औरत मालदार है जब भी औरत पर कफ़न वाजिब नहीं।(आलमगीरी,दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– कफ़न के लिए सवाल करके लाये यअ्नी माँग के लाये उस में कुछ बच रहा है तो

अगर मअ्लूम है कि यह फ़लाँ ने दिया है तो उसे वापस कर दें वरना दूसरे मोहताज के कफ़न में सर्फ़ कर दें यह भी न हो तो तसद्दुक़ (सदक़ा)कर दें। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– मय्यत ऐसी जगह है कि वहाँ सिर्फ़ एक शख़्स है उसके पास सिर्फ़ एक ही कपड़ा है तो उस पर यह ज़रूरी नहीं कि अपने कपड़े का कफ़न कर दे। (दुर्रे मुख़्तार)

कफ़न

मसअला :– कफ़न पहनाने का तरीक़ा यह है मय्यत को ग़ुस्ल देने के बाद बदन किसी कपड़े से आहिस्ता पोंछ लें कि कफ़न तर न हो और कफ़न को एक या तीन या पाँच या सात बार धूनी दे लें इससे ज़्यादा नहीं फिर कफ़न यूँ बिछायें कि बडी चादर फिर तहबंद फिर कफ़नी फिर मय्यत को उस पर लिटायें और कफ़नी पहनायें और दाढ़ी और तमाम बदन पर ख़ुश्बू मलें और मवाज़ेए सुजूद यअ्नी माथा,नाक, हाथ, घुटने,क़दम पर काफ़ूर लगायें फिर इज़ार यअ्नी तहबंद लपेटें पहले बाई जानिब से फिर दाहिनी तरफ़ से फिर लिफ़ाफ़ा लपेटें पहले बाईं तरफ़ से फिर दाहिनी तरफ़ से ताकि दाहिना ऊपर रहे और सर और पाँव की तरफ़ बाँध लें कि उड़ने का अंदेशा न रहे। औरत को कफ़नी पहनाकर उसके बाल दो हिस्से कर के कफ़नी के ऊपर सीने पर डाल दें और ओढ़नी आधी पीठ के नीचे से बिछाकर सर पर लाकर मुँह पर नकाब की तरह डाल दें कि सीने पर रहे क्यूँकि ओढ़नी की लम्बाई आधी पीठ से सीने तक है और चौडाई कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक है और यह जो लोग किया करते हैं कि ज़िन्दगी की तरह उढ़ाते है यह महज़ बेकार व ख़िलाफ़े सुन्नत है। फिर बदस्तूर इज़ार व लिफ़ाफ़ा लपेटें फिर सबके ऊपर सीनाबंद पिस्तान के ऊपर से रान तक लाकर बाँधें। (आलमगीरी,दुर्रे मुख़्तार वगैराहुमा)

मसअला :– मर्द के बदन पर ऐसी खुश्बू लगाना जाइज़ नहीं जिस में ज़अ्फ़रान की आमेज़िश (मिलावट)हो,औरत के लिए जाइज़ है जिसने एहराम बाँधा है उसके बदन पर भी खुश्बू लगायें और उसका मुँह और सर कफ़न से छिपाया जाये। (आलमगीरी)

मसअला :– अगर मुर्दे का कफ़न चोरी गया और लाश अभी ताज़ा है तो फिर कफ़न दिया जाये अगर मय्यत का माल बदस्तूर (बाक़ी)है तो उससे और तक़सीम हो गया तो वुर्सा के ज़िम्मे कफ़न देना है वसियत या क़र्ज़ में दिया गया तो उन लोगों पर नहीं और अगर कुल तर्का दैन में मुसतग़रक़ है और क़र्ज़दारों ने अब तक क़ब्ज़ा न किया हो तो इसी माल से दें और क़ब्ज़ा कर लिया तो उनसे वापस न लेंगे बल्कि कफ़न उसके ज़िम्मे है कि माल न होने की सूरत में जिस के ज़िम्मे होता है और अगर सूरते मज़कूरा (जो ऊपर ज़िक्र हुई)में लाश फट गई तो कफ़ने मसनून की हाजत नहीं एक कपड़ा काफ़ी है।(आलमगीरी)

मसअला :– अगर मुर्दे को जानवर खागया और कफ़न पड़ा मिला तो अगर मय्यत के माल से दिया गया है तर्के में शुमार होगा और किसी और ने दिया है अजनबी या रिश्तेदार ने तो देने वाला मालिक है जो चाहे करे। (आलमगीरी)

ज़रूरी मसअला :– हिन्दुस्तान में आम रिवाज है कि कफ़ने मसनून के अलावा उपर से एक चादर उढ़ाते है वह तकियेदार या किसी मिस्कीन पर सदक़ा करते हैं और जानमाज़ होती है जिस पर इमाम जनाज़े की नमाज़ पढ़ाता है वह भी सदक़ा कर देते हैं अगर यह चादर व जानमाज़ मय्यत के

माल से न हों बल्कि किसी ने अपनी तरफ़ से दिया है और आदतन वही देता है जिस ने कफ़न दिया बल्कि कफ़न के लिए जो कपड़ा लाया जाता है वह उसी अन्दाज़ से लाया जाता है जिसमें ये दोनों भी हो जायें जब तो ज़ाहिर है कि उसकी इजाज़त है और इसमें कोई हरज नहीं और अगर मय्यत के माल से है तो दो सूरतें हैं एक यह कि वुरसा सब बालिग़ हों और सब की इजाज़त से हो जब भी जाइज़ है और अगर इजाज़त न दी तो जिसने मय्यत के माल से मँगाया और तसद्दुक किया उसके ज़िम्मे यह दोनों चीज़ें हैं यअ्नी उन में जो क़ीमत सर्फ़ हुई तर्के में शुमार की जायेगी और वह क़ीमत ख़र्च करने वाला अपने पास से देगा। दूसरी सूरत यह कि वुरसा में कुल या बाज़ नाबालिग़ हैं तो अब वह दोनों चीज़ें तर्के से हरगिज़ नहीं दी जा सकतीं अगर्चे उस नाबालिग़ ने इजाज़त भी दे दी हो कि नाबालिग़ के माल को सर्फ़ कर लेना हराम है। लोटे घड़े होते हुये ख़ास मय्यत के नहलाने के लिए ख़रीदे तो इसमें भी यही तफ़सील है.तीजा, दसवाँ, चालीसवाँ,शशमाही, बरसी के मसारिफ़ (ख़र्च)में भी यही तफ़सील है कि अपने माल से जो चाहे ख़र्च करे और मय्यत को सवाब पहुँचाये और मय्यत के माल से यह मसारिफ़ उसी वक़्त किये जायें कि सब वारिस बालिग़ हों और सब की इजाज़त हो वरना नहीं मगर जो बालिग़ हो अपने हिस्से से कर सकता है। एक सूरत और भी है कि मय्यत ने वसियत की हो तो दैन अदा करने के बअ्द जो बचे उसकी तिहाई में वसियत जारी होगी, अकसर लोग उस से ग़ाफ़िल हैं या नावाकिफ़, इस किस्म के तमाम मसारिफ़ कर लेने के बअ्द अब जो बाक़ी रहता है उसे तर्का समझते हैं इन मसारिफ़ में न वारिस से इजाज़त लेते हैं, न नाबालिग़ का वारिस होना मुज़िर (नुक़सानदेह)जानते हैं और यह सख़्त ग़लती है। इस से कोई यह न समझे कि तीजा वग़ैरा को मना किया जाता है कि यह तो ईसाले सवाब है इसे कौन मनअ् करेगा मनअ् वह करे जो वहाबी हो बल्कि नाजाइज़ तौर पर जो इनमें सर्फ़ किया जाता है उससे मनअ् किया जाता है कोई अपने माल से करे या वुरसा बालिग़ीन ही हों उनसे इजाज़त ले कर करे तो मनाही नहीं।

जनाज़ा ले चलने का बयान

मसअ्ला :– जनाज़े को कंधा देना इबादत है हर शख़्स को चाहिये कि इबादत में कोताही न करे और हुज़ूर सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सअ्द इब्ने मआज़ रदियल्लाहु तआला अन्हु का जनाज़ा उठाया। (जौहरा)

मसअ्ला :– सुन्नत यह है, कि चार शख़्स जनाज़ा उठायें एक–एक पाया एक–एक शख़्स ले और अगर सिर्फ़ दो शख़्सों ने जनाजा उठाया एक सरहाने और एक पाँयती तो बिला ज़रूरत मकरूह है और ज़रूरत से हो मसलन जगह तंग है तो हरज नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– सुन्नत यह है कि यके बाद दीगरे चारों पायों को कंधा दे और हर बार दस दस कदम चले और पूरी सुन्नत यह है कि पहले दाहिने सरहाने कंधा दे फिर दाहिनी पाँयती फिर बायें सरहाने फिर बाईं पाँयती और दस–दस कदम चले तो कुल चालीस कदम हुए कि हदीस में है जो चालीस कदम जनाज़ा ले चले उसके चालीस कबीरा गुनाह मिटा दिये जायेंगे। नीज़ हदीस में है जो के चारों पायों को कंधा दे अल्लाह तआला उसकी हतमी (यक़ीनी) मग़फ़िरत फ़रमादेगा।(आलमगीरी,दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला – जनाज़ा ले चलने में चारपाई को हाथ से पकड़ कर मोंढे पर रखे असबाब (सामान)की

तरह गर्दन या पीठ पर लादना मकरूह है चौपाए पर जनाज़ा लादना मकरूह है।(आलमगीरी,दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– ठेले पर लादने का भी यही हुक्म है।

मसअ्ला–छोटा बच्चा दूध पीता या अभी दूध छोड़ा हो या इससे कुछ बड़ा उसको अगर एक शख़्स हाथ पर उठा कर ले चले तो हरज नहीं और यके बअ्द दीगरे हाथों हाथ लेते रहें और अगर कोई शख़्स सवारी पर हो और इतने छोटे जनाज़े को हाथ पर लिये हो जब भी हरज नहीं और इससे बड़ा मुर्दा हो तो चारपाई पर ले जायें। (गुनिया,आलमगीरी,वग़ैराहुमा)

मसअ्ला :– जनाज़ा मोअ्तदिल तेज़ी (यानी दरमियानी चाल)से ले जायें मगर न इस तरह कि मय्यत को झटका लगे और साथ जाने वालों के लिए अफ़ज़ल यह है कि जनाज़े के पीछे चलें,दाहिने बायें न चलें और अगर कोई आगे चले तो उसे चाहिये कि इतनी दूर रहे कि साथियों में न शुमार किया जाये और सब के सब आगे हों तो मकरूह है। (आलमगीरी वग़ैरा)

मसअ्ला :– जनाज़े के साथ पैदल चलना अफ़ज़ल है और सवारी पर हो तो आगे चलना मकरूह आगे हो तो जनाज़े से दूर हो। (आलमगीरी,सग़ीरी)

मसअ्ला :– औरतों को जनाज़े के साथ जाना नाजाइज़ व मना है और नोहा करने वाली यअ्नी ज़ोर–ज़ोर से बयान करके रोने वाली साथ में हो तो उसे सख़्ती से मना किया जाये अगर न माने तो उसकी वजह से जनाज़े के साथ जाना न छोडा जाये कि उसके नाजाइज़ फ़ेअ्ल से यह क्यूँ सुन्नत तर्क करे बल्कि दिल से उसे बुरा जाने और शरीक हो। (दुर्रे मुख़्तार,सग़ीरी)

मसअ्ला :– अगर औरतें जनाज़े के पीछे हों और मर्द को यह अंदेशा हो कि पीछे चलने में औरतों से इख़्तिलात होगा या उनमें कोई नोहा करने वाली हो तो इन सूरतों में मर्द को आगे चलना बेहतर है। (दुर्रे मुख़्तार,रदुल मुहतार)

मसअ्ला :– जनाज़ा ले चलने में सरहाना आगे होना चाहिए और जनाज़े के साथ आग ले जाने की मनाही है। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– जनाज़े के साथ चलने वालों में सुकून (ख़ामोशी)की हालत होनी चाहिए मौत और अहवाल व क़ब्र की हौलनाकियों को पेशे नज़र रखें,दुनिया की बातें न करें न हँसें। हज़रते अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रदियल्लाहु तआला अन्हु ने एक शख़्स को जनाज़े के साथ हँसते देखा फ़रमाया तू जनाज़े में हँसता है तुझ से कभी कलाम न करूँगा, और ज़िक्र करना चाहें तो दिल में करें और ज़माने के हालात के एअ्तिबार से अब उलमा ने ज़िक्रे जहर (यअ्नी आवाज़ से ज़िक्र)की भी इजाज़त दी है। (सग़ीरी,दुर्रे मुख़्तार वग़ैराहुमा)

मसअ्ला :– जनाज़ा जब तक रखा न जाये बैठना मकरूह है और रखने के बाद बे–ज़रूरत खड़ा न रहे और अगर लोग बैठे हों और नमाज़ के लिए वहाँ जनाज़ा लाया गया तो जब तक रखा न जाये खड़े न हों यूँही अगर किसी जगह बैठे हों और वहाँ से जनाज़ा गुज़रा तो खड़ा होना ज़रूरी नहीं। हाँ जो शख़्स साथ जाना चाहता है वह उठे और जाये जब जनाज़ा रखा जाये तो यूँ न रखें कि क़िब्ले को पाँव हों या सर बल्कि आड़ा रखें कि दाहिनी करवट क़िब्ले को हो।(आलमगीरी,दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– जनाज़ा उठाने पर उजरत लेना देना जाइज़ है जबकि और उठाने वाले भी मौजूद हों।(आलमगीरी) मगर जो सवाब ले चलने पर हदीस में बयान हुआ उसे न मिलेगा कि उसने तो

बदला ले लिया।

मसअला :– मय्यत अगर पड़ोसी या रिश्तेदार या कोई नेक शख़्स हो तो उसके जनाज़े के साथ चलना नफ़्ल नमाज़ पढ़ने से अफ़ज़ल है।(आलमगीरी)

मसअला :– जो शख़्स जनाज़े के साथ हो उसे बग़ैर नमाज़ पढ़े वापस न होना चाहिये और नमाज़ के बअ्द औलियाए मय्यत से इजाज़त लेकर वापस हो सकता है और दफ़न के बाद औलिया से इजाज़त भी ज़रूरी नहीं। (आलमगीरी)

नमाज़े जनाज़ा का बयान

मसअला :– नमाज़े जनाज़ा फ़र्ज़े किफ़ाया है कि एक ने भी पढ़ ली तो सब ज़िम्मेदारी से बरी हो गये वरना जिस–जिस को ख़बर पहुँची थी और न पढ़ी गुनाहगार हुए। (आम्मए कुतुब)इसकी फ़र्ज़ियत का जो इन्कार करे काफ़िर है।

मसअला :– उसके लिए जमाअत शर्त नहीं एक शख़्स भी पढ ले फ़र्ज़ अदा हो गया। (आलमगीरी)

नमाज़े जनाज़ा के शराइत

मसअला :– नमाज़े जनाज़ा वाजिब होने के लिए वही शराइत हैं जो और नमाज़ों के लिये हैं यानी 1.क़ादिर 2.बालिग 3. आक़िल मुसलमान होना। एक बात इसमें ज़्यादा है यानी उसकी मौत की ख़बर होना। (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– नमाज़े जनाज़ा में दो तरह की शर्तें हैं एक मुसल्ली के मुतअल्लिक़ दूसरी मय्यत के मुतअल्लिक़ 1. मुसल्ली के लिहाज़ से तो वही शर्तें हैं जो मुतलक़ नमाज़ की हैं यानी मुसल्ली का नजासते हुक्मिया व हक़ीक़िया से पाक होना और उसके कपड़े और जगह का पाक होना 2. सत्रे औरत 3. क़िब्ले को मुँह होना 4.नियत। इसमें वक़्त शर्त नहीं। और तकबीरे तहरीमा रूक्न है शर्त नहीं जैसा पहले ज़िक्र हुआ। (रद्दुल मुहतार वग़ैरा) बअ्ज़ लोग जूता पहने और बहुत लोग जूते पर खड़े होकर नमाज़े जनाज़ा पढ़ते हैं अगर जूता पहने पढ़ी तो जूता और उसके नीचे की ज़मीन दोनों का पाक होना ज़रूरी है, एक दिरहम से ज़्यादा नापाक होने की वजह से नमाज़ न होगी और जूते पर खड़े होकर पढ़ी तो जूते के तली का पाक होना ज़रूरी है।

मसअला :– जनाज़ा तैयार है जानता है कि वुज़ू या गुस्ल करेगा तो नमाज़ हो जायेगी तयम्मुम कर के पढ़े इसकी तफ़सील बाबे तयम्मुम में ज़िक्र हुई।**मसअला** :– इमाम ताहिर(पाक) न था तो नमाज़ फिर पढ़े अगर्चे मुक़तदी ताहिर हों कि इमाम की न हुई किसी की न हुई और अगर इमाम ताहिर था और मुक़तदी बिला तहारत तो नमाज़ न दोहराई जाये अगर्चे मुक़तदियों की न हुई मगर इमाम की तो हो गई। यूँही औरत ने नमाज़ पढ़ाई और मर्दों ने उसकी इक़्तिदा की तो लौटाई न जाये अगर्चे मर्दों की इक़्तिदा सही न हुई मगर औरत की नमाज़ तो हो गई वही काफ़ी है और नमाज़े जनाज़ा की तकरार जाइज़ नहीं। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– नमाज़े जनाज़ा सवारी पर पढ़ी तो न हुई। इमाम का बालिग़ होना शर्त है ख़्वाह इमाम मर्द हो या औरत। नाबालिग़ ने नमाज़ पढ़ाई तो न हुई (आलमगीरी) नमाज़े जनाज़ा में मय्यत से तअल्लुक़ रखने वाली चन्द शर्तें हैं:–1.मय्यत का मुसलमान होना।

मसअला:–मय्यत से मुराद वह है जो ज़िन्दा पैदा हुआ फिर मर गया तो अगर वह मुर्दा पैदा हुआ बल्कि अगर निस्फ़ (आधे)से कम बाहर निकला उस वक़्त ज़िन्दा था और अकसर बाहर निकलने से पहले मर गया तो उसकी नमाज़ न पढ़ी जाये और तफ़सील आती है।

मसअला :– छोटे बच्चे के माँ–बाप दोनों मुसलमान हों या एक तो वह मुसलमान है उसकी नमाज़ पढ़ी जाये और दोनों काफ़िर हैं तो नहीं। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअला :– मुसलमान को दारुलहरब में छोटा बच्चा तन्हा मिला और उसने उठा लिया फिर मुसलमान के यहाँ मरा तो उसकी नामज़ पढ़ी जाये। (आलमगीरी)

मसअला :– हर मुसलमान की नमाज़ पढ़ी जाये अगर्चे वह कैसा ही गुनाहगार व मुरतकिबे कबाइर यअ्नी कबीरा गुनाह करने वाला हो मगर चन्द क़िस्म के लोग हैं कि उनकी नमाज़ नहीं 1. बाग़ी यअ्नी जो इमामे बरहक़ पर नाहक़ ख़ुरूज करे और उसी बग़ावत में मारा जाये। 2. डाकू कि डाके में मारा गया न इन को ग़ुस्ल दिया जाये न इनकी नमाज़ पढ़ी जाये मगर जबकि बादशाहे इस्लाम ने इन पर क़ाबू पाया और क़त्ल किया तो नमाज़ व ग़ुस्ल है या वह न पकड़े गये न मारे गये बल्कि वैसे ही मर गये तो भी ग़ुस्ल व नमाज़ है।

3. जो लोग नाहक़ पासदारी (यानी किसी की ग़लत हिमायत करने)में लड़ें बल्कि जो इनका तमाशा देख रहे थे और पत्थर आकर लगा और मर गये तो इनकी नमाज़ नहीं हाँ उनके मुतफ़र्रिक़ (अलग–अलग)होने के बाद, मरे तो नमाज़ है। 4.जिसने कई शख़्स गला घोंट कर मार डाले। 5. शहर में रात को हथियार ले कर लूट मार करें वह भी डाकू हैं इस हालत में मारे जायें तो उनकी भी नमाज़ न पढ़ी जाये।

6. जिसने अपनी माँ या बाप को मार डाला उसकी भी नमाज़ नहीं।

7. जो किसी का माल छीन रहा था और इस हालत में मारा गया उसकी भी नमाज़ नहीं।(आलमगीरी)

मसअला :– जिसने ख़ुदकुशी की हालाँकि यह बहुत बड़ा गुनाह है मगर उसके जनाज़े की नमाज़ पढ़ी जायेगी अगर्चे क़स्दन ख़ुदकुशी की हो जो शख़्स रज्म किया गया या क़िसास में मारा गया उसे ग़ुस्ल देंगे और नमाज़ पढ़ेंगे। (दुर्रे मुख़्तार,आलमगीरी,वग़ैराहुमा)

(2) मय्यत के बदन व कफ़न का पाक होना।

मसअला :– बदन पाक होने से यह मुराद है कि उसे ग़ुस्ल दिया गया हो या ग़ुस्ल नामुमकिन होने की सूरत में तयम्मुम कराया गया हो और कफ़न पहनाने से पहले उसके बदन से नजासत निकली तो धो डाली जाये बअ्द में ख़ारिज हुई तो धोने की हाजत नहीं और कफ़न पाक हाने का यह मतलब है कि पाक कफ़न पहनाया जाये और बाद में अगर नजासत ख़ारिज हुई और कफ़न आलूदा हुआ तो हरज नहीं। (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार)

मसअला :– बग़ैर ग़ुस्ल नमाज़ पढ़ी गई नमाज़ न हुई उसे ग़ुस्ल देकर फिर पढ़ें और अगर क़ब्र में रख चुके मगर मिट्टी अभी नहीं डाली गई तो क़ब्र से निकालें और ग़ुस्ल देकर नमाज़ पढ़ें और मिट्टी दे चुके तो अब नहीं निकाल सकते लिहाज़ा अब उसकी क़ब्र पर नमाज़ पढ़ें कि पहली नमाज़ न हुई थी क्योंकि बग़ैर ग़ुस्ल हुई थी और अब चूँकि ग़ुस्ल नामुमकिन है लिहाज़ा हो जायेगी।(रद्दुल मुहतार)

3. **जनाज़े का वहाँ मौजूद होना** यअ्नी कुल या अक्सर या निस्फ़ (आधा)सर के साथ मौजूद होना लिहाज़ा ग़ायब की नमाज़ नहीं हो सकती।

4. जनाज़ा ज़मीन पर रखा होना या हाथ पर हो मगर क़रीब हो अगर जानवर वग़ैरा पर लदा हो तो नमाज़ न होगी।

5. जनाज़ा मुसल्ली के आगे क़िब्ले को होना अगर मुसल्ली के पीछे होगा नमाज़ सही न होगी। **अगर जनाज़ा उल्टा रखा यअ्नी इमाम के दाहिने मय्यत का क़दम हो तो नमाज़ हो जायेगी** मगर **क़स्दन ऐसा किया तो गुनाहगार हुए**

मसअ्ला :– अगर क़िब्ले के जानने में ग़लती हुई यानी मय्यत को अपने ख़याल से क़िब्ले ही को रखा था मगर हक़ीक़तन क़िब्ले को नहीं तो तहर्री की जगह में अगर तहर्री की, नमाज़ हो गई वरना नहीं। (दुर्रे मुख्तार)

नोट :– जिस जगह क़िब्ला का पता न चल सके कि किधर है वहाँ ग़ौर व फ़िक्र करे जिस तरफ़ **दिल** जमे नमाज़ पढ़े, इस ग़ौर व फ़िक्र को तहर्री कहते हैं। (क़ादरी)

(6) मय्यत का वह बदन का हिस्सा जिसका छुपाना फ़र्ज़ है, छुपा होना।

(7)मय्यत इमाम के मुहाज़ी (सामने)हो यअ्नी अगर एक मय्यत है तो उसका कोई हिस्सए बदन इमाम के मुहाज़ी हो और चन्द हों तो किसी एक का हिस्सए बदन इमाम के मुहाज़ी होना काफ़ी है। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– नमाज़े जनाज़ा में दो रुक्न हैं 1. **चार बार अल्लाहु अकबर कहना** 2. **क़ियाम** बग़ैर **उज़्र बैठ** कर या सवारी पर नमाज़े जनाज़ा पढ़ी, न हुई और अगर वली या इमाम बीमार था उसने **बैठकर** पढ़ाई और मुक़तदियों ने खड़े होकर पढ़ी हो गई। (दुर्रे मुख्तार,रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– नमाज़े जनाज़ा में तीन चीज़ें सुन्नते मुअक्कदा हैं :–

1. अल्लाह तआला की हम्द व सना 2.नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद 3. मय्यत के लिए दुआ।

नमाज़े जनाज़ा का तरीक़ा

नमाज़े जनाज़ा पढ़ने का तरीक़ा यह है कि कान तक हाथ उठा कर अल्लाहु अकबर कहता हुआ हाथ नीचे लायें और नाफ़ के नीचे हस्बे दस्तूर बाँध ले यअ्नी जैसे नमाज़ में बाँधते हैं और सना पढ़े यअ्नी

سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ وَ بِحَمْدِكَ وَ تَبَارَكَ اسْمُكَ
وَ تَعَالٰى جَدُّكَ وَ جَلَّ ثَنَاؤُكَ وَ لَآ اِلٰهَ غَيْرُكَ ۔

तर्जमा :– " पाक है तू ऐ अल्लाह ! और मैं तेरी हम्द करता हूँ तेरा नाम बरकत वाला है और तेरी अज़मत बलन्द है और तेरी तारीफ़ बुज़ुर्ग है और तेरे सिवा कोई मअ्बूद नहीं"।

फिर बग़ैर हाथ उठाये अल्लाहु अकबर कहे और दुरूद शरीफ़ पढ़े बेहतर वह दुरूद है जो नमाज़ में पढ़ा जाता है और कोई दूसरा पढ़ा जब भी हरज नहीं फिर अल्लाहु अकबर कह कर अपने और मय्यत और तमाम मोमिन व मोमेनीन के लिए दुआ करे और बेहतर यह है कि वह दुआयें पढ़े जो अहादीस में वारिद हैं और मासूर दुआयें (वह दुआयें जो अहादीस से साबित हों)अगर अच्छी तरह न पढ़ सके तो जो दुआ चाहे पढ़े मगर वह दुआ ऐसी हो कि उमूरे आख़िरत से मुतअ़ल्लिक़ हो। (जौहरा, नय्यिरा,आलमगीरी,दुर्रे मुख्तार वग़ैरा)बअ्ज़ मासूर दुआयें यह है :-

दुआ न.1 :–

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَ مَيِّتِنَا وَ شَاهِدِنَا وَ غَائِبِنَا وَ صَغِيْرِنَا وَ كَبِيْرِنَا وَ ذَكَرِنَا وَ اُنْثَانَا ۔اَللّٰهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتَهٗ مِنَّا فَاَحْيِهٖ عَلَى الْاِسْلَامِ ۔وَ مَنْ تَوَفَّيْتَهٗ مِنَّا فَتَوَفَّهٗ عَلَى الْاِيْمَانِ ۔اَللّٰهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا اَجْرَهٗ (هَا)وَ لَا تَفْتِنَّا بَعْدَهٗ (هَا)

तर्जमा : " ऐ अल्लाह ! बख़्श दे हमारे ज़िन्दा और मुर्दा और हमारे हाज़िर व ग़ाइब को और हमारे छोटे और हमारे बड़े को और हमारे मर्द, औरत को। ऐ अल्लाह! हममें से जिसे तू ज़िन्दा रखे उसे इस्लाम पर ज़िन्दा रख और हममें से जिसको तू वफ़ात दे उसे ईमान पर वफ़ात दे। ऐ अल्लाह तू हमें इसके अज्र से महरूम न रख और इसके बअ्द हमें फ़ितने में न डाल।"

दुआ न. 2 :–

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهٗ (لَهَا)وَ ارْحَمْهُ (هَا) وَ عَافِهٖ (هَا)وَ اعْفُ عَنْهُ (هَا) وَ اَكْرِمْ نُزُلَهٗ (هَا) وَ وَسِّعْ مُدْخَلَهٗ (هَا) وَ اغْسِلْهُ (هَا) بِالْمَاءِ وَ الثَّلْجِ وَ الْبَرَدِ وَ نَقِّهٖ (هَا) مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْاَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ وَ اَبْدِلْهُ (هَا)دَارًا خَيْرًا مِّنْ دَارِهٖ (هَا) وَ اَهْلًا خَيْرًا مِّنْ اَهْلِهٖ (هَا) (وَ زَوْجًا خَيْرًا مِّنْ زَوْجِهٖ)وَ اَدْخِلْهُ (هَا) الْجَنَّةَ وَ اَعِذْهُ (هَا) مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَ عَذَابِ النَّارِ ۔

तर्जमा :– " ऐ अल्लाह! इसको बख़्श दे और रहम कर और आफ़ियत दे और मुआफ़ कर और इज़्ज़त की मेहमानी कर इसकी जगह को कुशादा कर और इसको पानी और बर्फ़ ओले से धो दे और इसको ख़ता से पाक कर जैसा कि तूने सफ़ेद कपड़े को मैल से पाक किया और इसको घर के बदले में बेहतर घर दे और अहल के बदले में बेहतर अहल दे और बीवी के बदले में बेहतर बीवी और इस को जन्नत में दाख़िल कर और अज़ाबे क़ब्र और फ़ितनए क़ब्र व अज़ाबे जहन्नम से महफ़ूज़ रख।"

दुआ न.3 :–

اَللّٰهُمَّ عَبْدُكَ (اَمَتُكَ)وَ ابْنُ (وَ بِنْتُ)اَمَتِكَ يَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ وَ يَشْهَدُ (تَشْهَدُ)اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَ رَسُوْلُكَ اَصْبَحَ فَقِيْرًا(اَصْبَحَتْ فَقِيْرَةً)اِلٰى رَحْمَتِكَ وَ اَصْبَحْتَ غَنِيًّا عَنْ عَذَابِهٖ (هَا)تَخَلّٰى (تَخَلَّتْ) مِنَ الدُّنْيَا وَ اَهْلِهَا اِنْ كَانَ (كَانَتْ)زَاكِيًا(زَاكِيَةً)فَزَكِّهٖ (هَا) وَ اِنْ كَانَ (كَانَتْ) مُخْطِئًا (مُخْطِئَةً)فَاغْفِرْ لَهٗ (هَا)اَللّٰهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا اَجْرَهٗ (هَا) وَ لَا تُضِلَّنَا بَعْدَهٗ (هَا)

तर्जमा : " ऐ अल्लाह ! यह तेरा बन्दा है और तेरी बान्दी का बेटा है गवाही देता है कि तेरे सिवा कोई मअ्बूद नहीं,तू यक्ता है, तेरा कोई शरीक नहीं। गवाही देता है कि मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तेरे बन्दे और रसूल हैं यह तेरी रहमत का मुहताज है और तू इसके अज़ाब से ग़नी है,दुनिया और दुनिया वालों से जुदा हुआ अगर यह पाक है तो तू इसे पाक व साफ़ कर और अगर ख़ताकार है तो बख़्श दे। ऐ अल्लाह! इसके अज्र से हमें महरूम न रख और इसके बअ्द हमें गुमराह न कर।

दुआ न.4 :–

اَللّٰهُمَّ هٰذَا(هٰذِهٖ)عَبْدُكَ (اَمَتُكَ)اِبْنُ(بِنْتُ)عَبْدِكَ اِبْنُ(بِنْتُ)اَمَتِكَ مَاضٍ فِيْهِ(هَا) حُكْمُكَ خَلَقْتَهٗ (هَا)وَ لَمْ يَكُ(تَكُ) شَيْئًا مَّذْكُوْرًا ۔نَزَلَ(نَزَلَتْ)بِكَ وَ اَنْتَ خَيْرُ مَنْزُوْلٍ بِهٖ اَللّٰهُمَّ لَقِّنْهُ(لَقِّنْهَا) حُجَّتَهٗ

حُجَّتَهَا)وَأَلْحِقْهُ(هَا)بِنَبِيِّهٖ(هَا)مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَثَبِّتْهُ (هَا)بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فَإِنَّهٗ(هَا)اِفْتَقَرَ(اِفْتَقَرَتْ)اِلَيْكَ وَ اسْتَغْنَيْتَ عَنْهُ (هَا) كَانَ (كَانَتْ)يَشْهَدُ (تَشْهَدُ)اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ فَاغْفِرْلَهٗ (هَا)وَارْحَمْهُ(هَا)وَلَا تَحْرِمْنَا اَجْرَهٗ (هَا)وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهٗ (هَا)اَللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ (كَانَتْ)زَاكِياً (زَاكِيَةً)فَزَكِّهٖ(ها)وَاِنْ كَانَ(كَانَتْ)خَاطِئًا (خَاطِئَةً)فَاغْفِرْلَهٗ(لَهَا)

तर्जमा :–" ऐ अल्लाह! यह तेरा बन्दा है और तेरे बन्दे और तेरी बन्दी का बेटा है इसके मुतअ़ल्लिक़ तेरा हुक्म नाफ़िज़ है तूने इसे पैदा किया हालाँकि यह क़ाबिले ज़िक्र न था तेरे पास आया और तू उन सबसे बेहतर है जिनके पास उतरा जाये। ऐ अल्लाह! हुज्जत की तू इसको तलक़ीन कर और इसके नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम के साथ मिला दे और क़ौले साबित पर इसे साबित रख इसलिए कि यह तेरी तरफ़ मुहताज है और तू इस ग़नी है। यह शहादत देता था कि अल्लाह के सिवा कोई मअ़बूद नहीं, पस इसे बख़्श दे और रहम कर और इसके अज्र से हमको महरूम न कर और इसके बअ़्द हमें फ़ितने में न डाल ऐ अल्लाह! अगर यह पाक है तो पाक कर और बदकार है तो बख़्श दे।

दुआ़ न.5 :–

اَللّٰهُمَّ عَبْدُكَ (اَمَتُكَ) وَ ابْنُ(بِنْتُ)اَمَتِكَ اِحْتَاجَ (اِحْتَاجَتْ)اِلٰى رَحْمَتِكَ وَ اَنْتَ غَنِيٌّ عَنْ عَذَابِهٖ (هَا)اِنْ كَانَ (كَانَتْ)مُحْسِنًا (مُحْسِنَةً)فَزِدْ فِيْ اِحْسَانِهٖ(هَا)وَاِنْ كَانَ (كَانَتْ)مُسِيْئًا(مُسِيْئَةً)فَتَجَاوَزْ عَنْهُ(عَنْهَا)

तर्जमा :–" ऐ अल्लाह! यह तेरा बन्दा है और तेरी बन्दी का बेटा है तेरी रहमत का मुहताज है और तू इसके अ़ज़ाब से ग़नी है अगर नेककार है तो इसकी खूबी में ज़्यादा कर और अगर गुनाहगार है तो दर–गुज़र फ़रमा"।

दुआ़ न. 6:–

اَللّٰهُمَّ عَبْدُكَ(اَمَتُكَ)وَابْنُ(بِنْتُ)عَبْدِكَ كَانَ (كَانَتْ)يَشْهَدُ(تَشْهَدُ)اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَ رَسُوْلُكَ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ اَنْتَ اَعْلَمُ بِهٖ (بِهَا)مِنَّا اِنْ كَانَ(كَانَتْ)مُحْسِنًا (مُحْسِنَةً)فَزِدْ فِيْ اِحْسَانِهٖ وَاِنْ كَانَ (كَانَتْ)مُسِيْئًا(مُسِيْئَةً)فَاغْفِرْلَهٗ (لَهَا)وَ لَا تَحْرِمْنَا اَجْرَهٗ(اَجْرَهَا)وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهٗ (بَعْدَهَا)

तर्जमा " ऐ अल्लाह! यह तेरा बन्दा है और तेरे बन्दे का बेटा है, गवाही देता था कि अल्लाह के सिवा कोई मअ़बूद नहीं और मुहम्मद सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम तेरे बन्दे और तेरे रसूल हैं और तू हमसे ज़्यादा इसे जानता है अगर नेकूकार है तो नेकी में ज़्यादा कर और अगर गुनाहगार है तो इसे बख़्श दे और इसके अज्र से हमें महरूम न कर और इसके बअ़्द फ़ितने में न डाल।

दुआ़ न. 7 :–

اَصْبَحَ عَبْدُكَ هٰذَا (اَصْبَحَتْ اَمَتُكَ هٰذِهٖ)قَدْ تَخَلّٰى (تَخَلَّتْ)عَنِ الدُّنْيَا وَ تَرَكَهَا (وَ تَرَكَتْهَا)لِاَهْلِهَا افْتَقَرَ(وَ افْتَقَرَتْ)اِلَيْكَ اسْتَغْنَيْتَ عَنْهُ(عَنْهَا)وَقَدْ كَانَ(كَانَتْ)يَشْهَدُ(تَشْهَدُ)اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَ رَسُوْلُكَ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ.اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَهٗ (لَهَا)وَتَجَاوَزْ عَنْهُ(عَنْهَا)وَاَلْحِقْهُ(اَلْحِقْهَا)بِنَبِيِّهٖ(بِنَبِيِّهَا)

صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ.

तर्जमा :– " आज तेरा यह बन्दा दुनिया से निकला और दुनिया को अहले दुनिया के लिये छोड़ा तेरी तरफ़ मुहताज है और तू इससे ग़नी। गवाही देता था कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मुहम्मद सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम तेरे बन्दे और रसूल हैं। ऐ अल्लाह! तू इसको बख़्श दे और इससे दरगुज़र फ़रमा और इसको इसके नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम के साथ लाहिक़ कर दे (मिला दे)।

दुआ़ न. 8 :–

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبُّهَا وَ اَنْتَ خَلَقْتَهَا وَ اَنْتَ هَدَيْتَهَا لِلْاِسْلَامِ ط وَ اَنْتَ قَبَضْتَ رُوْحَهَا وَ اَنْتَ اَعْلَمُ بِسِرِّهَا وَ عَلَانِيَّتِهَا جِئْنَا شُفَعَآءَ فَاغْفِرْلَهَا

तर्जमा : " ऐ अल्लाह! तू इसका रब है और तूने इसको पैदा किया और तूने इसको इस्लाम की तरफ़ हिदायत की और तूने इसकी रूह को कब्ज़ किया तू इसके पोशीदा और ज़ाहिर को जानता है हम सिफारिश के लिए हाज़िर हुए इसे बख़्श दे"।

दुआ़ न.9 :–

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِاِخْوَانِنَا وَ اَخَوَاتِنَا وَ اَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِنَا وَ اَلِّفْ بَيْنَ قُلُوْبِنَا اَللّٰهُمَّ هٰذَا(هٰذِهٖ)عَبْدُكَ(اَمَتُكَ)فُلَانُ ابْنُ فُلَانٍ (فُلَانَةُ بِنْتُ فُلَانٍ)وَ لَا نَعْلَمُ اِلَّا خَيْرًا وَّ اَنْتَ اَعْلَمُ بِهٖ (بِهَا)مِنَّا فَاغْفِرْلَنَا وَ لَهٗ(لَهَا)

तर्जमा :– "ऐ अल्लाह! हमारे भाईयों और बहनों को तू बख़्श दे और हमारे आपस की हालत दुरूस्त कर और हमारे दिलों में उल्फ़त पैदा कर दे। ऐ अल्लाह ! यह तेरा बन्दा फुलाँ इब्ने फुलाँ है हम इसके मुतअ़ल्लिक़ ख़ैर के सिवा कुछ नहीं जानते और तू इसको हमसे ज़्यादा जानता है तू हमको और इसको बख़्श दे।

दुआ़ न. 10 :–

اَللّٰهُمَّ فُلَانُ ابْنُ فُلَانٍ (فُلَانَةُ بِنْتُ فُلَانٍ)فِيْ ذِمَّتِكَ وَ حَبْلِ جِوَارِكَ فَقِهٖ (فَقِهَا)مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَ عَذَابِ النَّارِ وَ اَنْتَ اَهْلُ الْوَفَاءِ وَالْحَمْدِ.اَللّٰهُمَّ فَاغْفِرْلَهٗ(فَاغْفِرْلَهَا)وَارْحَمْهُ(وَارْحَمْهَا)اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

तर्जमा :– "ऐ अल्लाह! फुलाँ इब्ने फुलाँ तेरे ज़िम्मे और तेरी हिफ़ाज़त में है इस को फ़ितनए क़ब्र और अ़ज़ाबे जहन्नम से बचा। तू वफ़ा और हम्द का अहल है। ऐ अल्लाह! तू इस को बख़्श और रहम कर बेशक तू बख़्शने वाला मेहरबान है"

दुआ़ न.11 :–

اَللّٰهُمَّ اَجِرْهَا مِنَ الشَّيْطَانِ وَ عَذَابِ الْقَبْرِ.اَللّٰهُمَّ جَافِ الْاَرْضَ عَنْ جَنْبَيْهَا وَ صَعِّدْ رُوْحَهَا وَ لَقِّهَا مِنْكَ رِضْوَانًا.

तर्जमा :– "ऐ अल्लाह! इसको शैतान और अ़ज़ाबे क़ब्र से बचा। ऐ अल्लाह ! ज़मीन को इसकी दोनों करवटों से कुशादा कर दे और इसकी रूह को बलन्द कर और अपनी खुशनूदी दे।

दुआ न.12 :–

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ خَلَقْتَنَا وَ نَحْنُ عِبَادُكَ اَنْتَ رَبُّنَا وَ اِلَيْكَ مَعَادُنَا

तर्जमा :–"ऐ अल्लाह! तूने हमको पैदा किया और हम तेरे बन्दे हैं तू हमारा रब है और तेरी ही तरफ हमको लौटना है।

दुआ न.13 :–

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِاَوَّلِنَا وَ اٰخِرِنَا وَ حَيِّنَا وَ مَيِّتِنَا وَ ذَكَرِنَا وَ اُنْثَانَا وَ صَغِيْرِنَا وَ كَبِيْرِنَا

وَ شَاهِدِنَا وَ غَائِبِنَا اَللّٰهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا اَجْرَهٗ (اَجْرَهَا) وَ لَا تَفْتِنَّا بَعْدَهٗ (بَعْدَهَا)

तर्जमा :– " ऐ अल्लाह! बख़्शा दे हमारे अगले और पिछले को और हमारे ज़िन्दा व मुर्दा को और हमारे मर्द व औरत को और हमारे छोटे और बड़े को और हमारे हाज़िर व ग़ाइब को। ऐ अल्लाह ! इस के अज्र से हमें महरूम न कर और इसके बअ्द हमें फ़ितने में न डाल"।

दुआ न.14 :–

اَللّٰهُمَّ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ يَا بَدِيْعَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَا ذَالْجَلَالِ وَ الْاِكْرَامِ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ بِاَنِّيْ اَشْهَدُ اَنَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ الْاَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِيْ لَمْ يَلِدْ وَ لَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ. اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ وَ اَتَوَجَّهُ اِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ نَّبِيِّ الرَّحْمَةِ ط صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ. اَللّٰهُمَّ اِنَّ الْكَرِيْمَ اِذَا اُمِرَ بِالسُّؤَالِ لَمْ يَرُدَّهٗ اَبَدًا وَّ قَدْ اَمَرْتَنَا فَدَعَوْنَا وَ اَذِنْتَ لَنَا فَشَفَعْنَا وَ اَنْتَ اَكْرَمُ الْاَكْرَمِيْنَ ط. فَشَفِّعْنَا فِيْهِ (فِيْهَا) وَارْحَمْهُ (وَارْحَمْهَا) فِيْ وَحْدَتِهٖ (وَحْدَتِهَا) وَارْحَمْهُ (وَارْحَمْهَا) فِيْ وَحْشَتِهٖ (وَحْشَتِهَا) وَارْحَمْهُ (وَارْحَمْهَا) فِيْ غُرْبَتِهٖ (غُرْبَتِهَا) وَارْحَمْهُ (وَارْحَمْهَا) فِيْ كُرْبَتِهٖ (كُرْبَتِهَا) وَاعْظِمْ لَهٗ (لَهَا) اَجْرَهٗ (اَجْرَهَا) وَ نَوِّرْ لَهٗ (لَهَا) قَبْرَهٗ (قَبْرَهَا) وَ بَيِّضْ لَهٗ (لَهَا) وَجْهَهٗ (وَجْهَهَا) وَ بَرِّدْ لَهٗ (لَهَا) مَضْجَعَهٗ (مَضْجَعَهَا) وَ عَطِّرْ لَهٗ (لَهَا) مَنْزِلَهٗ (هَا) وَاَكْرِمْ لَهٗ (هَا) نُزُلَهٗ (لَهَا) يَا خَيْرَ الْمُنْزِلِيْنَ ج. وَ يَا خَيْرَ الْغَافِرِيْنَ ج. وَ يَا خَيْرَ الرَّاحِمِيْنَ ج. اٰمِيْنَ اٰمِيْنَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِ الشَّافِعِيْنَ مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ اَجْمَعِيْنَ. وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

तर्जमा :– " ऐ अल्लाह! ऐ अरहमुर्राहिमीन ! रे अरहमुर्राहिमीन ! ऐ अरहमुर्राहिमीन ! ऐ ज़िन्दा ! ऐ क़य्यूम! ऐ आसमान व ज़मीन के पैदा करने वाले ऐ! अज़मत व बुज़ुर्गी वाले ! मैं तुझ से सवाल करता हूँ इस वजह से कि मैं शहादत देता हूँ कि तू अल्लाह यकता है बेनियाज़ जो न दूसरे को जना न दूसरे से जना गया और उसका मुक़ाबिल कोई नहीं। ऐ अल्लाह ! मैं सवाल करता हूँ और तेरी तरफ तेरे नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ज़रिए मुतवज्जेह होता हूँ। ऐ अल्लाह करीम! जब सवाल का हुक्म देता है तो वापस कभी नहीं करता और तूने हमें हुक्म दिया हमने दुआ की और तूने हमें इजाज़त दी हमने सिफ़ारिश की और तू सब करीमों से ज़्यादा करीम है, हमारी सिफ़ारिश उसके बारे में क़बूल कर और इसकी तन्हाई में तू इस पर रहम कर और इसकी

वहशत में तू रहम कर और इसकी ग़ुर्बत में तू रहम कर और इसकी बेचैनी में तू रहम कर और इसके अज्र को अज़ीम कर और इसकी क़ब्र को मुनव्वर कर और इसके चेहरे को सफ़ेद कर और इसकी ख़्वाबगाह को ठन्डा कर और इसकी मन्ज़िल को मुअत्तर कर और इसकी मेहमानी का सामान अच्छा कर। ऐ बेहतर उतारने वाले और ऐ बेहतर बख़्शने वाले और ऐ बेहतर फ़रमाने वाले आमीन आमीन आमीन दुरूद व सलाम भेज और बरकत कर शफ़ाअत करने वालों के सरदार मुहम्मद (सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम)और उनकी आल व असहाब सब पर। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए जो रब है तमाम जहान का

नोट :– यह दुआयें याद करने से पहले किसी सुन्नी सहीहुल अक़ीदा आलिम से समझ ले तो बहुत बेहतर है।

फ़ाइदा :– नवीं और दसवीं दआओं में अगर मय्यत के बाप का नाम मअ्लूम न हो तो उसकी जगह हज़रते आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहे कि वह सब आदमियों के बाप हैं और अगर खुद मय्यत का नाम भी मालूम न हो तो नवीं दुआ में "हाज़ा अब्दुका"या "हाज़ा अमतुका"पर क़नाअत करे फुलाँ इब्ने फुलाँ या बिन्ते को छोड़ दे और दसवीं में इसकी जगह "अब्दुका हाज़ा" या औरत हो तो "अमतुका हाज़िही"कहे।

फ़ायदा :– मय्यत का फ़िस्क़ व फ़ुजूर मअ्लूम हो तो नवीं दुआ में "ला नअ्लमु इल्ला ख़ैरन"की जगह "क़दअलिमना मिन्हु ख़ैरन"कहे इस्लाम हर ख़ैर से बेहतर ख़ैर है।

फ़ायदा :– इन दुआओं में बाज़ मज़ामीन मुकर्रर हैं और दुआ में तकरार मुस्तहसन (अच्छा) अगर सब दुआयें याद हों और वक़्त में गुन्जाइश हो तो सब का पढ़ना औला वरना जो चाहे पढ़े और इमाम जितनी देर यह दुआयें पढ़े अगर मुक़्तदी को याद न हों तो पहली दुआ के बअ्द आमीन आमीन कहता रहे।

मसअला :– मय्यत मजनून (पागल) या नाबालिग़ हो तो तीसरी तकबीर के बअ्द यह दुआ पढ़े :–

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَّ اجْعَلْهُ لَنَا اَجْرًا وَّ ذُخْرًا وَّ اجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَّ مُشَفَّعًا

और लड़की हो तो اِجْعَلْهَا और شَافِعَةً وَّ مُشَفَّعَةً कहे। (जौहरा)

तर्जमा :– "ऐ अल्लाह! तू इसको हमारे लिए पेशरौ कर और इसको हमारे लिए ज़ख़ीरा कर और इसको हमारी शफ़ाअत करने वाला और मक़बूले शफ़ाअत कर दे"

मजनून से मुराद वह मजनून है कि बालिग़ होने से पहले मजनून हुआ कि वह मुकल्लफ़ ही न हुआ और अगर जुनून आरिज़ी है तो उसकी मग़फ़िरत की दुआ की जाये जैसे औरों के लिए की और आज़ाद शुदा गुलाम में बाप और बेटे और दीगर वुरसा आक़ा पर मुक़द्दम हैं।(दुर्रे मुख़्तारकी जाती है कि जुनून से पहले तो वह मुकल्लफ़ था और जुनून के पहले के गुनाह जुनून से जाते न रहे। (ग़ुनिया)

मसअला :– चौथी तकबीर के बअ्द बग़ैर कोई दुआ पढ़े हाथ खोल कर सलाम फेर दे सलाम में मय्यत और फ़रिश्तों और हाज़िरीने नमाज़ की नियत करे उसी तरह जैसे और नमाज़ों के सलाम में नियत की जाती है यहाँ इतनी बात ज़्यादा है कि मय्यत की भी नियत करे।(दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार,ख़ुलासा)

मसअला :– तकबीर व सलाम को इमाम जहर (आवाज़)के साथ कहे बाक़ी तमाम दुआयें आहिस्ता पढ़ी जायें और सिर्फ़ पहली मर्तबा अल्लाहु अकबर कहने के वक़्त हाथ उठाये फिर हाथ उठाना

नहीं। (जौहरा,दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– नमाज़े जनाज़ा में कुर्आन ब–नियते कुर्आन या तशह्हुद पढ़ना मना है और ब–नियते दुआ व सना सूरए फ़ातिहा वग़ैरा आयाते दुआईया व सना पढ़ना जाइज़ है। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– बेहतर है कि नमाज़े जनाज़ा में तीन सफ़ें करे कि हदीस में है जिसकी नमाज़ तीन सफ़ों ने पढ़ी उसकी मग़फ़िरत हो जायेगी और अगर कुल सात ही शख़्स हों तो एक इमाम हो और तीन पहली सफ़ में और दो दूसरी में और एक तीसरी में। (ग़ुनिया)

मसअ्ला :– जनाज़े में पिछली सफ़ को तमाम सफ़ों पर फ़ज़ीलत है यानी पिछली में खड़े होना अगली के मुक़ाबले अफ़ज़ल है । (दुर्रे मुख़्तार)

नमाज़े जनाज़ा कौन पढ़ाये

मसअ्ला :– नमाज़े जनाज़ा में इमामत का हक़ बादशाहे इस्लाम को है फिर काज़ी फिर इमामे जुमा फिर इमामे मुहल्ला फिर वली को। इमामे मुहल्ला का वली पर तक़द्दुम मुस्तहब है और यह भी उस वक़्त कि वली से अफ़ज़ल हो वरना वली बेहतर है। (ग़ुनिया दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– वली से मुराद मय्यत के अ़सबा (अ़सबा से मुराद हर वह शख़्स हैं जिन के मुक़र्रर शुदा हिस्से नहीं अलबत्ता असहाबे फराइज़ से जो बचता है इसे ही मिलता है) हैं और नमाज़ पढ़ाने में औलिया की वही तरतीब है जो निकाह में है सिर्फ इतना फ़र्क़ है कि जनाज़े में मय्यत का बाप बेटे पर मुक़द्दम है और निकाह में बेटा बाप पर। अलबत्ता अगर बाप आ़लिम नहीं और बेटा आ़लिम है तो नमाज़े जनाज़ा में भी बेटा मुक़द्दम है अगर अ़सबा न हों तो ज़विल अरहाम(रिश्तेदार)ग़ैरों पर मुक़द्दम हैं। (दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– मय्यत का वली अक़रब(सबसे ज़्यादा क़रीबी रिश्तेदार)ग़ायब है और वलीए अबअ़द (दूर का रिश्ते वाला वली)हाज़िर है तो यही अबअ़द नमाज़ पढ़ाये,ग़ायब होने से मुराद यह है कि इतनी दूर है कि उसके आने के इन्तिज़ार में हरज हो। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– औरत का कोई वली न हो तो शौहर नमाज़ पढ़ाये वह भी न हो तो पड़ोसी यूँही मर्द का वली न हो तो पड़ोसी औरों पर मुक़द्दम है। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :–ग़ुलाम मर गया तो उसका आक़ा बेटे और बाप पर मुक़द्दम है अगर्चे यह दोनों आज़ाद हों

मसअ्ला :– मुकातिब(मुकातिब वह ग़ुलाम जो कि तै शुदा रक़म देने पर आज़ाद हो जायेगा)का बेटा या ग़ुलाम मर गया तो नमाज़ पढ़ाने का हक़ मुकातिब को है मगर उसका मौला अगर मौजूद हो तो उसे चाहिए कि मौला से पढ़वाये और अगर मुकातिब मर गया और इतना माल छोड़ा कि किताबत का बदल अदा हो जाये यअ्नी वह रक़म अदा हो जाये और वह माल वहाँ मौजूद है तो उसका बेटा नमाज़ पढ़ाये और माल ग़ायब है तो मौला। (जौहरा)

मसअ्ला :– औरतों और बच्चों को नमाज़े जनाज़ा की विलायत नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– वली और बादशाहे इस्लाम को इख़्तियार है कि किसी और को नमाज़े जनाज़ा पढ़ाने की इजाज़त दे दें। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– मय्यत के वलीए अक़रब (सबसे ज़्यादा क़रीबी रिश्तेदार)और वलीए अबअ़द (दूर के

रिश्ते वाले)दोनों मौजूद हैं तो वलीए अक़रब को मना करने का इख़्तियार है कि अबअ़द के सिवा किसी और से पढ़वाये,अबअ़द को मनअ् करने का इख़्तियार नहीं और अगर वलीए अक़रब ग़ायब है और इतनी दूर है कि उसके आने का इन्तिज़ार न किया जा सके और किसी तहरीर के ज़रीए से अबअ़द के सिवा किसी और से पढ़वाना चाहे तो अबअ़द को इख़्तियार है कि उसे रोक दे और अगर वली अक़रब मौजूद है मगर बीमार है तो जिससे चाहे पढ़वा दे अबअ़द को मनअ् का इख़्तियार नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– औरत मर गई शौहर और जवान बेटा छोड़ा तो विलायत बेटे को है शौहर को नहीं अलबत्ता अगर यह लड़का उसी शौहर से है तो बाप पर पेशक़दमी मकरूह है इसे चाहिए बाप से पढ़वाये और अगर दूसरे शौहर से है तो सौतेले बाप पर तक़द्दुम कर सकता है कोई हरज नहीं और बेटा बालिग़ न हो तो औरत के जो और वली हैं उनका हक़ है शौहर का नहीं। (जौहरा, आलमगीरी)

मसअ्ला :– दो या चन्द शख़्स एक दर्जे के वली हों तो ? ज़्यादा हक़ उसका है जो उम्र में बड़ा है मगर किसी को यह इख़्तियार नही कि दूसरे वली के सिवा किसी और से बग़ैर उसकी इजाज़त के पढ़वा दे और अगर ऐसा किया यअ्नी खुद न पढ़ाई और किसी को इजाज़त दे दी तो दूसरे वली के मनअ् का इख़्तियार है अगर्चे यह दूसरा वली उम्र में छोटा हो और अगर एक वली ने एक शख़्स को इजाज़त दी दूसरे ने दूसरे को तो जिसको बड़े ने इजाज़त दी वह औला है। (आलमगीरी वग़ैरा)

मसअ्ला :– मय्यत ने वसियत की थी कि मेरी नमाज़ फ़ुलाँ पढ़ाये या मुझे फ़ुलाँ शख़्स गुस्ल दे तो यह वसियत बातिल है यअ्नी इस वसियत से वली का हक़ जाता न रहेगा, हाँ वली को इख़्तियार है कि खुद न पढ़ाये उससे पढ़वा दे। (आलमगीरी वग़ैरा)

मसअ्ला :– वली के सिवा किसी ऐसे ने नमाज़ पढ़ाई जो वली पर मुक़द्दम न हो और वली ने उसे इजाज़त भी न दी थी तो अगर वली नमाज़ में शरीक न हुआ तो नमाज़ का इआ़दा वह कर सकता है यअ्नी नमाज़ लौटा सकता है और अगर मुर्दा दफ़्न हो गया है तो क़ब्र पर नमाज़ पढ़ सकता है और अगर वह वली पर मुक़द्दम है जैसे बादशाह,क़ाज़ी व इमामे मुहल्ला कि वली से अफ़ज़ल हों तो अब वली नमाज़ का इआ़दा नहीं कर सकता और अगर एक वली ने नमाज़ पढ़ा दी तो दूसरे औलिया इआ़दा नहीं कर सकते और इआ़दा की हर सूरत में जो शख़्स पहली नमाज़ में शरीक न था वली के साथ पढ़ सकता है और जो शख़्स शरीक था वह वली के साथ नहीं पढ़ सकता है कि जनाज़े की नमाज़ दो मरतबा जाइज़ नहीं है सिवा इस सूरत के कि ग़ैरे वली ने बग़ैर वली की इजाज़त पढ़ाई। (आलमगीरी,दुर्रे मुख़्तार वग़ैरहुमा)

मसअ्ला :– जिन चीज़ों से तमाम नमाज़ें फ़ासिद होती हैं नमाज़े जनाज़ा भी उनसे फ़ासिद हो जाती है सिवा एक बात के कि औरत मर्द के मुहाज़ी हो जाये तो नमाज़े जनाज़ा फ़ासिद न होगी।(आलमगीरी)

मसअ्ला :– मुस्तहब यह है कि मय्यत के सीने के सामने खड़ा हो और मय्यत से दूर न हो मय्यत चाहे मर्द हो या औरत बालिग़ हो या नाबालिग़। यह उस वक़्त है कि एक ही मय्यत की नमाज़ पढ़ानी हो और अगर चन्द हों तो एक के सीने के मुक़ाबिल और करीब खड़ा हो।(दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– इमाम ने पाँच तकबीरें कहीं तो पाँचवा तकबीर में मुक़तदी इमाम की मुताबअ़त(पैरवी) न करे बल्कि चुप खड़ा रहे जब इमाम सलाम फेरे तो उसके साथ सलाम फेर दे। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– बअ़्द तकबीरें फ़ौत हो गई यअ़्नी उस वक़्त आया कि बअ़्द तकबीरें हो चुकी है तो फ़ौरन शामिल न हो उस वक़्त हो जब इमाम तकबीर कहे और अगर इन्तिज़ार न किया बल्कि फ़ौरन शामिल हो गया तो इमाम के तकबीर कहने से पहले जो कुछ अदा किया उस का एअ़्तिबार नहीं अगर वहीं मौजूद यह मगर तकबीरे तहरीमा के वक़्त इमाम के साथ अल्लाहु अकबर न कहा ख़्वाह ग़फ़लत की वजह से देर हुई या नियत ही करता रह गया तो यह शख़्स इसका इन्तिज़ार न करे कि इमाम दूसरी तकबीर कहे तो उसके साथ शामिल हो बल्कि फ़ौरन ही शामिल हो जाये। (दुर्रे मुख़्तार,ग़ुनिया)

मसअला :– मसबूक़ यअ़्नी जिसकी तकबीरें फौत हो गयीं वह अपनी बाक़ी तकबीरें इमाम के सलाम फेरने के बअ़्द कहे और अगर यह अन्देशा हो कि दुआ पढ़ेगा तो पूरी करने से पहले लोग मय्यत को कंधे तक उठा लेंगे तो सिर्फ़ तकबीरें कह ले दुआयें छोड़ दे। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– लाहिक़ यानी जो शुरूअ़् में शामिल हुआ मगर किसी वजह से दरमियान की बाज़ तकबीरें रह गयीं मसलन पहली तकबीर इमाम के साथ कही मगर दूसरी और तीसरी जाती रहीं तो इमाम की चौथी तकबीर से पहले यह तकबीरें कह ले। (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– चौथी तकबीर के बअ़्द जो शख़्स आया तो जब तक इमाम ने सलाम न फेरा शामिल हो जाये और इमाम के सलाम के बअ़्द तीन बार अल्लाहु अकबर कह ले। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– कई जनाज़े जमा हों तो एक साथ सब की नमाज़ पढ़ सकता है यअ़्नी एक ही नमाज़ में सब की नियत कर ले और अफ़ज़ल यह है कि सबकी अलाहिदा–अलाहिदा पढ़े और इस सूरत में यअ़्नी जब अलाहिदा–अलाहिदा पढ़े तो उनमें जो अफ़ज़ल है उसकी पहले पढ़े फिर उसकी जो उस के बअ़्द सब में अफ़ज़ल है इसी तरह क़यास कर लें (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– चन्द जनाज़े की नमाज़ एक साथ पढ़ाई तो इख़्तियार है सबको आगे पीछे रखें यअ़्नी सबका सीना इमाम के मुक़ाबिल हो या बराबर–बराबर रखें यानी एक की पाएँती या सरहाना दूसरे को पड़े और उस दूसरे की पाएंती या सरहाना तीसरे को और इसी पर समझ लें,अगर आगे पीछे रखें तो इमाम के क़रीब उसका जनाज़ा हो जो सब में अफ़ज़ल हो फिर उसके बअ़्द जो अफ़ज़ल हो और इसी पर क़यास कर लें और अगर फ़ज़ीलत में बराबर हों तो जिसकी उम्र ज़्यादा हो उसे इमाम के क़रीब रखें ,यह उस वक़्त है कि सब एक जिन्स के हों और अगर मुख़्तलिफ़ जिन्स के हों तो इमाम के क़रीब मर्द हों उसके बअ़्द लड़का फिर खुन्सा फिर औरत फिर मुराहिक़ा(जो बालिग़ा होने के क़रीब हो) यअ़्नी नमाज़ में जिस तरह मुक़तदियों की सफ़ में तरतीब है उसका अक्स(यअ़्नी उल्टा)यहाँ है और अगर आज़ाद व ग़ुलाम के जनाज़े हों तो आज़ाद को इमाम से क़रीब रखेंगे अगर्चे नाबालिग़ हो उसके बअ़्द ग़ुलाम को और किसी ज़रूरत से एक ही क़ब्र में चन्द मुर्दे दफ़न करें तो तरतीब अक्स (यअ़्नी उल्टी) करें यअ़्नी क़िब्ले को उसे रखें जो अफ़ज़ल है जबकि सब मर्द या सब औरतें हों वरना क़िब्ले की जानिब मर्द को रखें फिर लड़के फिर खुन्सा फिर औरत फिर मुराहिक़ा को। (आलमगीरी,दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– एक जनाज़े की नमाज़ पढ़ना शुरूअ़् की थी कि दूसरा आ गया तो पहले की पूरी करें और अगर दूसरी तकबीर में दोनों की नियत कर ली जब भी पहले ही की होगी और अगर सिर्फ़ दूसरे की नियत की तो दूसरे की होगी इससे फ़ारिग़ होकर पहले की फिर पढ़े। (आलमगीरी)

मसअला :– मय्यत को बग़ैर नमाज़ पढ़े दफ़न कर दिया और मिट्टी भी दे दी गई तो अब उसकी क़ब्र पर नमाज़ पढ़ें जब तक फटने का गुमान न हो और मिट्टी न दी गयी हो तो निकालें और नमाज़ पढ़ कर दफ़न करें और क़ब्र पर नमाज़ पढ़ने में दिनों की तअ़्दाद मुक़र्रर नहीं कि कितने दिन तक पढ़ी जाये कि यह मौसम और ज़मीन और मय्यत के जिस्म और मरज़ के इख़्तिलाफ़ से मुख़्तलिफ़ है गर्मी में जल्द फटेगा और जाड़े में देर में, खारी ज़मीन मे जल्द ख़ुश्क होगा और जो खारी नहीं उसमें देर में, फ़रबा (मोटा) जिस्म जल्द और लाग़र (कमज़ोर)देर में (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार)

मसअला :– कुँए में गिर कर मर गया या उसके ऊपर मकान गिर पड़ा और मुर्दा निकाला न जा सका तो उसी जगह उसकी नमाज़ पढ़ें और दरिया में डूब गया और निकाला न जा सका तो उसकी नमाज़ नहीं हो सकती कि मय्यत का मुसल्ली के आगे होना मअ़्लूम नहीं। (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– मस्जिद में नमाज़े जनाज़ा मुतलक़न मकरूहे तहरीमी है ख़्वाह मय्यत मस्जिद के अन्दर हो या बाहर सब नमाज़ी मस्जिद में हों या बअ़्ज़ कि हदीस में नमाज़े जनाज़ा मस्जिद में पढ़ने की मनाही आई है। (दुर्रे मुख़्तार)शारेए आम (आम रास्ता)और दूसरे की ज़मीन पर नमाज़े जनाज़ा पढ़ाना मनअ़् है। (रद्दुल मुहतार) यअ़्नी जबकि मालिक ज़मीन मनअ़् करता हो।

मसअला :– जुमे के दिन किसी का इन्तिक़ाल हुआ तो अगर जुमे से पहले तजहीज़ व तकफ़ीन हो सके तो पहले ही कर लें इस ख़याल से रोक रखना कि जुमे के बाद मजमा ज़्यादा होगा मकरूह है। (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– नमाज़े मग़रिब के वक़्त जनाज़ा आया तो फ़र्ज़ और सुन्नत पढ़कर नमाज़े जनाज़ा पढ़ें यूँहीं किसी और नमाज़ के वक़्त जनाज़ा आये और जमाअ़त तैयार हो तो फ़र्ज़ व सुन्नत पढ़ कर नमाज़े जनाज़ा पढ़ें बशर्ते कि नमाज़े जनाज़ा की ताख़ीर में जिस्म ख़राब होने का अन्देशा न हो। (आलमगीरी,रद्दुल)

मसअला :– ईद की नमाज़ के वक़्त जनाज़ा आया तो पहले ईद की नमाज़ पढ़ें फिर जनाज़ा फिर ख़ुतबा और गहन की नमाज़ के वक़्त आये तो पहले नमाज़े जनाज़ा पढ़ें फिर गहन की। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– मुसलमान मर्द, या औरत का बच्चा ज़िन्दा पैदा हुआ यअ़्नी अकसर हिस्सा बाहर होने के वक़्त ज़िन्दा था फिर मर गया तो उसको ग़ुस्ल व कफ़न देंगे और उसकी नमाज़ पढ़ेंगे वरना उसे वैसे ही नहलाकर एक कपड़े में लपेट कर दफ़न कर देंगे इसके लिए ग़ुस्ल व कफ़न सुन्नत तरीक़े से नहीं और नमाज़ भी उसकी नहीं पढ़ी जायेगी यहाँ तक कि सर जब बाहर हुआ था उस वक़्त चीख़ता था मगर अकसर की मिक़दार यह है कि सर की जानिब से हो तो सीना तक अकसर है और पाँव की जानिब से हो तो कमर तक अकसर है। (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार वग़ैरहुमा)

मसअला :– बच्चे की माँ या जनाई ने ज़िन्दा पैदा होने की शहादत दी तो उसकी नमाज़ पढ़ी जायेगी मगर विरासत के बारे में उनकी गवाही ना–मोअ़्तबर है यअ़्नी एअ़्तिबार के क़ाबिल नहीं यअ़्नी बच्चा अपने मरे हुए बाप का वारिस नहीं क़रार दिया जायेगा, न बच्चे की वारिस उसकी माँ होगी। यह उस वक़्त है कि ख़ुद बाहर निकला और अगर किसी ने हामिला के शिकम (पेट)पर ज़र्ब (मार)लगाई कि बच्चा मरा हुआ बाहर निकला तो वारिस होगा और वारिस बनायेगा। (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– बच्चा ज़िन्दा पैदा हुआ या मुर्दा उसकी ख़िलक़त(बनावट)तमाम (पूरी)हो या नातमाम बहरहाल उसका नाम रखा जाये और क़ियामत के दिन उसका हश्र होगा। (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार)

मसअला :– काफ़िर का बच्चा दारुलहरब में अपनी माँ या बाप के साथ या बअ्द में क़ैद किया गया फिर वह मर गया और उसके माँ बाप में से अब तक कोई मुसलमान न हुआ तो उसे ग़ुस्ल न देंगे न कफ़न ख़्वाह दारुलहरब ही में मरा हो या दारुलइस्लाम में और अगर तन्हा दारुलइस्लाम में उसे लायें यअ्नी उसके बाप माँ में से किसी को क़ैद कर के न लाये हों न वह बतौरे ख़ुद बच्चे के लाने से पहले ज़िम्मी बनकर आये तो उसे ग़ुस्ल व कफ़न देंगे और उसकी नमाज़ पढ़ी जायेगी अगर उसने आक़िल होकर कुफ़्र इख़्तियार न किया। (आलमगीरी,दुर्रे मुख़्तार वग़ैरहुमा)

मसअला :– काफ़िर के बच्चे को क़ैद किया और अभी वह दारुलहरब में था कि उसका बाप दारुलइस्लाम में आकर मुसलमान हो गया तो बच्चा मुसलमान समझा जायेगा यअ्नी अगर्चे दारुलहरब में मर जाये उसे ग़ुस्ल व कफ़न देंगे उसकी नमाज़ पढ़ेंगे। (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– बच्चे को माँ बाप के साथ क़ैद कर लाये और उन में से कोई मुसलमान हो गया या वह समझ दार था ख़ुद मुसलमान हो गया तो इन दोनों सूरतों में वह मुसलमान समझा जायेगा (तनवीरुलअबसार)

मसअला :– काफ़िर के बच्चे को माँ बाप के साथ क़ैद किया मगर वह दोनों वहीं दारुलहरब में मर गये तो अब मुसलमान समझा जाये। मजनून बालिग़ क़ैद किया गया तो उसका हुक्म वही है जो बच्चे का है। (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– मुसलमान का बच्चा काफ़िरा से पैदा हुआ और वह उसकी मन्कुहा न थी यअ्नी वह बच्चा ज़िना का है तो उसकी नमाज़ पढ़ी जाये। (रद्दुलमुहतार)

क़ब्र व दफ़न का बयान

मसअला :– मय्यत को दफ़न करना फ़र्ज़े किफ़ाया है और यह जाइज़ नहीं कि मय्यत को ज़मीन पर रख दें और चारों तरफ़ से दीवारें काइम कर के बन्द कर दें। (आलमगीरी)

मसअला :– जिस जगह इन्तिकाल हुआ उसी जगह दफ़न न करें यह अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिये ख़ास है बल्कि मुसलमानों के क़ब्रिस्तान में दफ़न करें मक़सद यह कि उसके लिये कोई ख़ास मदफ़न (दफ़न करने की जगह) न बनाया जाये मय्यत बालिग़ हो या नाबालिग़। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– क़ब्र की लम्बाई मय्यत के क़द के बराबर हो और चौड़ाई आधे क़द की और गहराई कम से कम निस्फ़ (आधे)क़द की और बेहतर यह है कि गहराई भी क़द बराबर हो और (मुतवस्सित दरमियानी) दर्जा यह है कि सीने तक हो (दुर्रे मुख़्तार)इससे मुराद यह कि लहद या सन्दूक़ इतना हो यह नहीं कि जहाँ से खोदनी शुरूअ् की वहाँ से आख़िर तक यह मिक़दार हो।

मसअला :– क़ब्र दो क़िस्म है लहद कि क़ब्र खोदकर उसमें क़िब्ला की तरफ़ मय्यत के रखने की जगह खोदें और सन्दूक़ वह जो हिन्दुस्तान में उमुमन राइज है। लहद सुन्नत है अगर ज़मीन इस क़ाबिल हो तो यही करें और नर्म ज़मीन हो तो सन्दूक़ में हरज नहीं। (आलमगीरी)

मसअला :– क़ब्र के अन्दर चटाई वग़ैरा बिछाना नाजाइज़ है कि बे–सबब माल ज़ाये करना है।(दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– ताबूत कि मय्यत को किसी लकड़ी वग़ैरा के सन्दूक़ में रखकर दफ़न करें यह मकरूह है मगर जब ज़रूरत हो मसलन ज़मीन बहुत तर है तो हरज नहीं और इस सूरत में ताबूत के मसारिफ़ उस में से लिये जायें जो मय्यत ने माल छोड़ा है। (आलमगीरी,दुर्रे मुख़्तार वग़ैरहुमा)

मसअला :– अगर ताबूत में रखकर दफ़न करें तो सुन्नत यह है कि इसमें मिट्टी बिछा दें और दाहिने बायें ख़ाम (कच्ची)ईटें लगा दें और फिर कहगिल (गारा यानी मिट्टी का पलास्तर)कर दें ग़रज़ ऊपर का हिस्सा मिस्ले लहद के हो जाये और लोहे का ताबूत मकरूह है और क़ब्र की ज़मीन नम हो तो धूल बिछा देना सुन्नत है। (सग़ीरी,रद्दुल मुहतार)

मसअला :– क़ब्र के उस हिस्से में कि मय्यत के जिस्म से क़रीब है पक्की ईट लगाना मकरूह है कि ईट आग से पकती है अल्लाह तआला मुसलमानों को आग के असर से बचाये। (आलमगीरी)

मसअला :– क़ब्र में उतरने वाले दो–तीन जो मुनासिब हों कोई तअ्दाद इसमें ख़ास नही। बेहतर यह है कि क़वी (ताक़तवर)व नेक व अमीन हो कि कोई बात नामुनासिब देखें तो लोगों पर ज़ाहिर न करें। (आलमगीरी)

मसअला :– जनाज़ा क़ब्र से क़िब्ला की जानिब रखना मुस्तहब है कि मुर्दा क़िब्ला की जानिब से क़ब्र में उतारा जाये यूँ नहीं कि क़ब्र की पाएंती रखें और सर की जानिब से क़ब्र में लायें।(दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– औरत का जनाज़ा उतारने वाले महारिम हों यानी जिनसे पर्दा नही जैसे भाई, वालिद वग़ैरा। ये न हों तो दूसरे रिश्ते वाले, ये भी न हों तो परहेज़गार अजनबी के उतारने में मुज़ायक़ा नहीं। (आलमगीरी)

मसअला :– मय्यत को क़ब्र में रखते वक़्त यह दुआ पढ़े –

بِسْمِ اللّٰهِ وَ بِاللّٰهِ وَ عَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ

तर्जमा :– "अल्लाह के नाम से और अल्लाह की मदद से और रसूलुल्लाह के दीन पर।"

और एक रिवायत में यह भी आया है।":–

وَفِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ के बअ्द بِسْمِ اللّٰهِ

तर्जमा :– "अल्लाह के नाम से अल्लाह के रास्ते में"। (आलमगीरी, रद्दुलमुहतार)

मसअला :– मय्यत को दाहिनी करवट पर लिटायें और उस का मुँह क़िब्ले को करें अगर क़िब्ला की तरफ़ मुँह करना भूल गये तख़्ता लगाने के बअ्द याद आया तो तख़्ता हटाकर क़िब्ला–रू कर दें और मिट्टी देने के बअ्द याद आया तो नहीं। यूँही अगर बाईं करवट पर रखा या जिधर सरहाना होना चाहिए उधर पाँव किये तो अगर मिट्टी देने से पहले याद आया ठीक कर दें वरना नहीं।(आलमगीरी,दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– क़ब्र में रखने के बअ्द कफ़न की बन्दिश खोल दें कि अब ज़रूरत नहीं और न खोली तो हरज नहीं। (जौहरा)

मसअला :– क़ब्र में रखने के बअ्द लहद को कच्ची ईटों से बन्द करें और ज़मीन नरम हो तो तख़्ते लगाना भी जाइज़ है। तख़्तों के दरमियान झिरी रह गई तो उसे ढेले वग़ैरा से बन्द कर दें सन्दूक़ का भी यही हुक्म है। (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअला :– औरत का जनाज़ा हो तो क़ब्र में उतारने से तख़्ता लगाने तक क़ब्र को कपड़ों वग़ैरा से छिपाये रखें, मर्द की क़ब्र को दफ़न करते वक़्त न छुपायें अलबत्ता अगर मेंह वग़ैरा कोई उज़्र हो तो छुपाना जाइज़ है औरत का जनाज़ा भी ढका रहे। (जौहरा ,दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– तख़्ते लगाने के बअ्द मिट्टी दी जाये मुस्तहब यह है कि सरहाने की तरफ़ दोनों हाथों से तीन बार मिट्टी डालें पहली बार कहें। مِنْهَا خَلَقْنٰكُمْ(इसी से हम ने तुम को पैदा किया)दूसरी बार

وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ(और इसी में तुम को लौटायेंगे) तीसरी बार وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرٰى (और इसी से तुम को दे)बाक़ी मिट्टी हाथ या खुरपी اَللّٰهُمَّ جَافِ الْاَرْضَ عَنْ جَنْبَيْهِ(ऐ अल्लाह ज़मीन या फावड़े वग़ैरा जिस से मुमकिन हो क़ब्र में डालें दो बारा निकलेंगे)या पहली बार इस के दोनों पहलूओं से कुशादा कर)दूसरी बार اَللّٰهُمَّ افْتَحْ اَبْوَابَ السَّمَاءِ لِرُوْحِهٖ(ऐ अल्लाह इस की रूह के लिए आसमान के दरवाज़े खोलदे) और तीसरी बार اَللّٰهُمَّ زَوِّجْهُ مِنَ الْحُوْرِ الْعِيْنِ और मय्यत औरत हो तो तीसरी बार यह اَللّٰهُمَّ اَدْخِلْهَا الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِكَ(ऐ अल्लाह अपनी रहमत से तू कहें। इस को जन्नत में दाख़िल कर और जितनी मिट्टी क़ब्र से निकली उससे ज़्यादा डालना मकरूह है।(जौहरा)

मसअ्ला :– हाथ में जो मिट्टी लगी है उसे झाड़ दें या धो डालें इख़्तियार है।

मसअ्ला :– क़ब्र चौखूटी न बनायें बल्कि उसमें ढाल रखें जैसे ऊँट का कोहान और उस पर पानी छिड़कने में हरज नहीं बल्कि बेहतर है और क़ब्र एक बालिश्त ऊँची हो या कुछ थोड़ी सी ज़्यादा।

मसअ्ला :– जहाज़ पर इन्तिक़ाल हुआ और किनारा क़रीब न हो तो ग़ुस्ल व कफ़न देकर नमाज पढ़कर समुन्द्र में डुबो दें। (गुनिया, रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– उलमा,मशाइख़ व सादात की क़ुबूर पर क़ुब्बा वग़ैरा बनाने में हरज नहीं और क़ब्र को पुख़्ता न किया जाये। (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार) यअ्नी अन्दर से पुख़्ता न की जाये और अगर अन्दर ख़ाम(कच्ची)हो ऊपर से पुख़्ता तो हरज नहीं।

मसअ्ला :– अगर ज़रूरत हो तो क़ब्र पर निशान के लिए कुछ लिख सकते हैं मगर ऐसी जगह न लिखें कि बे–अदबी हो। ऐसे मक़बरे में दफ़न करना बेहतर है जहाँ सालेहीन(बुज़ुर्गों)की क़ब्रें हों(जौहरा)

मसअ्ला :– मुस्तहब यह है कि दफ़न के बअ्द क़ब्र पर सूरए बक़रा का अव्वल आख़िर पढ़ें सरहाने الٓمّٓ से مُفْلِحُوْنَ तक और पाएंती اٰمَنَ الرَّسُوْلُ से ख़त्म सूरत तक पढ़ें। (जौहरा)

मसअ्ला :– दफ़न के बअ्द क़ब्र के पास इतनी देर तक ठहरना मुस्तहब है जितनी देर में ऊँट ज़िबह करके गोश्त तक़सीम कर दिया जाये कि उनके रहने से मय्यत को उन्स (सुकून)होगा और नकीरैन(क़ब्र में सवाल करने वाले फ़रिश्ते)का जवाब देने में वहशत न होगी और इतनी देर तक तिलावते क़ुर्आन और मय्यत् के लिए दुआ व इस्तिग़फ़ार करें और यह दुआ करें कि सवाले नकीरैन के जवाब में साबित क़दम रहे। (जौहरा वग़ैरा)

मसअ्ला :– एक क़ब्र में एक से ज़्यादा बिला ज़रूरत दफ़न करना जाइज़ नहीं और ज़रूरत हो तो कर सकते हैं मगर दो मय्यतों के दरमियान मिट्टी वग़ैरा से आड़ कर दें और कौन आगे हो कौन पीछे यह ऊपर ज़िक्र हो चुका। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– जिस शहर या गाँव वग़ैरा में इन्तिक़ाल हुआ वहीं के क़ब्रिस्तान में दफ़न करना मुस्तहब है अगर्चे वहाँ रहता न हो बल्कि जिस घर में इन्तिक़ाल हुआ उस घर वालों के क़ब्रिस्तान में दफ़न करें और दो–एक मील बाहर ले जाने में हरज नहीं कि शहर के क़ब्रिस्तान अकसर इतने फ़ासिले पर होते हैं और अगर दूसरे शहर को इसकी लाश उठा ले जायें तो अकसर उलमा ने मना फ़रमाया और यही सही है,यह उस सूरत में है कि दफ़न से पहले ले जाना चाहें और दफ़न के बाद तो मुतलकन मना है सिवा बअ्ज़ सूरतों के जो ज़िक्र होंगी। (आलमगीरी)और यह जो बअ्ज़ लोगों

का तरीक़ा है कि ज़मीन को सिपुर्द करते हैं फिर वहाँ से निकाल कर दूसरी जगह दफ़न करते हैं नाजाइज़ है और राफ़ज़ियों का तरीक़ा है।

मसअ्ला :– दूसरे की ज़मीन में बिला मालिक की इजाज़त के दफ़न कर दिया तो मालिक को इख़्तियार है ख़्वाह औलियाए मय्यत से कहे कि अपना मुर्दा निकाल लो या ज़मीन बराबर कर के उस में खेती करे। यूँही अगर वह ज़मीन शुफ़आ (वह जायदाद जो पड़ोसी की बिक रही है तो उस पर पहला हक़ पड़ोसी का होता है उस ज़मीन या जायदाद को शुफ़आ कहते हैं)में ले ली गई या ग़स्ब किये हुए कपड़े का कफ़न दिया तो मालिक मुर्दे को निकलवा सकता है।(आलमगीरी,रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– वक़्फ़ी क़ब्रिस्तान में किसी ने क़ब्र तैयार कराई उसमें दूसरे लोग अपना मुर्दा दफ़न करना चाहते हैं और क़ब्रिस्तान में जगह है तो मकरूह है और अगर दफ़न कर दिया तो क़ब्र खुदवाने वाला मुर्दे को नहीं निकलवा सकता जो ख़र्च हुआ है ले ले। (आलमगीरी रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– औरत को किसी वारिस ने ज़ेवर समेत दफ़न कर दिया और बअ्ज़ वुरसा मौजूद न थे तो इन वुरसा को क़ब्र खोदने की इजाज़त है। किसी का कुछ माल क़ब्र में गिर गया मिट्टी देने के बअ्द याद आया तो क़ब्र खोद कर निकाल सकते हैं अगर्चे वह एक ही दिरहम हो।(आलमगीरी)

मसअ्ला :– अपने लिए कफ़न तैयार रखे तो हरज नहीं और क़ब्र खुदवा रखना बेमाना है क्या मअ्लूम कहाँ मरेगा (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– क़ब्र पर बैठना, सोना ,चलना पाख़ाना–पेशाब करना हराम है। क़ब्रिस्तान में जो नया रास्ता निकाला गया उससे गुज़रना नाजाइज़ है ख़्वाह नया होना इसे मअ्लूम हो या उसका गुमान हो। (आलमगीरी,दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– अपने किसी रिश्तेदार की क़ब्र तक जाना चाहता है मगर क़ब्रों पर गुज़रना पड़ेगा तो वहाँ तक जाना मना है दूर ही से फ़ातिहा पढ़ दे। क़ब्रिस्तान में जूतियाँ पहन कर न जाये। एक शख़्स को हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जूते पहने देखा फ़रमाया जूते उतार दे न क़ब्र वाले को तू ईज़ा (तकलीफ़)दे न वह तुझे।

मसअ्ला :– क़ब्र पर क़ुर्आन पढ़ने के लिए हाफ़िज़ मुक़र्रर करना जाइज़ है। (दुर्रे मुख़्तार)यअ्नी जब कि पढ़ने वाले उजरत पर न पढ़ते हों कि उजरत पर क़ुर्आन मजीद पढ़ना और पढ़वाना नाजाइज़ है अगर उजरत पर पढ़वाना चाहे तो अपने काम–काज के लिए नौकर रखे फिर यह काम ले।

मसअ्ला :– शजरा या अहदनामा क़ब्र में रखना जाइज़ है और बेहतर यह है कि मय्यत के मुँह के सामने क़िब्ले की जानिब ताक़ खोद कर उसमें रखें बल्कि दुर्रे मुख़्तार में कफ़न पर अहदनामा लिखने को जाइज़ कहा है और फ़रमाया कि इससे मग़फ़िरत की उम्मीद है और मय्यत के सीने और पेशानी पर **'बिस्मिल्लाह शरीफ़'** लिखना जाइज़ है। एक शख़्स ने इसकी वसियत की थी इन्तिक़ाल के बअ्द सीने और पेशानी पर बिस्मिल्लाह शरीफ़ लिख दी गई फिर किसी ने उन्हें ख़्वाब में देखा हाल पूछा। कहा जब मैं रखा गया अज़ाब के फ़रिश्ते आये फ़रिश्तों ने जब पेशानी पर बिस्मिल्लाह शरीफ़ देखी कहा तू अज़ाब से बच गया। (दुर्रे मुख़्तार,गुनिया,तातारख़ानिया) यूँ भी हो सकता है कि पेशानी पर बिस्मिल्लाह शरीफ़ लिखें और सीने पर कलिमा तय्यबा "लाइला–ह

इल्लल्लाहु मुहम्मदुर्रसूलुल्ला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम''मगर नहलाने के **बअ्द** कफ़न पहनाने से पहले कलिमे की उंगली से लिखें रोशनाई से न लिखें। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– ज़्यारते कुबूर मुस्तहब है, हर हफ़्ते में एक दिन ज़्यारत करे जुमा या जुमेरात या हफ़्ते या पीर के दिन मुनासिब है। सबमें अफ़ज़ल रोज़े जुमा वक़्ते सुबह है। औलिया किराम के मज़ाराते **तय्यबा** पर सफ़र करके जाना जाइज़ है, वह अपने ज़ाएरीन को नफ़ा पहुँचाते हैं और अगर वहाँ **कोई मुन्किरे** शरई हो मसलन औरतों से इख़्तिलात तो उसकी वजह से ज़्यारत तर्क न की जाये कि ऐसी बातों से नेक काम तर्क नहीं किया जाता बल्कि उसे बुरा जाने और मुमकिन हो तो बुरी बात ज़ाइल करे यअ्नी अगर उन गलत बातों को रोक सकता है तो रोक दे। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– औरतों के लिए भी बाज़ उलमा ने ज़्यारते कुबूर को जाइज़ बताया दुर्रे मुख़्तार में यही **कौल** इख़्तियार किया मगर अज़ीज़ों की क़ब्रों पर जायेंगी तो जज़ा व फ़ज़ाअ् करेंगी,लिहाज़ा मना है **और सालेहीन की** क़ब्रों पर बरकत के लिए जायें तो बूढ़ियों के लिए हरज नहीं और जवानों के लिए मना।(रद्दुल मुहतार)और ज़्यादा अच्छा यह है कि औरतें मुतलक़न मना की जायें कि अपनों की **क़ब्रों की** ज़्यारत में तो वही जज़ा व फ़ज़ा है और सालेहीन की क़ब्रों पर तअ्ज़ीम में हद से गुज़र **जायेंगी** या बे–अदबी करेंगी कि औरतों में यह दोनों बातें ब–कसरत पायी जाती हैं।(फ़तावा रज़विया)

मसअ्ला :– ज़्यारते क़ब्र का तरीक़ा यह है कि पाएंती की जानिब से जाकर मय्यत के मुँह के **सामने** खड़ा हो सरहाने से न आये कि मय्यत के लिए तकलीफ़ का सबब है यअ्नी मय्यत को गर्दन फेर कर देखना पड़ेगा कि कौन आता है और यह कहे–

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ اَهْلَ دَارِ قَوْمٍ مُّوْمِنِيْنَ اَنْتُمْ لَنَا سَلَفٌ وَّ اِنَّا اِنْشَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَا حِقُوْنَ نَسْئَلُ اللّٰهَ لَنَا وَ لَكُمُ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ يَرْحَمُ اللّٰهُ الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنَّا وَالْمُسْتَاخِرِيْنَ اَللّٰهُمَّ رَبَّ الْاَرْوَاحِ الْفَانِيَةِ وَ الْاَجْسَادِ الْبَالِيَةِ وَ الْعِظَامِ النَّخِرَةِ اَدْخِلْ هٰذِهِ الْقُبُوْرِ مِنْكَ رَوْحًا وَّ رَيْحَانًا وَّ مِنَّا تَحِيَّةً وَّ سَلَامًا

तर्जमा :– सलाम हो तुम पर ऐ क़ौमे मोमिनीन के घर वालो! तुम हमारे अगले हो और **हमइन्शाअल्लाह** तुमसे मिलने वाले हैं। अल्लाह से हम अपने और तुम्हारे लिये अफ़्व व आफ़ियत का सवाल करते हैं। अल्लाह हमारे अगले और पिछलों पर रहम करे, ऐ अल्लाह! फ़ानी रूहों के और जिस्म गल जाने वाले और बोसीदा हड्डियों के रब! तू अपनी तरफ़ से इन क़ब्रों में ताज़गी और **ख़ुशबू** दाख़िल कर और हमारी तरफ़ से तहीय्यत व सलाम पहुँचा दे। फिर फ़ातिहा पढ़े और बैठना चाहे तो इतने फ़ासले से बैठे कि उसके पास ज़िन्दगी में नज़दीक या दूर जितने फ़ासले पर बैठ सकता था।

मसअ्ला :– क़ब्रिस्तान में जाये तो सूरए फ़ातिहा और الٓمّٓ से مُفْلِحُوْن o तक और आयतल कुर्सी और اٰمَنَ الرَّسُوْلُ से आख़िर तक और सूरए यासीन और تَبَارَكَ الَّذِىْ और اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ एक एक बार قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ बारह या ग्यारह या सात या तीन बार पढ़े और इन सब का सवाब मुर्दों को पहुँचाये पढ़ कर उसका सवाब मुर्दों को पहुँचाये तो मुर्दों की गिनती قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ हदीस में है जो ग्यारह बार बराबर उसे सवाब मिलेगा। (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– नमाज़,रोज़ा, हज ज़कात और हर किस्म की इबादत और हर नेक अमल फ़र्ज़ व नफ़्ल का सवाब मुर्दों को पहुँचा सकता है, उन सब को पहुँचेगा और इसके सवाब में कुछ कमी न होगी बल्कि उसकी रहमत से उम्मीद है कि सब को पूरा मिले यह नहीं कि उसी सवाब की **तकसीम** होकर टुकड़ा–टुकड़ा मिले (रद्दुल मुहतार) बल्कि यह उम्मीद है कि इस सवाब पहुँचाने वाले के लिए उन सब के मजमूआ के बराबर मिले मसलन कोई नेक काम किया जिस का सवाब कम अज़ कम दस मिलेगा इसने दस मुर्दों को पहुँचाया तो हर एक को दस–दस मिलेंगे और इसको एक सौ दस और हज़ार को पहुँचाया तो इसे दस हज़ार दस इसी तरह समझ लें। (फ़तावा रज़विया)

मसअ्ला :– क़ब्र को बोसा देना बअ्ज़ उलमा ने जाइज़ कहा है मगर सही यह है कि मना है। (अशअतुल लमआत)और क़ब्र का तवाफ़े तअ्ज़ीमी (यअ्नी क़ब्र के चारों तरफ़ ताज़ीमन **चक्कर** लगाना)मनअ् है और अगर बरकत लेने के लिए मज़ार के चारों तरफ़ फिरा तो हरज नहीं मगर अवाम मना किये जायें बल्कि अवाम के सामने किया भी न जाये कि कुछ का कुछ समझेंगे।

मसअ्ला :– दफ़न के बाद मुर्दे को तलक़ीन करना अहले सुन्नत के नज़दीक जाइज़ है (जौहरा)यह जो अकसर किताबों में है कि तलक़ीन न की जाये यह मोअ्तज़ला (एक बदमज़हब फ़िरक़े का नाम)का मज़हब है कि उन्होंने हमारी किताबों में यह इज़ाफ़ा कर दिया (रद्दुल मुहतार)हदीस में हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं जब तुम्हारा कोई मुसलमान भाई मरे और उसकी मिट्टी दे चुको तो तुम में एक शख़्स क़ब्र के सरहाने खड़े होकर कहे या फ़ुलाँ इब्ने फ़ुलाना वह सुनेगा और जवाब न देगा फिर कहो या फ़ुलाँ बिन फ़ुलाना वह सीधा होकर बैठ जायेगा फिर कहे या फ़ुलाँ बिन फ़ुलाना वह कहेगा हमें इरशाद कर अल्लाह तुझ पर रहम फ़रमाये मगर तुम्हें उसके कहने की ख़बर नहीं होती फिर कहे :–

اُذْكُرْ مَا خَرَجْتَ عَلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا شَهَادَةَ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ اَنَّكَ رَضِيْتَ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّ بِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَّ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ نَبِيًّا وَ بِالْقُرْاٰنِ اِمَامًا.

तर्जमा :– "तू उसे याद कर जिस पर तू दुनिया से निकला यअ्नी यह गवाही कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उसके बन्दे और रसूल हैं और यह कि तू अल्लाह के रब और इस्लाम के दीन और मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नबी और क़ुर्आन के इमाम होने पर राज़ी था।"

नकीरैन एक दूसरे का हाथ पकड़ कर कहेंगे चलो हम इसके पास क्या बैठेंगे जिसे लोग इसकी हुज्जत सिखा चुके। इस पर किसी ने हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की अगर उसकी माँ का नाम मअ्लूम न हो। फ़रमाया हव्वा की तरफ़ निस्बत करे। इस हदीस को तबरानी ने कबीर में और ज़िया ने अहकाम में और दूसरे मुहद्दिसीन ने रिवायत किया बअ्ज़ बड़े–बड़े ताबेईन इमाम फ़रमाते हैं जब क़ब्र पर मिट्टी बराबर कर चुकें और वापस जायें तो मुस्तहब समझा जाता कि मय्यत से उसकी क़ब्र के पास खड़े होकर यह कहा जाये :–

يَا فُلَانُ بْنَ فُلَانٍ قُلْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ

तर्जमा :– "ऐ फ़ुलाँ इब्ने फ़ुलाँ तू कह कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं।"तीन बार कहा जाये। फिर قُلْ رَبِّىَ اللّٰهُ وَ دِيْنِىَ الْاِسْلَامُ وَ نَبِيِّىْ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ कहे।

तर्जमा :– "तू कह कि मेरा रब अल्लाह है और मेरा दीन इस्लाम है और मेरे नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु

तआला अलैहि वसल्लम हैं।"

अअ्ला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खाँ रदियल्लाहु तआला अन्हु ने इस पर इतना और इज़ाफ़ा किया(बढ़ाया):–

وَاعْلَمْ اَنَّ هٰذَیْنِ الَّذِیْنَ اَتَیَاکَ اَوْ یَاْتِیَانِکَ اِنَّمَا هُمَا عَبْدَانِ لِلّٰهِ لَا یَضُرَّانِ وَ لَا یَنْفَعَانِ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ فَلَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ وَ اشْهَدْ اَنَّ رَبَّکَ اللّٰهُ وَ دِیْنَکَ الْاِسْلَامُ وَ نَبِیَّکَ مُحَمَّدٌ صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَ سَلَّمَ ثَبَّتَنَا اللّٰهُ وَ اِیَّاکَ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِی الْحَیٰوةِ الدُّنْیَا وَ فِی الْاٰخِرَةِ اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِیْمُ.

तर्जमा :– "और जान ले कि यह दो शख़्स जो तेरे पास आये या आयेंगे यह अल्लाह के बन्दे हैं बग़ैरा ख़ुदा के हुक्म के न ज़रर पहुँचायें न नफ़ा। पस न ख़ौफ़ कर और न ग़म कर तू और गवाही दे कि तेरा रब अल्लाह है और तेरा दीन इस्लाम है और तेरे नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हैं और अल्लाह हम को और तुझ को कौले साबित पर साबित रखे दुनिया की ज़िन्दगी में और आख़िरत में बेशक वह बख़्शने वाला मेहरबान है।"

मसअ्ला :– क़ब्र पर फूल डालना बेहतर है कि जब तक तर रहेंगे तस्बीह करेंगे और मय्यत का दिल बहलेगा (रद्दुल मुहतार)यूँही जनाज़े पर फूलों की चादर डालने में हरज नहीं।

मसअ्ला :– क़ब्र पर से तर घास नोचना न चाहिए कि उसकी तस्बीह से रहमत उतरती है और मय्यत को आराम होता है और नोचने से मय्यत का हक़ ज़ाए करना है। (रद्दुल मुहतार)

तअ्ज़ियत का बयान

मसअ्ला :– (किसी के घर मौत हो जाने पर लोग उसके घर उसे तसल्ली और दिलासा देने जाते हैं उसे तअ्ज़ियत कहते हैं)तअ्ज़ियत मसनून है हदीस में है जो अपने भाई मुसलमान की मुसीबत में तअ्ज़ियत करे कियामत के दिन अल्लाह तआला उसे करामत (इज़्ज़त) का जोड़ा पहनायेगा। इसको इब्ने माजा ने रिवायत किया दूसरी हदीस तिर्मिज़ी व इब्ने माजा में है जो किसी मुसीबतज़दा की तअ्ज़ियत करे उसे उसी की मिस्ल सवाब मिलेगा।

मसअ्ला :– तअ्ज़ियत का वक़्त मौत से तीन दिन तक है,इसके बाद मकरूह है कि ग़म ताज़ा होगा मगर जब तअ्ज़ियत करने वाला या जिसकी तअ्ज़ियत की जाये वहाँ मौजूद न हो या मौजूद है मगर इसे इल्म नहीं तो बअ्द में हरज नहीं। (जौहरा,रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– दफ़न से पहले भी तअ्ज़ियत जाइज़ है मगर अफ़ज़ल यह है कि दफ़न के बअ्द हो यह उस वक़्त है कि औलियाए मय्यत जज़ाअ् व फ़ज़ाअ् (यअ्नी रोना धोना,चीखना चिल्लाना) न करते हों वरना उनकी तसल्ली के लिए दफ़न से पहले ही करें। (जौहरा)

मसअ्ला :– मुस्तहब यह है कि मय्यत के तमाम अक़ारिब(क़रीबी रिश्तेदारों)को तअ्ज़ियत करें छोटे–बड़े मर्द व औरत सब को मगर औरत को कि उसके महारिम ही तअ्ज़ियत करें। तअ्ज़ियत में यह कहें अल्लाह तआला मय्यत की मग़फ़िरत और उसको अपनी रहमत में ढाँके और तुम को सब्र रोज़ी करे और इस मुसीबत पर सवाब अता फ़रमाये। नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इन लफ़्ज़ों से तअ्ज़ियत फ़रमाई :–

لِلّٰهِ مَا اَخَذَ وَاَعْطٰی وَ کُلُّ شَیْءٍ عِنْدَهٗ بِاَجَلٍ مُّسَمًّی

तर्जमा :– "ख़ुदा ही का है जो उसने लिया और दिया और उसके नज़दीक हर चीज़ एक मीआदेमुक़र्रर के साथ है।"

मसअ्ला :– मुसीबत पर सब्र करे तो उसके दो सवाब मिलते हैं एक मुसीबत का दूसरा सब्र का और जज़ाअ् व फ़ज़ाअ् से दोनों जाते रहते हैं। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– पुकार,सीना पीटना वग़ैरा)करती हैं उन्हें खाना न दिया जायेगा कि गुनाह पर मदद देना है। (फ़त्हुल अज़ा)

मसअ्ला :– मय्यत के घर वालों को जो खाना भेजा जाता है यह खाना सिर्फ़ घर वाले खायें और उन्हीं के लाइक़ भेजा जाये ज़्यादा नहीं,औरों को वह खाना खाना मना है। (कश्फ़ुलअज़ा) और सिर्फ़ मय्यत के अज़ीज़ों का घर में बैठना कि लोग उनकी तअ्ज़ियत को आयें इसमें हरज नहीं और मकान के दरवाज़े पर या शारेए आम (यानी आम रास्ता) पर बिछौने बिछा कर बैठना बुरी बात है। (आलमगीरी, दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– मय्यत के पड़ोसी या दूर के रिश्तेदार अगर मय्यत के घर वालों के लिए उस दिन और रात के लिए खाना लायें तो बेहतर है और उन्हें इसरार करके खिलायें। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– मय्यत के घर वाले तीजे वग़ैरा के दिन दअ्वत करें तो नाजाइज़ व बिदअते क़बीहा (बुरी बिदअत)है कि दअ्वत तो ख़ुशी के वक़्त जाइज़ है न कि ग़म के वक़्त, और अगर फ़ुक़रा को खिलायें तो बेहतर हैं। (फ़त्हुल क़दीर)

मसअ्ला :– जिन लोगों से क़ुर्आन मजीद या कलिमए तय्यबा पढ़वाया उनके लिए भी खाना तैयार करना नाजाइज़ है। (रद्दुल मुहतार)यानी जबकि ठहरा लिया हो या मअ्रूफ़ (मशहूर)हो या अग़निया (मालदार) हों

मसअ्ला :– तीजे वग़ैरा का खाना अकसर मय्यत के तर्के से किया जाता है इसमें यह लिहाज़ ज़रूरी है कि वुरसा में कोई नाबालिग़ न हो वरना सख़्त हराम है,यूँही अगर बअ्ज़ वुरसा मौजूद न हों जब भी नाजाइज़ है जबकि ग़ैर मौजूदीन से इजाज़त न ली हो और सब बालिग़ हों और सब की इजाज़त से हो या कुछ नाबालिग़ ग़ैर मौजूद हों मगर बालिग़ मौजूद अपने हिस्से से करे तो हरज नहीं। (ख़ानिया वग़ैरा)

मसअ्ला :– तअ्ज़ियत के लिए अकसर औरतें रिश्तेदार जमा होती हैं और रोती पीटती नौहा(चीख़ पहले दिन खाना भेजना सुन्नत है इसके बाद मकरूह। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– क़ब्रिस्तान में तअ्ज़ियत करना बिदअत है(रद्दुल मुहतार)और दफ़न के बअ्द मय्यत के मकान पर आना और तअ्ज़ियत करके अपने–अपने घर जाना अगर इत्तिफ़ाक़न हो तो हरज नहीं और इसकी रस्म करना न चाहिये और मय्यत के मकान पर तअ्ज़ियत के लिए लोगों का मजमा करना दफ़न के पहले हो या बाद उसी वक़्त हो या किसी और वक़्त ख़िलाफ़े औला है और करें तो गुनाह भी नहीं।

मसअ्ला :– जो एक बार तअ्ज़ियत कर आया उसे दोबारा तअ्ज़ियत के लिए जाना मकरूह है।

सोग और नोहा का ज़िक्र

मसअ्ला :– सोग के लिए सियाह (काले)कपड़े पहनना मर्दों को नाजाइज़ है(आलमगीरी)यूँही सियाह बिल्ले लगाना कि इसमें नसारा की मुशाबहत भी है।

मसअ्ला :– मय्यत के घर वालों को तीन दिन इस लिये बैठना कि लोग आयें और तअ्ज़ियत कर जायें जाइज़ है मगर न करना बेहतर है और यह उस वक़्त है कि फ़ुरुश और दीगर आराइश न करना हो वरना नाजाइज़। (आलमगीरी,रद्दुल मुह्तार)

मसअ्ला :– नौहा यअ्नी मय्यत के औसाफ़ मुबालग़े के साथ(यअ्नी बहुत बढ़ा–चढ़ा कर) बयान करके आवाज़ से रोना जिस को बैन कहते हैं बिल इजमा यअ्नी सब के नज़दीक हराम है। यूँही वावैला और हाय मुसीबत कहके चिल्लाना भी। (जौहरा,वग़ैरा)

मसअ्ला :– गिरेबान फाड़ना, मुँह नोचना, बाल खोलना सर पर ख़ाक डालना,सीना कूटना, रान पर हाथ मारना, यह सब जहालत के काम हैं और हराम हैं। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– आवाज़ से रोना मना है और आवाज़ बलन्द न हो तो इसकी मनाही नहीं बल्कि हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने हज़रते सय्यिदिना इब्राहीम रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु की वफ़ात पर बुका फ़रमाया यअ्नी बग़ैर आवाज़ के रोये। (जौहरा)

इस मक़ाम पर बअ्ज़ अहादीस जो नोहा वग़ैरा के बारे में वारिद हैं ज़िक्र की जाती हैं कि मुसलमान ब–ग़ौर देखें और अपने यहाँ की औरतों को सुनायें कि यह बला हिन्दुस्तान की औरतों में हिन्दुओं की तक़लीद से पाई जाती है यअ्नी हिन्दुओं की नक़्ल है।

हदीस न.1 :– बुख़ारी व मुस्लिम अ़ब्दुल्लाह इब्ने मसऊ़द रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि फ़रमाते हैं जो मुँह पर तमाचा मारे और गिरेबान फाड़े और जहालत का पुकारनां पुकारे (नौहा करे)वह हम में से नहीं।

हदीस न.2 :– सहीहैन में अबू बुरदा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी और मुस्लिम के लफ़्ज़ यह हैं कि फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम जो सर मुंडाये और नौहा करे और कपड़े फाड़े मैं उससे बरी हूँ।

हदीस न.3 :– सही मुस्लिम शरीफ़ में अबू मालिक अशअ़री रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कि फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम मेरी उम्मत में चार काम जिहालत के हैं लोग उन्हें न छोड़ेंगे 1. हसब (माल व मरतबा)पर फ़ख़्र करना 2. नसब में तअ़्न करना 3. सितारों से मेंह चाहना कि फ़ुलाँ नश्रत्र के सबब पानी बरसेगा 4. नौहा करना और फ़रमाया नौहा करने वाली ने अगर मरने से पहले तौबा न की तो क़ियामत के दिन इस तरह खड़ी की जायेगी कि उस पर एक कुर्ता क़तरान यअ्नी चीड़ के तेल का कुर्ता होगा और एक ख़ारुश्त(एक पेड़ जो बहुत काँटेदार होता है)का।

हदीस न.4 :– सहीहैन में अ़ब्दुल्लाह इब्ने उमर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से मरवी फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम आँख के आँसू और दिल के ग़म के सबब अल्लाह तआ़ला अज़ाब नहीं फ़रमाता और ज़बान की तरफ़ इशारा करके फ़रमाया लेकिन इसके सबब अज़ाब या रहम फ़रमाता है और घर वालों के रोने की वजह से मय्यत पर अज़ाब होता है यअ्नी जब कि उसने वसियत की हो या वहाँ रोने का रिवाज हो और मना न किया हो और अल्लाह तआ़ला ख़ूब

जानता है,या यह मुराद है कि उन के रोने से उसे तकलीफ़ होती है कि दूसरी हदीस में आया ऐ अल्लाह के बन्दो! अपने मुर्दे को तकलीफ़ न दो जब तुम रोने लगते हो तो वह भी रोता है।

हदीस न.5 :– बुख़ारी व मुस्लिम मुग़ीरा इब्ने शोअ़्बा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं जिस पर नौहा किया गया क़ियामत के दिन नौहा के सबब उस पर अज़ाब होगा यअ्नी उन्हीं सूरतों में।

हदीस न.6 :– सही मुस्लिम में है उम्मे सलमा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हा कहती हैं जब अबू सलमा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु का इन्तिक़ाल हुआ मैंने कहा सफ़र और परदेश में इन्तिक़ाल हुआ इन पर इस तरह रोऊँगी जिसका चर्चा हो। मैंने रोने का तहय्या किया था और एक औरत भी इस इरादे से आई कि मेरी मदद करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने उस औरत से फ़रमाया जिस घर से अल्लाह तआ़ला ने शैतान को दो मरतबा निकाला तू उसमें शैतान को दाख़िल करना चाहती है। फ़रमाया मैं रोने से बाज़ आई और नहीं रोई।

हदीस न.7 :– तिर्मिज़ी अबू मूसा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं जो मर जाता है और रोने वाला इसकी ख़ूबियाँ बयान कर के रोता है अल्लाह तआ़ला उस मय्यत पर दो फ़रिश्ते मुक़र्रर फ़रमाता है जो उसे कोंचते हैं और कहते हैं क्या तू ऐसा था।

हदीस न.8 :– इब्ने माजा अबू उमामा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं अल्लाह तआ़ला फ़रमाता है ऐ इब्ने आदम। अगर तू अव्वल सदमे के वक़्त सब्र करे और सवाब का तालिब हो तो तेरे लिए जन्नत के सिवा किसी सवाब पर मैं राज़ी नहीं।

हदीस न.9 :– अहमद व बैहक़ी इमाम हुसैन इब्ने अ़ली रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रावी कि फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम जिस मुसलमान मर्द या औरत पर कोई मुसीबत पहुँची उसे याद कर के कहे :–

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ

तर्जमा :– "बेशक हम अल्लाह ही के हैं और उसी की तरफ़ लौट कर जाना है"।

अगर्चे मुसीबत का ज़माना दराज़ हो गया हो तो अल्लाह तआ़ला उस पर नया सवाब अता फ़रमाता है और वैसा ही सवाब देता है जैसा उस दिन कि मुसीबत पहुँची थी।

शहीद का बयान

अल्लाह तआ़ला फ़रमाता है :–

وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ بَلْ اَحْيَاۗءٌ وَّلٰكِنْ لَّا تَشْعُرُوْنَ۝

तर्जमा :– " जो अल्लाह की राह में क़त्ल किये गये उन्हें मुर्दा न कहो बल्कि वह ज़िन्दा है मगर तुम्हें ख़बर नहीं"।

और फ़रमाता है :–

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا بَلْ اَحْيَاۗءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ۝ فَرِحِيْنَ بِمَآ اٰتٰىھُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ وَيَسْتَبْشِرُوْنَ بِالَّذِيْنَ لَمْ يَلْحَقُوْا بِهِمْ مِّنْ خَلْفِهِمْ اَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ۝ يَسْتَبْشِرُوْنَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ

اللهِ وَفَضْلٍ وَّاَنَّ اللهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ٥

तर्जमा :– "जो लोग राहे खुदा में क़त्ल किये गये उन्हें मुर्दा न गुमान कर बल्कि वह अपने रब के यहाँ ज़िन्दा हैं उन्हें रोज़ी मिलती है अल्लाह ने अपने फ़ज़्ल से जो दिया उस पर खुश हैं और जो लोग बाद वाले उन से अभी न मिले उन के लिए खुशख़बरी के तालिब कि उन पर न कुछ खौफ़ है और न वह ग़मग़ीन होंगे। अल्लाह की नेअ़मत और फ़ज़्ल की खुशख़बरी चाहते हैं और यह कि ईमान वालों का अज्र अल्लाह ज़ाए नहीं फ़रमाता।"

अहादीस में इसके फ़ज़ाइल ब–कसरत वारिद हैं। शहादत सिर्फ़ इसी का नाम नहीं कि जिहाद में क़त्ल किया जाये बल्कि एक हदीस में फ़रमाया कि इसके सिवा सात शहादतें और हैं। 1.जो ताऊन से मरा शहीद है 2.जो डूबकर मरा शहीद है। 3.जो जातुल जनब (निमोनिया)में मरा शहीद है। 4.जो पेट की बीमारी में मरा शहीद है। 5.जो जल कर मरा शहीद है। 6.जिसके ऊपर दीवार वग़ैरा ढह पड़ी और मर जाये शहीद है। 7.औरत कि बच्चा पैदा होने या कुँवारेपन में मर जाये शहीद है। इस हदीस को इमाम मालिक व अबू दाऊद व नसई ने जाबिर इब्ने अ़तीक रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत किया और इमाम अहमद की रिवायत जाबिर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया ताऊन से भागने वाला उसकी मिस्ल है जो जिहाद से भागा और जो सब्र करे उसके लिए शहीद का अज्र है। अहमद व नसाई इरबाज़ इब्ने सारिया रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम जो ताऊन में मरे उनके बारे में अल्लाह तआ़ला के दरबार में मुक़द्दमा पेश होगा, शोहदा कहेंगे यह हमारे भाई हैं यह वैसे ही क़त्ल किये गये जैसे हम और बिछौनों पर वफ़ात पाने वाले कहेंगे यह हमारे भाई हैं यह अपने बिछौनों पर मरे जैसे हम। अल्लाह तआ़ला फ़रमायेगा इनके ज़ख़्म देखो अगर इन के ज़ख़्म क़त्ल होने वालों के मुशाबह हों तो यह उन्हीं में है और उन्हीं के साथ हैं देखेंगे तो उन के ज़ख़्म शोहदा के ज़ख़्म की तरह होंगे. शोहदा में शामिल कर दिये जायेंगे।

8. इब्ने माजा की रिवायत इब्ने अ़ब्बास रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से है कि इरशाद फ़रमाया मुसाफ़रत(सफ़र)की मौत शहादत है यअ़नी सफ़र में मरे तो शहीद है। इनके सिवा बहुत सूरतें हैं जिनमें शहादत का सवाब मिलता है।

इमाम जलालुद्दीन स्यूती वग़ैरा अइम्मा ने उनको जिक्र किया है बअ़ज़ यह हैं:– 9. सिल (दिक़ टी. बी. की तरह एक बीमारी) की बीमारी में मरा। 10. सवारी से गिर कर या मिर्गी से मरा। 11. बुखार में मरा। 12. माल बचाने में मरा। 13. जान बचाने में मरा। 14. अहल यअ़नी अपने बीवी, बच्चे माँ बाप वग़ैरा या रिश्तेदार को बचाने में मरा। 15. किसी हक़ के बचाने में क़त्ल किया गया। 16. इश्क़ में मरा बशर्ते कि पाक दामन हो और छुपाया हो। 17. किसी दरिन्दे ने फाड़ खाया और मर गया। 18. बादशाह ने ज़ुल्मन क़ैद किया। 19. या मारा और मर गया इन सूरतों में शहीद है। 20. किसी मूज़ी जानवर के काटने से मरा। 21. इल्मे दीन की तलब में मरा। 22. मुअज़्ज़िन कि तलबे सवाब के लिए अज़ान कहता हो। 23. ताजिर रास्त–गो (सच बोलने वाला

ताजिर) जिसे समुन्दर के सफ़र में मतली और क़ै आई। 24. जो अपने बाल बच्चों के लिए सई (यअ़नी पालने की कोशिश) करे और उनमें अम्रे हुक्म इलाही क़ाइम करे और उन्हें हलाल खिलाए। اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لِيْ فِي الْمَوْتِ وَفِيْمَا بَعْدَ الْمَوْتِ 25. जो हर रोज़ पच्चीस बार पढ़े। 26. जो चाश्त की नमाज़ पढ़ें और हर महीने में तीन रोज़े रखे और वित्र को सफ़र व हज़र में कहीं तर्क न करे। 27. फ़सादे उम्मत के वक़्त सुन्नत पर अ़मल करने वाला इस के लिए सौ शहीद का सवाब है। 28. जो मरज़ में चालीस बार नीचे लिखी आयत पढ़े और उसी मरज़ में मर जाये और अच्छा हो गया तो उसकी मग़फ़िरत हो जायेगी, आयत यह है :–

لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحٰنَكَ اِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ٥

तर्जमा :– कोई मअ़बूद नहीं सिवा तेरे, पाकी है तुझको, बेशक मुझसे बे–जा हुआ। 29.कुफ़्फ़ार से मुक़ाबले के लिए सरहद पर घोड़ा बाँधने वाला। 30. जो हर रात में सूरए यासीन शरीफ़ पढ़े। 31. जो ब–तहारत (पाकी की हालत में) सोया और मर गया। 32.जो नबी सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम पर सौ बार दुरूद शरीफ़ पढ़े। 33. जो सच्चे दिल से यह सवाल करे कि अल्लाह की राह में क़त्ल किया जाऊँ। 34.जो सुबह को तीन बार नीचे लिखी दुआ पढ़कर फिर सूरए हश्र की पिछली तीन आयतें पढे तो अल्लाह तआ़ला सत्तर हज़ार फ़रिश्ते मुक़र्रर फ़रमायेगा कि उस के लिए शाम तक इस्तिग़फ़ार करें और अगर उस दिन में मरा तो शहीद मरा और जो शाम को कहे सुबह तक के लिए यही बात हैं।

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ

सूरए हश्र की आयातें ये है :–

هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ٥ هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى يُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ٥

मसाइले फ़िक़्हिय्या

इस्तिलाहे फ़िक़्ह में शहीद उस मुसलमान आ़क़िल,बालिग़,ताहिर को कहते हैं जो ब–तौरे ज़ुल्म किसी आलए जारेहा यअ़नी ज़ख़्मी करने वाले हथियार से क़त्ल किया गया और नफ़्से क़त्ल से माल न वाजिब हुआ हो (नफ़्से क़त्ल से माल वाजिब जब होता है जब धोके में कोई मर गया हो मसलन शिकार के लिए तीर या गोली चला रहा था और उससे कोई शख़्स मर गया तो माल वाजिब होगा जान के बदले जान न ली जायेगी) और दुनिया से नफ़ा न उठाया हो। शहीद का हुक्म यह है कि गुस्ल न दिया जाये वैसे ही खून समेत दफ़न कर दिया जाये तो जहाँ यह हुक्म पाया जायेगा फ़ुक़हा उसे शहीद कहेंगे वरना नहीं मगर शहीदे फ़िक़्ही न होने से यह लाज़िम नहीं कि शहीद का सवाब भी न पाये सिर्फ़ इसका मतलब इतना होगा कि गुस्ल दिया जाये बस।(रद्दुल मुहतार)

मसअला :– नाबालिग़ और मजनून को गुस्ल दिया जाये अगर्चे वह किसी तरह क़त्ल किये गये जुनुब और हैज़ व निफ़ास वाली औरत ख़्वाह अभी हैज़ व निफ़ास में हो या ख़त्म हो गया मगर अभी गुस्ल न किया तो इन सब को गुस्ल दिया जाये।

मसअला :– हैज़ शुरूअ़ हुए अभी पूरे तीन दिन न हुए थे कि क़त्ल की गई तो उसे गुस्ल न देंगे कि अब यह नहीं कह सकते कि हाइज़ा है।

मसअला :– जुनुब होना यूँ मालूम होगा कि क़त्ल से पहले उसने खुद बयान किया हो या उसकी

औरत ने बताया। (जौहरा)

मसअ्ला :– आलए जारेहा वह जिस से क़त्ल करने से क़ातिल पर क़िसास़ वाजिब होता है। आलए जारेहा वह आला है जो अअ्ज़ा को जुदा कर दे जैसे तलवार वग़ैरा। बन्दूक़ को भी आलए जारेहा कहेंगे। (रद्दुल मुह़तार)

मसअ्ला :– जब नफ़्से क़त्ल से क़ातिल पर क़िसास़ वाजिब न हो बल्कि माल वाजिब हो तो गुस्ल दिया जायेगा मसलन लाठी से मारा या शिकारी शिकार के लिए मार रहा था और तीर या गोली किसी आदमी को लगा और मर गया या कोई शख़्स नंगी तलवार लिये सो गया और सोते में किसी आदमी पर वह तलवार गिर पड़ी वह मर गया या किसी शहर या गाँव में या उनके क़रीब मक़तूल पड़ा मिला और उसका क़ातिल मअ्लूम नहीं इन सब सूरतों में गुस्ल देंगे और अगर मक़तूल शहर वग़ैरा में मिला और मअ्लूम है कि चोरों ने क़त्ल किया है चाहे हथियार से क़त्ल किया हो या किसी और चीज़ से तो गुस्ल न दिया जायेगा अगर्चे यह मअ्लूम नहीं कि किस चोर ने क़त्ल किया। यूँही अगर जंगल में मिला और मअ्लूम नहीं कि किस ने क़त्ल किया तो गुस्ल न देंगे यूँही अगर डाकूओं ने क़त्ल किया तो गुस्ल न देंगे हथियार से क़त्ल किया हो या किसी और चीज़ से। (रद्दुल मुह़तार वग़ैरा)

मसअ्ला :– अगर नफ़्से क़त्ल से माल वाजिब न हुआ बल्कि वुजूबे माल किसी अम्रे ख़ारिज (अलग बात) से है यअ्नी किसी और वजह से माल वाजिब हुआ मसलन क़ातिल व मक़तूल यअ्नी क़त्ल करने वाले और क़त्ल किये हुए के औलिया में सुलह हो गई या बाप ने बेटे को मार डाला या किसी ऐसे को मारा कि उसका वारिस बेटा है मसलन अपनी औरत को मार डाला और औरत का वारिस बेटा है जो इसी शौहर से है तो क़िसास़ का मालिक यही लड़का होगा मगर चूँकि इस का बाप क़ातिल है क़िसास़ साक़ित हो गया तो इन सूरतों में गुस्ल न दिया जाये।(रद्दुल मुह़तार वग़ैरा)

मसअ्ला :– अगर क़त्ल ब–तौरे ज़ुल्म न हो बल्कि क़िसास़ या ह़द्दे ताज़ीर में क़त्ल किया गया (कोड़े वग़ैरा लगने की सज़ा को ह़द्दे तअ्ज़ीर और खून का बदला खून को क़िसास़ कहते हैं) या दरिन्दे ने मार डाला तो गुस्ल देंगे। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– कोई शख़्स घायल हुआ मगर इसके बाद दुनिया से फ़ायदा ह़ासिल किया मसलन खाया या पिया या सोया या इलाज किया अगर्चे यह चीज़ें बहुत क़लील हों या ख़ेमे में ठहरा यअ्नी वहीं जहाँ ज़ख़्मी हुआ या नमाज़ का एक वक़्त पूरा होश में गुज़रा ब–शर्ते कि नमाज़ अदा करने पर क़ादिर हो या वहाँ से उठकर दूसरी जगह को चला या लोग उसे जंग के मैदान से उठा कर दूसरी जगह ले गये ख़्वाह ज़िन्दा पहुँचा हो या रास्ते ही में इन्तिक़ाल हुआ या किसी दुनयवी बात की वसीयत की या बय़ की या कुछ ख़रीदा या बहुत सी बातें कीं तो इन सब सूरतों में गुस्ल देंगे ब–शर्ते कि यह उमूर जिहाद ख़त्म होने के बाद वाक़ेअ् हो और अगर जंग ही के दरमियान में हों तो यह चीज़ें शहादत को रोकने वाली नहीं यानी गुस्ल न देंगे और वसीयत अगर आख़िरत के मुतअ़ल्लिक़ हो या दो एक बात बोला अगर्चे लड़ाई के बाद तो शहीद है गुस्ल न देंगे और अगर लड़ाई में नहीं क़त्ल किया गया बल्कि ज़ुल्मन तो उन चीज़ों में से अगर कोई पाई गई गुस्ल देंगे वरना नहीं।(दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुह़तार)

मसअ्ला :– जिसको ह़र्बी काफ़िर या बाग़ी या डाकू ने किसी आले से क़त्ल किया हो या उनके जानवरों ने उसे कुचल दिया अगर्चे खुद यही उन के जानवर पर सवार था या खींचे लिया जाता था या उस जानवर ने अपने हाथ पाँव इस पर मारे या दाँत से काटा या इसकी सवारी को उन लोगों ने भड़का दिया उससे गिर कर मर गया या उन्होंने इस पर आग फेंकी या उनके यहाँ से

हवा आग उड़ा लाई या उन्होंने किसी लकड़ी मे आग लगा दी जिस का एक किनारा इधर था और इन सूरतों में जल कर मर गया या जंग के मैदान में मरा हुआ मिला और उस पर ज़ख़्म का निशान है मसलन आँख ,कान से खून निकला है या ह़ल्क़ से साफ़ खून निकला या उन लोगों ने शहरे पनाह (क़िले की बाउंडरी) पर से उसे फेंक दिया या उसके ऊपर दीवार ढा दी या पानी में डुबा दिया या पानी बंद था उन्होंने खोल कर उधर बहा दिया कि डूब गया या गला घोंट दिया ग़रज़ वह लोग जिस तरह भी मुसलमान को क़त्ल करे या क़त्ल के सबब बने वह शहीद है।(आलमगीरी, दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– मअ्रकए जंग (जंग के मैदान) में मुर्दा मिला और उस पर क़त्ल का कोई निशान नही या उसकी नाक या पाख़ाना पेशाब के मक़ाम से खून निकला है या ह़ल्क़ से जमा हुआ खून निकला या दुश्मन के ख़ौफ़ से मर गया तो गुस्ल दिया जाये। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– अपनी जान या माल या किसी मुसलमान के बचाने में लड़ा और मारा गया वह शहीद है, यूँही पत्थर या लकड़ी या किसी चीज़ से क़त्ल किया गया हो। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– दो कश्तियों में मुसलमान थे दुश्मन ने एक कश्ती पर आग फेंकी यह लोग जल गये वह आग बढ़कर दूसरी कश्ती में लगी यह भी जले तो इस दूसरी कश्ती वाले भी शहीद हैं।(आलमगीरी)

मसअ्ला :– मुश्रिक का घोड़ा छूट कर भागा और उस पर कोई सवार नही उसने किसी मुसलमान को कुचल दिया या मुसलमान ने काफ़िर पर तीर चलाया वह मुसलमान को लगा या काफ़िर के घोड़े से मुसलमान का घोड़ा भड़का उसने मुसलमान सवार को गिरा दिया या मआज़ल्लाह मुसलमानों ने फ़रार की यअ्नी मुसलमान भाग खड़े हुए और काफ़िरों ने गोकरू कांटेदार लोहे के दाने बिछाए थे फिर उस पर चले और मर गये इन सब सूरतों में गुस्ल दिया जाये। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– लड़ाई में किसी मुसलमान का घोड़ा भड़का या काफ़िरों का झंडा देखकर बिदका मगर काफ़िरों ने उसे नहीं भड़काया और उसने सवार को गिरा दिया वह मर गया या मआज़ल्लाह मुसलमानों को शिकस्त हुई ,और एक मुसलमान की सवारी ने दूसरे मुसलमान को कुचल दिया ख़्वाह वह मुसलमान उस पर सवार हो या बाग पकड़ कर लिए जाता हो या पीछे से हाँकता हो या दुश्मन पर हमला किया और घोड़े से गिर कर मर गया इन सब सूरतों में गुस्ल दिया जाये।(आलमगीरी)

मसअ्ला :– दोनों फ़रीक़ (गिरोह)आमने–सामने हुए मगर लड़ाई की नौबत नहीं आई और एक शख़्स मुर्दा मिला तो जब तक यह न मअ्लूम हो कि आलए जारेहा से ज़ुल्मन क़त्ल किया गया,गुस्ल दिया जाये। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– शहीद के बदन पर जो चीज़ें कफ़न की तरह न हों उतार ली जायें मसलन पोस्तीन, ज़िरह टोपी खूद(हैलमेट की तरह जो जंग के वक़्त सर पर लगाते हैं)हथियार,रूई का कपड़ा और अगर कफ़ने मसनून में कुछ कमी पड़े तो इज़ाफ़ा किया जाये और अगर कमी है पूरा करने को कुछ नहीं तो पोस्तीन और रूई का कपड़ा न उतारें। शहीद के सब कपड़े उतार कर नये कपड़े देना मकरूह है। (आलमगीरी,रद्दुल मुह़तार वग़ैरहुमा)

मसअ्ला :– जैसे और मुर्दो को खुश्बू लगाते हैं शहीद को भी लगायें नजासत लगी हो तो धो डालें।(आलमगीरी वग़ैरा)शहीद की नमाज़े जनाज़ा पढ़ी जाये। (आम्मए कुतुब)

मसअ्ला :– दुश्मन पर वार किया ज़र्ब (मार)उस पर न पड़ी बल्कि खुद इस पर पड़ी और मर गया तो इन्दल्लाह (यअ्नी अल्लाह के नज़दीक) शहीद है मगर गुस्ल दें और नमाज़ पढ़ें। (जौहरा)

कअ्बए मुअज़्ज़मा में नमाज़ पढ़ने का बयान

सही बुख़ारी और सही मुस्लिम में है अ़ब्दुल्लाह इब्ने उ़मर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम और उसामा इब्ने ज़ैद, उ़स्मान इब्ने तल्हा हजबी व बिलाल इब्ने रबाह रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुम कअ्बए मुअ़ज़्ज़मा में दाख़िल हुए और दरवाज़ा बन्द कर लिया गया कुछ देर तक वहाँ ठहरे। जब बाहर तशरीफ़ लाये मैंने बिलाल रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से पूछा हुज़ूर सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने क्या किया कहा एक सुतून बाईं तरफ़ किया और दो दाहिनी तरफ़ और तीन पीछे फिर नामज़ पढ़ी और उस ज़माने में बैतुल्लाह शरीफ़ के छह सुतून थे।

मसअ्ला :– कअ्बए मुअज़्ज़मा के अन्दर हर नमाज़ जाइज़ है फ़र्ज़ हो या नफ़्ल तन्हा पढ़े या जमाअ़त से अगर्चे इमाम का रुख़ और तरफ़ हो और मुक़तदी का और तरफ़, मगर जबकि मुक़तदी की पुश्त इमाम के सामने हो तो मुक़तदी की नमाज़ न होगी और अगर मुक़तदी का मुँह इमाम की करवट की तरफ़ हो तो बिला कराहत जाइज़। (जौहरा, दुर्रे मुख़्तार वग़ैरहुमा)

मसअ्ला :– कअ्बए मुअज़्ज़मा की छत पर नमाज़ पढ़ी जब भी यही सूरतें हैं मगर उसकी छत पर नमाज़ पढ़ना बल्कि चढ़ना भी मकरूह है।(तनवीरुल अबसार) मस्जिदे हराम शरीफ़ में कअ्बए मुअ़ज़्ज़मा के गिर्द जमाअ़त की और मुक़तदी कअ्बए मुअ़ज़्ज़मा के चारों तरफ़ हों जब भी जाइज़ है अगर्चे मुक़तदी ब–निस्बत इमाम के कअ्बे से क़रीब तर हों ब–शर्ते कि यह मुक़तदी जो ब–निस्बत इमाम के क़रीब तर हैं उधर न हों जिस तरफ़ इमाम हो बल्कि दूसरी तरफ़ हों और अगर उसी तरफ़ है जिस तरफ़ इमाम है और ब–निस्बत इमाम के क़रीब तर है तो उसकी नमाज़ न हुई (आम्मए कुतुब)

मसअ्ला :– इमाम कअ्बे के अन्दर है और मुक़तदी बाहर तो इक़्तिदा सही है ख़्वाह इमाम तन्हा अन्दर हो या उसके साथ बअ्ज़ मुक़तदी भी हों मगर दरवाज़ा खुला होना चाहिए कि इमाम के रुकूअ् व सुजूद का हाल मअ्लूम होता रहे और अगर दरवाज़ा बन्द है मगर इमाम की आवाज़ आती है जब भी हरज नहीं मगर जिस सूरत में इमाम तन्हा अन्दर हो कराहत है कि इमाम तन्हा बलंदी पर होगा और यह मकरूह है। (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– इमाम बाहर हो और मुक़तदी अन्दर जब भी नजाज़ सही है ब–शर्ते कि मुक़तदी की पुश्त इमाम के सामने न हो। (रद्दुल मुहतार)

मुहम्मद अमीनुल क़ादरी बरेलवी
हिजरी 1431
मोबाइल न. 9219132423

बहारे शरीअ़त

पाँचवाँ हिस्सा

मुसन्निफ़
सदरुश्शरीआ़ मौलाना अमजद अ़ली आज़मी रज़वी अ़लैहिर्रहमा

हिन्दी तर्जमा
मौलाना मुहम्मद अमीनुल क़ादरी बरेलवी

नाशिर
क़ादरी दारूल इशाअ़त
मुस्तफ़ा मस्जिद, वैलकम, दिल्ली–53
Mob:–9312106346